Uncorrected/Not for publication – 03.04.2025

VKK-AKG/1A/11.00

RAJYA SABHA

Thursday, the 3rd April, 2025 / *Chaitra 13, 1947 (Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

श्री सभापति : माननीय खरगे जी, आप गले के लिए क्या लेते हैं?

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : मैं थोड़ा गर्म पानी पीता हूँ। हमारी माँ ने हमें जो दूध पिलाया, उसके ऊपर चल रहा है सब कुछ।

श्री सभापति : क्योंकि आपका गला काफी मजबूत है।

BIRTHDAY GREETINGS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, pleased to extend birthday greetings to hon. Member of Parliament, Shri Samirul Islam. One of the youngest Members of the House, full of energy, he is in Rajya Sabha since August 2023, representing the State of West Bengal. Son of a farmer, a postgraduate from IIT-Delhi and Chemistry Professor at Dinabandhu Andrews College, Kolkata, Shri Samirul Islam has truly risen from the grassroots. An educationist by passion and profession, he is deeply committed to social work and currently serves as the Chairman of the West

Bengal Migrant Workers Welfare Board. Shri Samirul Islam is also the President of Bangla Sanskriti Manch, an organization for the welfare of backward and vulnerable sections of the society. Shri Samirul Islam is married to Shrimati Sabnam Sultana, a practicing lawyer. The couple is blessed with two daughters — Inayat and Janat.

Hon. Members, on my own and on behalf of the House, I wish him and his family a long, healthy and happy life, and extend greetings to his family members and friends.

(Ends)

COMMEMORATION OF RAJYA SABHA DAY

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I extend my most profound salutations on this auspicious occasion of Rajya Sabha Day. The Council of States, our esteemed Rajya Sabha, stands dignified as the House of Elders, the distinguished Upper Chamber of our parliamentary democracy. As the quintessential edifice of India's federal architecture, this venerable institution ensures comprehensive representation, equilibrium in governance and cultivation of contemplative sagacity. Rajya Sabha endures as a distinguished forum where provincial perspectives and specialized expertise

converge to enrich our national trajectory. The hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, astutely remarked during the 250th Session that while Rajya Sabha may be designated as the Second House, it remains unequivocally paramount in its significance.

(Contd. by BHS/1B)

BHS-PSV/1B/11.05

MR. CHAIRMAN (Contd.): The Parliament stands as our Polaris—our unwavering North Star—illuminating the path forward during the nation's most formidable challenges, serving as a beacon of guidance through turbulent times.

This commemorative occasion beckons us to consecrate ourselves anew to preserving the illustrious traditions that ought to characterize this magnificent institution which, unlike the Lok Sabha, maintains its perennial continuity. The gravitas of this institution……*(Interruptions)*… Hon. Member, do not make light of a very serious occasion. It is a very, very important occasion. We have to go to our roots. The gravitas of this institution and the erudition and expertise of its distinguished Members remain of transcendent importance.

I implore the hon. Members to exemplify consummate conduct through excellence, unwavering devotion, steadfast commitment, profound scholarship, and discourse that stimulates intellectual contemplation and enlightenment. This exemplary standard must manifest with immediacy for the citizenry at large, as the Rajya Sabha must serve as the paradigmatic archetype for legislative bodies throughout the largest republic on the planet.

On this momentous occasion, I exhort all Members to reaffirm their solemn covenant to constructive deliberation, erudite discourse, and collaborative statecraft. Let us remain resolute in safeguarding the sanctity of this august assembly and fortifying the democratic foundations of our great nation Bharat.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Message from Lok Sabha, Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd April, 2025 and continued on the 3rd April, 2025 passed the following Bills:

i. The Waqf (Amendment) Bill, 2025; and
ii. The Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025.

I lay a copy each of the said Bills on the Table.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON TABLE

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(a) Annual Report and Accounts of the Grih Kalyan Kendra Board, New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Statement by Government accepting the above Report.

(b)

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National AntiDoping Agency (NADA), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Agency.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD), Sriperumbudur, Tamil Nadu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, a copy each of the Waqf (Amendment) Bill, 2025 and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025 as passed by Lok Sabha, has been laid on the Table of Rajya Sabha. I have admitted the notices received from the Minister of Minority Affairs for consideration and passing of the Bills in Rajya Sabha today, by waiving off the requirement of two days notice period under Rule 123 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha). Accordingly, a Supplementary List of Business has been issued for today for taking up these Bills for consideration and passing. A copy each of the Bills has been circulated to Members electronically through Members' portal in the early hours of today so as to enable them to peruse the same. In view of the

short time period available to Members, I have decided that those Members who desire to give notices of Amendments to the said Bills may do so now till 1 p.m. so as to enable the Secretariat to process and circulate the list of Amendments. The combined discussion on the Bills has been scheduled to commence at 1 pm today.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I have a point of order.

(Followed by RL/1C)

RL-VNK/11.10/1C

MR. CHAIRMAN: Shri Saket Gokhale, point of order!

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I refer to Rule 95 in the Rules of Procedure and Conduct of Business. Under this Rule, hon. Members are to be given, at least, 24 hours to move Amendments to a Bill. A Bill is passed in the Lok Sabha at 2 o'clock in the night. Next day, in the morning, it is brought in. So, when do hon. Members get the time to move Amendment? We are just seeing a copy of the Bill right now. We need some time, at least, to move Amendments to the Bill. It is a very serious legislation. So, Sir, an hour and a half is not enough for us to read the Bill and move our Amendments. We need a little bit of time to do that.

MR. CHAIRMAN: One, I believe in your intellect and your fast speed and, secondly, in what I said a while ago, the issue has been addressed. Now, Reports to be laid...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir,...

MR. CHAIRMAN: Yes, hon. Leader of the Opposition.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I rise in deep anguish. My life has always been an open book. It has been full of struggles.

MR. CHAIRMAN: Khargeji, you are making reference to what?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, please allow him to speak. ...*(Interruptions)*... Please allow him to speak.

MR. CHAIRMAN: Are you making some reference?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Yes.

MR. CHAIRMAN: May I take it just before Zero Hour?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Okay.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel; Shri Aditya Prasad.

REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड) : महोदय, मैं खान मंत्रालय से संबंधित 'जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का कार्यान्वयन और उपयोग - एक समीक्षा' के संबंध में विभाग-संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

(समाप्त)

REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी) सभा पटल पर रखती हूँ :-

(i) Eighth Report of the Committee on 'Rural Employment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)' pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development; and

(ii) Ninth Report of the Committee on 'Impact of National Social Assistance Programme (NSAP) on the Poor and Destitute in the Villages' pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.

(समाप्त)

STATEMENT RE. WITHDRAWAL OF FUNDS FROM CONTINGENCY FUND OF INDIA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I lay a Statement (in English and Hindi), regarding the withdrawal of funds from Contingency Fund of India for servicing Interest on Sovereign Guarantee Bonds (SGBs) raised by Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL).

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, three notices have been received under Rule 267. The notice of Shri Saket Gokhale demands discussion over the alleged lapse of Election Commission in issuance of multiple duplicate Electoral Photo Identity Cards across the States. The notice of Shri P. Wilson demands discussion over the need for constitutional amendment to remove the ceiling of 50 per cent on reservations. Both the hon. Members are present. There is also notice from Shri Raghav Chadha. He is not present in the House. Now, hon. Members, I have indicated that on such serious matter, where a Member wants that the listed work of the House be suspended, he or she is not present; that has happened on number of occasions.

(contd. by DC/1D)

DC-DS/1D/11.15

MR. CHAIRMAN (Contd.): I am sure, if Shri Raghav Chadha seeks to raise an issue only to get attraction of the subject -- everyone present here are, otherwise, passionate about the subject by seeing me in my Chamber too -- I am skipping the subject with the leave of the House because he is not present here. Hon. Members, the notices emanating from Shri Saket Gokhale and Shri P. Wilson, though are important, as the issue can be raised otherwise, I am unable to persuade myself to accord any acceptance on procedure and otherwise. *…(Interruptions)…* Yes, the Leader of the Opposition.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Thank you, Sir. I am grateful to you that you have given me a chance to clarify certain remarks made in the other House in my name. Sir, I rise in deep anguish. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I did not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. *…(Interruptions)…* When he was challenged by my

colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage had been done. All the media have carried it. Social media is also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up by the social and other media. Devegowda*ji* should also listen to this. He is associated with me for nearly 50 years. Sir, as the Leader of Opposition in the Rajya Sabha and as the President of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Shri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the Leader of the House, that it is the very least, the ruling party can and must do. If Shri Thakur cannot prove his allegation, he has no right to be in Parliament. He should resign, I seek *...(Interruptions)...* And if it is proved, I will resign. Even if he proves one acre of waqf land is occupied by me or my children, -- it is my challenge -- if such allegations are made, leaving some papers on the Table and damaging us, I am not going to be afraid of these things. I am a son of a labourer. I am from the textile workers' union. I had also been a labour leader and then I became the Block Congress Committee President and, today, I am the AICC President. *...(Interruptions)...* It has been a long way. *...(Interruptions)...* Devegowda*ji* was with me. I was with him then.

MR. CHAIRMAN: Khargeji, you have made your point.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, Sir. It hurts me. ...*(Interruptions)*... मेरे जीवन में आज तक असेम्बली में भी किसी ने मेरी ओर उंगली उठाकर नहीं बोला। देवगौड़ा जी यहाँ हैं। जब एक बार किसी ने कुछ बोला, तो पूरे हाउस ने उठकर मेरे लिए apology की माँग की। चीफ मिनिस्टर मेरे पास आए और मेरे बाजू में बैठकर apology माँगी।

(1ई/एमजैड पर जारी)

DPS-MZ/1E/11.20

श्री मल्लिकार्जुन खरगे (क्रमागत) : मैं ऐसा आदमी हूं। अगर ये बीजेपी के लोग डराकर मुझे झुकाना चाहते हैं, तो मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। यह याद रखो, मैं डराने से डरने वाला नहीं हूं। अगर मैंने किसी की एक इंच भी जगह ली – मैं तो उस एरिया से आता हूं, जिस एरिया में मुझे मुस्लिम के एक सेगमेंट में 1,20,000 वोट मिलते हैं।

MR. CHAIRMAN: You have made your point.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो? आप ज़रा ठाकुर को बुद्धि दीजिए, नहीं तो ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You may confine to the point.

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः मैं अनुराग ठाकुर के बारे में बोल रहा हूं, जाति को लेकर नहीं बोल रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: One minute, Leader of the Opposition. You have made your point...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No; no, this is very serious. Sir, I condemn it. ...(*Interruptions*)... I want your protection.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I want your protection. He should apologize...

MR. CHAIRMAN: I would...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: On behalf of him, the Leader of the House should apologize. This is my demand. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, one minute. When Leader of the Opposition, President of the Congress Party, has made observations, expressing his deep anguish... ...(*Interruptions*)... I would allow you. Do you want to say something? Then, I would react from the Chair.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Mr. Chairman, Sir, we heard the anguish and the words expressed by the

hon. Leader of the Opposition. I have stated earlier also, as a colleague, we must have high regard for each other and Mallikarjun Kharge*ji*... ...(*Interruptions*)... What is this? ...(*Interruptions*)... You want to speak! You speak. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, one minute.

SHRI KIREN RIJIJU: Let Derek O' Brien speak. You speak on my behalf. ...(*Interruptions*)... You speak. ...(*Interruptions*)... Sir, let him speak. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members. A little while ago,... ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: What right has he to make this kind of comment?

MR. CHAIRMAN: One minute. ...(*Interruptions*)... A little while ago, I had the occasion to pay salutations to this august House because it was on this day, we came into being. The Leader of the Opposition was heard in rapt attention. Let the other point of view come. And, then, there is a Chair to take a call on this. Let me take the call, please. ...(*Interruptions*)... Do you want to say something? ...(*Interruptions*)... Hon. Members, if we examine the issue critically, it boils down to certain situations. ...(*Interruptions*)... Please, hon. Members, we are discussing a serious issue. It raises two very

important issues. One issue is that a Member of Parliament uses the great privilege of being Member of the House, which is a constitutional protection, because anything said by a Member in the House, there is no civil recourse and no criminal action can be initiated. And, immunity is granted to a Member when the Member speaks in the House. And, on a number of occasions, I have said that this is not a place for free fall of information. We cannot damage reputations earned over decades or over half a century. I have said it on a number of occasions. Only this week, I had expressed my deep anguish, as Kharge*ji* has expressed, when one of the Members of this House had made an observation. But, traction took place, though the Member did not go by what was expunged.

(Contd. by PK/1F)

PK-DN/1F/11.25

MR. CHAIRMAN (CONTD.): And, I had indicated to this House that in this electronic age, explosive social media, anything said gets traction in micro seconds; therefore, expunction by Chair is hardly a remedy. We faced a situation, like Khargeji's reputation, when Rana Sanga became an issue. But the hon. Member took the stand that till his life, he will reiterate.

...*(Interruptions)*.. Please. Hon. Members, it is too serious an issue for either side to be commenting. I, then, said one thing; if something is expunged as a respect to this parliamentary institution, no Member should make an issue of it. But the hon. Member continued; he is a very senior Member. We have had all kinds of things being traversed in this House, in the other House, with respect to very senior people. Kharge*ji* is one of the very senior most Members. I do not want to say what has been said with respect to other very senior people holding constitutional positions including the Prime Minister. I would, therefore urge everyone, whether one is Prime Minister, Leader of the House, Leader of the Opposition, for me, every Member has a precious reputation to preserve. Therefore, anything which has been expunged should never get traction. And I had, therefore, indicated and assigned a task to the Parliamentary Committee on Ethics, headed by Ghanshyam Tiwari*ji*, to exactly find a way out, because we expect a Member who may emotively be carried away on account of being a new Member or otherwise, and if he apologizes in the House, it only improves image of the Member concerned. But it is very difficult to control media traction. Ghanshyam Tiwari*ji* is a very experienced Member, he is

heading the Ethics Committee. I have given him this task to find out a mechanism, and, for that, Members need to be counselled. Political parties must have their workshops. They must educate their Members. Let me tell you... ...*(Interruptions)*..

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, let the hon. Minister...

MR. CHAIRMAN: No! Again, you are doing something which I am...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, we want to listen to him. ...*(Interruptions)*.. The House wants to listen to the Minister.

MR. CHAIRMAN: Why?

SHRI JAIRAM RAMESH: Because he got up and he was offering an explanation. ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: No,...*(Interruptions)*.. The Minister was only reacting to bring order in the House. ...*(Interruptions)*.. .

SHRI JAIRAM RAMESH: I am sorry, Sir. Let us listen to him, Sir.

MR. CHAIRMAN: Jairam*ji*, do not create disorder. Even when Kharge*ji* was, in the first instance, speaking, you got up unnecessarily. Let me tell you, I

have said on a number of occasions, if Kharge*ji* rises, he does not need any crutches to make a point. His rising is sufficient as much as the Leader of the House and others, but I am making one prayer. As Chairman of the House, my suffering is no less on the premises of this Parliament and on social media by responsible people; I don't want to say anything more. All I say is, let us counsel our Members, be large-hearted, generate a good ecosystem and let the Ethics Committee be extremely proactive. Ghanshyam*ji*, we expect you...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर, आपकी आज्ञा का पालन शुरू कर दिया है।

Mr. CHAIRMAN: I will tell you hon. Members, Shri S.B. Chavan...

SHRI JAIRAM RAMESH: *

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. I appeal to very senior Members.. ...*(Interruptions)*.. . I appeal to senior Members that Shri S.B. Chavan, a veteran Congressman.. ...*(Interruptions)*.. .

---

*Not recorded.

श्री संजय सिंह : सर, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

(Contd. by PB/1G)

PB-LP/1G/11.30

श्री सभापति (**क्रमागत**) : संजय जी, किस बात का उत्तर? ...(**व्यवधान**)... I am sorry. ...(Interruptions)... Now, 'Matters raised with Permission' ...(Interruptions)... Secretary General, 'Message from Lok Sabha.' ...(Interruptions)... First, Secretary General, 'Message from Lok Sabha.'

MESSAGE FROM LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd April, 2025, has agreed to the amendments made by the Rajya Sabha in the Banking Laws (Amendment) Bill, 2025, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 26th March, 2025.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, Shri Jairam Ramesh,... ...(Interruptions)... Would you take your seats? ...(Interruptions)... No, no; take your seat. I am coming to you. Hon. Members, in your presence

right now, Shri Jairam Ramesh has levelled most atrocious allegation against the Chair: Is the Chair diverting the issue! ..(Interruptions)... Can that be more critical than this? ...(Interruptions)... Let us continue with the work. Let us give quietus to it. My prayer is to give quietus to it. ...(Interruptions)... Shri Satnam Singh Sandhu, 'Demand for Measures to uplift status of farmers of Punjab in border areas.' ...(Interruptions)...

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR

Demand for Measures to uplift Status of Farmers of Punjab in Border Areas

श्री सतनाम सिंह संधू (नामनिर्देशित) : माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं पंजाब के बॉर्डर एरिया में रहने वाले बहादुर लोगों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... महोदय, पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य के पाँच जिलों, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाज़िलका से होकर गुज़रती है। इस सीमा पर बसे लोग भारत के साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान इन लोगों ने हमारे जांबाज़ सैनिकों का बेमिसाल साथ दिया और भारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लोग हमेशा से देश की पहली सुरक्षा दीवार बनकर खड़े रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Derek O'Brien, I do not appreciate it. ...(Interruptions)... Everything is recorded. ...(Interruptions)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

श्री सतनाम सिंह संधू : माननीय चेयरमैन साहब, पिछली सरकारों की नीतिगत कमज़ोरियों के कारण हमारी सीमाएं भी कमज़ोर रहीं। सीमाओं की कमज़ोरी के कारण लंबे समय तक पंजाब के बॉर्डर से आतंकवाद, नशा तस्करी और घुसपैठ ने इस क्षेत्र को गहरा नुक़सान पहुँचाया। इन सीमावर्ती गाँवों और कस्बों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया, जिससे यहाँ के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े रह गए। लेकिन चेयरमैन साहब, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन सीमावर्ती क्षेत्रों को एक नया दृष्टिकोण दिया है। महोदय, पहले जिन गाँवों को 'भारत का आखिरी गाँव' बोल कर नकारा जाता था, उन्हें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'भारत का पहला गाँव' कहकर संबोधित किया है। 'Vibrant Village Pragramme' के तहत बॉर्डर क्षेत्रों में 3,000 गाँवों का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा बार्डर क्षेत्रों के विकास के लिए 2025 के बजट में 87 परसेंट की बढ़ोतरी भी की गई है। मुझे आशा है कि इससे बॉर्डर्स पर बसे गाँवों का तेज़ी से विकास हो सकेगा। गृह मंत्री, अमित शाह जी के नेतृत्व में बार्डर फेंसिंग मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम और हाई-टेक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की स्थापना से हमारी सुरक्षा मजबूत हुई है और सीमावर्ती किसानों को राहत भी मिली है, लेकिन पंजाब के सीमावर्ती गाँव पिछले कुछ दशकों से विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं।

माननीय चेयरमैन साहब, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वे एक ओर देश की फूड सिक्युरिटी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीमाओं पर बसे होने के कारण अन्य चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से विकास कार्य शुरू किए जाएं, ताकि हमारी यह पहली डिफेंस लाइन मजबूत हो सके। मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन पाँच बॉर्डर्स के डिस्ट्रिक्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट में नीति आयोग का एक अटल इन्क्यूबेशन सेंटर खोला जाए, जिससे युवाओं को अपना बिजनेस सेट-अप करने और जॉब क्रिएशन में सहायता मिल सके, 'वाइब्रेंट विलेज़ प्रोग्राम' के तहत पंजाब के अधिक से अधिक सीमावर्ती गाँवों को कवर किया जाए और कृषि, व्यापार के अवसरों तथा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सशक्त हो पाए।

महोदय, मैं केंद्र सरकार की एसपीवी योजना के तहत इन सभी बॉर्डर जिलों में मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट्स के लिए निवेदन करना चाहूंगा, जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके और बॉर्डर इनोनॉमी भी तेज़ी से आगे बढ़े। ...(**समय की घंटी**)... (समाप्त)

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Satnam Singh Sandhu: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan

(Maharashtra), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Madan Rathore (Rajasthan) and Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh).

(Ends)

(Followed by 1H/HK)

HK-PRB/1H/11.35

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as Chairman, I maintained utmost restraint, and I indicated that not only Leader of the Opposition, but very constitutionally highly-positioned persons, including Prime Minister, have been subjected to insinuations with no remorse. Let us not go to a level कि खुद के घर में आग लगे, तभी बोलें| Please mark my words. Your Chairman was called a cheerleader by Mr. Jairam Ramesh. Imagine my pain when a senior Congress leader videographed a mimicry of the Chairman, on the sacred premises of this House! Imagine the pain of millions of people in the country when you have travelled outside only to taint, tarnish, demean and spoil reputations! I was extremely considerate. I was also considerate when it came to Rana Sanga's issue. I did not reveal the personal part of it. The

house in Sainik School, in which I lived, was named after Rana Sanga, a great son. But there was no such response! Do we react only जब खुद की दाड़ी में ही आग लगती है? I showed the highest respect to the leader of the Opposition. But, if you mean to politicise, then, let me tell you, expunction by Chair should bring quietus to the issue. That is number one. Number two, I have tasked Ethics Committee, headed by Shri Ghanshyam Tiwari, to get in touch with experts and try to devise a mechanism so that hon. Members can be counselled. Parties have to take responsibility how to rectify the reputations and how to save the reputations. I have seen Mr. Derek O'Brien gesticulating to his Members. Can we ever countenance this? When I expunged observations of Mr. Derek O'Brien, he put them in social media on Twitter -- day one, day two, day three, day four, day five, day six, day seven and day eight. I can go to any extent to preserve order in the House. You do not recognise the stature of a Prime Minister who is in his third term. You take things so contemptuously with the President of India, the first tribal woman, a lady of grace, a lady of devotion, and sacrifices writ large in her personality. These insinuations and these aspersions have not emanated from ordinary Members. The source of these

allegations is from political leadership. I was trying to be accommodative for the sheer respect I have for every Member here. But, then, this is used as a political transaction and it is used to set a political narrative. I saw Kharge*ji* taking assistance of former Prime Minister Devegowda*ji*. But whenever Devegowda*ji* has spoken, I had to suffer interruptions only from one segment. Why? Hon. Members, on this day, the day on which Rajya Sabha came into being, let us think deeply. I do not want to create any situation other than convergence of views to run the House more effectively.

(Contd. by KSK/1J)

KSK-AKG/1J/11.40

MR. CHAIRMAN (contd.): Now, Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia - Demand to formulate National Solar Waste Management Policy. It is a very important subject.

Demand for Formulating National Solar Waste Management Policy

श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया (गुजरात) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

"त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप।।"

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत में वार्षिक रूप से करीब 300 दिन तक सौर ऊर्जा की उपलब्धता रहती है, जिससे यह स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन गई है। हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की दीर्घ दृष्टि से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 225 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्राप्त करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले solar waste के प्रभावी निस्तारण और प्रबंधन करने की चुनौती हमारे सामने उभर रही है। Council on Energy, Environment and Water के एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत में solar waste लगभग 1 लाख टन है, जो 2030 तक बढ़ कर 6 लाख टन तक पहुँच सकता है। माननीय उपसभापति महोदय, सौर पैनलों की औसत आयु 20-30 वर्ष होती है, जिसके बाद उनके निस्तारण की आवश्यकता रहती है। उनमें काँच, एल्युमिनियम, तांबा तथा विषैले तत्व, जैसे सीसा और कैडमियम होते हैं, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

माननीय महोदय श्री, अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय के साथ National Solar Waste Management

Policy तैयार करने पर विचार करे, जिससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा और अधिक प्रभावी और स्थायी हो सके। धन्यवाद, महोदय श्री। (समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade (Maharashtra). (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Phulo Devi Netam - not present. Shri Jose K. Mani - not present. Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade - need for construction of a flyover at the Railway crossing gate in Davorlim Village in the district of South Goa.

Need for Construction of Flyover at Railway Crossing Gate in Davorlim Village in District of South Goa

SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE (Goa): Sir, I rise to bring to the attention of this august House the daily hardships faced by the residents of Davorlim village in Navelim constituency of South Goa District due to the Railway crossing gate at Davorlim. This crucial link connects Davorlim to Aquem-Baixo village and key towns such as Quepem, Kurdi and many other neighbouring villages, playing a vital role in regional connectivity.

The Railway crossing is the first crossing after Madgaon Railway Station, which is a major junction in Goa and it experiences major train movement with over 20-30 trains passing daily. The gate remains closed for 20-25 minutes per cycle causing heavy traffic congestion, particularly during the peak hours. This disruption affects students and working professionals, forcing many to take longer routes leading to unnecessary incovenience, traffic jams and fuel wastages and increased travel time.

The Railway Department has continuously brought in reforms in rail transport, including the Konkan Railway. In Goa, geographically, Madgaon in South Goa is the main junction for all these trains.

(Contd. by 1K — GSP)

GSP-PSV/11.45/1K

SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE (contd.): All trains from Goa to Kerala via Mangalore and vice-versa pass from Madgaon station. Davorlim being the middle point for all the people from Navelim as well as Margao, public prefer to travel in their vehicles on the same route. The railway gate at Davorlim in Navelim is creating a great nuisance and problem for travellers. There is a strong demand from public for flyover at this crossing. More than 30,000 people, including residents of Curtorim in Navelim constituency of South Goa districts as well as surrounding villages including Margao city, will benefit from the much needed infrastructure.

Adequate land is available adjacent to the city near Railway crossing, making the flyover construction technically and logistically feasible. Additionally, no major residential areas will be affected, which makes the project viable without displacement concern.

Mr. Deputy Chairman, Sir, this flyover will significantly reduce congestion and accommodate the increased traffic from the upcoming educational hub at Davorlim, which will house over 30 schools from Margao city and surrounding constituencies. I urge the Government to take necessary steps for its construction at the earliest to improve transportation for the people of Goa. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade: Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade (Maharashtra), Shri Rameswar Teli (Assam) and Shri Narhari Amin (Gujarat). (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sanjay Yadav, not present; Shri Abdul Wahab — Need to sensitise the youth of the country.

Need for Sensitising Youth of Country

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, Kerala has seen a notable surge in drug-related cases. There is an alarming rise in the

usage of synthetic drugs particularly. There is an increasing trend of involvement of young people including minors in drug-abuse and trafficking cases. Several reports highlight that even children, as young as ten years' old, are experimenting with drugs. This has led to increase in concerns of officials and parents as well.

Sir, there is easy availability of synthetic drugs. Factors that contribute to this rise are: Use of online platform and courier services for drug trafficking, spread of drug abuse beyond urban centres into rural areas, and, peer pressure. The Government of Kerala is taking steps to address the issue through increasing law enforcement efforts and anti-narcotics campaign. There is also a growing social response with increased awareness campaigns and community involvement. The religious groups are involving themselves in these anti-drug campaigns. There has been increased focus on rehabilitation and de-addiction programmes.

Sir, discrepancy between the number of cases registered and number of convictions and, increased use of minors in drug-trafficking are some of the concerns. It is learnt that the sources of drugs moving to Kerala are the drug agents mainly in metropolitan cities like Delhi-NCR and Bangalore, etc.

Yesterday, the Indian Navy caught a big haul of drugs, around 2.5 tonnes of hashish and all off the coast of Cochin. I urge the Union Government to look into the matter with utmost seriousness and give direction to the Narcotics Control Bureau to work in close co-ordination with Kerala State Policy and the Excise Department to eliminate the major drug lords located in metropolitan cities. Thank you. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Abdul Wahab: Shri Haris Beeran (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana) and Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala). (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Mukul Balkrishna Wasnik, not present; Shri Samik Bhattacharya — Demand to take steps to protect and restore Adinath Temple in Malda, West Bengal.

Demand for Taking Steps to Protect and Restore Adinath Temple in Malda, West Bengal

SHRI SAMIK BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I would like to draw the attention of this august House to a matter of profound cultural and historical significance, that is, protection and restoration of Adinath Temple in Malda, West Bengal. The Adina mosque located in Pandua, Malda District was constructed in 1373 AD by Sultan Sikandar Shah of Bengal sultanate. This mosque was built using material of pre-existing Hindu and Buddhist structure including curved basel masonry and other architectural elements. (Contd. by SK/1L)

SK-VNK/1L/11.50

SHRI SAMIK BHATTACHARYA (contd.): Notably, the carvings and motifs associated with Hindu deities such as Lord Vishnu and Lord Ganesha as well as lotus flower designs, sacred in Hinduism, are visible in various parts of this mosque. Local traditions and historical accounts suggest that the site was originally home to Adinath Temple dedicated to Lord Shiva and Lord Vishnu. The presence of Hindu iconography within the mosque and architecture support this assertion. Furthermore, during restoration, damaged *shivalingas* were reportedly discovered on the premises, underscoring the site of Hindu heritage. The mosque has been abandoned since 19th century. Now, it is a listed monument under the Archaeological

Survey of India. However, it is deeply concerning that the members of a certain community have been throwing stones at Hindu artefacts, obstructing the efforts to reclaim and restore this sacred site. Such acts of vandalism threaten the prevalence of India's culture and religious heritage.

*" Sir, the Adinath Temple needs to be protected at any cost. Inside the temple, Shiva Lingam, Yoni Peeth and other Hindu symbols are present. But it is unfortunate that miscreants belonging to a particular community, on certain specific days, have been throwing stones on those symbols. If such attempts are continuously made to vitiate the atmosphere, then what is a symbol of the ancient tradition of West Bengal in particular and India at large and which is a testament to thousands of years of our history, would be in grave danger. The Adinath Temple is one of those thousands of temples, which was, following the invasion of West Bengal, destroyed by the invading hordes. Efforts are on by certain quarters to identify the temple as Adina Mosque in front of the world. I hope that the Government of India, the Archaeological Survey of India, will look into the matter seriously."

(Ends)

---

* **English translation of the Bengali portion.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Samik Bhattacharya : Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat), Shri Deepak Prakash, (Jharkhand), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Sh. Brij Lal (Uttar Pradesh) and Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat). (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Fauzia Khan, 'Concern over the problem of proxy teachers in Government schools'.

Concern over Problem of Proxy Teachers in Government Schools

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र) : सर,

'गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय ।।'

These words of Kabir underscore the deep respect for teachers in our culture. Yet, today, this noble profession is marked by increasing commercialization and alienation. One of the manifestations of this practice is the practice of proxy teaching in India, especially in Government schools, as highlighted by a 2018 World Bank Report. Officially-appointed teachers

illegally delegate their duties to unqualified substitutes while remaining absent for long durations. In August 2024, reports surfaced that a Government school teacher in Gujarat stayed away for years and settled in the U.S. while still drawing a salary. The malpractice exposes students to untrained individuals, impacting their development and quality of education. The ACER report 2024 noted a 12.5 per cent teacher absenteeism rate at the primary school level and 13 per cent at the upper primary and higher levels. In August 2024, the Gujarat Education Department decided to terminate the services of 150 teachers who were missing from duty for a year. Sir, fake ID cards and documents enable unqualified individuals to impersonate real teachers. Even biometric attendance systems are being cleverly circumvented. Education officers are party to this corruption. It is said that the Education Department is the most corrupt department of all departments. Poorly-managed underfunded teacher training institutes compound the issue. Sir, degrees are issued without adequate training or classes. As per the UDISE 2023-24 report, 48 per cent of pre-primary school teachers were professionally unqualified. Why do teachers not send their own children to Government schools? This is a question. Urgent

interventions are needed. The order of the Rajasthan High Court of 2023 has set a precedent by mandating strict measures and enforcing zero tolerance against proxies. Strict action must be taken against absentee and proxy teachers, including FIRs, disciplinary actions, and salary recovery.

(Contd. By YSR/1M)

YSR-DS/11.55/1M

DR. FAUZIA KHAN (Contd.): Sir, we must also strengthen teacher training institutions to cultivate competent and ethical teachers. Taking money for teacher recruitment has also become a practice, especially in private-aided schools. This should be made a criminal offence. मासूम बच्चों के भविष्य से खेलने वालों को सलाखों के पीछे रहना चाहिए, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Fauzia Khan : Dr. John Brittas (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Shri A. A. Rahim (Kerala).

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim. Demand to address the plight of small-scale business persons in the country.

Demand to Address Plight of Small-Scale Business Persons

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, due to the pro-corporate and anti-people financial policies of this Government, a vast section of the Indian economy is on the verge of collapse. I am talking about the betrayal faced by small- and medium-scale businesses, including paint shops, grocery shops, small jewellery shops, wholesale dealers, furniture shops, fruit and vegetable merchants, etc. No one can ignore the immense contribution of these businesses in generating direct and indirect employment and strengthening the Indian economy. However, the neoliberal policies introduced in 1991 and aggressively pursued by the Narendra Modi Government have pushed them into crisis. The great betrayal began in 2012 during the UPA-II regime, which introduced 51 per cent in Foreign Direct Investment in multi-brand retail. This opened the floodgates for international corporate giants like Amazon and Walmart and Indian corporates like Reliance, Flipkart, Big Bazaar, etc., which bulldozed the retail sector. Yet since 2012, the Union Government has failed to conduct any study on the devastating impact of this decision on small- and medium-scale businesses. Instead of providing

relief, the Government imposed further burden through Tughlaqi reformation, GST and demonetisation, and crippled the sector forcing countless business owners to shut down their shops. Have you seen how many small- and medium-scale businesses have disappeared from our own towns and villages since 2012? We could see that. Many footwear shops, small furniture shops, paint shops, grocery shops and wholesale shops have disappeared from our own villages and towns. The numbers are staggering.

Sir, I urge the Government to conduct a comprehensive study on the impact of these policies on this sector. Online purchasing has now become a new normal and nobody can stop this culture. I know that we have limitations, but a large percentage of small business operators operate from rented premises. The Union Government has made it mandatory for registered traders in GST. I demand the Government to revoke GST on rent for small and medium enterprises and introduce a special relief package to safeguard and revive these vital sectors. This is the need of the hour. Thank you very much, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri A. A. Rahim : Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu). (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri N.R. Elango. Demand to create Regional Benches for Appellate Tribunals for Prevention of Money Laundering Act and other Acts.

Demand to Create Regional Benches for Appellate Tribunals for Prevention of Money Laundering Act and other Acts

SHRI N.R. ELANGO (Tamil Nadu): Sir, I thank you for the opportunity to raise an important issue. As of today, there is one Tribunal which is handling appeals under five key enactments, namely SAFEMA, NDPS Act, PMLA, Prohibition of Benami Transaction and FEMA. The cause of concern is that all these Tribunals' functions are now entrusted to one Tribunal which is taking care of all the appeals from the whole of the country. This unification of several tribunals into one and locating it in Delhi is causing inconvenience to the litigant public, the accused persons, the professionals

such as advocates, chartered accountants, company secretaries, etc. From all over the country, they are made to come to Delhi and most of the time have to return with a case being adjourned due to paucity of time.

I request the Union Government to address this issue and to create, at least, four Regional Benches, including the one at Chennai. Already there is a strong, long-pending and genuine demand to create Regional Benches of the Supreme Court. ...(*Time-bell rings*.)...

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over. Nothing is going on record. Now, Question Hour.

(Followed by VKK/1N)

(12.00 **Noon to** 1.00 **P.M.** — **Question Hour**)

VKK-MZ/1N/12.00

(**श्री सभापति** *पीठासीन हुए*)

Q. No. 346

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी : सभापति महोदय, बीएसएनएल ने देश भर में अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीएसएनएल द्वारा देश में एक लाख 4G टावर्स लगाए जाएंगे, जिन्हें भविष्य में 5G नेटवर्क में अपग्रेड किया जा सकेगा। बीएसएनएल की यह पहल भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में न केवल देश के नेटवर्क को बेहतर बनाएगी, बल्कि भारतीय तकनीकी क्षेत्र को भी मजबूत आधार प्रदान करेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या आत्मनिर्भर भारत मिशन के मद्देनज़र मोबाइल टावर 2G से 4G अपग्रेडेशन कार्यक्रम के लिए केवल भारत में ही बने रेडियो नेटवर्क एवं टेलीकॉम नेटवर्क के प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है? कृपया स्पष्ट ब्यौरा दें।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और अच्छा वक्तव्य दिया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को और देश को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी का विश्वास और संकल्प था कि भारत केवल एक सर्विसेज़ नेशन न बने, बल्कि एक प्रोडक्ट नेशन भी बने। टेलीकॉम का विस्तार पूरे विश्व में जिस पैमाने पर भारत में हुआ, शायद किसी और देश में पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है। हमारी 5G रोलआउट विश्व की सबसे तीव्र गति की रोलआउट रही है। हमने

Q. No. 346 (Contd.)

करीब 1 साल के अंदर 99 प्रतिशत जिले कवर कर दिए और 82 प्रतिशत आबादी को कवर कर लिया। लेकिन जहां तक बीएसएनएल का विषय है, प्रधान मंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़कर लक्ष्य निर्धारित किया है कि आत्मनिर्भर भारत की नीति के आधार पर बीएसएनएल जब 4G का उपकरण और नेटवर्क लगाएगा, तो वह केवल स्वदेशी उपकरण और नेटवर्क से लगाया जाएगा। आज पूरे विश्व में केवल चार देश हैं, जिन्होंने 4G का टेलीकॉम नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग किया है—फिनलैंड, स्वीडन, चीन और साउथ कोरिया। आज मैं हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि भारत विश्व का पांचवां देश बन चुका है, जिसने अपना स्वदेशी 4G नेटवर्क core और RAN - CDOT (भारत सरकार की कंपनी) द्वारा core नेटवर्क, तेजस (टाटा की कंपनी) द्वारा Radio Access Network, और टीसीएस द्वारा सिस्टम इंटीग्रेटेड सॉफ़्टवेयर सिस्टम विकसित और चालू किया है। यह टोटल स्वदेशी और आत्मनिर्भर नेटवर्क रोलआउट किया जा रहा है। हमारे एक लाख साइट्स रोलआउट किए जा रहे हैं। बीएसएनएल का नेटवर्क पूर्णतः स्वदेशी उपकरणों के आधार पर होगा। इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से एक और महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहता हूं कि लगभग 18 साल बाद, 2007 के बाद पहली बार, वर्ष 2025 में बीएसएनएल ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट दर्ज किया है - 262 करोड़ रुपये का। यह भी 18 साल बाद प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बीएसएनएल को 1,262 करोड़

Q. No. 346 (Contd.)

रुपये का लॉस हुआ था, जबकि इस वर्ष, उसी तिमाही में 262 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आधार पर, जो पहले मात्र 500 करोड़ रुपये था, वह इस वर्ष अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये हो गया है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary!

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या TRAI द्वारा हिमाचल प्रदेश में कुछ जिलों की पहचान की गई है, जहां संचार सुविधा न होने से आम जन प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा को मजबूत करने के लिए भविष्य में सौर पैनल लगाने की संभावना है क्या?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश से संबंधित है।

(1O/DN पर जारी)

DN-BHS/1O/12.05

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (क्रमागत) : जैसाकि हम सबको विदित है कि हिमाचल प्रदेश केवल सांस्कृतिक महत्व का ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 100 परसेंट सेचुरेशन का जो हमारा लक्ष्य है, उसके अंतर्गत 4जी सेचुरेशन के प्रोजेक्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 660 टावर्स प्लान्ड हैं। मैं जिलेवार ब्यौरा भी दे सकता हूं-

Q. No. 346 (Contd.)

बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल, स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना हैं। इन 12 जिलों में 660 टावर्स का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके बारे में मैं माननीय सांसद जी को खुशी से सूचित करना चाहता हूं कि हमारे 423 टावर्स ऑन एयर हो चुके हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे 65 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हमारा हिमाचल प्रदेश एक बॉर्डर स्टेट है, तो हमने निर्धारित किया है कि हम 38 टावर्स बॉर्डर्स विलेज में लगाएंगे। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी है कि 38 टावर्स के आधार पर 37 टावर्स आज के दिन में लग चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 99 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हो गई है। हमारी आर्मी के लिए बॉर्डर आउट पोस्ट और बॉर्डर इनपोस्ट का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस पर हमारे तीन टावर्स लगने वाले हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri P. Wilson.

SHRI P. WILSON: Sir, the hon. Minister was saying that the 4G roll out has been done and 5G roll out is going on. The market share of BSNL has dropped to 7.33 per cent as of June, 2024, compared to 10.72 in December, 2020. The BSNL revenue is impacted mainly due to the delay in 4G roll out. When other network operators are marching ahead with 5G, BSNL is still testing. The CAG Report says that the BSNL failure to bill

Q. No. 346 (Contd.)

Reliance Jio since May 2014, as per the agreement on passive infrastructure sharing, has incurred a loss of Rs.1,757.56 crores. I would like to know what steps have been taken against persons who have failed to bill, steps taken to address the issue and also steps taken to make BSNL competitive with others and to address the decline in market share.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: The question that Wilson*ji* has asked would take about twenty minutes to answer because in one question...

MR. CHAIRMAN: He is a senior advocate.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: ...he has very nicely eloquently put in about seven or eight supplementaries. So, I would endeavour to answer all his queries. First of all, I would just like to correct him. We have not yet completed our goal of one lakh towers of 4G. So, switching to 5G would happen after we have executed on our goal of one lakh towers of 4G. You are absolutely right that there was a delay and that delay was premeditated. As I mentioned in my first answer earlier, we had two options before us -- I think, you would support me in this -- we either go and buy international

Q. No. 346 (**Contd.**)

equipment from other suppliers like all other telcos are doing or India makes its name in the international market that we are also a manufacturer of telecom equipment. So, the easy way out was to buy the equipment. The difficult way out was to actually manufacture our own equipment. As the Prime Minister has always said: "हम चुनौती में अवसर देखते हैं।" The Prime Minister has been able to convert that "चुनौती" into an "अवसर" and today India has become only the fifth country to produce our own telephone equipment. Therefore, with that, we are now rolling out one lakh towers of 4G. Of the one lakh towers, I would like to inform, through you, to hon. M.P., Shri Wilson and the rest of the country that we have on-air today close to 73,326 towers. So, 73 per cent of our task is done. It is my endeavour that we would ensure that this is done at the soonest possible time. Once 4G network is fully rolled out 1,00,000 towers, -- today, we have already close to about 1.85 crore subscribers on 4G for BSNL – then, we would start the task of switching, tower by tower, 4G to 5G. That is not a very difficult task because you have to add maybe only one more BTS and some more software.

(Contd. by RL/1P)

Q. No. 346 (Contd.)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (Contd.): So, that is on your first point. On your second regarding customer attrition, you are absolutely right about the data that you pointed out, but if I may add, your data is outdated. You are right that the market share had fallen and it was 8.55 crores in June. But, I would also like to inform you, through the Chairman, and the House and you will be glad to know that from June, 2024 till February, 2025, BSNL has, for the first time in its history, climbed from 8.55 crore customers to 9.1 crore customers. We have added 55 lakh customers in the last six to seven months. In addition to that, I have already addressed the point that you made in terms of profitability. The last point that you made with regard to expanding our network, we are also looking at quality of service in terms of our provision. It is an ongoing endeavour. Finally, the point that you raised on the CAG Report. Let me also point out that it is important to look at the Master Service Agreements (MSAs). There are different MSAs that have been signed with different telecom operators. We believe that we must sweat our asset as best as possible. Towers are assets of BSNL and

Q. No. 346 (**Contd.**)

we must sweat them to get more revenue for BSNL. Our top line, let me also assure you, in the last October-December quarter, has grown by 9 per cent. We have squeezed on costs by close to about 18 per cent and that has led to an EBITDA multiplying three times for the October to December quarter as I have mentioned in my earlier answer in the supplementary. So, BSNL is on its path of rationalization, profitability, customer service, all the statistics that you would look at as a customer or I would look at it as a customer. The final point on CAG; we must look at the Master Service Agreements. We have different Master Service Agreements with different suppliers. There are technical issues involved. I do not want to bore you with the details. But, if I would put it very succinctly for you, there is an asset that is given to a telco. For that asset, we take a certain amount of revenue. If the telco adds certain equipment on to that asset, then, as per the size of the equipment, because a tower is real estate, when you add some equipment on to that real estate, we should get some revenue. Based on the quality of equipment, you are adding on to the tower. You will keep paying us an additional amount of revenue stream. However, if you

Q. No. 346 (Contd.)

add a new technology and you add a new BTS, only that 70 per cent increase clause come into play. In this, that was not the case. So there has been no loss to BSNL.

MR. CHAIRMAN: So, BSNL is भाई साहब, निश्चित लगेगा।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 4; Shri Praful Patel.

श्री प्रफुल्ल पटेल : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इनके मंत्री जी को बधाई दूंगा, क्योंकि ये कह रहे हैं – 'पहली बार' और यह सही जानकारी भी है कि पहली बार बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है, बीएसएनएल की आर्थिक परिस्थिति भी सुधार की ओर है और पहली बार पिछले 3 महीने में उन्हें प्रॉफिट भी हुआ है, अतः मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए विशेष रूप से बधाई दूंगा। सर, उन्होंने यह बात कही है कि हम 4 जी के ज्यादा से ज्यादा टॉवर्स लगाना चाहते हैं। महोदय, यह बहुत अच्छी बात है और यह बात भी उतनी ही सही है। मैं समझता हूं कि माननीय सांसद भी इस बात से सहमत होंगे कि आप जब भी किसी अंतिम गाँव में जाएंगे और आपको वहाँ पर अगर कोई चलता हुआ टॉवर मिलेगा, तो वह बीएसएनएल का ही हो सकता है। महोदय, इसके साथ ही यह बात भी सही है कि अपने देश को जोड़ने के लिए हम यह जो सेवा कर रहे हैं, उसमें सरकार या बीएसएनएल को घाटा भी होता

Q. No. 346 (Contd.)

होगा, लेकिन उसकी चिंता न करते हुए, देश के सभी लोगों को टेलिकॉम से जोड़ने का काम किया गया है। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से एक ही प्रश्न है कि आज किसी-किसी जगह पर, स्पेशियली दूरदराज़, जंगली इलाकों और नक्सल प्रभावित इलाकों में बीएसएनएल की मोनोपोली जैसी सिचुएशन है, इसलिए 4 जी का जल्दी अपग्रेडेशन करके आप वहाँ पर दूसरे काम्पिटीशन को भी रोक सकते हैं और सेवाएं भी बेहतर कर सकते हैं। महोदय, मेरा एक सुझाव यह है कि आधे से ज्यादा टॉवर्स कहीं न कहीं पर, कभी न कभी बंद रहते हैं, उन्हें सुचारू रूप से कैसे मेन्टेन कर सकते या नहीं सकते हैं, यदि उसके बारे में मंत्री जी जानकारी दे देंगे तो बेहतर होगा।

(PRB/1Q पर आगे)

PRB-DC/1Q/12.15

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, सांसद महोदय ने दो मुद्दे उठाए हैं। पहला, उन्होंने कहा है कि हमारे Left Wing Extremism affected areas में भी टॉवर्स का अपग्रेडेशन होना चाहिए। मैं सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। इन इलाकों में और दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम प्रोविजन आज एक बहुत जरूरी मुद्दा हो चुका है, क्योंकि आज टेलीकॉम केवल एक carriageway नहीं है, बल्कि यह मानवी की आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक वृद्धि का साधन बनने के लिए एक कैपेबिलिटी है, क्योंकि इस डिब्बे से हम लोग

Q. No. 346 (Contd.)

पूरे विश्व से कनेक्ट होते हैं। Left Wing Extremism अपग्रेडेशन योजना के तहत – हमने एक योजना डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत बनाई है, जिसमें USOF का फंड जाता है। उसके अंतर्गत हमने LWE क्षेत्रों में 2,343 टावर्स रेखांकित किए हैं, जिन पर आज तीव्र गति से कार्य हो रहा है। कई इलाकों में अपग्रेडेशन हो चुका है और आज के दिवस में इन 2,343 टावर्स में से करीब 510 टावर अपग्रेड हो चुके हैं। शीघ्र ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका रोल आउट हो। सांसद जी का दूसरा प्रश्न था कि जो हमारे 4G या 2G के टावर्स हैं, तो उनमें कई जगह बैटरीज़ की वजह से सुचारू रूप से दूरसंचार की सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। यह कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है कि कई जगह पर यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग वर्तमान में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक योजना बना रहे हैं, जहां बैटरी का बैकअप, मीडिया का बैकअप, जहां भी बीएसएनएल के पूरे नेटवर्क में अपग्रेडेशन की जरूरत है – करीब-करीब हमारे कुल मिलाकर ढाई लाख टावर्स पूरे देश में लग चुके हैं। वर्तमान में हमारी कंपनी सभी ढाई लाख टावर्स का पूरा एनालिसिस कर रही है कि कहां बैटरी अपग्रेडेशन की जरूरत है और कहां मीडिया अपग्रेडेशन की जरूरत है। इन एक लाख टॉवर्स को लगाने के बाद हम अगले चरण में वह कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे। उसके दो साधन हैं - या तो हम और राशि देने के लिए वित्त मंत्री जी के हाथ जोड़ेंगे या

Q. No. 346 (Contd.)

हम बीएसएनएल की प्रॉपर्टीज़ के monetization भी करेंगे, ताकि हम अपने internal accrual से उसे फंड कर पाएं।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary. Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, on 11th and 12th March, two Indian telecom companies signed an agreement with Elon Musk's Starlink. After that, they have issued a statement also, and the statement is almost similar. Was there any compulsion from the side of the Government of India to enter into such an agreement? Moreover, we have invested heavily in optical fibre cables. So, what would be the future of these investments? These Starlink devices were widely used for communication between local militant groups in Manipur. Taking all this into account, will the Government allow necessary regulatory sanction for these agreements? Thank you, Sir.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, the hon. Member has raised a pertinent question, but not factual on one context. Through you, I would like to inform him that forget about any militant group—please, I have heard you; so please hear me--but no Indian citizen and noone on Indian soil will be able to use any satellite device without the licence being given out and

Q. No. 346 (Contd.)

the spectrum being given out. Yes, there were media reports that they had found some boxes and some units, but those were neither functional nor were they operable in any manner whatsoever. So, that is the answer to supplementary no.1. With regard to supplementary no.2, Sir, let me say this that it is important that as the Minister of Communications, I am technology agnostic. I have to be customer-centric and I have to provide my customers, which is 1.4 billion people in my country, with every possible way of communication.

(Contd. by DPS/1R)

DPS-AKG/1R/12.20

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (Contd.): And then, it is for the customer to decide which service he will take, whether he takes mobile, whether he takes fixed broadband, whether he takes satellite, that is for the customer to decide, that is not for me to decide. But, I must keep the gateway open for all prevailing technology. With regard to the agreements between TSPs and a satellite provider, whether it is Starlink or anyone else, that is a market mechanism, that has nothing to do with the Government.

Q. No. 346 (Contd.)

And, also let me say that I feel that this is a complementary technology, because what does satellite do! Satellite allows you to give service in two places. One, where there is no mobile connectivity, where there is no, as you mentioned, OFC fiber. Those areas which are hard to reach, our citizens in our country will be able to access the world through satellite communication. Second, when you have disasters, God forbid, when you have disasters, like, we just had in Myanmar, the only option is satellite connectivity when all your networks come down. And, therefore, that is a very important resource. Having said that, the agreements between the TSPs and satellite providers is for fixed broadband, not for mobile, at this point of time, because mobile technology in terms of voice is not available on LNS band on your mobile phone at this point of time. Therefore, I do believe that satellite is a complementary technology, and when a satellite company comes to India, ticks all the boxes on the proforma that we have given, then, at that point of time, a license will be given. And when TRAI decides on what the price of administratively assigned spectrum will be, then, every satellite operator will get spectrum at that assigned price by TRAI.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 347.

Q. No. 347

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, my question to hon. Minister with regard to Maharashtra specifically is this. Is the Union Minister aware that in Maharashtra, the Chairman of Maharashtra Pollution Control Board is a political nominee and not someone who has the technical qualifications for something as important as pollution control? Is the Minister aware of this, and how many such appointments have been made across every State? And is the Central Pollution Control Board planning to come out with some guidelines to ensure that people who have technical knowledge, who have the technical qualifications, become the Chairpersons of such Committees?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, राज्यों के जो Pollution Control Boards हैं, उनमें नियुक्तियों की एक प्रक्रिया और मानदंड है, जिसमें उन्हें राज्य सरकारें ही नियुक्त करती हैं। इसलिए उनके प्रश्न का जवाब महाराष्ट्र सरकार से ही आ सकता है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number two, Shrimati Priyanka Chaturvedi.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, the pollution impacts everyone, and the Central Government can very well issue guidelines where there are

Q. No. 347 (**Contd.**)

political appointments rather than appointments which have technical knowledge. So, I am absolutely surprised that this is the answer coming from him. Anyway, supplementary two, Sir. I have also mentioned that based on affidavits that they have received, over 50 per cent vacancies exist. But, somehow the answer does not show the urgency of filling these vacancies. And, we have got excuses like bifurcation of State, model code of conduct, due to which vacancies are not being filled. Again, Maharashtra State Pollution Control Board has not even submitted a report about their vacancy status. Considering both Mumbai and National Capital Region have a lot of vacancies existent, it is causing problems with regards to controlling high level of pollution, especially air pollution. So, my question to the hon. Minister is: Is the Government taking steps to ensure that CPCB guidelines for AQI are followed and State PCBs fill these vacancies on a timeline?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं यहाँ विनम्रता से स्पष्ट करना चाहता हूँ,...

श्री सभापति : जरूरी है।

Q. No. 347 (Contd.)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सदस्या को भी आपके माध्यम से, कि political लोग भी highly competent होते हैं। इसलिए वे यह न मानें, political लोग ...

MR. CHAIRMAN: I can see a smile on the face of Prof. Ram Gopal Yadav and Sanjay Raut also.

श्री भूपेन्द्र यादव : इसलिए यह कह देना, जयराम जी भी political आदमी हैं, वे हाथ उठा रहे हैं, वे competent हैं।

MR. CHAIRMAN: But he did not smile.

श्री भूपेन्द्र यादव : दूसरा, जो माननीय सदस्या ने कहा है, निश्चित रूप से उनकी चिंता जायज है। इस समय देश में हमारे State Pollution Control Boards में 11,562 total posts हैं। निश्चित रूप से मैं उनकी चिंता से वाकिफ भी हूँ, इस समय 5,671 पद ही भरे गए हैं। इसको लेकर हमारे मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर, 2024 को और 14 फरवरी, 2025 को लगातार सभी State Pollution Control Boards को direction दिया जा रहा है।

(1एस/पीएसवी पर जारी)

PSV-PK/1S/12.25

श्री भूपेन्द्र यादव (**क्रमागत**) : जहां तक उनकी भर्तियों की बात है, निश्चित रूप से सरकारी अनुमोदन के अभाव में, कई जगह आदर्श आचार संहिता लगने के कारण, कई बार अदालती प्रक्रियाओं के कारण भर्ती में देरी होती है, कई बार प्रमोशन में देरी

Q. No. 347 (Contd.)

होती है और कई बार जब लोग एग्जाम देते हैं, तो वे इसको लास्ट ऑप्शन के रूप में लेकर चलते हैं। लेकिन इन सब विषयों के लिए हमने प्रशासनिक कदम उठाए हैं और सभी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को गाइडलाइन भी जारी की गई है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary no. 3, Shrimati Ranjeet Ranjan.

श्रीमती रंजीत रंजन : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि यह जो आंसर है - प्रश्न पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के रिक्त पदों को लेकर है और जो आंसर है, उसमें कभी राज्य का विभाजन, कुछ पदों को समाप्त करना, आचार संहिता लगना बताया गया है। मुझे लगता है कि यह irrelevant answer है। तो क्या यह गलत नहीं है? अगर हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पद ही नहीं भरे हैं, तो हम अपने पूरे देश में पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या आप यह बता सकते हैं - दिल्ली इतना प्रदूषित है, जो one of the most polluted cities है, State है, वह बिहार है, जिसमें पटना है, मुजफ्फरपुर है, उधर बेंगलुरु है और उधर कोलकाता है, तो क्या हमें यह मानना चाहिए कि सरकार की इच्छा शक्ति पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह उत्तर तो यही दर्शा रहा है? थैंक यू सो मच।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि पॉल्यूशन एक ऐसा विषय है, जिससे आम नागरिक प्रभावित होता है। प्रश्न यह है कि

Q. No. 347 (Contd.)

विभिन्न राज्यों में इनमें जो नियुक्तियाँ रह गई हैं, उसके क्या कारण है? हमने तो बहुत ईमानदारी से आपको सारे कारण लिख करके दिए हैं। भारत में संघीय ढांचा है, इसलिए हम राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, हम उनको गाइडलाइन ही जारी करते हैं। राज्य सरकार जो..

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, वह एक स्टेट है, ...(**व्यवधान**)...डबल इंजन की सरकार है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप उनको जवाब देने दीजिए। यही परंपरा है और इसी प्रक्रिया का पालन हमें करना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, दिल्ली में निश्चित रूप से विगत 10 वर्षों में सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में पहले बड़ी मात्रा में कमर्शियल व्हीकल्स से पॉल्यूशन होता था। दिल्ली में जो पेरिफेरल रास्ते बने हैं, उनके कारण अब वे दिल्ली के बाहर से जाने लगे हैं। दिल्ली में हम मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ को पीएनजी के ऊपर लेकर आए हैं। दिल्ली में जो बीएस-4 फ्युएल था, उसको हमने बीएस-6 में कन्वर्ट किया है। दिल्ली में हमारे सॉलिड लिस्ट मैनेजमेंट की जो दिक्कतें थीं, अभी जो नई सरकार आई है, उसने इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से कदम उठाये हैं, ताकि उन पर नियंत्रण पाया जा सके। इसलिए मैं आपको निश्चित रुप से तथ्य बताना चाहता हूँ कि आज से 10

Q. No. 347 (Contd.)

साल पहले दिल्ली में जो पॉल्यूशन के दिन थे, खराब दिन थे, उनकी संख्या कम होने की बजाय, अच्छे दिनों की संख्या बढ़ने लगी है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary no. 4, Shri Ravi Chandra Vaddiraju.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU: Sir, the students in Hyderabad Central University are struggling to protect the valuable environment in the University. A large number of trees were cut down and birds and animals like peacocks and tortoises were killed by the State Government.

SHRI ANIL KUMAR YADAV MANDADI: Sir, he is misleading the House.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU: Sir, I would like to know whether the Government has any plan to take an action against the destruction of the environment in the University. *...(Interruptions)*..सर, बहुत अन्याय हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... यूनिवर्सिटी का लैंड है। लैंड का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute. What is the issue?

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJI: Sir, this is University's land.

श्री अनिल कुमार यादव मंदादी : सर, ये mislead कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

Q. No. 347 (Contd.)

श्री जयराम रमेश : सर, ...(**व्यवधान**)... यह सप्लीमेंट्री सवाल से संबंधित ही नहीं है। यह बिल्कुल अलग सा सवाल है। ...(**व्यवधान**)... ये इलजाम लगा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, one minute. ...(Interruptions)...

श्री जयराम रमेश : सर, ये गलत खबर दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... ये गलत खबर दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, let us reduce pollution here, noise pollution... ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, supplementary has nothing to do with the question. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute. Hon. Members, there are a number of occasions when a supplementary is asked which has some connection but which is not proximate, and I have always persuaded the Minister to respond a number of times. From this side also, a Member would ask a supplementary that is directly not connected with the core issue.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this is a political supplementary.

(Followed by PB/1T)

PB-VNK/1T/12.30

Q. No. 347 **(Contd.)**

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Shri Ravi Chandra Vaiddiraju, please ask your supplementary. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: He has already asked.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU: Sir, I wish to ask. माननीय सभापति महोदय, तेलंगाना में यूनिवर्सिटी लैंड है, इसकी 400 एकड़ लैंड में रातों-रात लाइट लगा कर जेसीबी से बहुत सारे बड़े ट्रीज़ को काटा जा रहा है।...(**व्यवधान**)... वहाँ पर peacocks, tortoises तथा अनेक birds हैं।...(**व्यवधान**)... रात में ट्रक से उन कटे ट्रीज़ को बाहर निकाल रहे हैं। उधर ट्रीज़ भी नहीं दिख रहे हैं।...(**व्यवधान**)... मैं उनकी फोटोज़ भी दे सकता हूँ।...(**व्यवधान**)... यह authentic है।...(**व्यवधान**)... मैं उसके वीडियोज़ भी दे सकता हूँ।...(**व्यवधान**)... यह हर चैनल पर है।...(**व्यवधान**)... That land belongs to University. उसको पोकलेन लगा कर खराब किया जा रहा है।...(**व्यवधान**)... वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े ट्रीज़ हैं, उनको काटा जा रहा है।...(**व्यवधान**)... हैदराबाद सिटी में यही lung space है। यह 400 एकड़ में है और यह अच्छा प्लेस है।...(**व्यवधान**)... वहाँ पूरा जंगल है। वहाँ यही एक अच्छा प्लेस है और उसको भी खराब किया जा रहा है।...(**व्यवधान**)... सर, किसी भी गवर्नमेंट को environment को खराब करने का अधिकार नहीं है।...(**व्यवधान**)... सर,

Q. No. 347 (Contd.)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि तेलंगाना के इस लैंड और वहाँ के environment को बचाया जाए।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, the hon. Member of Parliament, Shri Ravi Chandra Vaddiraju, has flagged an issue. Your response on that!

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, वास्तव में तो मैं आपका प्रोटेक्शन तब चाहता था, जब रंजीता रंजन जी ने प्रश्न पूछा था और वह इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं था, लेकिन मैंने उनका भी मर्यादा से जवाब दिया है, तो इनका भी जवाब देने के लिए आप इजाजत दे दीजिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, मेरी यह कोशिश रहती है कि कोई भी सदस्य यदि ऐसा प्रश्न पूछता है, जो मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, पर मंत्री जी से संबंधित है, तो मैं हर बार मंत्री जी को प्रेरित करता हूँ कि वे या तो तुरंत जवाब दें या फिर बाद में सदस्य को जवाब दें।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, हैदराबाद में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि पेड़ों से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि रात में बड़ी संख्या में लाइट लगा कर, बुलडोजर लगा कर 400 पेड़ों को काटा गया।...(**व्यवधान**)... अगर आप वहाँ की सुबह की भी फोटो देखेंगे, तो पाएंगे कि मोर से लेकर सारे जानवर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

Q. No. 347 (Contd.)

MR. CHAIRMAN: Only the reply will go on record. ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव : इसलिए माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल पर्यावरण मंत्रालय ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है, factual report ली है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की है, उन पर हम कार्रवाई करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 5; Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, the State Pollution Control Boards have not only failed to meet their authorized staffing levels but have also fallen short of the mandate by not recruiting a sufficient number of independent scientists for pollution control activities. Media reports indicate that the technical independence of these agencies is often compromised as top positions are predominantly occupied by civil servants and officials with Government backgrounds rather than experts. How does the Government justify this mismanagement of executive positions and has the Government analyzed the impacts of this on the functioning of these boards at large? Sir, I would like to ask one more thing. The airsheds are not limited to a certain space. Airsheds are across countries, across boundaries. So, what international

Q. No. 347 (Contd.)

collaborations do we have to handle the impact of air pollution through international collaborations?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा कि 11,567 vacancies हैं, तो उन vacancies में technical vacancies भी हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की vacancies भी हैं, साइंटिस्ट की भी vacancies हैं और administration की भी vacancies हैं। हमने already इन पदों को स्वीकृत कर रखा है और इन पदों पर तेजी से भर्ती हो, इसके लिए हमने यहाँ से यह भी guideline दी है कि इस 30 अप्रैल तक ये सारी भर्तियाँ हो जानी चाहिए। मैंने बताया था कि हमने फरवरी में भी लेटर issue किया है और सितंबर में भी लेटर issue किया था।

(1यू/डीएस पर जारी)

HK-DS/1U/12.35

श्री भूपेन्द्र यादव (**क्रमागत**) : सर, दूसरा विषय airshed का है। Airshed को पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार द्वारा recognize किया गया। हमने दिल्ली में air pollution के लिए CAQM की रचना की। हमने CAQM में पहली बार airshed को एक legal status दिया, उसकी definition को Act में define किया है। इसके आधार पर हमारे जो सफल प्रयोग हुए हैं, future में airshed को पहचान कर हम इस पर कार्रवाई करेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। (समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 348.

Q. No.348

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, India has offered its unflinching loyalty and undying friendship to the U.S. We have done everything possible to promote and protect the interest of the U.S. and U.S. companies in India. In fact, last week, the hon. Finance Minister moved an Amendment in the Finance Act and removed 'Google Tax', which was an equalisation levy of 6 per cent on the U.S. companies like Meta, Amazon, Google, etc., which has caused us a loss of about Rs.3,000 crores. All this was done in order to woo the U.S. Administration.

MR. CHAIRMAN: Put your supplementary.

SHRI RAGHAV CHADHA: I am just setting the context. Despite this, this morning, the Trump administration has levied a 26 per cent Trump tariff on Indian goods, which is likely to wreck the Indian economy, hit us by 50 to 100 basis points in terms of GDP loss, and we will lose our competitive advantage in the global market, particularly ensuring that the doors of the U.S. market are closed for India. सर, मुझे पुराने जमाने का एक गाना याद आता है:

"अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का,
यार ने ही लूट लिया घर यार का।"

Q. No. 348 (Contd.)

It is in this context that I would like to ask the hon. Minister, through you: Should we not withhold the requisite approvals for Elon Musk's Starlink, who is a very visible part of the U.S. administration and use that as a bargaining chip to renegotiate these Trump tariffs?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, Shri Raghav Chadda is generally very eloquent, but he has become musical also nowadays. He has framed his direct question with an indirect context. Let me say, as a member of the Government, and as I said this before in my earlier answer, my responsibility is only one and that is to 1.4 billion consumers of telecommunications in India. It is my job to provide every opportunity and every available technology in the world to every single consumer in this country. Let me also apprise hon. Member of Parliament that only two licences that have been given out till now, for satellite technology in India at this point of time, happen to be to Indian companies, Reliance and Bharti Airtel. We have a very clear window that we have put together, which takes care of our consumers, takes care of India's security concerns; and, if you are able to satisfy all those requirements, which are the same for every provider of that

Q. No. 348 (Contd.)

satellite communication, the doors of India are open to you. Customers will decide which service provider customers want to go with. Let me also add here that India today not only holds the capability of being the largest telecom market in the world with 1.2 billion subscribers, but is also the cheapest telecom market in the world. Ten years ago, whereas voice was 51 paise a minute, today voice is 0.03 paise a minute. On the same front, where data was Rs. 286 for 1 GB, today, you will also be astonished, data is 11 cents per GB, only Rs.9 per GB in India today from Rs.286. I would inform Members of Parliament all across the board, -- this is the USP of our country, of Bharat -- that we are today the cheapest data provider in the world. The average cost of data in the world from developed countries to developing countries is 2.59 dollars per GB.

(Contd. by KSK/1W)

KSK/MZ/12.40/1W

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (contd.): In India, it is 11 cents per GB. We are close to about only five per cent of the data cost of the world. So, all data business must come to India because we have that capability.

Q. No. 348 (Contd.)

MR. CHAIRMAN: Supplementary number 2 - Shri Raghav Chadha.

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, three very worrying incidents have happened in the recent past. The first is that Elon Musk, on his platform 'X', threatened the Ukrainian Government saying that his Starlink system is the backbone of the Ukrainian Army and the entire frontline would collapse if he turns it off. ...(*Interruptions*)... Sir, I am just setting the context.

MR. CHAIRMAN: Mr. Raghav Chadha, one minute... ...(*Interruptions*)...

SHRI RAGHAV CHADHA: I have to highlight three issues. You have to permit me... ...(*Interruptions*)...

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, I want to place this on record. We are not here to answer with regard to any company's policies. We are here for the consumers of India. Hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, represents 1.4 billion people. India is an economic and political power across the world today. We are not here to answer for any particular company. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: He should first listen to the question. He should not give political speeches.

Q. No. 348 (Contd.)

MR. CHAIRMAN: I think, I will have to give a different nomenclature to my dear friend, Shri Jairam Ramesh, being saviour of everyone, beyond his party also. Jairamji, Shri Raghav Chadha is effectively energised to handle his affairs and does not need such kind of support even on parliamentary platform.

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, above all, I need your support and your patronage. I need your protection.

MR. CHAIRMAN: This morning, you raised an issue under Rule 267 in absentia. I did not reveal the subject to the House then. Let me do it now.

SHRI RAGHAV CHADHA: Please do, Sir.

MR. CHAIRMAN: You are very severely obsessed with this issue of what Trump is doing or someone else is doing. The Minister has categorically stated about this. Ask your second supplementary which is little Indianised.

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, I am severely obsessed with anything that hurts the Indian interest and, particularly, the Indian economic interest, and that is what brings me to this House, and I will continue to passionately raise every issue that hurts my country's interests.

Q. No. 348 (Contd.)

MR. CHAIRMAN: So, please raise it within the framework.

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, if you had heard my question, you would have understood that it is only and only about India. The second worrying incident, after Elon Musk's threat to the Ukrainian Army, which I wanted to raise, was that about four months ago, there was a big drug bust in Andaman, where about 6,000 kilograms of synthetic drugs were recovered and it was discovered that a Myanmar-based smuggler was using Starlink satellite internet for navigation. ...(*Interruptions*)... Let me finish. When the Indian Government sought the ownership of the devices and the usage of its device, Starlink refused to the Indian Government saying that they would not provide us with data citing some data privacy laws. My question, through you, to the hon. Minister is: What is the Government's plan to address such resistance from Space-X, Starlink and how are we going to address this issue of potential misuse of satellite intellect spectrums that we are likely to give, particularly, to Starlink?

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I would appreciate Members to be extremely vigilant to the replies. When this point was asked in an earlier

Q. No. 348 (Contd.)

question, in a pointed manner, the hon. Minister declared in categorical terms that in this country, in no part of this country, this happens...

SHRI RAGHAV CHADHA: He spoke about Manipur.

MR. CHAIRMAN: No; the Minister did not confine himself to Manipur. The Minister said that on every inch of this country, there can be no such incursion and there has been no incursion. How many times would you want him to reiterate? Now, the hon. Minister. Let us be vigilant to every reply.

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Sir, I wanted to remove some of the misconceptions that he has about Starlink.

MR. CHAIRMAN: Why only some?

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: I mean, all of them. Let me give some data for him. He is worried that Starlink is a competitive threat that we are supporting. ...(*Interruptions*)... The broadband speed of our terrestrial network is 188 times more than what Starlink or any other satellite network can provide. That is number one data.

(Contd. by 1X – GSP)

GSP-DN/12.45/1X

Q. No. 348 (Contd.)

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI (contd.): Since the hon. Member mentioned Starlink, the total customers the Starlink had over the last three years in the entire world is 46 lakhs, which is a meagre number compared to the 990 crore people with the broadband connection that India has. Starlink provides main competition to the fixed broadband. In that, our customers are almost 4.5 crores, which is ten times more than the entire worldwide services that Starlink provides. This is number one. So, their reach is much lower than that of any of our networks...

MR. CHAIRMAN: Yes, hon. Minister.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, as it is an important issue, let me make things very clear. In the garb of trying to score a political point, Mr. Raghav Chadha is trying to stoke fear in the minds of all of us in this House as well as in the country at large. So, I would like to put him at rest, and, through that, also inform our citizens about the safeguards that we are going to put in place. His pointed reference is with the security aspect, not necessarily with the market size, and not necessarily with the number of

customers that they or any satellite company can serve. Again, I want to mention here very categorically that I am not here representing or answering for any company. I am company agnostic, I am citizen-centric. Sir, the Government of India -- the hon. Home Minister is also sitting here -- has put together a very strict security protocol to ensure the security concerns of our citizens with regard to any SATCOM provider. Let me mention the six steps that we have taken. First, the service provider has to mandatorily establish an earth station gateway in India for each satellite network. The gateway has to be on our soil. It goes back to the point that the hon. Chairman has said, 'on Indian soil, not abroad'. Second, the operation, maintenance, control and monitoring centre of that gateway also has to be on Indian soil. It cannot be anywhere else but on Indian soil. Third, all originating and terminating traffic for Indian customers, 1.4 billion of us, shall pass through that gateway which is located in India, on Indian soil, and that is mandatory, and such traffic will not be routed through any gateway outside Indian shores. Fourth, adequate monitoring facility will also be made available by the service provider at the gateway to monitor all traffic

Q. No. 348 (Contd.)

for security concerns originating from India or coming into Indian soil from our security perspective. And, finally, the sixth, and it goes back to the first part of the question that hon. Member has raised and it is the point that he mentioned. Whether it is in Myanmar or Timbuktu for that matter, the service provider shall ensure that any user terminal, any single user terminal registered in the gateway of any other country, has to be mandatorily registered with the Indian gateway when operating from Indian territory. Indian satellite network cannot be accessible to any user terminal from outside our country. These are the security concerns that have been addressed by the Ministry of Home Affairs along with the Ministry of Telecommunications, to ensure that India remains a safe place for operation of satellite network.

MR. CHAIRMAN: Supplementary number three, Shri K.R.N. Rajeshkumar.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to ask supplementary to the main question asked by my friend, Shri Raghav Chadha. As I understand, now, the new technology is SATCOM. It is Direct-to-Device technology. But I have a worry. In the

Q. No. 348 (Contd.)

tribal and remote areas, the BSNL has installed the towers while the private network operators are paying the installation charges and using the BSNL towers.

(Contd. by SK/1Y)

SK-LP/1Y/12.50

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (contd.): But in the tribal area of my constituency, a hilly area, the BSNL established the tower, and only the BSNL has put the transmitters there. The private network operators are not putting the transmitters. So, in the tribal areas, people are not getting good communication. Raghav Chaddha ji just now asked and the concerned Minister explained about the latest technology, that is, the Direct-to-Device satellite communication. First, the Government should initiate this in the tribal areas, in the hilly areas and in the remote areas because the private network operators are only after revenues. So, in remote areas, people are not getting good signals and the communication system is very poor.

MR. CHAIRMAN: Your supplementary.

Q. No. 348 (Contd.)

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Sir, nowadays, it is online system everywhere. Employment opportunities and education... ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your supplementary.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: The database is very important. So, I ask the Minister, will you first start this latest technology in the tribal areas, in the remote areas and in the hilly areas? Thank you, Sir.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, I would like to thank the hon. MP because I think, in his introductory statement, he has made a very strong case for the provision of satellite communication in our country. Where there is no OFC fiber, where you cannot put up towers, and not necessarily in tribal areas, more so in hilly areas and mountainous regions, satellite is the only option. I would like to inform him as well on the first part of his question that Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been very clear in his articulation that we now must not look at necessarily more schemes, but look at 100 per cent saturation of the schemes that we have. With that in mind, we will achieve 100 per cent saturation of telecom connectivity through mobiles in India. Let me just inform the hon. Member that the BSNL

Q. No. 348 **(Contd.)**

alone has had the responsibility of 20,279 towers through four schemes, including the left wing extremism areas, tribal areas, aspirational districts, of which 10,448 towers have been put up in a period of just 18 months; 52 per cent of the work has been done in exactly 18 months. As far as the private sector telecom service providers are concerned, they have been tasked with putting up 8,206 towers, of which they have put up 6,893 towers; hence, 84 per cent of the task has also been done. So, we are expanding very rapidly. Close to about Rs. 45,000 crores of Government of India has been given, through the Digital Bharat Nidhi, to provide communication to every single citizen in our country. In the second point that he has made, he is very, very right that Direct-to-Device is the new technology. But Direct-to-Device is today, at this point of time, only limited to message provision. And I am very happy to inform this House, through you, Sir, and through the House, our citizens at large, that the first Direct-to-Device service in India, the first D2D service in India, has been provided to the citizens of our country through satellite communication by no other company, the only one company, and that company's name is BSNL. In October of 2024, BSNL launched the

Q. No. 348 (Contd.)

Direct-to-Device service along with Viasat, which is Inmarsat, the satellite company. It was inaugurated at the India Mobile Congress in 2024 by the Prime Minister of India. So, BSNL, again, is trying to be the first, 'trying', I am using the word 'trying' to be first, in service provision to our customers.

MR. CHAIRMAN: Supplementary number four, Shri Randeep Singh Surjewala.

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, the Minister spoke about a range of issues on satellite internet spectrum auction. Is the Minister aware that post-2012 Supreme Court order on spectrum auction, when the Government of India brought the 2023 Act, perhaps his Ministry moved the Supreme Court for amendment of its order on spectrum auction for a range of issues including satellite auction, satellite spectrum auction?

(Contd. By YSR/1Z)

YSR-PRB/1Z/12.55

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA (Contd.): The Supreme Court had rejected the same on 1st May 2024. Since the Supreme Court judgment of 2012, spectrum auction is the only way forward. On what basis is the

Q. No. 348 **(Contd.)**

Minister now saying that the satellite spectrum auction would have to be excluded? And how would the Government protect the interests of the exchequer by ensuring that a fair amount comes through a transparent method where everybody is allowed to participate rather than every company going and engaging a contract with the same Starlink? Would the Minister answer?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, I would like to thank my colleague Randeep Surjewala *ji* for his question. I think it is important to put this once and for all to rest. This is a question that has been plaguing the minds of the media. It has been plaguing the minds of many individual citizens in this country. I think it is important to put the science behind SATCOM on the floor of the House. Sir, let me start by saying that mobile technology is something that works on a low frequency wave. When something works on a low frequency wave, the minute the signal goes out from our phone, it dissipates into the atmosphere. यह पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। And, therefore, जब पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, you cannot have many more people participating in that same space because the signals will get mixed and my call to

Q. No. 348 **(Contd.)**

Randeep *ji* will be heard by Pemmasani *ji* or by X, Y or Z. And, therefore, spectrum for mobile is auctioned provider to provider. As far as satellite is concerned, satellite has a fixed antenna. Your fixed antenna has to always connect with the satellite. The satellite frequency is a much higher frequency. When it is a higher frequency, it does not dissipate. फैलता नहीं है। डायरेक्ट लेजर की तरह आपके फोन से सीधा सेटेलाइट को जाता है, तो उसी पाइप में मेरा सिग्नल भी जा सकता है, मनसुख भाई का भी सिग्नल जा सकता है और सुरजेवाला जी का भी सिग्नल जा सकता है। So satellite spectrum is shared. Anything that is shared cannot be auctioned. This is the second point that I want to make. The International Telecommunications Union (ITU) assigns the satellite orbit and the frequency on which the satellite will orbit the earth. Countries, whether it is India or X or Y or Z, can only control the usage of those satellites and the service that is provided in respective countries. We cannot auction something, an asset, which is not fully in our control. And that applies not only to India, it applies to all the countries on the earth. The point that I want to make to Randeep *ji* is this. Today, there is no country that auctions satellite spectrum across the world. The USA's Orbit Act

Q. No. 348 (Contd.)

prohibits auctioning of satellite spectrum. The USA administratively assigns spectrum. Europe, whether it is France, Germany or UK, and Russia, all countries assign spectrum for satellite administratively. India is only following the global model. Therefore, satellite spectrum will be assigned administratively. Now the question he has asked is with regard to pricing. That pricing will be defined by TRAI. We have moved an application to TRAI to define what that pricing is. Once TRAI defines that price, spectrum will be allocated to all providers at the same price. There will be no difference in that.

MR. CHAIRMAN: Supplementary No. 5; Ms. Dola Sen.

MS. DOLA SEN: Thank you, Mr. Chairman, Sir. हम satellite internet spectrum को लेकर मिनिस्टर का स्वागत करना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. ...(*Interruptions*)... I tried very desperately to give you the floor.

(Ends)

(Followed by VKK/2A)

VKK-AKG/2A/1.00

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Kiren Rijiju to move motions for consideration of the following Bills: the Waqf (Amendment) Bill, 2025, and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025.

THE WAQF (AMENDMENT) BILL, 2025
AND
THE MUSSALMAN WAKF (REPEAL) BILL, 2025

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I move:

> "That the Bill further to amend the Waqf Act, 1995, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I also move:

> "That the Bill to repeal the Mussalman Wakf Act, 1923, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

माननीय सभापति जी, जब मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर इस सदन में आया हूँ और जब हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं कुछ बातें शुरू में ही रखना चाहता हूँ, ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊँचा रहे, हम सदन की गरिमा भी बनाए रखें, तर्क सामने आए, इस महान राज्य सभा के सदन में जो बहस हो, वह सार्थक रूप से हो और इस बिल को हम सब मिल कर पारित करें।

आदरणीय सभापति महोदय, जब यह Joint Parliamentary Committee बनी, इसके बारे में मैं अभी ज़िक्र करूँगा, इस कमिटी के बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसके ऊपर consultation जितना होना चाहिए था, नहीं हुआ है। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि जब हम यह वक्फ संशोधन बिल लेकर आए और हमने JPC बनाई, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने stakeholders हैं, राज्य सरकारों से, स्टेट्स में Minority Commissions होते हैं, Waqf Boards होते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स से, intellectual community से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद यह बिल तैयार करके हमने पार्लियामेंट में पेश किया, फिर उसके बाद Joint Parliamentary Committee का गठन हुआ। राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों ने मिल कर जो काम किया है, मैं officially अपनी बात को दर्ज करना चाहता हूँ कि इस JPC ने जो काम किया है, पूर्व में जितनी भी JPCs बनी हैं, उनमें इससे ज्यादा, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिला कर 284 संगठन, stakeholders, अलग-अलग क्षेत्र के लोगों ने JPC के समक्ष आकर अपनी बातों को रखा और ज्ञापन सौंपा। 97 लाख से भी ज्यादा, छोटे-मोटे पत्रों को मिला कर एक करोड़ से ज्यादा ज्ञापन हमारे देश के लोगों ने सौंपे हैं और अपने मत को JPC और मंत्रालय को दिया है। इसलिए किसी बिल के ऊपर सदन में चर्चा करने से पहले एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना, यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है। राज्य सरकारों से

भी विचार-विमर्श हुए। साथ ही साथ, कल लोक सभा में बहुत लंबी चर्चा हुई और देर रात, यानी कि आज सुबह यह बिल पास होकर राज्य सभा में आया। मैं मानता हूँ कि ठीक है, हमारे मेम्बर्स ने कहा है कि संशोधन देने के लिए समय मिलना चाहिए था, लेकिन सबने इसके लिए agree किया है, आज सुबह हमारे मेम्बर ने सवाल उठाया, चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम लोगों ने Business Advisory Committee में यह तय किया कि आज ही यहाँ इसके ऊपर चर्चा करनी है। Joint Parliamentary Committee ने 10 शहरों - मुम्बई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता और लखनऊ - में जाकर अपना पूरा समय भी वहाँ दिया है।

(2बी/पीएसवी पर जारी)

BHS-PSV/2B/1.05

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत): आज मैं कमेटी के हरेक मेंबर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी जो लोग इस बिल पर बोलने वाले हैं, जब मैं आखिर में जवाब दूंगा, तब जवाब देते समय उनको धन्यवाद जरूर दूंगा।

सभापति महोदय, मैं तो इस सदन में मंत्री के रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति साधारण रूप से यह expect करता है कि कोई अच्छा काम करेगा, तो उसकी तारीफ भी जरूर होगी और खास करके उन लोगों से तारीफ ज्यादा मिलेगी, जिनकी इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूँ। इसलिए सभापति महोदय जी, 1976 में जब Waqf Inquiry Report को पेश किया गया, वह कमेटी किसने बनायी थी? कांग्रेस सरकार ने

उस कमेटी का गठन किया और Inquiry Commission बिठाया। उस Commission ने जब रिपोर्ट पेश की, वह बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन जो यहां relevant है, मैं उसको quote करता हूँ। "Misuse by mutawallis; and the Inquiry Committee called out the mutawallis misusing the authority and power and proposed for steps to be taken to improve the functioning of the Waqf." सबसे पहले यह रिपोर्ट आयी। उसके बाद दूसरी बात का जिक्र किया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर इतने cases बने हुए हैं, litigations इतने ज्यादा लंबित हैं, तो सरकार को इसे सरल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसके बाद सच्चर कमेटी बनी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में पेश की गई। सच्चर कमिटी ने जो कहा, उसका मुख्य अंश यह है कि एक तो जो वक्फ बोर्ड है, उसको strengthen किया जाना चाहिए और यह पुराने सिस्टम में चल रहा है, यह डिजिटल होना चाहिए। साथ-साथ सच्चर कमेटी ने कहा कि इस समय इस देश में 4.9 लाख Waqf properties हैं। यह आज तो बढ़ गयी है। उस समय, 2006 में यह उतनी थी। 4.9 लाख Waqf properties, जो registered Waqf properties हैं, उनकी total income सिर्फ Rs.163 crore per annum था। उसी समय सच्चर कमिटी ने यह भी कहा, टिप्पणी भी की और सुझाव भी दिया कि अगर उन 4.9 लाख properties को उस समय के market rate के अनुसार efficiently manage करते, तब भी हर साल 12,000 करोड़ रुपये की income का generation होता। वह 12,000 करोड़ रुपये होना चाहिए था, लेकिन 163 करोड़ रुपये का ही generation

हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आकलन किया, तो आज के दिन 8.72 लाख properties हैं, वह इतनी बढ़ गयी, तो उनका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। मुझे उनका हिसाब लगा कर आंकड़े पेश भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि मार्केट का अपना एक फार्मूला होता है। लेकिन एक common sense है कि अगर सच्चर कमेटी ने 4.9 लाख properties के बारे में यह अनुमान लगाया कि उनसे 12,000 करोड़ रुपये की इनकम होनी चाहिए, तो आप आज के समय के मार्केट रेट में उनका हिसाब लगा करके इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। सच्चर कमिटी ने यह भी कहा कि Central Waqf Council और State Waqf Boards में और broad base बना कर यह inclusive होना चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बंद कमरे में बैठे हैं, तो इसको खोलना चाहिए, broad base करना चाहिए। साथ-साथ जो Secretary, Central Waqf Council और State Boards हैं, उनका स्तर senior level का होना चाहिए। उस समय वे Under Secretary, Deputy Secretary rank के थे, उनके बारे में कहा कि वहाँ Joint Secretary, Additional Secretary rank के officer को नियुक्त करना चाहिए। साथ ही, सचर कमिटी ने उस समय यह भी recommend किया था कि बच्चों और महिलाओं के लिए specific कदम उठाना चाहिए।

सर, उसके बाद एक Joint Parliamentary Committee का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता के. रहमान खान जी ने की। के. रहमान खान जी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे हैं। वे यहाँ के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने फिर पूरे all parties

के सदस्यों की एक JPC को head किया। उसमें उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं और recommend किए हैं। मैं उनमें से मुख्य-मुख्य चीजों को यहाँ point out करना चाहता हूँ। एक बात तो उन्होंने point out किया कि Waqf Board का जो infrastructure है, वह काफी नहीं है और manpower और fund बहुत ही meagre है, कम है, छोटा है, जो काफी नहीं है।

(2सी/वीएनके पर जारी)

VNK-RL/2C/1.10

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत) : उन्होंने दूसरी बात कही कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वह मुतवल्ली पर ही केंद्रित है कि मुतवल्ली को कैसे appoint करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए। इसको भी point out किया गया। फिर documentation और Waqf property के सर्वे के बारे में तथा वक्फ को लेकर जो legal set-up होना चाहिए - इनके बारे में भी है। Computerization of Waqf Boards होना चाहिए, Central Data Bank होना चाहिए - इसके बारे में भी उस समय के जेपीसी ने कहा। म्यूटेशन्स, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स और to adopt sound and acceptable financial and budgetary practices के भी सुझाव दिए हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का किस तरह से लीज होना चाहिए - इसके बारे में भी सुझाव दिया है।

सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी को मिलाते हुए इन तीन कमेटीज़ की रिपोर्ट्स में जो-जो मुख्य recommendations हैं, उन

सारी recommendations को लेकर आज हम यह बिल लेकर इस सदन में आए हैं। ये तीनों कमेटीज़ कांग्रेस सरकार के समय की हैं। दूसरी और तीसरी कमेटीज़ के समय तो यूपीए सरकार थी, लेकिन पहली कमेटी के समय तो pure कांग्रेस गवर्नमेंट थी। मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों से अपील करना चाहता हूँ कि आज हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा कदम उठाते हुए 2025 का जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आए हैं, आपके ही सोच-विचार को, जिसको आप पूरा नहीं कर पाये, उसको पूरा करने की हिम्मत नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने की है, इसलिए आपको इसका जरूर समर्थन करना चाहिए।

आदरणीय सभापति जी, हमने कई लोगों का स्टेटमेंट सुना है, टेलीविजन पर भी सुना है और कल दूसरे सदन में भी सुना है। हम यह कोई नया कदम तो नहीं उठा रहे हैं। इतिहास सबको मालूम है, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 1894 में The Privy Council ने 'Waqf-al-Aulad' - बच्चों के लिए जो वक्फ क्रिएट करते हैं, उसको invalidate करने के लिए एक आर्डर पास किया था। जो बाद में जाकर बड़ा विषय बना। मुसलमानों का एक बड़ा दल गया और ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपील की। तब जाकर पहली बार 1913 में इस देश में 'The Mussalman Wakf Validating Act' औपचारिक तौर पर कानून के रूप में आया। फिर 1923 में 'The Mussalman Wakf Act' पास किया गया, जो accounting और transparency पर केंद्रित था। फिर The 'Mussalman Wakf Validating Act, 1930' पास हुआ, जो reinforcing the legal

validity of family awqaf है। इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद 1954 में Waqf Act पारित हुआ, जिसमें State Waqf Boards का प्रावधान था। उसके बाद 1959, 1964, 1969 और 1984 में Waqf Act, 1954 को फिर से संशोधित करके, यहाँ से पास हुआ और 1995 में finally सबसे broad-based Bill आया, जिसमें आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। इसमें Tribunal के गठन का प्रावधान रखा गया, Central Waqf Council का गठन हुआ और आज के दिन मैं उसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके बाद वैसी वक्फ प्रॉपर्टी, जिसकी इनकम पाँच लाख रुपए से ज्यादा है, उसमें Executive Officer appoint होना चाहिए - यह प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, जब यह चल रहा था, समस्या तो है, यह सबको मालूम है और कमेटीज़ की रिपोर्ट्स का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें आज एक major Amendment लेकर आना पड़ा। 2013 में यूपीए सरकार थी और चुनाव सिर पर था, चुनाव आने वाला था, उस समय यूपीए सरकार ने कदम उठाया कि इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए।

(2डी/डीएस पर जारी)

DC-DS/1.15/2D

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत) : उस समय UPA सरकार ने जो changes लाये, उनसे थोड़ा compare करते हुए मैं बताना चाहता हूँ। उस समय भी JPC का गठन हुआ,

आज भी जेपीसी बनी है। सर, फर्क क्या है? उस समय के Select Committee में 13 Members थे और इस बार की जेपीसी में 31 Members थे। उस समय की Select Committee की total sittings 22 बार हुई, इस बार की जेपीसी की total sittings 36 हुई हैं। उस समय जो total delegations, organizations, stakeholders सेलेक्ट कमिटी के सामने पेश हुए, उनकी संख्या 18 थी और इस बार 284 है। उस समय 14 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से चर्चा हुई, इस बार 25 State Boards, State Governments, 5 Minority Commissions से चर्चा हुई और विधायकों और एमपीज़ का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उस समय total 32 memorandum receive किए गए और इस बार का तो मैंने पहले ही बता दिया, 97,27,772 plus अनौपचारिक रूप से अपने मंत्रालय में भी हमने लाखों की संख्या में receive किए हैं। उस समय की Select Committee ने कहाँ-कहाँ visit किया? उसने लेह, जम्मू और श्रीनगर का visit किया। उस समय ये तीनों एक ही State में थे - लेह अब Union Territory में है, इसी तरह जम्मू और श्रीनगर भी अलग-अलग हैं। जेपीसी ने इस बार कहाँ-कहाँ visit किया, उन जगहों के नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस कमिटी ने किन-किन शहरों में visit किया है।

सभापति जी, जब हम लोग एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसके background संदर्भ को रखते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। महोदय, यहाँ कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, उससे मुसलमानों को नुकसान होगा। कई

लोगों ने कहा कि यह unconstitutional है, गैरकानूनी है और इसके माध्यम से मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपनी बातें रखी हैं। ठीक है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ-साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं, उनको खारिज करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले, यह जो waqf property है, इसका management, इसका creation और इसका benefit मुस्लिम के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकता है, यह मुस्लिम के पास ही रहेगा और इसमें कोई भी non-muslim हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो *waqif* होता है, वह कोई मुसलमान ही होता है। जो *auqaf* बन जाता है, वह property create हो जाती है, जिसका management *mutawalli* करते हैं। उनको भी मुसलमान ही होना पड़ता है। वह यह property तीन purposes के लिए create करता है - धार्मिक, यानी religious purpose, अच्छे काम के लिए pious, जो भगवान के नाम पर या अल्लाह के नाम पर होती है और charitable, यानी बच्चों, महिलाओं और गरीबों की भलाई के लिए, तो वह मुस्लिम ही होगा। यहाँ यह सवाल ही नहीं उठता है कि मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी या मैनेजमेंट में non-muslim हस्तक्षेप कर रहा है। यह सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए मैं बहुत clear करना चाहता हूँ, ताकि जब debate का सिलसिला शुरू हो, तो हमको माननीय सदस्यों से यह सुझाव मिल सके कि waqf management में, property management में तथा Waqf Board को और ताकतवर बनाने में और क्या-

क्या काम करने चाहिए। अगर कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को trust के माध्यम से चलाना चाहता है, तो वह चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। Waqf Act में यह छूट दी गई है कि अगर आप Waqf Board के माध्यम से चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी इजाजत है। जिस प्रकार, Charity Commissioner trust properties को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को check करते हैं, उसी प्रकार से Waqf Board waqf property को सही तरीके से चला रहा है या नहीं, यह निगरानी रखने के लिए Waqf Board बनाया गया है। वह waqf property को चलाने के लिए नहीं है।

(2ई/एमजैड पर जारी)

MZ-DPS/1.20/2E

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत) : इसलिए, अगर हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो बाद में हमारी चर्चा का स्तर भी ज्यादा अच्छा रहेगा।

सर, हमने जो प्रावधान किए हैं, बेसिकली transparency, accountability और efficiency, ये तीन बड़े पैमाने हैं, क्योंकि जवाबदेही होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। तो इन तीन व्यवस्थाओं पर हमारी पूरी exercise कैंडिड होती है।

सर, आर्टिकल 25, 26 और 30 का हवाला देकर कई बार लोगों ने इस बिल के खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ और हमारे खिलाफ कहना शुरू किया। मैं आज

उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। वह सबसे छोटा फितरा क्रिएट करता है, जो गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। आप ज़कात देते हैं, दान देते हैं। उसमें किसी को भी पूछने का अधिकार नहीं है कि हिसाब-किताब कैसे किया। यह तो आपकी अंदर की बात है, यह तो आपका फेथ है। इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? इसलिए, आप लोग अपनी बात रखते समय यह बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि सरकार या कोई गैर-मुस्लिम मुसलमानों के कामकाज और उनके तौर-तरीकों में हस्तक्षेप कर रहा है।

सर, वैसे तो कोर्ट केसेज़ बहुत हैं। मैंने दूसरे सदन में भी क्वोट करके बताया। मैं यहां फिर से दोहराना चाहता हूं, ताकि कोर्ट की रूलिंग भी क्लियर हो जाए। Syed Fazal Pookoya Thangal Vs. Union of India में, केरल हाई कोर्ट ने जो observation और order pass किया है, उसमें कहा गया है— I quote, "The Waqf Board is a statutory body, pure and simple. It is not a representative body of the Muslim community". वक्फ प्रॉपर्टी - इसलिए, कोर्ट का जजमेंट बहुत साफ हमारे सामने दिखाई देता है।

सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है - Hafiz Mohammad Zafar Ahmad vs U.P. Sunni Central Board of Waqf. उसमें कहा गया है - I quote, "A Mutawalli's right is purely a right of management of the property, and is not

a propriety right. The duties of a Mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character". इसीलिए, मुतवल्ली के ऊपर निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। Tilkayat Govindlalji Maharaj Vs. The State of Rajasthan. उसमें कहा गया है - I quote, "Right to manage properties of a temple is purely a secular matter, and cannot be regarded as a religious practice". कोर्ट ने प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के बारे में इतना क्लियर कहा है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, मैं बहुत कम क्वोट कर रहा हूं।

महोदय, मैं 2013 के बारे में आपको बता चुका हूं। अब मैं उसमें थोड़ा अंदर जाकर आपको बताना चाहूंगा। आपको भी सुनकर लगेगा कि आज यह बिल लाना कितना जरूरी था। आज हम जो संशोधन बिल लेकर यहां आए हैं। वर्ष 2013 में जब यह कमेटी वगैरह बनाई गई, कमेटी का गठन 2013 में हुआ, फिर दोनों सदनों में पारित हुआ। उसके बाद, 5 मार्च 2014 को, यानी कि जब इलेक्शन नोटिफाई होकर Code of Conduct लगने वाला था, उसके 25 दिन पहले, तब यूपीए सरकार ने आनन-फानन में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 123 सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज़ को de-notify करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया।

ये प्रॉपर्टीज़ Housing and Urban Affairs Ministry में आती थीं। आप सोचिए, 1970 से कोर्ट में मामला चल रहा था, जो पेंडिंग था। आप कोर्ट को निर्णय करने दीजिए।

आपने CGO Complex वगैरह का नाम सुना होगा। मैं आपको बाद में लिस्ट दे दूंगा। ऐसी 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को सीधे-सीधे एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया।

(2F/DN पर जारी)

DN-PK/2F/1.25

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत) : उसके बाद 2013 के अमेंडमेंट में आपने कहा कि कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है। वक्फ क्रिएट करने के बारे में जैसा मैंने बताया कि charitable, religious, pious purpose के लिए एक मुसलमान अल्लाह के नाम पर क्रिएट करता है। यूपीए सरकार ने उसको बदलकर यह कह दिया कि कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट कर सकता है। हमने इसको चेंज करके 1995 के पुराने प्रावधान के साथ मिलाकर इसके साथ-साथ यह कहा कि Now, in the proposed amendment, only persons practising Islam for more than five years can dedicate Waqf. यह हमने क्लियर कर दिया है, ताकि इसमें डाउट की कोई गुंजाइश न हो कि वक्फ कौन क्रिएट कर सकता है। मुसलमान के अंदर भी कई sects हैं- जैसे सुन्नी हैं, शिया है, आगा खान हैं, दाऊदी बोहरा हैं, पसमांदा हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन यूपीए सरकार ने कह दिया ...(**व्यवधान**)... हां, कई लोग डिस्प्यूट करते हैं। यह तो दरगाह वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान ही नहीं हैं। इस तरह के क्लेम पर मत जाइए। यहां इस्लाम के बहुत स्कॉलर होंगे, जानकार लोग भी बहुत हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं या मैं जो कह रहा हूं, वह सत्य है। मैं

क्लेम के बारे में बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं हैं या ये इस ग्रुप में हैं या उस ग्रुप में हैं। मैं यहां डेफिनेशन नहीं देना चाहता, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि हम जो नया प्रावधान लेकर आए हैं, उसमें हर वक्फ बोर्ड में, मुसलमानों में जो भी recognized sects है, सब मिलकर वक्फ बनेगा। उसमें सुन्नी भी होगा, शिया भी होगा और जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, वे भी वक्फ बोर्ड में मेम्बर होंगे, ताकि सबके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सकता है। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम इतना inclusive बना रहे हैं। उसके बाद Central Waqf Council में जो हमने प्रावधान रखा है, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हमने आपके कितने पुराने recommendation को ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखा है। Out of 22 members in the Central Waqf Council, not more than four will be non-Muslims including ex-officio members, — in that case, the Minister of Minority Affairs-- there will be three Members of Parliament, a Member of Parliament किसी भी धर्म का हो सकता है; यह नहीं कहना कि यह इस जाति का एमपी है, इसलिए यह मेम्बर नहीं हो सकता है, 10 members from Muslim community, two formers Judges from the Supreme Court or High Court, one advocate of national eminence, four persons of national eminence from various fields, an Additional Secretary or Joint Secretary to the Government of India dealing with Waqf matters. जो मिनिस्ट्री में concerned officer है, वही हो सकता है। And, out of 10 Muslims,

minimum two members shall be women. दो महिला सदस्य होना अनिवार्य है। State Waqf Boards में out of 11 members, not more than three will be non-Muslims -- कल किसी ने कहा कि नॉन मुस्लिम्स मैजोरिटी हो जाए। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है-- including, यह अतिरिक्त नहीं है, ex-officio members, one Chairperson, one Member of Parliament, one MLA, four members from Muslim community, two members with professional experience, one member from Bar Council, the Joint Secretary to the State Government dealing with the Waqf matters. जो संबंधित संयुक्त सचिव है। Out of four Muslim members, two shall be women, यह हमने सुनिश्चित किया है। सर, दूसरा चेंज भी किया है, जो बहुत जरूरी था। Section 108(a) में आपने क्या प्रावधान किया था? उसमें यह लिखा गया कि वक्फ एक्ट का जो प्रावधान है, देश में बाकी जितने कानून बने हैं, उनके ऊपर इसका overriding effect होगा, ऐसा प्रावधान रखा। हमने इसको rationalize किया है। Now in the proposed amendment, this provision is being omitted. This facilitates the legal harmonization of the Waqf Act with all other property laws.

(2G/LP पर जारी)

LP-PB/1.30/2g

श्री किरेन रिजिजु (**क्रमागत**) : महोदय, इस देश में बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉज़ हैं, ताकि सभी में एक समन्वय हो जाए। सर, हार्मोनाइजेशन होना जरूरी है। एक कानून, दूसरे कानून के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं बनता है, इसलिए harmonize करना बहुत जरूरी है, conflict avoid करने में तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे इसमें विरोध करने का कोई कारण नज़र नहीं आता है।

सर, आज हम जो बिल लेकर आए हैं, आप इसके लिए 'नया सवेरा' कह सकते हैं। जब हम एक अच्छी सोच के साथ आए हैं, तब हम बिल के नाम को भी अच्छा करेंगे। नाम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम एक अच्छा नाम लेकर आए हैं। इस बिल के एक्ट बनने के बाद इसका नया नाम 'उम्मीद' हो जाएगा। सर, 'उम्मीद' नाम से आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। महोदय, इसका नाम 'उम्मीद' रखने के पीछे कारण है - "Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development (UMEED) Bill." सर, इसमें हमने इसमें यूनिफाइड कहाँ से शुरू किया? महोदय, जो पूरी व्यवस्था है, हमने उसको यूनिफाइड किया है। हमने कलेक्टर के रोल से लेकर सर्वे, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, एन्क्रोचमेंट और अन्य जितने भी मैटर्स हैं, उनमें पारदर्शिता के साथ यूनिफाइड एफर्ट्स डाले हैं, to overcome the issues which were pending for such a long time. हम इसके लिए unified effort के साथ आए हैं।

महोदय, जब empowerment की बात होती है, तो diverse social groups -

जिसका मैंने जिक्र किया है, वह चाहे सुन्नी हो, शिया हो, आगाखानीज़ हों, पसमांदा मुस्लिम हो – आप बैकवर्ड मुस्लिम की कोई भी डेफिनेशन उठाकर देख लीजिए, उसमें चाहे वूमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सभी को decision-making body में जगह मिलनी चाहिए, इसीलिए सभी का empowerment कर रहे हैं।

महोदय, इसमें 'Efficiency' को इन्क्रीज़ करने के लिए, technology को इस्तेमाल करने का भरपूर प्रावधान किया गया है। अब centralized database होगा, digital portal होगा, जो हमारे मंत्रालय में होगा, वह सारे State Boards से साथ link होगा और live होगा।

महोदय, wakf property का continuously registration, tracking, compliance का पूरा manual – अगर कोई गड़बड़ होती है, तो उसकी भी ट्रेकिंग करने के लिए कि bureaucratic delay हो रहा है, किसकी टेबल से डिले हो रहा है आदि चीज़ों की जाँच करने के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था करके efficiency का target दिया है।

महोदय, आखिर में 'development' - जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि हम कितने करोड़ income generate कर सकते हैं - उसकी बात है।

महोदय, मैं इन्हीं कारणों से development of the wakf property को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैंने कल भी इस बात को बताया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। कई लोगों ने कहा कि Defence, Railways के बाद अगर

तीसरा databank देखा जाए, तो wakf property, जो land property है, वह Wakf Board के पास है। महोदय, मैं उसको थोड़ा संशोधित करके बताना चाहता हूं कि यह तीसरा नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा, नंबर वन पर लैंड प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास है - यह third नहीं है, क्योंकि आप डिफेंस और रेलवेज़ की private property के हिसाब से गिनती नहीं कर सकते हैं, यह देश की प्रॉपर्टी है। इसीलिए, जब हमारे देश में इतनी प्रॉपर्टी है, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन महोदय, आपत्ति तब होती है, जब दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम पर, हमारे देश में wakf property है, पर हमारे जो करोड़ों, बहन-भाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको इतनी प्रॉपर्टी होने का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, फिर यह प्रॉपर्टी किस काम की है?

महोदय, मैंने इस मंत्रालय को संभालने से पहले और बाद में भी देखा है कि यदि कहीं पर वक्फ प्रॉपर्टी है या बाहर की संस्थाएं हैं, तो वे बहुत गरीब अवस्था में हैं, भीख मांगने की अवस्था में हैं। महोदय, मैंने उनकी यह हालत देखी है। वे क्यों काम नहीं आ रही हैं? महोदय, अगर हम सही तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि अगले तीन-चार साल के अंदर करोड़ों गरीब मुसलमानों की ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। अगर आप थोड़ा-सा योगदान देंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं? महोदय, हम आज इस सदन में इसी मंशा के साथ आए हैं और हमारा target बहुत ही clear है।

महोदय, 2013 में जो दूसरा प्रावधान change किया गया था, हम लोगों ने उसमें क्या बदलाव किया है, उसके लिए भी आप हमारा समर्थन करेंगे। जो वक्फ प्रॉपर्टी है...

(PRB/2H पर जारी)

HK-PRB/2H/1.35

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत) : यह तो आप जानते ही हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसका टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। अगर 'Waqf by User' के नाम पर हम वर्बली कह देंगे कि इतने साल पहले, 500 साल पहले हमारे बाप, दादा या फलाना ने ऐसा किया था, तो यह हमारी वक्फ जमीन है। ठीक है कि आप क्लेम कीजिए, मगर आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 'Waqf by User' यह आप आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है, तो सीधा-सीधा वक्फ डिक्लेयर किया जाता था, उसे हमने हटा दिया है। यह बहुत जरूरी था। अगर आप देखेंगे कि 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी और आज 2021 में वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या में कितना जम्प हो गया है, तब आपको पता चलेगा कि इस सेक्शन का कितना दुरुपयोग किया गया है। साथ-साथ हमने संरक्षण भी दिया है कि 'Waqf by User' में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सैटल्ड केस है, हम उसमें retrospective जाकर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह prospective effect से होगा। हां, अगर कोई disputed है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रही है, वह डिस्प्यूटेड है,

तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट के अधिकार को तो हम यहां पर खत्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए unless the property is disputed, all those Waqf properties which are registered and has proper documentation, will remain unaffected. इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। Land is a State subject, तो उसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। इसकी अथॉरिटी राज्य सरकार को ही दी गई है।

अब महिलाओं के अधिकार के बारे में और बच्चों के अधिकार के बारे में सब कहते हैं। मैंने बताया कि वक्फ-अल-औलाद का इतिहास बहुत पुराना है। Right of inheritance का अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेटेशन भी करते आए हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि जो widows हैं, जो divorced women हैं, जो orphan हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए तो संरक्षण होना चाहिए। हमने यह प्रावधान किया है कि जो प्रॉपर्टी मेरी है - अगर मैं एक मुसलमान हूं, मैं वक्फ क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता हूं, जिसमें मेरा अधिकार है और इसके साथ-साथ प्रॉपर्टी में जो महिला का अधिकार है, उसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। महिला के अधिकार को सुरक्षित रखकर ही मैं अपनी मर्जी से अपने अधिकार पर ही वक्फ क्रिएट कर सकता हूं, ताकि ऐसा न हो कि परिवार में इतनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन किसी महिला का उसमें अधिकार ही न हो। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस 21वीं सदी में

इतनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो सबकी ही होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी ऐसी सोच नहीं है। हम सब एक समान सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

सर, हम जो दो मेजर अमेंडमेंट लेकर आए हैं और मैं मानता हूं कि उनका आप समर्थन करेंगे। Any protected monument, हमारे देश में कई monuments हैं, or protected area under the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 and the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, declared as Waqf properties under these Acts or under any previous Acts shall be void. हमारी archaeological sites, जो हमारे राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, उनसे आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमारे देश में करोड़ों आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। हम सब लोग मानते हैं कि जो indigenous शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए। हम यह प्रावधान लेकर आए हैं कि Scheduled-V and Scheduled-VI की जगहों पर, जहां हमारे स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहां किसी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेअर नहीं कर सकते हैं। हमने यह प्रावधान सेक्शन 3ई में रखा है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में आदिवासी भाई-बहनों के लिए आदरणीय मोदी जी की तरफ से और हम सबकी तरफ से यह एक बड़ी सौगात होगी।

(2J/AKG पर जारी)

AKG-KSK/2J/1.40

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत) : सर, Tribunal में हमने कुछ बदलाव किए हैं। हमारी Joint Parliamentary Committee का भी सुझाव आया था। अब जो Tribunal बनेगा, उसका fixed tenure होगा। उसकी efficiency बढ़ाने के लिए हमने कई steps उठाए हैं। आज के दिन जो total cases pending हैं, litigants में total कितने cases हैं, तो total 31,999 cases हैं, जिनमें Muslim litigants हैं - 14,470 cases. इस तरह से 31,999 cases pending हैं, तो हम यह समझते हैं कि Tribunal को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमने दो मेम्बर्स propose किए थे, लेकिन JPC में कहा गया कि तीन मेम्बर्स होने चाहिए, तो हमने उसको agree करके तीन मेम्बर्स बनाए and one Member having knowledge of Islamic law and jurisprudence for better functioning of the Tribunal. And, second, the composition of Wakf Tribunal has been expanded to both, serving and retired officials, each serving for a fixed tenure of five years. हमने tenure को five years fix किया है, from the date of appointment or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. This is Section 84, sub-clause (iv). इसमें हमने यह बहुत clear प्रावधान रखा है।

सर, हमने एक important प्रावधान रखा है - Right to Appeal. इसके ऊपर कई लोगों ने dispute भी किया है, इसलिए मैं इसको clear करना चाहता हूँ। पहले आप लोगों ने क्या कर दिया था, आप लोगों से मतलब previous UPA सरकार, कि

Right to Appeal में अगर Tribunal से आपको हक नहीं मिल रहा है, Tribunal में आपकी सुनवाई नहीं हो पाई, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, only review petition में आप जा सकते हैं, जो एक बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। सर, review petition के बारे में आप से ज्यादा कौन समझ सकता है। आम आदमी कहाँ review petition में जाकर चक्कर काट कर घूमता रहेगा। इसलिए हम यह मानते हैं कि the Right to Appeal must be the substantive right. इसलिए हमने यह दरवाजा खोल दिया है। अगर Tribunal में आपको आपका हक नहीं मिला, तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल अपील करके किसी भी जगह आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए! इसलिए हम यह मानते हैं कि जब हमने यह Appeal provision रखा है, तो Tribunal भी जल्दी-जल्दी काम करेगा, कोर्ट भी जल्दी-जल्दी काम करेगा और लोगों को भी जल्दी-जल्दी न्याय मिलेगा। हमने कहीं किसी का दरवाजा बंद नहीं किया है।

सर, आप जो annual contribution देते हैं, ...(**व्यवधान**)... आप चिंता मत कीजिए, हमने यह बहुत सोच-समझ कर फैसला किया है, इससे कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। Waqf institutions का जो contribution है, जिसे बोर्ड को देना होता है, पहले यह 7 परसेंट होता था, हमने उसको घटा कर 5 परसेंट कर दिया, ताकि आप ज्यादा पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकें, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकें। आप क्यों बोर्ड को इतना पैसा देंगे, इसलिए हमने इसको घटा दिया है। आप welfare purpose में ज्यादा खर्च करें, इसलिए हमने इसके ऊपर ceiling कर दी है।

सर, Limitation Act के बारे में आप तो जानते हैं कि अगर Limitation Act लागू नहीं होगा, तो फिर यह कहाँ-कहाँ तक जाएगा, कोई सीमा कैसे तय होगी! इसलिए जब यह कानून पारित होगा, अगर सरकार की land है, तो law of limitation के हिसाब से हमने उसके लिए 30 years का प्रावधान रखा है और अगर private land है, तो हमने 12 साल का प्रावधान रखा है। मैं मानता हूँ कि हमने बहुत ही reasonable law of limitation को यहाँ apply किया है। जिस दिन से यह एक्ट पारित होगा, enforce होगा, उसी दिन से उसकी गिनती शुरू की जाएगी।

(2के/पीएसवी पर जारी)

GSP-PSV/1.45/2K

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत): सर, सेक्शन 40 का मिसयूज़ होने के कारण ऐसा माहौल पैदा हो गया था। मेरे घर में बहुत सारे डेलिगेशंस, पिटीशंस आ चुके हैं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्लेम कर दिया! अभी न्यूज में भी आपने केरल के 600 क्रिश्चियन फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा होगा। वे सब लोग खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं। केरल में उनकी जमीन के बारे में *Munambam case* के नाम से अब सब लोग पढ़ चुके होंगे। उसको वहां के वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया और वे कहीं भी नहीं जा पाये। वे ठोकरें खाते रहे, घूमते रहे, जिसको लेकर वहां के *Catholic Bishops Councils* ने और दिल्ली में भी अलग-अलग हमारे कई क्रिश्चियन संगठनों ने हमें मेमोरेंडम दिया है, प्रेस रिलीज भी दिया है और अपील भी की है। उन्होंने सारे मेंबर्स

ऑफ पार्लियामेंट से अपील की है। मैं नाम लेकर सिर्फ केरल के एमपीज़ पर दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि केरल के एमपीज़ को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उन्होंने तो सबसे अपील की है। हमारे चर्च की जितनी भी बड़ी-बड़ी बॉडीज़ हैं, उन्होंने अपील की है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करना चाहिए। अब कम से कम चर्च की अपील को तो आप लोग मानिएगा।

सर, कई ऐसे केसेज़ हैं। उनको तो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ। सारे केसेज़, चाहे तमिलनाडु का केस हो या कर्णाटक का केस हो या हरियाणा में गुरुद्वारे वाली जगह को वक्फ क्लेम करने जैसे कई केसेज़ हों, मैं उनको साइट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सर, यह बात तो मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि हम लोग इस महान सदन में बैठे हैं। सरकार ने 2013 में 123 प्रॉपर्टीज़ को तो उस समय डीनोटिफाई कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया और मीडिया में भी स्टेटमेंट है कि यह पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है। ...(**व्यवधान**)... आप सोचिए, सर, अगर वह सरकार कांटिन्यू रहती और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार नहीं आती, तो हमारे सिर के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। यह आप सोचिए। हम तो देश के लिए सोच-समझ करके आज यह बिल लेकर आए हैं। हमारे लिए इस बिल में कोई एक लाल पैसे का भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यह बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसमें गलत काम नहीं

हो, गलत तरीके से दूसरे की जमीन को कोई हड़प नहीं ले, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए, अच्छी सोच के साथ हम यह बिल लेकर आए हैं।

माननीय सभापति जी, मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि यह ओपनिंग है, हमारे यहाँ जितने विद्वान माननीय सदस्य हैं, मैं उनकी बातों को सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मैं उनको सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण भी यहां बैठे हैं। हम सब लोग सुनेंगे। जेपीसी में जो सदस्य हैं और जो उसमें सदस्य नहीं हैं, उन सबके सुझावों को सुनते हुए, आखिर में, जैसे हमने यहां चर्चा के लिए टाइम दिया है, मैं उनका बारीकी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी बात मत बोलिए, जिससे हंगामा खड़ा हो जाए। आप ऐसी बात बोलिए, जिसे सुन करके हमारे कानों को भी थोड़ा अच्छा लगे। हम बैठ करके सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ चर्चा का स्तर ऊंचा होगा, इसी उम्मीद के साथ, उम्मीद का यह जो महत्वपूर्ण बिल लेकर हम आए हैं, मैं आप सबसे उसको समर्थन करने के लिए अपील करता हूँ।

(समाप्त)

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: Motion moved. The motions for consideration of the Waqf (Amendment) Bill, 2025 and the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025, are now open for discussion.

I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Syed Naseer Hussain. You have 20 minutes' time.

डा. सैयद नासिर हुसैन (कर्णाटक) **:** चेयरमैन सर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। आपने और मेरी पार्टी ने मिलकर मुझे जेपीसी का सदस्य भी बनाया था।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

कल लोक सभा में जितनी भी बहस हो रही थी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, किरेन रिजिजु जी ने वहां पर काफी बातें रखीं और आज भी यहां पर रखीं। कल हमारे देश के गृह मंत्री जी ने भी वहां पर काफी बातें रखीं।

(2एल/वीएनके पर जारी)

VNK-SK/2L/1.50

डा. सैयद नासिर हुसैन (**क्रमागत**) **:** उन्होंने कहा कि 2025 का यह बिल नहीं आता, अगर 1995 का एक्ट और 2013 के अमेंडमेंट्स नहीं आते। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को यह बताना चाहता हूँ कि जब 1995 में यह बिल आया था और 2013 में ये अमेंडमेंट्स आए थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी आज यह क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी यह draconian law लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने यह एक कम्युनिटी को appease करने के लिए लाई थी, यह Constitution से परे है - ये जो आज बड़ी-बड़ी बातें कर

रहे हैं और इनको आज के बिल का बेसिस बनाया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? 1995 में आडवाणी साहब यहाँ पर थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा स्वराज जी थीं, अरुण जेटली जी थे, राजनाथ सिंह जी थे और consensus के साथ 1995 का वक्फ बिल पास किया गया था। 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, तब भी उनको consensus से पास किया गया था। 1995 में लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी बात रखी थी और राज्य सभा में सिकंदर बख्त जी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के समय दोनों ने इस बिल का पूरा समर्थन किया था।...(**व्यवधान**)... उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2009 के मेनिफेस्टो में यह कहती है कि हम रहमान खान कमेटी की रिपोर्ट को examine करके उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। आज ये बार-बार जिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने *in toto* खारिज किया था। इन्होंने उनके खिलाफ क्या-क्या नहीं कहा था। इन्होंने उस कमटी की रिपोर्ट के खिलाफ क्या-क्या नहीं किया था। हम रहमान खान कमेटी की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब 2013 में अमेंडमेंट्स लाए थे, उस समय इनकी तरफ से लोक सभा में शाहनवाज हुसैन जी और राज्य सभा में मुख्तार अब्बास नकवी जी ने अपनी बात रखते हुए 2013 के अमेंडमेंट्स को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर यह draconian law था, किसी एक कम्युनिटी को appease करने का मामला था और Constitution के परे था, तो

आपने क्यों सपोर्ट किया था? आपने वह बिल consensus के साथ क्यों पास करने दिया था?

सर, 2013 के बाद 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको यह समझ में नहीं आया कि यह draconian law है। इनको यह समझ में नहीं आया कि यह एक कम्युनिटी को appease करने के लिए लाया गया है। 2024 में इनको याद आ गया कि वक्फ बोर्ड draconian law है, एक कम्युनिटी को appease करने के लिए है। यह 2024 में याद आया। 2024 में क्यों याद आया? इनको 10 साल तक क्यों नहीं याद आया? इनको 2024 में इसलिए याद आया, क्योंकि इन्होंने 400 का नारा दिया था और 246 पर निपट गए थे और इनको बिल्कुल majority नहीं मिली थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाएँ। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन-सा मुद्दा उछाला जाए। इसलिए इन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट को लाया। इस एक्ट को लाकर communal polarisation करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम appease कर रहे हैं। आप polarise करना चाह रहे हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया को पता है कि अगर देश में polarisation होता है, तो किसका फायदा होता है। कौन polarise करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलेन बना के उसके खिलाफ एक narrative build up करने का काम करता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह बिल टोटली falsity पर है, misinformation campaign पर है। मैं पूरे तथ्य और लॉजिक के साथ यहाँ पर अपनी बात रखूँगा। पिछले चार-छः महीने से

एक narrative build up करने की कोशिश की गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरा गोदी मीडिया इनके सपोर्ट में लग गया। इनकी जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, वह misinformation फैलाने में पूरी तरह लग गई। सर, मैंने अभी जो बात की है, उसको मैं आपके सामने टेबल पर रखता हूँ।

सर, माननीय मंत्री रिजिजु जी कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएँगे, गरीब को मदद करेंगे, वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, वक्फ बोर्ड को शक्ति देंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप 10 साल पावर में थे, तो आपने क्या किया? आप वेबसाइट पर देखेंगे, तो पाएँगे कि ये जो Central Wakf Council की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ किरेन रिजिजु का नाम नजर आएगा।

(2एम/डीएस पर जारी)

DS-YSR/1.55/2M

डा. सैयद नासिर हुसैन (क्रमागत) : उसके अंदर काउंसिल नहीं है। वक्फ काउंसिल के लिए जो बजट एलोकेट होता था, वह भी नहीं दिया गया। वहाँ के जो स्टाफ थे, उनको सैलरी नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं, उनमें से कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से स्टेट वक्फ बोर्ड constitute नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहाँ के वक्फ बोड्र्स constitute नहीं करते और आज आप कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान को मदद करेंगे, आप कह रहे हैं कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे! आप कितनी असत्य बातें देश

के सामने और पार्लियामेंट में रखेंगे? आपने हमेशा मिसलीड करने का काम किया है। हर एक चीज़, जो ये बोल रहे हैं, वह सत्य से दूर है और ये देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं।

सर, किरेन रिजिजु जी ने जेपीसी की बात की, कल जगदम्बिका पाल साहब ने जेपीसी की बात की और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने जेपीसी की बात की। जेपीसी गठित हुई, आप लोगों ने मुझे भी उसका सदस्य बनाया था और वहां पर काम करने का मौका दिया था। जब उसकी मीटिंग होनी शुरू हुई और उसमें स्टेकहोल्डर्स आने लगे, एक्सपर्ट्स आने लगे, academicians आने लगे, तो उनमें से 97-98 परसेंट लोगों ने बिल के खिलाफ अपनी बातें रखीं। उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने रीज़ंस दिए। जब इनको पता चल गया कि बिल के फेवर में कोई आ नहीं रहा है, लोग बिल के खिलाफ आकर डिपोज कर रहे हैं - आप इनसे पूछिए कि एक लाख का जो ये आंकड़ा दे रहे हैं, उनमें से कितने लोग बिल के फेवर में हैं और कितने लोग बिल के खिलाफ हैं? आज वे इसको सदन के पटल पर रख दें, तो देश को पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इस बिल को अपोज़ किया था। जब इनको पता चला, तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी जेपीसी में नॉन-स्टेकहोल्डर्स को बुलाया गया। नॉन-स्टेकहोल्डर, जिसको वक्फ से कुछ लेना-देना नहीं है, न वह दान दे सकता है, न उसका मेंबर बन सकता है, जिसको वक्फ के बारे में पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे, जो वहां पर आकर extreme communal statements

दे रहे थे। एक माहौल क्रिएट करने के लिए, बिल के फेवर में सपोर्ट drum up करने के लिए जेपीसी में लोगों को बुलाया गया था। आज ये बार-बार कह रहे हैं कि ये जेपीसी की रिकमेंडेशंस लाए हैं। जेपीसी की रिकमेंडेशन लाइए और इनसे पूछिए कि क्या उसमें Clause-by-Clause डिस्कशन हुआ था? किसी भी जेपीसी की यह minimum basic requirement होती है कि वहां पर अमेंडमेंट्स के लिए जो भेजा गया है, उस पर Clause-by-Clause डिस्कशन हो। मुझे लगता है कि 75 years of parliamentary democracy in India में पहली बार जेपीसी में बिना Clause-by-Clause डिस्कशन किए अमेंडमेंट्स bulldoze करके ये बिल लेकर आए हैं। वे पूरी जेपीसी की रिकमेंडेशंस नहीं थीं, बल्कि वे एनडीए के एमपीज़ की रिकमेंडेशंस थीं। वे थोपी हुई रिकमेंडेशंस थीं। वहां पर अंतर ज्यादा नहीं था, एक-दो एमपीज़ का अंतर था। आप जेपीसी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कि कितने फेवर में थे और कितने खिलाफ थे। इसमें हमारा एक भी रिकमेंडेशन नहीं लाया गया है। अगर वही आपको करना था, जो स्टेकहोल्डर्स आए थे, जिन्होंने वहां पर इसके खिलाफ डिपोज किया था, उनका सुझाव नहीं लेना था, अपोजिशन के एमपीज़ का सुझाव नहीं लेना था, तो फिर जेपीसी गठित ही नहीं करनी थी! ये आज जेपीसी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, हमने इतना बड़ा दिल कर दिया, इसको जेपीसी में भेज दिया। आपने इसको जेपीसी में भेजकर किया क्या, इसको और worsen किया। मैं आगे बताऊंगा कि इन्होंने कैसे-कैसे उसको worsen किया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I need your protection. जब रिजिजु जी बात कर रहे थे, तो हम लोगों में से किसी ने कोई बात नहीं की। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, बैठकर टिप्पणी न करें। ...(**व्यवधान**)...

डा. सैयद नासिर हुसैन : आप यह न समझें कि आप बात कर सकते हैं, तो हमारी डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, संजय जी, आप उनको बोलने दीजिए।

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, ये जितने भी अमेंडमेंट्स लाए हैं, ये हमारे कांस्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हैं। ये आर्टिकल्स 14, 25, 26 और 30 को violate करते हैं। ये equity before law को violate करते हैं। ये parity in laws for all sections of people को violate करते हैं। 'One Nation, One Law' हमने नहीं किया था। 'One Nation, One Law' का नारा बार-बार ये लोग देते हैं और उसको ये violate करते हैं। ये UCC बार-बार बोलते हैं, उसको ये violate करते हैं। मैं आज भी यहां कह रहा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कह रहा हूँ, एक मुसलमान एमपी, उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं यह कह रहा हूँ कि इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, जितने धर्मस्थल हैं, उनकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए।

(2एन/एमजैड पर जारी)

MZ-VKK/2.00/2N

डा. सैयद नासिर हुसैन (क्रमागत) : हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चन हो, पारसी हो, सबके लिए एक तरह का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं। आप उनके लिए लॉ बनाइए। पर्सनल लॉ छोड़ कर बाकी सब governance and administration में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... अब मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पर रखूंगा कि किस तरह से ये अलग-अलग समुदायों में भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से यह targeted legislation है, किस तरह से यह unfair legislation है और किस तरह से यह मुसलमानों के खिलाफ legislation है। आप बार-बार कह रहे थे कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ भी रखूंगा। यह बिल्कुल targeted legislation है। आप इस देश को यह मैसेज देना चाहते हैं कि यहां एक कम्युनिटी को बिल्कुल second-grade citizens बना कर रखेंगे। आप जिस तरह के laws लेकर आ रहे हैं, वे धर्म के आधार पर लेकर आ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है। कल कोई CAA और NRC की बात कर रहा था। यहां अमित शाह जी बैठे हैं, जब हम लोगों ने उस सदन में सवाल किया था, तब इन्होंने कहा था कि chronology समझिए। यह सिर्फ CAA नहीं है, इसके साथ NRC और NPR जुड़ेगा। जब इनसे यह सवाल पूछा गया था, तब इन्होंने बोला कि ये linked हैं। आप कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर हम किसी की citizenship छीन नहीं रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आप citizenship रोक रहे हैं। यह पहली बार हिंदुस्तान के

संविधान में ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं और हो रहा होगा। उसके बाद 1990 का settled question है। Places of Worship Act, 1991 का settled question है। उसके खिलाफ इनके लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इनके पार्टी के office bearers जो हैं, वे Places of Worship Act, 1991 के खिलाफ petition file करते हैं और मंदिरों के नीचे मस्जिदें ढूंढने का काम करते हैं। आज अगर हम देश में खोदना शुरू कर दें, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके नीचे क्या-क्या मिलेगा, किसको पता है? हमें इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इतिहास में जाकर खोदने का काम शुरू कर रहे हैं। यहां भी उसका प्रोविज़न कर दिया है। आज किरेन रिजिजु जी कह रहे थे कि हम लोगों ने ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बैठकर बीच में टिप्पणी न करें। माननीय सदस्य, आप बोलें।

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, अभी किरेन रिजिजु जी ने बताया कि वक्फ के मायना क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि वक्फ का मायना दान है, It is as simple as that. कोई भी व्यक्ति किसी को भी दान कर सकता है। ये बार-बार कह रहे थे कि 2013 में anybody can donate करके लेकर आए। इनको शायद यह पता नहीं की Prophet Mohammad के ज़माने में गैर-मुसलमान भी दान करते थे। बहुत महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं, जहां गैर-मुसलमानों ने भी दान किया। दान के लिए कोई रोक नहीं है और दान का कांसेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है। हम इसे "वक़्फ़" के नाम से जानते हैं, लेकिन दान

का कांसेप्ट हर मजहब में मौजूद है। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में और दुनिया के हर धर्म में दान का कांसेप्ट है।

हमारे दान के कांसेप्ट से बनाए गए इदारों को गवर्न, एडमिनिस्ट्रेट और रेगुलेट करने के लिए वक़्फ़ बोर्ड बना है। लेकिन एक गलत धारणा फैलाई जा रही है कि सिर्फ मुसलमानों को ही वक़्फ़ बोर्ड की जरूरत है। क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, सनातन बोर्ड क्यों नहीं चाहिए? सोशल मीडिया पर ये सब फैलाया जा रहा है कि वक़्फ़ बोर्ड मुसलमानों को appease करने के लिए बनाया गया है।

शायद उन्हें जानकारी नहीं है या वे यह बात बोलना भी नहीं चाहते कि इस देश में Endowment Boards हैं, Muzrai Departments हैं, Hindu Religious Places Act हैं, SGPC है और कई राज्यों में ईसाइयों के लिए काउंसिल और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के धार्मिक संस्थानों को गवर्न करने के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं, Temple Trusts हैं, स्टेट्स में अलग-अलग एक्ट बनाए गए हैं।

आज यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? और यह वक्फ का मुद्दा अचानक कांग्रेस द्वारा नहीं बनाया गया। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में वक़्फ़ को रेगुलेट करने के लिए कई कानून लाए गए थे, जिन्हें समय के साथ संशोधित किया गया। कांग्रेस ने भी इसमें सुधार के लिए कई कदम उठाए और 1995 और 2013 के कानून के बारे में ये बार-बार जो बोल रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड को strengthen करने

के लिए, वक़्फ़ संपत्तियों को बचाने, अतिक्रमण हटाने और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग अमेंडमेंट्स लेकर आए थे और इनका पूरा सहयोग और समर्थन था।

(2O/DN पर जारी)

BHS-DN/2O/2.05

डा. सैयद नासिर हुसैन (क्रमागत) : सर, इसमें बार-बार यह कहा जा रहा है और आज भी ये कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा allegation वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और सबसे बड़ी misinformation फैलाई गई है। आज भी यहां पर बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन declare कर सकता है। क्या हिंदुस्तान में law नहीं है, क्या revenue rules नहीं हैं, क्या property rules नहीं हैं? मतलब हम कहीं पर भी towel डाल दे और हमारी बना लें। हम ट्रेन्स में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, flights में नमाज़ पढ़ते हैं, अगर वहां पर नमाज़ पढ़ ली, तो क्या train हमारी हो गई, क्या flight हमारी हो गई, क्या वक्फ में उसको लिखवा दें। वक्फ को जो power दी थी, अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आती है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

डा. सैयद नासिर हुसैन : अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई complaint आती है, तो वक्फ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी inquiry करती है, उसके लिए set rules हैं। शायद किरेन रिजिजु जी को यह बात पता नहीं है कि हर State मे inquiry कैसे कराई जाए, उसके लिए हर State के अलग rules बने हुए हैं। मैं पिछले छह साल

से कर्णाटक में वक्फ बोर्ड का member हूं और अब सातवां साल complete कर रहा हूं। वहां पर यह पूरा ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... आप अपनी टर्न पर बोलें। प्लीज़, प्लीज़।

डा. सैयद नासिर हुसैन : वहां पर पूरी inquiry होने के बाद Survey Commissioner उसको survey करता है, Collector उसको check करता है, फिर उसके बाद State Government को जाता है, State Government उसको verify करती है, उसके बाद सरकार उसको gazette करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है, तो tribunal में जा सकता है। अगर वहां भी उसके खिलाफ decision या judgment आती है, अगर वहां पर वह convinced नहीं है, तो वह court में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि court में review नहीं कर सकते। बिल्कुल court में review कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, तो High Court और Supreme Court में वक्फ के इतने cases कैसे हो रहे हैं? High Court और Supreme Court में वक्फ के इतने cases कैसे हो रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

गृह मंत्री (**श्री अमित शाह**) : उपसभापति महोदय, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता हूं। शायद वे भोलेभाव में सदन के सामने गलत information रख रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा correct करना चाहता हूं।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is not yielding. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairam*ji*, please. ...*(Interruptions)*... The Chair has given time. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: जयराम जी, आप क्या कह रहे हैं?

श्री जयराम रमेश: उनको बोलने दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairam*ji*, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he has not yielded. ...*(Interruptions)*... Sir, he is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह: मान्यवर, जो डिस्प्यूट है, वह इतना ही है कि अगर tribunal के फैसले से कोई असंतुष्ट है, तो यह भूमि का मामला है, इस पर civil suit होना चाहिए। Civil suit में अधिकारों की बहुत wide range होती है। ...(व्यवधान)... इन्होंने इस पर appeal का provision, 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो writ के कार्यक्षेत्र में High Court के सामने जाता है। Writ का कार्यक्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो tribunal का फैसला होता है, वह final होने के chances 99 per cent हो जाते हैं, जिनकी भूमि है। ...(व्यवधान)... उसका अधिकार ज्यादा रहता है। ये गलतफहमी फैला रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, आप ही को ले रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप सुनते नहीं हैं। मैं आप ही को कह रहा हूं।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sorry! सर, वे बात कर रहे हैं और हमने रिजिजु जी का भाषण बहुत शांति के साथ सुना। आप दूसरे सदन में जो भाषण दे रहे थे, उसको भी हमने कल रात T.V. पर पूरा सुना। वे जो तैयारी करके लाए हैं, वे भी पढ़ कर आए हैं, वे ऐसे-वैसे बात नहीं कर रहे हैं। वे इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके आए हैं, उनका flow बीच में चला जाता है, विचार चले जाते हैं।

(2P/LP पर जारी)

RL-LP/2.10/2P

श्री मल्लिकार्जुन खरगे (क्रमागत) : इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कृपा करके उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहिए। जो कुछ कहना है, वे उसको अपने उत्तर में कहें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उन्हें control कीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Now, Dr. Syed Naseer Hussain.

डा. सैयद नासिर हुसैन : महोदय, किरेन रिजिजु जी ने Tribunal के बारे में कहा कि वे दो थे और उन्होंने एक बढ़ा दिया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2013 में भी तीन ही थे। महोदय, 2003 में भी तीन ही थे और 2013 में भी Islamic Scholars domain expert थे। इन्होंने अभी retiring या serving कर दिया है, लेकिन हम पहले Serving Judge को रखते थे। यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ constitute

करती है, लेकिन State Government constitute करती है, Waqf Board नहीं constitute करता है। महोदय, इस तरह का एक भ्रम फैलाया जा रहा है।

महोदय, ये एक नया provision लाए। इन्होंने यह बोला कि सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है। इन्होंने दूसरी बात पाँच साल की practising होने की भी बोली है। यह तो पहले था, जेपीसी से जाने के बाद अब ये कह रहे हैं कि उसको demonstrate करना चाहिए। पहले प्रधान मंत्री जी कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप कैसे पहचानेंगे, हम कैसे demonstrate करेंगे, कौन-से कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं टोपी पहनकर जाऊँ या दाढ़ी लगाकर जाऊँ या कोई मेरे घर में CCTV कैमरा लगाकर देखेगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में CCTV कैमरे लगाएंगे या कोई और तरीका होगा, यह पता करने का कि यह पाँच साल से 'practicing Muslim' है या नहीं है?

महोदय, मैं रिजिजु जी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या वे दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे इसको identify करने के लिए कि यह 'practising Muslim' है या नहीं है? वे जो certificate देंगे, क्या उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि यह मुसलमान है या नहीं है? उस सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो भी लगा देंगे।

सर, 'Waqf by user' की बात है। ये जो सबसे बड़ी चीज़ इस बिल में ला रहे हैं, वह Waqf by user है। ये इसको क्यों ला रहे हैं? यह बात सबको पता है कि इनकी सारी निगाह संपत्ति पर है, जमीन पर है, लैंड पर है। उन्होंने धारावी में कौड़ियों के दाम

पर किसको जमीन दी है? मैं कल एक टीवी डिबेट में था। जेपीसी की, इनकी एक मेम्बर मेरे साथ थीं, वे कह रही थीं कि हम land monetize करेंगे। इससे समझ में आ गया कि monetize करके किसको देंगे। सर, 'Waqf by user' का मतलब क्या है? हमारा देश प्राचीन देश है और इस देश में अलग-अलग टाइम पर, अलग-अलग धार्मिक स्थल बने हैं। हमारे देश में बहुत kingdoms थे। यहाँ राष्ट्रकूट से लेकर, मौर्य, चेरा, कदम्ब, विजयनगर एम्पायर, अशोक साम्राज्य और पता नहीं कितने बादशाह थे, British Government थी। यहाँ पर सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, बल्कि इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिर बने हैं, देखने लायक जबर्दस्त monuments हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्चेज हैं, मस्जिदें हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुरानी इमारतों के कागज पूछेंगे, तो तांबे और पीतल पर जहाँ लिखा था, उसको कहाँ से ढूँढ़कर लाएंगे? उसका प्रूफ सिर्फ यह है कि हर समुदाय के लिए यही सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in Waqf. There is Waqf by user; there is temple by user; there is Gurudwara by user, there is Church by user and there is Matha by user. There are so many religious institutions by user. आप किस-किस का प्रूफ माँगेंगे? जब हमने इस बात को बोला, तो ये बोले कि हम इसको prospectively करेंगे, retrospectively नहीं देखेंगे। जो registered नहीं है, Waqf by user अगर 200, 300 साल पुरानी है, तो आप उसको कैसे मानेंगे?

महोदय, आप उसमें दूसरी बात यह बोल रहे हैं कि अगर यह disputed हो तो। मैं Places of Worship Act की बात कर रहा था। अगर disputed है, Government की है, तो फिर हम नहीं करेंगे, लेकिन disputed कैसे है? महोदय, disputed तो एक ही थी। वे बोल रहे थे कि अयोध्या का मसला छोड़िए, बाकी पूरे इसमें आ जाएंगे। आप कहते हैं disputed पुराने हैं, तो इदारों के disputed कैसे हो जाएंगे? महोदय, ये देश में दंगा-फसाद कराने का बार-बार मौका खोज रहे हैं। महोदय, ये disputed रखने, दंगा-फसाद करवाने आदि चीज़ों से अपना वोट बैंक create करने की राजनीति कर रहे हैं, Waqf by user को निकालकर। ...(**व्यवधान**)...महोदय, ये दूसरी बात यह कह रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे। ...(**समय की घंटी**)... सर, मेरा टाइम बढ़ा है, मैं पार्टी का टाइम लूंगा।

श्री उपसभापति : मैंने आपको already दो मिनट दे दिए हैं।

श्री जयराम रमेश : सर, हमारी पार्टी का समय बाकी है, इसलिए इन्हें 25 मिनट दीजिएगा। चेयरमैन साहब ने ऐसा कहा था। ...(**व्यवधान**)...

डा. सैयद नासिर हुसैन : महोदय, मैं औरों से ज्यादा समय लूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

(Followed by DC/2Q)

DC-PRB/2Q/2.15

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : सर, उनको बोलने दीजिए। 25 मिनट, क्या 30 मिनट **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : यहां पर समय 20 मिनट लिखा हुआ है। **...(व्यवधान)...**

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : देखिए साहब, रात के ढाई **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : कृपया आप समय देखिए। माननीय एलओपी, ऑलरेडी मैंने बोलने के समय से अतिरिक्त समय दिया है। **...(व्यवधान)...** प्लीज़, आप बोलें। **...(व्यवधान)...**

डा. सैयद नासिर हुसैन : आप यह कह रहे हैं कि "waqf by user" ऐसा ही रहेगा, जो कि रजिस्टर्ड है। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम नया पोर्टल ला रहे हैं और उस पोर्टल में हर एक वक्फ को फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर "waqf by user" रजिस्टर्ड हो गया था, तो उसे सीधा उठाकर उसमें डाल दीजिए। आप उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन क्यों करेंगे? आप चाहते हैं कि फिर दोबारा पेपर मांगे और पेपर न दें, तो फिर आपके लोग जाकर दंगा-फसाद करें और आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। सर, मैं ढांचे की बात कर रहा हूं। रिजिजु जी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड का secular character है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं देखता है, बल्कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस अफेयर्स में भी दखलअंदाज करता है और वह रिलीजस अफेयर्स भी देखता है। अगर मैं आपकी बात भी मान लूं, तो मैं आपसे पूछना

चाहता हूं कि Hindu Religious Act के तहत जो इंस्टिट्यूशन बने, Endowments Acts, *Muzrai* Department, Hindu Shrines and Religious Places Act, SGPC और अलग-अलग समुदाय के जो इदारे जो बने हैं, क्या आप उनमें एक मुसलमान, एक सिख, एक बुद्धिस्ट, एक जैन रखेंगे? क्या आप उसमें मुझे रखेंगे? **...(व्यवधान)...** ये बिल्कुल मेरे राइट्स के खिलाफ है, कांस्टिट्यूशन मुझे जो राइट देता है, यह उसके खिलाफ है। इसके संबंध में काफी जजमेंट्स भी हैं।

सर, Bihar Hindu Religious Trusts Act, Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act के अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के भी एक्ट्स हैं, सभी में साफ लिखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां रहेंगे और किसी दूसरे मजहब का आदमी वहां नहीं रहेगा। जब वह वहां के एक्ट में ही है, तो आप यहां कैसे दूसरे लोगों को देंगे? आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या हम अपने इंस्टिट्यूशन को चलाने के लिए काबिल नहीं हैं? हम लोग को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं! **...(व्यवधान)...** आप हमारे ऊपर spying करना चाह रहे हैं! सर, सीईओ को लाने की बात की गई कि मुस्लिम सीईओ नहीं रहेगा और दूसरा आएगा। मैं तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एक्टस के बारे में बताता हूं। **...(समय की घंटी)...**

श्री उपसभापति : आपका समय खत्म हुआ। **...(व्यवधान)...** प्लीज़....

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, मैं थोड़ा और टाइम लूंगा। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : अब आप खत्म करें। **...(व्यवधान)...** अब 25 मिनट हो गए हैं। **...(व्यवधान)...**

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, फाइनली **...**(व्यवधान)**...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not take*...(Interruptions)...*

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, फाइनली मैं तीन-चार इश्यूज के बारे में बोलूंगा। रिजिजु जी ने कल भी कहा और आज भी कहा कि 123 प्रॉपर्टीज को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारी 123 प्रॉपर्टीज़ या तो दरगाह हैं या मस्जिद हैं या तो कब्रिस्तान हैं या तो ईदगाह हैं। **...(व्यवधान)...** ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट करो ...(**समय की घंटी**)**...**

श्री उपसभापति : धन्यवाद। **...(व्यवधान)...**

डा. सैयद नासिर हुसैन : उसकी लिस्ट मैं आपको देना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : धन्यवाद। **...(व्यवधान)...** Your time is over**.** *...(Interruptions)...* धन्यवाद, आपकी बात खत्म हुई। **...(व्यवधान)...**

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Jairam*ji*, I will take another five minutes**.** *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति : डा. राधा मोहन दास अग्रवाल। **...(व्यवधान)...** आप जो भी असंसदीय शब्द इस्तेमाल करेंगे, वे रिकॉर्ड में नहीं होंगे। **...(व्यवधान)...** यहां जो 20

मिनट का समय लिखा है, वह 20 से 25 हो गया। ...(**व्यवधान**)... आपकी पार्टी का समय जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आपकी पार्टी का समय जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप मेरी पार्टी के समय में से दे दो। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : साहब, मैं बोल रहा हूं कि आप मेरी पार्टी के समय में से तीन मिनट का समय दे दो। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप सिर्फ दो मिनट में खत्म करें। ...(**व्यवधान**)...

डा. सैयद नासिर हुसैन : ये 123 प्रॉपर्टीज, जो बिल्कुल रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं। जब Lutyens' Delhi बना रहे थे, जब न्यू दिल्ली बना रहे थे, उस समय 1910 में अंग्रेज गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा यह एरिया एक्वायर किया था। जब मुसलमान जाकर उनसे मिले, तो वे बोले कि ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ के पास ही रहेंगी, possession उनके पास ही रहेगा, लेकिन जब तक यह सिटी नहीं बन जाती, तब तक गवर्नमेंट का नाम रहेगा। वह बनने के बाद उन्होंने दोबारा उसे वापस वक्फ को दिया था। उस समय से लेकर आज तक भी 123 प्रॉपर्टीज का possession वक्फ में ही है, बिल्कुल वक्फ में ही है। जब 2013 में इसको डीनोटिफाई करने की बात आई, तब हाई कोर्ट ने सरकार को बोला था कि आप जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करो। जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के चक्कर में उस टाइम पर डिनोटिफाई किया गया। इन्होंने वन-मैन कमीशन बनाया था, ये उसकी रिपोर्ट सबके सामने क्यों नहीं रख देते? उसको पार ही कर दिया। टू-

मैन कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट लोगों के समाने रख दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं है।

(2R/AKG पर जारी)

AKG-DPS/2R/2.20

डा. सैयद नासिर हुसैन (क्रमागत) : यह * लोगों को गुमराह करना, misguide करना बंद करें। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : * शब्द असंसदीय है। आपका टाइम खत्म हुआ।

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, मैं अपनी पार्टी का टाइम ले रहा हूँ, एलओपी साहब ने बोल दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot go on... ...(*Interruptions*)... Please conclude.

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, दूसरा, ये केरल की बात करते हैं। मैं इनको authenticate करने के लिए कहता हूँ। वक्फ बोर्ड ने कभी यह claim नहीं किया कि यह उसकी property है। कोर्ट ने दो टाइम यह declare किया कि यह waqf property है। तीसरी बात, Judicial Commission ने कहा कि यह waqf property है। लेकिन मैं आज भी यहाँ पर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जितने गरीब लोग वहाँ रह रहे हैं, जो fishermen हैं, पूरे इंडिया की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो fishermen हैं, जो गरीब हैं, जिन्होंने जमीन खरीदी थी, कुछ लोग

---

*Expunged as ordered by the Chair.

ऐसे ही रह रहे हैं, उनका interest protect किया जाएगा, उनको वह जमीन दिलाई जाएगी। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

डा. सैयद नासिर हुसैन : लेकिन वक्फ बोर्ड की बात करना बंद करें।

(समाप्त)

श्री उपसभापति : धन्यवाद। No, nothing is going on record. डा. राधा मोहन दास अग्रवाल। ...(**व्यवधान**)... No more. आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। डा. राधा मोहन दास अग्रवाल, आप बोलें।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) **:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं बहुत ध्यान से नासिर साहब को सुन रहा था। किसी शायर ने कहा है, तू इधर-उधर की न बात कर, तू बता कि कारवाँ कहाँ लुटा। मैं इन्हें बताऊँगा कि कारवाँ कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं इन्हें ठीक से expose करने वाला हूँ।

श्री उपसभापति : मनोज झा जी, प्लीज़। अच्छा discussion है, आप चलने दें।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : माननीय उपसभापति महोदय, मैं इनकी बातों को सुन रहा था। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि माननीय सदस्य, डा. सैयद नासिर हुसैन जब इस बार राज्य सभा में चुने गए, जब इनकी जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्णाटक के बेंगलुरु में था, कर्णाटक की विधान सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ...(**व्यवधान**)... भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध

किया, उनको पकड़ कर जेल में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो इस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया और इन्हें प्रेषित किया गया। ...(**व्यवधान**)... इनको बैठाइए। ...(**व्यवधान**)... ये बोल नहीं सकते। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... आपस में बात नहीं करें, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : आप बैठो। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आपस में बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)... आप चेयर को संबोधित करें। ...(**व्यवधान**)... आपस में बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)... आप चेयर को संबोधित करें। ...(**व्यवधान**)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : उपसभापति महोदय, आज देश के लिए गौरव का दिन है। ...(**व्यवधान**)... देश के आम मुसलमान के लिए, देश के गरीब मुसलमान के लिए, देश के ...(**व्यवधान**)...

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : सर, यह कहा गया था कि बीच में टोका-टोकी नहीं होगी, फिर तो यह दोनों के लिए होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... यह शब्द रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : उपसभापति महोदय, आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमांदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। इस पूरे के पूरे गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं माननीय मोदी जी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया है।

उपसभापति महोदय, हम हिंदू हैं। हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। हमने लगातार अपने समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है। हमारा इतिहास गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हम सती प्रथा निषेध अधिनियम लाए; हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हम बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए; हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होता था, हम विधवा विवाह अधिनियम लाए। आश्चर्य की बात होती है, जब इस समाज की चर्चा होती है, तो इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर, एक गरीब मुसलमान के जीवन की बेहतरी को लेकर किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया गया। आज यह पहली बार है और हमें अपने प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी पर गर्व है, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया है।

(2एस/पीएसवी पर जारी)

PK-PSV/2.25/2S

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (क्रमागत) : 2014 में माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री बने थे। उनके दृष्टि में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता था। उनका सिर्फ एक नजरिया होता था - गरीब और अमीर। आप गौर कीजिएगा और यह सदन भी गौर करेगा। हम जनधन योजना लेकर आए, तो उसके 42 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे; हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए, तो उसके 31 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे; हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, तो उसके 37 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No comments while sitting.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : हम मुद्रा योजना लेकर आए, तो उसके 36 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे; हम स्किल इंडिया योजना लेकर आए, तो उसके 22.7 परसेंट लाभार्थी मुस्लिम थे और हमने प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया, तो महोदय, इस देश में 70 परसेंट से अधिक मुसलमानों ने उस योजना का लाभ लिया।

महोदय, मेरी पार्टी की बैठक की एक बात है, जो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री इसी बालयोगी सभागार में हम सारे सांसदों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। मित्रो, आपको याद होगा। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। वे वोट देते हैं। अगर यह मान लिया जाए कि वे वोट

नहीं देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं, क्या उनके काम नहीं होने चाहिए, क्या उनके विकास का काम नहीं होना चाहिए? उन्होंने हम सारे सांसदों को मीटिंग में कहा कि अपने काम को करते समय कभी हिंदू और मुसलमान नहीं करना। उन्होंने विकास की धारा को सारे समाज पर, समान रूप से पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि मैं पूरे देश को 2047 में 'विकसित भारत' बनाने का सपना दिखाता हूं, लेकिन अगर देश के 20 परसेंट मुसलमान पिछड़े रह जाएंगे, तो क्या भारत के विकास का सपना पूरा होगा - नहीं। भारत के विकास का मतलब है कि हमें 20 परसेंट मुसलमानों के विकास के लिए भी योजना बनानी है। यह कल्पना माननीय प्रधान मंत्री ले सकते हैं। आजादी के 75 सालों के अंदर, इस कल्पना को लेकर इस देश में कोई नहीं आया था। उन्होंने तीसरी बात कही, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के स्तर पर, सरकार जो कुछ भी कर सकती है, हम मुसलमानों के जीवन की बेहतरी के लिए करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं का भी रोल होनी चाहिए, यह मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी भूमिका होनी चाहिए, यह जमात-ए-उलेमा की भी भूमिका होनी चाहिए या वक्फ कमेटियों की जो संपत्तियां पड़ी हुई हैं, उनकी भी मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर करने में भूमिका होनी चाहिए।

उपसभापति महोदय, यह बात आज की नहीं थी। यह बात लोक सभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है। उस समय वे यह कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने

मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर कब्जा करके जो लोग बैठे हुए हैं, उन कब्जेदारों को वहाँ से हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, उसका इस्तेमाल हम गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, उनके जीवन की बेहतरी के लिए करेंगे। मुसलमान महिलाएं दर-बदर भीख न मांगें, अपनी इज्जत का समझौता न कर सकें, कोई बूढ़ी मुस्लिम रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर ना हो, हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। वस्तुतः उपसभापति महोदय, ज्यों ही माननीय गृह मंत्री जी ने वक्फ अधिनियम की घोषणा की, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है कि वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया - "तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे।"

महोदय, मैं एक पत्रक लेकर आया हूं। केरल और कर्णाटक की एक आतंकवादी संस्था है – पीएफआई। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उसे बैन किया है। पीएफआई की एक दूसरी संस्था है – एसडीपीआई। आज मेरे पास एसडीपीआई के पर्चे हैं, जो मैं गृह मंत्री जी को सौपूंगा और आपको भी दूंगा। आज यह एसडीपीआई पूरे देश में पर्चे बांट रही है। मेरे पास राजस्थान से पर्चे आए हैं, जहां एसडीपीआई सबसे कमजोर है। आज पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और

बताया जा रहा है कि अगर यह वक्फ कानून आ गया, तो भाजपा सरकार मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए कि नरेन्द्र मोदी जी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। वे आपके विरोध से डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वे मजबूती के साथ, एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला और अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वे मजबूती से यह विधेयक लेकर के आए।

उपसभापति महोदय, ये चर्चा कर रहे थे - 'waqf by user' की। 'Waqf by user' क्या होता है? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था - आपके पास अपनी कोई संपत्ति हो, तो दूसरों को भले के लिए दान करो।

(2टी/वीएनके पर जारी)

VNK-PB/2T/2.30

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (क्रमागत) : हदीसों में क्या लिखा था? यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति का एक हिस्सा वह दान कर सकता है। उसके लिए मुतवल्ली बना सकता है। उसके आय के साधन कैसे होंगे - यह लिख सकता है। आय से होने वाली आय किस वर्ग के उपयोग में आएगी - उसके भी निर्देश दे सकता है। What is this 'wakf by user'? किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मंशा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक

भी आदमी ने 'wakf by user' की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दिया, वह औरत उनकी हो गई।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्री पी. विल्सन**) *पीठासीन हुए*]

इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू-माफियाओं की तरह काम किया है। इन्होंने जिस जमीन पर हाथ रख दिया, वह जमीन उनकी हो गई।...(**व्यवधान**)... ये आज इस मानसिकता से काम करते हैं। जमीनों पर मैं कानून लेकर आया हूँ।...(**व्यवधान**)...

महोदय, इसी सदन में माननीय सदस्य असत्य बोल रहे थे। 1995 के इस एक्ट की धारा 40 में है, " The Board may itself collect information." बोर्ड स्वतः इस बात की सूचना इकट्ठी कर सकता है। यदि उसे इसका कोई कारण महसूस होता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। आगे क्या करेगा? "And if any question arises whether a particular property is waqf property or not or whether a [1]waqf is a Sunni [1]waqf or a Shia [1]waqf, it may, after making such inquiry as it may deem fit, decide the question." किसी संपत्ति पर हाथ रख दो, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वह संपत्ति वक्फ की है या नहीं है और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। अगला वाक्य क्या है? "The decision of the Board on a question under sub-section *(1)* shall, unless revoked or modified by the Tribunal, be final." अगर ट्रिब्यूनल ने उस निर्णय को बदला नहीं, तो वह डिसीजन फाइनल होगा। उसी एक्ट

का दूसरा हिस्सा है, "No appeal shall lie against any decision or order whether interim or otherwise, given or made by the Tribunal." ...(Interruptions)... ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई भी आदेश जो दिया गया होगा, उसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील नहीं होगी।...(**व्यवधान**)... एक अपार्टमेंट में कोई परिवार चला जाए, किराए पर मकान ले ले और अपार्टमेंट में ऐसी घटना हुई है। किराए पर मकान ले ले, अपने चार मित्रों को बुला लें और नमाज पढ़ लें, तो पांचवें दिन वह कह देगा कि हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, इसलिए यह 'wakf by user' है। अब इसे वक्फ घोषित कर दो और घोषित हो गई।...(**व्यवधान**)... महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है और वह खाली पड़ी है। अगर उसके बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है। अगर वह उस जमीन पर नमाज पढ़ ले, आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। पांच दिन, सात दिन नमाज पढ़ने के बाद वे लिख कर दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, इसलिए अब यह 'wakf by user' हो गई और अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उस घटना का उल्लेख कर रहे थे।...(**व्यवधान**)... वे तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर रहे थे।...(**व्यवधान**)... तमिलनाडु में क्या हुआ? एक रामचंद्रन नाम का आदमी अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था। वह जमीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार के घर गया, ऑफिस में गया, तो पता चला कि वह जमीन उसके नाम पर ही नहीं है।...(**व्यवधान**)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, we want him to authenticate this. ...(Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदय, वह जमीन वक्फ को दे दी गई। जब हल्ला मचा, गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, तो पता चला कि उन दोनों गांवों की सारी की सारी जमीन वक्फ को दे दी गई।...(**व्यवधान**)... 1,500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। महोदय, यह होता है इन लोगों का 'wakf by user'. ...(Interruptions)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, he has to authenticate this. ...(Interruptions)... He has to authenticate this. ...(Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदय, इन्हें बैठाया जाए।...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं भी जेपीसी का मेंबर हूँ, ये भी जेसपीसी के मेंबर हैं।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदय, ये इस बात के गवाह हैं। लगातार जेपीसी में जितने भी विटनेस आते रहे, इनके बड़े-बड़े धार्मिक मतावलंबी आते रहे, मैं उनसे कुरान को क्वोट करके कहता रहा, मैं कुरान पढ़ता हूँ, किसी धर्म को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, मैंने कुरान को क्वोट करके कहा कि मौलवी साहब, यह तो बताइए कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की,

तो क्या आप उसको 'wakf by user' मालिकाना मान लोगे? मेरे एक भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इन लोगों ने क्या किया? क्या यह आपको मालूम है?

(2यू/डीएस पर जारी)

DS-HK/2.35/2U

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (क्रमागत) : ओवैसी साहब, जो वहां बैठते हैं, उन्होंने मेरा नाम रख दिया - मौलाना डा. राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं, मैंने इनसे कहा कि जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी आयतों में लिखा है - चार आयतें हैं, आप चाहेंगे तो मैं पेश करूंगा। ऐसी चार आयतें हैं, जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि अगर एक भी पैसा किसी को दो, तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो, तो लिखित दो। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं, जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है! मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने उस कमेटी का उल्लेख कर दिया, इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज़ कर रहा हूँ। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब, ये लोग नहीं दे पाए। ये केवल मुझसे कहते थे, कुरान पढ़ते हैं, मौलाना हैं, कुरान पढ़ते हैं, मौलाना हैं। कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो न, मैं पढ़ूँ और बताऊँ कि कुरान में क्या लिखा है? मार हो

जाएगी, मार! ये हिंदू की भलमनसाहत है, जो कुरान पढ़कर तुम्हें बताता नहीं है। ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, दूसरी चीज़, सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्फ को अभयदान दे दिया और क्या नारा दिया? जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। इन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक काम किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी हैं। तेलंगाना में 50% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी हैं। महोदय, इनको पूरा अभयदान मिला था और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा कि 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 तक 6 लाख एकड़ से बढ़कर 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। महोदय, इन्हें बताना तो पड़ेगा कि आखिर ये 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने कहां से पाई है। ...(**समय की घंटी**)... इन्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। महोदय, कांग्रेस के पहले वक्ता ने जितने समय तक बोला है, मैं भी उतना ही समय तक बोलने वाला हूँ, यह मेरा अधिकार है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. ...(Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इन्होंने चर्चा की। ये कर्णाटक के हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदय, मेरे पास यह रिपोर्ट है। यहां बोलने के पहले मैंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट किया है, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के पास इसको लिखकर भेजा है। ये सांसद महोदय कर्णाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। ...(**व्यवधान**)... एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। ...(**व्यवधान**)... यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है। जब यह जेपीसी में प्रस्तुत हुई है, तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं यह रिपोर्ट पढ़ूँगा, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्णाटक के अंदर किन-किन नेताओं ने वक्फ की कितनी-कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। ...(**व्यवधान**)... मैं उनके नाम पढ़ता हूँ - कमरुल इस्लाम, फॉरेन मिनिस्टर; सूर्यवंशी, एक्स एमपी; सी.एम. इब्राहिम, एक्स यूनियन मिनिस्टर; रहमान खान, एक्स यूनियन मिनिस्टर; अब्दुल्ला शरीफ, वक्फ बोर्ड ऑफिशियल; एन.ए. हैरिस, एमएलए; एम.ए. खालिद, एक्स सीओ; मुमताज अहमद खान, चेयरमैन; मोहम्मद सनुल्लाह, आईएएस; मिस्टर सिंदूश गिरी, फार्मर मिनिस्टर; एम.एफ. पासा, आईपीएस...

(2डब्ल्यू/एमजैड पर जारी)

KSK/MZ/2.40/2W

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (क्रमागत) : खनीज़ फातिमा (MLA), C.K. Jaffer Sharief (Foreign Minister). ...(*Interruptions*)... उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक नाम इस सदन की मर्यादा में ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. Otherwise, we will have to take it from the Party's time. ...(*Interruptions*)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : सर, मैं conclude कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): You have to conclude.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, can he prove this?

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : सर, मैं इस सदन की मर्यादा की वजह से एक नाम लेने से इन्कार करता हूं, क्योंकि वे इस समय सदन में नहीं हैं। उनका नाम क्या है, यह वे लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। महोदय, मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था और मरते हुए सैनिक से एक कवि ने पूछा-

"हे वीर बंधु, दु:खदाई यह कौन विपद का?
हम दोषी किसको ठहराएँ, तुम्हारे वध का?..."

मरते हुए सैनिक ने कहा-

"यह गहन प्रश्न, कैसे रहस्य समझाएं,
10-20 बधिक हों, तो हम नाम गिनाएं?..."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Is your Party allotting the time for you? ...(*Interruptions*)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल :

"हर कदम-कदम पर खड़ा, यहाँ पातक है?"
हर तरफ लगाए घात, बड़ा घातक है!
देवता-सदस्य दिखता है, पर कमरे में वह गलत हुक्म लिखता है,
जिस पापी को गुण नहीं, गोत्र प्यारा है..."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please conclude. ...(*Interruptions*)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल :

"समझो उसी ने ही हमें आज मारा है।
जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश चुप रहता है,
ऐसे कुटिल राजतंत्री को धिक्कार है
वह मूक सत्य अंतः कम नहीं, बधिक है
चोरों के हितु, ठगों के जो बल हैं,
जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं।
जो छल-प्रपंच को प्रश्रय देता है,
या चाटुकारजन की सेवा लेता है।
यह पाप उन्हीं का, हमको मार गया,
भारत अपने ही घर में हार गया है।"

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Now, I call upon the next speaker. Shri Mohammed Nadimul Haque.

SHRI PRAMOD TIWARI: Mr. Vice-Chairman, Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please tell the rule.

SHRI PRAMOD TIWARI: It is Rule 238(A). मैंने बहुत ही विनम्रता से इंतजार किया और सदन में जो एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है, यह शांतिपूर्वक चले। इस पर मैं सिर्फ एक बात आपको 238(A) के तहत कहना चाहता हूं। कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ, सदस्य के विरुद्ध मानहानिक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगाएगा, जब तक कि आरोप लगाने वाले सदस्य ने सभापति और संबंधित को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी हो, ताकि मंत्री को दिए जाने के प्रयोजन के विषय की जांच कर सकें। मान्यवर, परंतु सभापति किसी समय सदस्य को कोई ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा या आपकी राय में आए, ऐसा आरोप राज्यसभा की गरिमा को घटाने वाला हो, इस आरोप को लगाने का कोई औचित्य नहीं होता। ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे फैसला नहीं चाहता हूं। मैं उनसे फैसला चाहता हूं। मान्यवर, एक मंत्री का यह आचरण है। मान्यवर, इन्होंने श्री नासिर हुसैन पर जो आरोप लगाया है, उनको कोई सूचना नहीं दी गई, मंत्री जी को कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा सिर्फ यह आग्रह है कि चर्चा शांतिपूर्वक चले, इसलिए ऐसा कोई आरोप न लगाया जाए,

जिससे राज्य सभा की गरिमा गिरे और यह जो आरोप लगाया गया है, इससे राज्यसभा की गरिमा गिरती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): One minute, the hon. Minister.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : मान्यवर, माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि जब यह जीते, तब पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे। इसमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए। मगर नारे क्या लगे! पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे, यह नासिर हुसैन जी को बताना चाहिए।

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Mr. Vice-Chairman, Sir...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We will review his speech.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, my name has been taken. I want to clarify. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We will review his speech.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: He has taken my name. ...(*Interruptions*)... I want to clarify. The incident...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): One minute; I will clarify. He has already submitted his authentication to the Chair. ...(*Interruptions*)...

(Followed by 2X – GSP)

GSP-DN/2.45/2X

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, my name has been taken. ...(*Interruptions*)... Sir, my name has been taken.

THE VICE-CHAIRMAN (**SHRI P. WILSON**): That is what.. ...(*Interruptions*)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: When that incident happened, none of the people who were present, except for one journalist -- and I do not know from where he came -- heard this. Nobody else heard this. ...(*Interruptions*)... Even then, on air, I told my Government, I requested my Government, that if somebody has done that, he has to be arrested and tried according to the law of the land. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (**SHRI P. WILSON**): Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... I will call upon the next speaker, Mohamed Nadimul Haque, to speak in Urdu. You have 25 minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (**SHRI P. WILSON**): Under which rule?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Rule 241. Kindly look at Rule 241. It is regarding 'personal explanation'. A Member has the right to give personal

explanation when his name is mentioned, he has been named by some other Member. ...(*Interruptions*)... Kindly go through the rule. वे बोलते हैं कि expunge करेंगे, कैसे expunge करेंगे? How can he expunge? ...(*Interruptions*)... It cannot be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): His speech will be reviewed. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: No, no. It is regarding personal explanation. If someone says something against me, then, I have a right under Rule 24 to give personal explanation. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): He has spoken with the permission of the Chair. We will review his speech. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I am in the dark. I was not in the know of... ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We will review his speech. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: You cannot encroach upon the right of a Member. Rule has given us the authority. ...(*Interruptions*)... No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We will review his speech. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: No, Sir. My right cannot be encroached upon.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): You can take assurance from the Chair. We will review his speech.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: It is not fair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Next speaker is Mohamed Nadimul Haque to speak in Urdu. ...(*Interruptions*)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Give me 30 seconds. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): I have already said that we will review his speech. ... ...(*Interruptions*)... Next speaker is Mohamed Nadimul Haque. ...(*Interruptions*)... Mr. Nadimul Haque, please start your speech. ...(*Interruptions*)... I have already answered. We will review his speech. ...(*Interruptions*)... Now, I call upon the next speaker. ...(*Interruptions*)... I call upon the next speaker.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Under which rule? ...(*Interruptions*)... Which rule you are referring to? Please tell the rule.

SHRI TIRUCHI SIVA: Rule 241. It has been already mentioned. He has got every right to give personal explanation. ...(*Interruptions*)... His name has been taken. Give him the floor. ...(*Interruptions*)... Give him the floor.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): I have already said that his speech will be reviewed. ...(*Interruptions*)... Now, I call upon the next speaker, Mohamed Nadimul Haque. Mr. Haque, please go on.

SHRI MOHAMED NADIMUL HAQUE : Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. यह जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने। ...(व्यवधान)...

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, when personal allegations are made against a Member, the Chair should give him a chance to clarify. Give him just 30 seconds.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): I will do that after the hon. Member's speech concludes. I will give him time to clarify. ...(*Interruptions*)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You should give him time now. Give him just 30 seconds.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Give me just 30 seconds.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, after the hon. Home Minister spoke and said, hon. Member could give an explanation, the Chair gave him the chance and the hon. Member spoke about it. I have heard it. Many of us heard it, post which you have called hon. Member, Mohamed Nadimul Haque to speak.

(Contd. by SK/2Y)

SK-LP/2.50/2Y

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN (contd.): Then, Shri Sukhendu Sekhar Ray, the hon. Member from TMC, asked the same point. But, after the Home Minister spoke, the Chair gave him permission. He stood and spoke. He even went to the extent *..(Interruptions)..* I recall what he said. *..(Interruptions)..* I recall what he said. If he has not said it, let him correct me. *..(Interruptions)..* He said, "None of us was present in the House. There was one journalist." *..(Interruptions)..* All this was said after the permission was given. *..(Interruptions)..* How many times, for one

reference, will he have to be given the chance to speak? He was given the chance. He spoke? We all heard it. Matter closed. ..*(Interruptions)*.. Then you called up Shri Sukhendu Sekhar Ray. How many times, Sir? And if Shri Nadimul Haque doesn't want to speak, call the next speaker. He is not getting up. Let somebody else speak. He did not get up. The Chair called three times. Speak. ..*(Interruptions)*.. Let him speak. Let him speak. ..*(Interruptions)*.. When the Chair called, he did not get up. When the Chair called, he did not get up. Stop banging the chair. Stop banging the table, Derek. ..*(Interruptions)*..

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the Chair called him three times and the hon. Member did not get up. ..*(Interruptions)*.. Please check the record. I want to say, please check the record. The Chair called him three times.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. ..*(Interruptions)*..

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: He did not even get up. The Chair called him three times. He did not even get up. Then, move to the next

speaker. ..*(Interruptions)*.. What is this? He wants to speak three times. You want to be called three times. Is this some order? ..*(Interruptions)*..

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, if hon. Member, Shri Haque, wants to speak, since he was called, since the Chair gave him permission, let him speak. ..*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. कृपया आप सभी लोग बैठ जाइए। The Chair is on its legs.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: If he does not speak, how many times will he have to go back to that person?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. ..*(Interruptions)*.. देवेगौड़ा जी खड़े हैं, मैं एक सूचना के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI H. D. DEVEGOWDA : Sir, to speak on this Bill, I am only waiting for the Chairman to come because yesterday he made an announcement that ten minutes have been allotted for the former Prime Ministers. There should not be any disturbance. For the first time, after 17 years... I don't want to

quote what has happened in the other House. It is not proper to mention anything about what has happened in the other House. I know something but I don't want to speak about that. For 17 years, only one or two minutes have been given to me because I have been the only Member from my Party. I suffered. I was humiliated. Now, yesterday, the Chairman has given at least ten minutes to speak. I am waiting. When the Chairman comes, I will speak on this Bill. There is no need of any hesitation. I am going to stand by what the Parliamentary Affairs Minister spoke yesterday. I heard your speech up to one o'clock. I know what has happened. I am going to speak. There is nothing to fear about. I am a person who fought for the cause of the Muslims. NDA was there. But, today, what my stand is, I am going to make it clear to the country. There is no hesitation. I will speak. Wait, Madam. Please. There is no doubt about it. I am waiting for the Chairman to come. That is how I am going to speak.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सुनिए, ...(**व्यवधान**)... Please listen to me. आप पहले मुझे सुनिए। आपके समय में पूर्व चेयरमैन ने जो व्यवस्था दी, उस पर आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, इसके बाद श्री मोहम्मद नदीमुल हक अपनी बात जारी रखेंगे। (PRB/2Z पर आगे)

---

*Pp.117 onwards will be issued as supplement.

THE WAQF (AMENDMENT) BILL, 2025

AND

THE MUSSALMAN WAKF (REPEAL) BILL, 2025 - (CONTD.)

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. ये जब्र भी देखा है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : बाद में दूंगा। ...(**व्यवधान**)... Please sit down.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक : सर, ...(**व्यवधान**)...

"ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक : मोहतरम चेयरमैन साहब, आज मैं जिस बिल पर गुफ्तगू के लिए खड़ा हुआ हूं, यह सिर्फ कोई कानूनी मसौदा नहीं है, बल्कि यह हमारे मुल्क की तामीर, हमारे कांस्टीट्यूशन की रूह और एक निहायती पुरानी रिवायत से जुड़ा हुआ मुस्तकबिल का मामला है। मैं आज इस ऐवान के सामने एक ऐसे फिकरमंद हिंदुस्तानी की हैसियत से खड़ा हूं, जिसे अपनी मां जैसी सरज़मीन के हर शहरी से मोहब्बत है और जिसके दिल में यह सवाल है कि क्या हम उन रिवायतों को भुला सकते हैं, जिन्होंने हमें एक देश, एक कौम बनाया है। ...(**व्यवधान**)... आज हम जिस वक्फ

तरमीमी बिल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, यह मामला सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंदुस्तान के समाजी तवाज़ुन और शहरी तहज़ीब से जुड़ा है। सर, जिस बिल को हुकूमत लाना चाहती है, वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हमारी बुनियादी बात यह है कि यह सिर्फ एक मज़हबी मसला नहीं, बल्कि एक कांस्टीट्यूशनल इश्यू भी है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि यह एक निहायत अहम और संगीन आईनी मसला भी है।

सर, मैं, श्रीमती मौसम नूर, श्री समीरुल इस्लाम और सुश्री दोला सेन यहां मौजूद हैं। हमारे सारे मेंबरान भी मौजूद हैं। हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारी दीदी ममता बनर्जी ने मुझे यह ज़िम्मेदारी दी है कि मैं यहां अपनी पार्टी की जानिब से कांस्टीट्यूशन का दफा करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात तवज्जह से सुनी जाएगी और किसी भी फैसले से पहले इन ज़रूरी बातों का ख्याल रखा जाएगा। सर, हमारे लिए कंस्टीट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमें रास्ता दिखाती है। यही फर्क है आज की सरकार और हमारे नजरिए में। यही वजह है कि हम भारत के आईन की हिफाज़त के लिए अपना आखिरी कतरा-ए-खून भी देने को तैयार हैं। सर, वक्फ तरमीमी बिल, 2025 में कई संगीन खामियां मौजूद हैं। इसमें कानूनी जाब्तों में खिलाफवर्जियां हैं, आईनी उसूलों की पामाली है और यह एक गैर मुनासिब कदम है। इस बिल में बहुत सारे गैर मंतिकी फैसले हैं। इसमें किसी भी तब्दीली की वाज़ेह तौज़ीह नहीं है और सबसे बढ़कर अकल्लियतों के हुकूक को पामाल करता है। यहां तक कि

यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है, एंटी फेडरल है और फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफवर्ज़ी करता है।

सर, मैं अपनी बात 10 पॉइंट में कहूंगा। पहला प्वाइंट उम्मीद - वक्फ दरअसल सदका-ए-जारिया है, यानी ऐसी खैरात, जो हमेशा के लिए हो, लेकिन यह बिल वक्फ की पहचान को कमजोर करता है और इस बात को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि वक्फ क्या है। यह हुकूमत इस फैसले के नतायज को समझने में नाकाम है। यह बिल वक्फ को उसकी तारीखी और मज़हबी हैसियत से महरूम कर देगा। सर, रिफॉर्म्स के नाम पर हमारी सदियों पुरानी दीनी व समाजी इदारों को नया नाम देना वक्फ की रूह के साथ एक भयानक मज़ाक है। मैं समझता हूं कि यह ऐवान, मतलब हाउस को खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा डायल्यूशन क्यों जरूरी है। यह करोड़ों मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहा है, जिनके लिए वक्फ ईमान, अकीदा और इज्तमाई फख्र की अलामत है। यह बिल वक्फ को हद से ज्यादा सरकारी कंट्रोल में लाकर हमारी सदियों पुरानी रिवायत और खिदमात के निज़ाम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अलमियाह यह है कि जिस बिल को उम्मीद का नाम दिया गया है, वह दर हकीकत लोगों के लिए मायूसी और बेचैनी लेकर आया है।

"हमको उनसे वफा की है उम्मीद,
जो नहीं जानते वफा क्या है" **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down.

श्री मोहम्मद नदीमुल हक : हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। सर, मैं दूसरे प्वाइंट पर आता हूं कि यहां पर इस बिल में यह शर्त रखी गई है कि कोई भी

शख्स 5 साल तक इस्लाम पर अमल करने के बाद ही कोई दुरुस्त वक्फ कायम कर सकता है। यह शर्त आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफवर्ज़ी है, जो हर फर्द को बगैर किसी गैर जरूरी मुदाखलत के मजहबी आजादी, अमल, तबलीग और इदारा चलाने का हक देता है।

(3A/AKG पर जारी)

AKG-VKK/3A/3.00

श्री मोहम्मद नदीमुल हक (क्रमागत) : हैरत की बात यह है कि पाबंदी सिर्फ मुसलमानों पर लागू होती है, जबकि हिंदू, सिख और ईसाई चैरिटीज़ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब 5 साल की शर्त लगाई गई है, तो इसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि यह मुसलमान 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है? प्रैक्टिसिंग का मायने क्या है, कि पाँच वक्त का नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, हज पर जाए, कि ज़कात दे। इसकी डेफिनिशन कहाँ से होगी, यह मुझे समझ में नहीं आया। जेपीसी में जब यह बात उठी, जिसका मैं भी मेम्बर था, तो जेपीसी ने अपने आखिरी रिकमेंडेशन में इसको और कह दिया कि न सिर्फ प्रैक्टिसिंग होना होगा, बल्कि उसको डिमोंस्ट्रेट भी करना होगा कि वह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। सर, क्या अब एक मुसलमान को किसी अथॉरिटी के पास जाकर रजिस्टर करना होगा, ताकि उसके मुसलमान होने का रिकॉर्ड रखा जाए? सर, यह मुकम्मल तौर पर unconstitutional है और आर्टिकल 14 की खुली खिलाफवर्ज़ी है, जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और बराबरी के दरम्यान इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता। मुसलसल जहर घोला जा रहा है, सरासर * बोला जा रहा है। तराजू है तवाज़ुन में नहीं जब,

---

*Expunged as ordered by the Chair.

جناب ندیم الحق (مغربی بنگال) : سر، ---(مداخلت)---

یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے
لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی

دی وائس چئیرمین (جناب گھنشیام تیواری): پلیز، سِٹ ڈاؤں۔

جناب ندیم الحق : محترم چیئرمین صاحب آج میں جس بل پر گفتگو کے لیے کھڑا ہوا ہوں یہ صرف کوئی قانونی مسودہ نہیں ہے۔بلکہ یہ ہمارے ملک کی تعمیر ہمارے کنسٹیٹیوشن کی روح اور ایک نہایت پرانی روایت سے جڑا ہوا ہے مستقبل کا معاملہ ہے میں اج اس ایوان کے سامنے ایک ایسے فکر مند ہندوستانی کی حیثیت سے کھڑا ہوں جسے اپنی ماں جیسی سرزمین کے ہر شہری سے محبت ہے اور جس کے دل میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم ان روایتوں کو بھلا سکتے ہیں،جنہوں نے ہمیں ایک دیش، ایک قوم بنایا ہے۔ مداخلت---اج ہم جس وقت ترمیمی بل پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ معاملہ صرف مسلمانوں سے وابستہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے ہندوستان کے سماجی توازن اور شہری تہذیب سے جڑا ہے سر جس بالکل حکومت لانا چاہتی ہے وہ ہمارے فنڈامینٹل رائٹ کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں۔ بلکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو بھی ہے۔میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ ایک نہایت اہم اور سنگین ائینی مسئلہ بھی ہے۔

سر، میں، شریمتی موسم نور، شری سمیر الاسلام اور سوشری ڈولا سین یہاں موجود ہیں۔ ہماری پارٹی ال انڈیا ترینمول کانگرس اور ہماری دیدی ممتا

بنرجی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں یہاں اپنی پارٹی کی جانب سے کونسٹیٹیوشن کا دفاع کروں۔میں امید کرتا ہوں کہ میری بات توجہ سے سنی جائے گی اور کسی بھی فیصلے سے پہلے ان ضروری باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ سر، سر ہمارے لیے کونسٹیٹیوشن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔یہی فرق ہے اج کی سرکار اور ہمارے نظریے میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھارت کے ائین کی حفاظت کے لیے اپنا آخری قطرہ خون بھی دینے کو تیار ہیں۔ سر ترمیمی بل 2025 میں کئی سنگین خامیاں موجود ہیں۔ اس میں قانونی ضابطوں میں خلاف ورزیاں ہیں ائینی اصولوں کی پامالی ہے اور یہ ایک غیر مناسب قدم ہے۔ اس بل میں بہت سارے غیر منطقی فیصلے ہیں۔ اس میں کسی بھی تبدیلی کی واضح توضیح نہیں ہے۔اور سب سے بڑھ کر اقلیتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بیسک اسٹرکچر اف کونسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اینٹی فیڈرل ہے اور فنڈامینٹل رائٹس کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔

سر میں اپنی بات 10 پوائنٹ میں کہوں گا۔ پہلا پوائنٹ امید، وقف دراصل صدقہ جاریہ ہے یعنی ایسی خیرات جو ہمیشہ کے لیے ہو لیکن یہ بل وقف کی پہچان کو کمزور کرتا ہے اور اس بات کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وقت کیا ہے۔ یہ حکومت اس فیصلے کے نتائج کو سمجھنے میں ناکام ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ بل وقف کو اس کی تاریخی اور مذہبی حیثیت سے محروم کر دے گا۔ سر، ری فورم کے نام پر ہماری صدیوں پرانی دھیمی و سماجی اداروں کو

نیا نام دینا وقف کی روح کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوان مطلب ہاؤس کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا ڈالیوشن کیوں ضروری ہے یہ کروڑوں مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے، جن کے لیے وقف ایمان، عقیدہ اور اجتماعی فخر کی علامت ہے۔ یہ بل وقف کو حد سے زیادہ سرکاری کنٹرول میں لا کر ہماری صدیوں پرانی روایت اور خدمات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے المیہ یہ ہے کہ جس بل کو امید کا نام دیا گیا ہے وہ درحقیقت لوگوں کے لیے مایوسی اور بے چینی لے کر ایا ہے۔

ہم کو ان سے وفا کی ہے امید

جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

دی وائس چئیرمین (جناب گھنشیام تیواری): پلیز، سِٹ ڈاؤں۔

جناب ندیم الحق : سر میں دوسرے پوائنٹ پر اتا ہوں کہ یہاں پر اس بل میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص پانچ سال تک اسلام پر عمل کرنے کے بعد ہی کوئی درست وقف قائم کرتے سکتا ہے۔ یہ شرط ارٹیکل 25 اور 26 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو ہر فرد کو بغیر کسی غیر ضروری مداخلت کے مذہبی ازادی، عمل، تبلیغ اور ادارہ چلانے کا حق دیتا ہے۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ پابندی صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہے جبکہ ہندو سکھ اور عیسائی چیریٹریز پر ایسی کوئی شرط نہیں ہے .سر ,میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پانچ سال کی شرط لگائی گئی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ

کون□ے گا کہ یہ مسلمان پا□چ سال تک پریکٹسنگ مسلمان ہے کہ□ہیں ہے؟ پریکٹسنگ کے معنی کیا ہیں ,کہ پا□چ وقت کی□ما□ پڑھے، رو□ہ رکھے، حج پر جائے، □کوۃ□ے۔ اس کی ڈیفینیشن کہاں سے ہوگی یہ مجھے سمجھ میں□ہیں ایا جے پی سی میں جب یہ بات اٹھی جس کا میں بھی ممبر تھا تو جے پی سی□ے اپنی آخری ریکمنڈیشن میں اس کو اور کہہ□یا کہ□ہ صرف پریکٹسنگ ہو□ا ہوگا بلکہ اس کو ڈیموسٹریٹ بھی کر□ا ہوگا کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے۔ سر، کیا ا□ ایک مسلمان کو کسی اتھارٹی کے پاس جا کر رجسٹر کر□ا ہوگا تاکہ اس کے مسلمان ہو□ے کا ریکارڈ رکھا جائے؟ سر یہ مکمل طور پر ان کو□ستیٹیوشنل ہے اور ارٹیکل 14 کی کھلی خلاف ور□ی ہے جو کہتا ہے کہ قا□ون کے سامنے سب برابر ہیں اور برابری کے□رمیان امتیا□□ہیں کیا جا سکتا مسلسل ذہر گھولا جا رہا ہے سراسر * بولا جا رہا ہے تر□و ہے تو□ن میں□ہیں جب---

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : * शब्द निकाल दीजिए।

श्री मोहम्मद नदीमुल हक : सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : * शब्द निकल गया।

श्री मोहम्मद नदीमुल हक : अच्छा, ठीक है, सर। मुसलसल जहर घोला जा रहा है, सरासर असत्य बोला जा रहा है। तराजू है तवाज़ुन में नहीं जब, बराबर कैसे तोला जा रहा है।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

सर, मैं तीसरे पॉइंट, oral waqf और waqf by user पर आता हूँ। इस बिल के तहत यह लाज़मी करार दिया गया है कि हर वक्फ के लिए तहरीरी दस्तावेज़, यानी फॉर्मल डॉक्युमेंटेशन होना ज़रूरी है। यह शर्त सदियों से राय ज़ुबानी वक्फ और वक्फ बा इस्तेमाल के उसूलों को मुकम्मल तौर पर खारिज कर देती है। मुस्लिम फिक ने हमेशा इस बात को तस्लीम किया है कि जुबानी ऐलान से भी वक्फ कायम हो सकता है और ऐसी जमीनें, जो आवामी तौर पर मसाजिद, कब्रिस्तान या मदरसे के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, वे भी वक्फ के दायरे में आ जाती हैं। इस हकीकत को नज़रअंदाज़ करके यह कानून हज़ारों ऐसे मौजूदा औकाफ को खत्म कर देगा, जिनके पास कागज़ी सबूत मौजूद नहीं हैं। इस तब्दीली से न सिर्फ तनाज़ोआत पैदा होंगे, बल्कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी का नुकसान भी रातोंरात हो सकता है। ऐसी तारीखी मस्जिद, कब्रिस्तान और तालीमी इदारे, जो शायद कभी सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुए, मगर नस्लों से आवाम की खिदमत कर रहे थे, अब वे अपनी कानूनी हैसियत से महरूम हो जाएँगे। यह और कुछ नहीं, बल्कि एक cultural vandalism है।

सर, मैं अपने चौथे पॉइंट पर आ रहा हूँ कि इस बिल में वक्फ-अलल-औलाद को इस तरह पेश किया गया है, जैसे यह सिर्फ एक विरासती चाल हो, जबकि हकीकत यह है कि यह एक नाकाबिले वापसी और नेक नीयती पर मबनी **इयत्ता** होता है, जो शरीयत के उसूलों के तहत वाकिफ को यह हक देता है कि वह अपने beneficiary का इंतखाब खुद करे। मेरे हिसाब से यह मुदाखलत unnecessary है।

सर, मैं अपने पाँचवें पॉइंट पर आता हूँ - डिजिटल निज़ाम और वामसी पोर्टल। इस बिल में वक्फ इमलाक को डिजिटाइज करने के लिए वामसी पोर्टल के इस्तेमाल की बात की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि रजिस्ट्रेशन में ताखीर, पोर्टल हमेशा क्रैश होता रहता है और दीगर तकनीकी मुश्किलात आम मसला है। सर, अब यह सवाल है कि हम अपनी मजहबी जायदादों के मुस्तकबिल को इस नाकिस निजाम पर कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ वही वक्फ तस्लीम किया जाएगा, जो 6 महीने में रजिस्टर्ड हो जाए? जो नहीं हो सकेगा, तो उसका क्या हाल होगा? क्या वह हमेशा के लिए गैरकानूनी हो जाएगा? सर, मंत्री जी बैठे हैं, जब ये जवाब देंगे, अगर इस पर थोड़ा वाजा कर दें, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार होऊँगा।

सर, मैं छठे पॉइंट, वक्फ बोर्ड और हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कंपोजिशन पर आ रहा हूँ। इस बिल का मकसद मरकज़ी वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम करना है। सर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 12 और स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में से 7 अराकीन अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं। जो CEO होता है, वह भी गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि उसको वक्फ के लॉ से या वक्फ का जो jurisprudence है, उससे उसको वाकिफ होना जरूरी है। इसके अलावा, कई ओहदों से मुसलमान लाज़मी होने की शर्त भी हटा दी गई है। यह एक

वाज़ेह कोशिश है कि मुसलमानों का अपनी ही मज़हबी इमलाक पर अख्तियार कम किया जाए और इंतजामी अख्तियार को सेंट्रल कंट्रोल के मातहत लाया जाए।

(3बी/पीएसवी पर जारी)

BHS-PSV/3B/3.05

श्री मोहम्मद नदीमुल हक (क्रमागत): सर, दिलचस्प बात यह है कि जब यह बिल लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें ड्राफ्टिंग की एक बड़ी गलती रह गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि "Any member, who is a non-muslim, will be disqualified." यानी हुकूमत ने बिल पेश करने से पहले अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। यह गलती हम लोगों ने जेपीसी में जा करके पकड़ा। इसलिए जरूरी है कि ऐसे बिल्स को पार्लियामेंटरी कमेटियों में भेजा जाए, ताकि उनकी ठीक से स्कूटनी की जाए। आप सब जानते हैं कि पहले 10 में से 7 बिल्स स्कूटनी में जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 बिल्स ही जाते हैं।

सर, इस बिल में खवातीन की नुमाइंदगी का ज़िक्र किया गया है, मगर हकीकत यह है कि खवातीन पहले से ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेंबर हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी मेंबर हैं। कहा जा रहा है कि उनके लिए यहां पर प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन यहां पर मेरे पास यह एक्ट की किताब है और इसमें 4 फरवरी, 2009 में जो कंपोजिशन है, उसमें मैं तीन नाम पढ़ रहा हूं - जम्मू से डा. दरख्शां अंद्राबी, कोलकाता से डा. मिसेज़ सैयद तस्वीर नसरीन और तमिलनाडु से श्रीमती मुनव्वरी बेगम। यानी

यह बात तो पहले से है। ये महिलाएँ तो पहले से ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर्स हैं, फिर आप ऐसा बोल कर के कि यह बात है, हम लोगों को, क्या रिजर्वेशन दे रहे हैं? वह तो हमारी पार्टी देती है। हमारी पार्टी के पास 39 परसेंट women MPs हैं। 14 परसेंट दे करके इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं।

सर, इस बिल में यह भी चेंज किया गया कि जो इलेक्टेड बॉडी थी और बहुत सारे लोग इलेक्ट होकर आते थे, अब सिर्फ नॉमिनेट होकर आएंगे, अपॉइंट होकर आएंगे। तो यह आर्टिकल 26 की खिलाफवर्ज़ी है, जो हर मज़हबी ग्रुप को अपने मज़हबी मामलात खुद चलाने का बुनियादी हक देता है। सर, यह क्लॉज़ मुकम्मल तौर पर unconstitutional है। इस बिल में बोहरा और आगाखानी कम्युनिटी को भी शामिल करने की बात की गई है। जेपीसी में बोहरा लोगों ने आकर के अपना डिपोजिशन दिया था और उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हम लोग इस एक्ट के तहत कहीं भी नहीं रहना चाहते हैं, हमारा अपना निज़ाम है। अब आप ज़बरदस्ती उनको ला करके मेम्बर बना रहे हैं, जो खुद मेंबर नहीं बनना चाहते हैं।

सर, अब मैं अपने सातवें पॉइंट पर आता हूं - लिमिटेशन एक्ट पर। यह बिल लिमिटेशन एक्ट, 1963 को वक्फ इमलाक पर लागू करता है और मौजूदा कानून क्लॉज़ 107 को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है, जो अब तक वक्फ को इस एक्ट से एक्जेम्प्ट करार देती थी। क्लॉज़ 107 को हटाकर Constitution के आर्टिकल 14, 15 और 26 की सरी खिलाफवर्ज़ी है। लिमिटेशन एक्ट एक आम कानून है और इसे वक्फ

जैसे मखसूस मज़हबी कानून पर लागू करने से, इंक्रोचर्स वक्फ के जमीनों पर एडवर्स पोजीशन के जरिए मिल्कियत का दावा कर सकेंगे। यह कानून वक्फ के दायमी तस्सवुर, यानी हमेशा के लिए दीनी और फलाही मकसद से वक्फ की गई जायदादों की बुनियादी नजरिए को तोड़ता है। मज़ीद तशवीस की बात है कि वक्फ इमलाक, जैसे कि मसाजिद, कब्रिस्तान, मदारिस वगैरह अब तक रियासती हुकूमत के दायरा-ए-अख्तियार में थे, लेकिन यह बिल उन्हें मरकज़ी हुकूमत के मातहत लाने की कोशिश करता है। यानी स्टेट वक्फ बोर्ड को बाईपास किया जा रहा है। यह एक एंटी-फेडरल कदम है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है।

सर, इस बिल में क्लॉज़ 108ए भी शामिल किया गया है, जो सेंटर को यह अख्तियार देता है कि वह ज़मीन से ताल्लुक रखने वाले कानून बना सके। हम सबको मालूम है कि Land is a State subject. यह स्टेट के दायरे में ही क्यों न हो, यह बिल मजहबी, समाजी और माअशरी बहबूद, माने वेलफेयर को मुतास्सिर कर सकता है और वक्फ इमलाक को गैर-कानूनी कब्जों के लिए खुला छोड़ देगा, क्योंकि इसमें कोई लीगल सेफगार्ड नहीं रखा गया है। इसमें पहले दो साल की सज़ा थी, उसको कम करके 6 महीना कर दिया गया, जो encroachers के लिए है और जो offence cognizable और non-bailable था, अब उसको bailable कर दिया गया है।

सर, अब मैं अपने अगले पॉइंट पर, 8वें पॉइंट पर आता हूं - Centralization of power in the hands of Government officials. इस बिल का शायद सबसे खतरनाक

पहलू यह है कि यह तमाम अख्तियारात सरकारी अफसरों को देता है और अदालतों, कम्युनिटी इदारों और वक्फ बोर्ड को टूथलेस कर देता है। जेपीसी रिपोर्ट के बाद अब बिल में यह क्लॉज़ शामिल किया गया है कि एक नामज़द अफसर, जिसका जिला कलेक्टर से ऊपर का दर्जा होगा, वह यह फैसला करेगा कि कोई जायदाद वक्फ है या नहीं। (3सी/वीएनके पर जारी)

VNK-RL/3C/3.10

श्री मोहम्मद नदीमुल हक (क्रमागत) : यानी किसी जायदाद की मज़हबी या कानूनी हैसियत सिर्फ एक अफसर की सवाबदीद, यानी discretion पर तय हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या यह अफसर उसूलों से वाकिफ होगा? क्या उस रिवायत की रूह का इल्म उसके पास होगा? This is against the Principle of Natural Justice that no one can be a judge in his or her own cause. यह आर्टिकल 25 और 26 की खुली ख़िलाफ़वर्ज़ी है।

सर, मैं अपने ninth point, यानी Tribunals पर आता हूँ। Tribunals के फैसले फाइनल होते थे। अब वह finality खत्म हो गई, इसलिए यह unnecessary Amendment है। अब जितने legal disputes हैं, उनको यह और लंबा करेगा। कोर्ट पर पहले से जो बोझ है, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर बोझ है, यह उसको और बढ़ाएगा। मगर ये तरमीम दीगर मज़हबी कानून के मुताज़ाद है, क्योंकि दूसरे मजहब के चैरिटीज़ में ट्रिब्यूनल के फैसले को हत्मी तस्लीम किया जाता है, यानी दूसरे जितने

भी ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके फैसले हत्मी तस्लीम किए जाते हैं, सिर्फ इसी को फाइनल नहीं किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वक्फ के मामले में यह अलग मेयार क्यों? सर, यह एक discriminatory move है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरासर direct attack on federalism है। यह बिल सिर्फ वक्फ का मामला नहीं, बल्कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर एक सरासर खतरनाक हमला है। यूनियन गवर्नमेंट पूरे मुल्क में वक्फ के मु'आमलात को बराहेशस्त कंट्रोल करके रियासतों के दायरे अख्तियार को नजरअंदाज कर रही है। यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी। आज वक्फ निशाने पर है, कल मंदिर की जमीन, चर्च की जमीन या गुरुद्वारे की जमीन भी निशाने पर आएगी। यह बिल centralization of power करके हमारे यूनियन की बुनियाद को हिला रहा है। जिसकी रूह डिवीजन ऑफ पावर में है, न कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में। मैं इस अवाम के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि वे इस बिल की मुखालफत सिर्फ मज़हबी आईनी बुनियाद पर ही नहीं, बल्कि federal principles की बुनियाद पर भी करें।

सर, मैं यहाँ केरल के मुनम्बम इलाके का भी जिक्र करना चाहता हूँ, जहाँ 700 से ज़ायद खानदान बरसों से आबाद हैं। मैं इस ऐवान में ममता बनर्जी की पार्टी का रुक्न होने की हैसियत से खड़ा हूँ और यह बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि एक भी खानदान बेदखल नहीं होगा, no one will be evicted. Sir, please इस मुकामी

मामले को वक्फ बिल से न जोड़ा जाए, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग इश्यूज़ हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : क्या यह जगह बंगाल में है?

श्री मोहम्मद नदीमुल हक : सर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सारी कमेटियों के recommendations के आधार पर यह बिल लेकर आए हैं, जबकि वे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ अलग-अलग हैं। अगर आपको रिफॉर्म करना ही है, तो इन कमेटियों के तीन recommendations को आप मान लीजिए। पहला, मुसलमानों में तालीम के फरोग के लिए एक National Education Board का क्याम - आप इसको तो मानिए। दूसरा, इन्हीं कमेटीज़ ने recommend किया था कि वे वक्फ जायदाद, जिन पर सरकारी एजेंसियाँ काबिज़ हैं, उन्हें वापस वक्फ बोर्ड को दिया जाए। लास्ट रिकमेंडेशन, Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 के तहत वक्फ को लाया जाए। सर, मैं हैरान हूँ कि इस बिल में इन सब recommendations का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। बल्कि 2014 का वक्फ का Anti-Encroachment Act राज्य सभा में लाइव था, उसको अभी-अभी यह बिल पेश करने से पहले उन्होंने विद्ड्रा कर लिया है। सर, अगर आज वक्फ निशाने पर है, तो याद रखिए कल किसी पर भी यानी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे पर भी यही कानून लागू किया जा सकता है। इसलिए आइए, हम खुल कर बात करें, वक्फ कोई आम इदारा नहीं, बल्कि यह एक रूहानी विरासत है,

एक ईमानी अमानत है, जिसकी जवाबदेही मुकद्दस फर्ज़ है और जिनसे आज ख़यानत हो रही है।

सर, मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि इस बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया जाए। अगर इस्लाह करना है, रिफॉर्म करना है, तो मिल्लत के एतमाद मशोरे और शराफत के साथ की जाए, न कि ज़बरदस्ती।

(3डी/डीएस पर जारी)

DC-DS/3D/3.15

श्री मोहम्मद नदीमुल हक (क्रमागत) : यह बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि हमारे secularism, हमारे Constitution और हमारी democracy का इम्तिहान भी है। यह मत भूलिए कि तारीख सब याद रखती है और यकीनन तारीख याद रखेगी कि हमने इस मौके पर इंसाफ का साथ दिया या खामोशी अख्तियार कर ली। सर, बुलडोज़र राज का हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन बुलडोज़र राज हमारे दिल से हिंदुस्तान की बू नहीं निकाल सकती। सर, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पुरखों की कब्रें यहां हैं, हमारी भी होंगी, हमारे बच्चों की भी होंगी।

"मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा।"

सर, इस मुल्क को divide करने की कोशिश की जा रही है। मैं आम तौर पर किसी शख्स को ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, लेकिन चूंकि वे बंगाल में अपोजिशन लीडर हैं, इसलिए उनका जुमला दोहराना चाहता हूँ। वे कहते हैं - 'जो हमारे साथ, हम उनके साथ। सबका साथ, सबका विकास बंद करो'। मैं रिपीट करता हूँ - 'जो हमारे साथ, हम उनके साथ। सबका साथ, सबका विकास बंद करो'। मैं मंत्री जी तथा अन्य सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उनका साथ देते हैं? कहाँ गया, आपका 'सबका साथ, सबका विकास'? मैं कहना चाहता हूँ कि लोक सभा में एक बिल पास करने के लिए 272 की पावर चाहिए । '400 पार' का नाम सुना था। 350-300-272 भी नहीं हुआ, वह केवल 240 रहा। वहाँ इस बिल को सबका साथ लेकर पास किया गया है, जो अभी यहाँ आया है। सर, मैं यह कह सकता हूँ कि बहुत बार यहां के लोग, मोदी जी और शाह जी ने बंगाल में जाकर रैलियां की हैं, मगर बंगाल ने उन्हें मुस्तरद कर दिया और 2026 में भी यही होगा, क्योंकि बंगाल unity in diversity की मिसाल है। सर, अब मैं बस चंद लाइनें कहकर अपनी स्पीच खत्म करता हूँ, मुझे मौका दीजिएगा।

جناب ندیم الحق : اچھا ٹھیک ہے سر, مسلسل زہر گھولا جا رہا ہے سراسر استئے بولا جا رہا ہے۔ے

ترازو ہے توازن میں نہیں جب،
برابر کیسے تولا جا رہا ہے۔

سر میں تیسرے پوائنٹ اورل وقف اور وقف بائی یوزر پر آتا ہوں۔ اس بل کے تحت یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہر وقف کے لیے تحریری دستاویز یعنی فارمل ڈاکیومنٹیشن ہونا ضروری ہے یہ شرط صدیوں سے رائے زبانی وقف اور وقف با استعمال کے اصولوں کو مکمل طور پر خارج کر دیتی ہے۔ مسلم فقہ نے ہمیشہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ زبانی اعلان سے بھی وقف و قائم ہو سکتا ہے اور ایسی زمینیں جو عوامی طور پر مساجد قبرستان یا مدرسے کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں وہ بھی وقف کے دائرے میں آجاتی ہیں۔ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے یہ قانون ہزاروں ایسے موجودہ اوقاف کو ختم کر دے گا، جن کے پاس کاغذی ثبوت موجود نہیں ہے اس تبدیلی سے نہ صرف تنازعات پیدا ہوں گے بلکہ کمیونٹی پراپرٹی کا نقصان بھی راتوں رات ہو سکتا ہے۔ ایسے تاریخی مساجد قبرستان اور تعلیمی ادارے جو شاید کبھی سرکاری طور پر رجسٹرڈ نہیں ہوئے مگر نسلوں سے عوام کی خدمت کر رہے تھے اب وہ اپنی قانونی حیثیت سے محروم ہو جائیں گے یہ اور کچھ نہیں بلکہ ایک کلچرل وینڈالزم ہے۔

سر میں اپنے چوتھے پوائنٹ پر آرہا ہوں کہ اس بل میں وقف علی الاولاد کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے یہ صرف ایک وراستی چال ہو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ناقابل واپسی اور یک طرفہ یتی پر مبنی عطیہ ہوتا ہے، جو شریعت کے اصولوں کے تحت واقف کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے بینیفیشری کا انتخاب خود کرے۔ میرے حساب سے یہ مداخلت غیر ضروری ہے۔

سر میں اپنے پانچویں پوائنٹ پر اتا ہوں۔ ڈیجیٹل ڈیٹا اور وامسی پورٹل اس بل میں وقف املاک کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے وامسی پورٹل کے استعمال کی بات کی

گئی ہے□یکن حقیقت یہ ہے کہ رجسٹریشن میں تاخیر، پورٹل ہمیشہ کر □ ہوتا رہتا ہے اور□یگر تکنیکی مشکلات اہم مسئلہ ہے۔ سر ا□ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی مذہبی جائید□وں کے مستقبل کو اس□اقص□ظ□ پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا اپ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف وہی وقف تسلیم کیا جائے گا، جو چھ مہینے میں رجسٹرڈ ہو جائے؟ جو□ہیں ہو سکے گا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ کیا وہ ہمیشہ کے□یے غیر قا□و□ی ہو جائے گا؟ سر منتری جی بیٹھے ہیں، جب یہ جوا□□یں گے، اگر اس پر تھوڑا واضح کر□یں تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔

سر میں چھٹے پوائنٹ بخت پور اور ہمارے سینٹرل وقف کو□سل کے کمپو□یشن پر آرہا ہوں اس بل کا مقصد مرکزی وقف کو□سل اور ریاستی وقف بورڈ میں مسلم□وں کی□مائندگی کم کر□ا ہے۔ سر سنٹرل وف کو□سل میں 22 میں سے 12 اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں 11 میں سے سات اراکین ا□ غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ جو سی ای او ہوتا ہے وہ بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے□یکن یہ ضروری ہے کہ اس کو وقف کے لاء سے یا وقف کا جو جیورس پرو□س ہے، اس سے اس کو واقف ہو□ا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، ک عہدوں سے مسلمان لا□می ہو□ے کی شرط بھی ہٹا □ی گئی ہے یہ ایک واضح کوشش ہے کہ مسلم□وں کا اپنی ہی مذہبی املاک پر اختیار کم کیا جائے اور□ا□تظامی اختیار کو سینٹرل کنٹرول کے ماتحت لایا جائے۔

سر□□چسپ بات یہ ہے کہ جب یہ بل□وک سبھا میں□ا□ٹروڈیوس کیا گیا تھا تو اس میں ڈرافٹنگ کی ایک بڑی غلطی رہ گئی تھی۔ اس میں□کھا ہوا تھا "Any member, who is a non-muslim, will be disqualified." یعنی حکومت□ے بل پیش

کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کیا۔ یہ غلطی ہم لوگوں نے جے پی سی میں جا کر کے پکڑا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے بل کو پارلیمنٹری کمیٹیوں میں بھیجا جائے، تاکہ ان کی ٹھیک سے اسکورٹنی کی جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے اس میں سے سات بل اسکورٹنی میں جاتے تھے لیکن اب صرف دو بل ہی جاتے ہیں۔

سر اس بل میں خواتین کی نمائندگی کا ذکر کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خواتین پہلے سے ہی سینٹرل وقف کونسل میں ممبر ہیں اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں بھی ممبر ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہاں پر پراوژن کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر میرے پاس یہ ایکٹ کی کتاب ہے اور اس میں 4 فروری 2009 میں جو کمپوزیشن ہے اس میں میں تین نام پڑھ رہا ہوں۔ جموں سے ڈاکٹر رخشاں اندرابی، کولکاتہ سے ڈاکٹر مسز سید تصویر سرین اور تملناڈ سے شریمتی منوری بیگم۔ یعنی یہ بات تو پہلے سے ہے یہ مہیلاءیں تو پہلے سے ہی سنٹرل وقف کونسل کی ممبر ہیں پھر آپ ایسا بول کر کے کہ یہ بات ہے، ہم لوگوں کو کیا ریزرویشن دے رہے ہیں؟ وہ تو ہماری پارٹی دیتی ہے ہماری پارٹی کے پاس 39 فیصد خواتین ایم پی ہیں۔ 14 فیصد دیکر کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ریزرویشن دے رہے ہیں۔

سر اس بل میں یہ بھی چینج کیا گیا ہے کہ جو ایکٹڈ باڈی تھی اور بہت سارے لوگ ایکٹ ہو کر آتے تھے اب صرف نومینیٹ ہو کر آئیں گے اپوائنٹ ہو کر آئیں گے۔ تو یہ ارٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے، جو ہر مذہبی گروپ کو اپنے مذہبی معاملات خود چلانے کا بنیادی حق دیتا ہے۔ سر یہ کلوز مکمل طور پر ان

کا سٹیٹیوشنل ہے۔ اس بل میں بہرا اور آغا خانی کمیونٹی کو بھی شامل کرنے کی بات کی گئی ہے جے پی سی میں بہرہ وگوں نے آکر کے اپنا ڈیپوزیشن دیا تھا اور انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ ہم وگ اس ایکٹ کے تحت کہیں بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں ہمارا اپنا ظابطہ ہے ا آپ برستی ان کو لا کر کے ممبر بنا رہے ہیں جو خود ممبر نہیں بننا چاہتے ہیں۔

سر، میں اپنے ساتھ میں پوائنٹ پر آتا ہوں میٹیشن ایکٹ پر یہ بل یموٹیشن ایکٹ 1963، کو وقف املاک پر لاگو کرتا ہے اور موجودہ قانون کلوز 107 کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے جو ا تک وقف کو اس ایکٹ سے ایگزمٹ قرار دیتی تھی کلوز 107 کو ہٹا کر کا سٹیٹیوشن کے ارٹیکل 14، 15 اور 26 کی خلاف ورزی ہے۔ یمیٹیشن ایکٹ ایک ایک عام قانون ہے اور اسے وقف جیسے مخصوص مذہبی قانون پر لاگو کرنے سے انکروچرز وقف کے مینوں پر ایڈورس پوزیشن کے ذریعے ملکیت کا دعوی کر سکیں گے۔ یہ قانون وقف کے دائمی تصور یعنی ہمیشہ کے لیے ینی اور فلاحی مقصد سے وقف کی گئی جائیدادوں کے بنیادی ظریے کو توڑتا ہے۔ مزید تشویش کی بات ہے کہ وقف املاک، جیسے کہ مساجد، قبرستان اور مدارس وغیرہ ا تک ریاستی حکومت کے دائرہ اختیار میں تھے یکن یہ بل انہیں مرکزی حکومت کے ماتحت لانے کی کوشش کرتا ہے یعنی اسٹیٹ وقت بورڈ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے یہ ایک اینٹی فیڈرل قدم ہے اور سینٹرلائزیشن آف پاور ہے۔

اس بل میں کلوز 108 اے بھی شامل کیا گیا ہے جو سینٹر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ مین سے تعلق رکھنے والے قانون بنا سکے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ینڈ

اسٹیٹ سبجیکٹ یہ اسٹیٹ کے□ائرے میں ہی کیوں□ہ ہو یہ بال مذہبی سماجی اور معاشرتی بہبو□، معنی ویلفیئر کو متاثر کر سکتا ہے اور وقف املاک کو غیر قا□و□ی قبضوں کے□یے کھلا چھوڑ□ے گا کیو□کہ اس میں کوئی□یگل سیف گارڈ□ہیں رکھا گیا ہے اس میں پہلے□و سال کی سزا تھی، اس کو کم کر کے چھ مہینے کر□یا گیا، جو ا□کروچر□ کے□یے ہے اور جو آفنس کاگنیزیبل اور□ان بیلیبل تھا ا□ اس کو بیلیبل کر□یا گیا ہے۔

سر ا□ میں اپنے اگلے پوائنٹ پر، آٹھویں پوائنٹ پر آتا ہوں سنٹرلائزیشن آف پاور ان□ا ہینڈ آف گور□منٹ آفیشلز۔ اس بل کا شاید سب سے خطر□اک پہلو یہ ہے کہ یہ تما□ اختیارات سرکاری افسروں کو□یتا ہے اور عدا□توں، کمیو□ٹی ا□اروں اور وقف بورڈ کو ٹوتھ□یس کر□یتا ہے جے پی سی رپورٹ کے بعد ا□ بل میں یہ کلو□ شامل کیا گیا ہے کہ ایک□امز□ افسر جس کا ضلع کلیکٹر سے اوپر کا□رجہ ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیدا□ وقف ہے یا□ہیں۔

یعنی کسی جائیدا□ کی مذہبی یا قا□و□ی حیثیت صرف ایک افسر کی ثوابدید یعنی ڈسکریشن پر طے ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ افسر اصو□وں سے واقف ہوگا کیا اس روایت کی روح کا علم اس کے پاس ہوگا۔ This is against the Principle of Natural Justice that no one can be a judge in his or her own cause.یہ آرٹیکل 25 اور 26 کی کھلی خلاف ور□ی ہے۔

سر میں اپنے□وویں پوائنٹ یعنی ٹیبو□لز پر آتا ہوں ٹریبو□لز کے فیصلے فائنل ہوتے تھے۔ ا□ وہ فائنلٹی ختم ہو گئی۔ اس□یے یہ غیر ضروری امینڈمنٹ ہے۔ ا□

جتنے یگل ڈسپیوٹ ہیں ان کو یہ اور مبا کرے گا۔ کورٹ پر جو پہلے سے بوجھ ہیں، ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر بوجھ ہیں یہ اس کو اور بڑھائے گا مگر یہ ترمیم یگر مذہبی قانون کے متضاد ہیں کیونکہ وسرے مذہب کے چیرٹیز میں ٹریبیونل کے فیصلے کو حتمی تسلیم کیا جاتا ہے یعنی وسرے جتنے بھی ٹریبونلز ہیں ان کے فیصلے حتمی تسلیم کیے جاتے ہیں صرف اسی کو فائنل ہیں کیا گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقف کے معاملے میں یہ الگ معیار کیوں؟ سر یہ ایک ڈسکریمناٹری موو ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سراسر ڈائریکٹ اٹیک آن فیڈرل ہے۔ یہ بل صرف وقف کا معاملہ ہیں بلکہ ہمارے فیڈرل اسٹرکچر پر ایک سراسر خطرناک حملہ ہے یونین گورنمنٹ پورے ملک میں وقف کے معاملات کو براہ راست کنٹرول کر کے ریاستوں کے دائرہ اختیار کو ظر انداز کر رہی ہے۔ یہ ایک خطرناک مثال قائم کرے گی اج وقف شانے پر ہے کل مندر کی مین، چرچ کی مین یا گوردوارے کی مین بھی شانے پر آے گی یہ بل سنٹرلائزیشن آف پاور کر کے ہمارے یونین کی بنیاد کو ہلا رہا ہے جس کی روح ڈویژن اف پاور میں ہے نہ کہ سنٹرلائزیشن اف پاور میں۔ میں اس ایوان کے تمام معزز ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بل کی مخالفت صرف مذہبی ائینی بنیاد پر ہی ہیں بلکہ فیڈرل پرنسپلز کی بنیاد پر بھی کریں۔

سر میں یہاں کیرل کے منمبم علاقے کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جہاں 700 سے زیادہ خاندان برسوں سے آباد ہیں۔ میں اس ایوان میں ممتا بنرجی کی پارٹی کا رکن ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ

ایک بھی خاندان بے خل ہیں ہوگا۔ و ون ول بی ایوکیٹڈ۔ سر پلیز، اس مقامی معاملے کو وقف بل سے ہ جوڑا جائے کیو کہ یہ وں با کل ا گ ایشو ہیں۔ **...)مداخلت(...**

سر، مائے منتری جی ے کہا کہ ہم ساری کمیٹیوں کے ریکمنڈیشنز کے آ ھار پر یہ بل ے کر آئے ہیں جبکہ وہ پار یمنٹری کمیٹیز ا گ ا گ ہیں اگر آپ کو ریفار کر ی ہی ہے تو ان کمیٹیوں کے تین ریکمنڈیشنز کو آپ مان یجئے۔ پہلا مسلما وں میں تعلیم کے فروغ کے یے ایک یشنل ایجوکیشن بورڈ کا قیا۔ آپ اس کو تو ما یے۔ وسرا ا ہی کمیٹیز ے ریکمنڈ کیا تھا کہ وہ وقف جائید ا جن پر سرکاری ایجنسیاں قابض ہیں ا ہیں واپس وقف بورڈ کو یا جائے لاسٹ Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 کہ تحت وقف کو لایا جائے۔ سر میں حیران ہوں کہ اس بل میں ان سب ریکمنڈیشنز کا کہیں پر بھی ذکر ہیں ہے بلکہ 2014 کا وقف کا اینٹی ا کروچمنٹ ایکٹ راجیہ سبھا میں لائیو تھا اس کو ابھی ابھی یہ بل پیش کر ے سے پہلے ا ہوں ے وِ ڈرا کر یا ہے۔ سر آج اگر وقف شا ے پر ہے تو یا رکھیے کل کسی پر بھی یعنی مندر، چرچ اور گر وارے پر بھی یہی قا ون لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس یے آئیے ہم کھل کر بات کریں وقف کوئی عا ا ارہ ہیں، بلکہ یہ ایک روحا ی وراثت ہے ایک آئینی ام ات ہے جس کی جوا ہی مقدس فر ہے اور جن سے آج خیا ات ہو رہی ہے۔

سر میں اس معز ایوان سے پرخلو اپیل کرتا ہوں کہ اس بل کو مکمل طور پر مستر کر یا جائے۔ اگر اصلاح کر ا ہے ریفار کر ا ہے تو ملت کے اعتما مشورے اور شرافت کے ساتھ کیا جائے ہ کہ بر ستی۔

یہ بل صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے سیکولرزم ہمارے کونسٹیٹیوشن اور ہماری ڈیموکریسی کا امتحان بھی ہے یہ مت بھولیے کہ تاریخ سب یاد رکھتی ہے اور یقینا تاریخ یاد رکھے گی کہ ہمارے اس موقع پر انصاف کا ساتھ دیا یا خاموشی اختیار کری۔ سر بلڈوزر راج کا ہمارے بہت نام سنا ہے لیکن بلڈوزر راج ہمارے دل سے ہندوستان کی بو نہیں نکال سکتی۔ سر میں یہ کہہ سکتاہوں کہ ہمارے پرکھوں کی قبریں یہاں ہیں، ہماری بھی ہوں گی، ہمارے بچوں کی بھی ہوں گی۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،

ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا

سر اس ملک کو ڈیوائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں عام طور پر کسی شخص کو گالی دینا اہمیت نہیں دیتا ہوں لیکن چونکہ وہ بنگال میں اپوزیشن لیڈر ہیں اس لیے ان کا جملہ ہرانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس بند کرو۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ، سب کا ساتھ سب کا وکاس بند کرو۔ میں منتری جی اور سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ کہاں گیا اپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ روک سبھا میں ایک بل پاس کرنے کے لیے 272 کی پاور چاہیے۔ 400 پار کا نعرا سنا تھا۔ 350-300-272 بھی نہیں ہوا۔ وہ صرف 240 رہا۔ وہاں اس بل کو سب کا ساتھ لے کر پاس کیا گیا ہے جو ابھی یہاں آیا ہے۔ سر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بار یہاں کے لوگ ملی

جی اور شاہ جی□ے بنگال میں جا کر ریلیاں کی ہیں مگر بنگال□ے ا□ہیں مستر□ کر□یا اور 2026 میں بھی یہی ہوگا، کیو□کہ بنگال یو□ٹی ان ڈائیورسٹی کی مثال ہے۔ سر ا□ میں بس چند لائنیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں مجھے موقع □یجیے گا۔

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**): मैंने आपको रोका नहीं, टोका भी नहीं।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, the Waqf Bill is not just about property or governance, it is about dignity. It is about identity and it is about whether we will let our rights to be re-written by those who see us as mere footnotes in this nation's story. When institutions that have stood for centuries serving education and welfare are suddenly questioned, when our places of worship and sacred lands are put under the scanner while others remain untouched, we must ask who gets to decide, how much is enough! We do not owe explanations for our presence, for our heritage, for our existence. This land is ours as much as anyone else's. Our history, our contributions and our rights are not up for negotiation. The Constitution does not ask how much we belong, it guarantees that we do.

"अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है,
ये सब धुआँ है, कोई आसमान थोड़ी है,
लगेगी आग तो आएँगे घर कई ज़द में,

यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,
हमारे मुँह से जो निकले वो सदाक़त है,
हमारे मुँह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है,
मैं जानता हूँ के दुश्मन भी कम नहीं लेकिन,
हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है,
जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे,
किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है,
सभी का ख़ून है शामिल यहाँ की मिट्टी में
किसी के बाप का हिन्दोस्तान थोड़ी है।

जय हिंद।

(समाप्त)

اگر خلاف ہیں ہوے□و جان تھوڑی ہے،
یہ سب□ ھواں ہے کوئی آسماں تھوڑی ہے،
□گے گی اگ تو ائیں گے گھر کئی□□ میں،
یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے،
ہمارے منہ سے جو□کلے وہ صداقت ہے،
ہمارے منہ میں تمہاری□بان تھوڑی ہے،
میں جا□تا ہوں کہ□شمن بھی کم□ہیں□یکن
ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے
جو اج صاحب مسند ہیں کل□ہیں ہوں گے
کرائے□ار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے

سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں
کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے

جے ہند۔

)ختم شد(

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, I am standing on behalf of the DMK Party to oppose this Bill. The Tamil Nadu Legislative Assembly has passed a unanimous Resolution not to pass this Bill. But the Government is on its process. We reject the Bill in its entirety because it is legally flawed, constitutionally indefensible and morally reprehensible. Sir, why a certain community is being targeted is our question.

(Contd. by DPS/3E)

DPS-MZ/3E/3.20

SHRI TIRUCHI SIVA (Contd.): I do not want to go into the merits of the Bill in detail because many others have spoken about it; moreover, it is of no use. It is a futile exercise because this Government has got ears, but it won't listen to the Opposition's views. It has got eyes, but will not see those who are suffering out of anything. It has a mouth only to spare words against the Opposition and have hands to unleash power against the

marginalized. Sir, the intention is very important. They say that it is only administration purpose. No, it is not so! It is not reform. It is to control and to take over the administration of a certain community who have got charitable endowments and they involve in religious activities. Intention is *mala fide* and, so, deplorable. We repose our confidence in one thing. When I am not going into the merits of the Bill, that does not mean that I don't want to spend my time on that. We think, we very strongly believe, that since it is anti-secular and *ultra vires* of the Constitution, the solution is five kilometers away. The Supreme Court is there to struck down, if at all this legislation is passed. It will! We are very certain about it. It is not that we are making evasive arguments or accusations against them. The Government often says, *'Sabka Saath, Sabka Vikas'*. I rely upon him. He gave the translation: Together with all and development for all. But they have a different policy for Muslims - exclusion, marginalization and dispossession. Sir, this furthers and deepens the sense of alienation and insecurity in the minds of the Muslim community in this country. One has to realize, this is a sad day. We have to say that because the Muslims across the country are waiting what is going to happen in this House. Sir, I would

like to remind once again that the Constitution has assured them of many fundamental rights. But, they are all totally deprived during this regime. I have many a time told this. In the year 1947, during partition, Mohammad Ali Jinnah, who was the founder of Pakistan, said, "I have formed a country for the Muslims. All Muslims come to Pakistan". But, the Muslims in India said, "We are Muslims, but, India is our nation". Have they not contributed for the development of our country? Are they not in the military? If at all India is now an atomic power in the world, it is because of Dr. Abdul Kalam. If Aditya-I is a success, which has gone to the Sun and sending information, it is because of one Shaji from Sengottai, an Islamic girl, who is the Director of that project. There are many such instances. I don't want to say all those things. We can very clearly understand the Government is very keen in pushing the Bill to be passed. So, we have proposed some Amendments. It is not of technical corrections but to safeguard against a grave injustice to a section of the people in this country. Sir, we are afraid that, again and again, blows are being given to the secular thread of this nation. The framers of the Constitution had debated elaborately. No other Constitution in the world debated for three years. They debated every

aspect. As India is a multilingual, multiregional, multicultural and multi-religious country, this country cannot be for one. But, this Government is advocating for one language. They don't accept multilingualism. They advocate for one culture and one religion. That cannot be accepted. See, we are all very much close and affiliated with each other. Earlier, my friend Derek often used to raise a concern that the Bills referred to Committees are decreasing day by day. And, last year, he said that it is 1.4 per cent or something. Now, we don't want even that, Sir, because we have experienced that it is of no use going to any Committee.

(Contd. by PK/3F)

PK/3F/3.25

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): The example is the Joint Parliamentary Committee on the Waqf (Amendment) Bill 2025. My *thambi*, Shri Mohammed Abdulla, -- yes, he is my *thambi*, I am his *anna* -- he is a Muslim, I am a Hindu. He is my younger brother, I am his elder brother. Mr. Syed Naseer, Mr. Nadimul Haque who spoke, all were there in the Committee. The Minority Affairs Minister spoke yesterday and today also he is repeatedly saying that 248 stakeholders appeared before the Committee. But how many recommendations have you included in your report? None of

them! All the recommendations which had been given by the Opposition side Members have been disregarded and whatever the ruling faction had given, the Members in majority, have been adopted. So, the JPC, in the exercise it went on,... What for did we send it to the Joint Parliamentary Committee? We send it to the JPC so that we would have a good outcome, that the scrutiny will be more elaborate. Because in Parliament, because of the constraint of time, every party will be limited, whereas in the JPC or Standing Committee or Select Committee, all parties are equal, so they can contribute, as well as the stakeholders can come. The stakeholders came. The Members who participated gave their views. There were repeated meetings, Sir, but the outcome was nothing. Even the dissent note was not first accepted. Only after raising it in the House, it happened so. So, the constitution of a JPC also did not serve a purpose. And, now it has been passed there and, here also, because of your majority, it will be passed. Yes, go ahead. How long will you be going ahead like this? There will be a time to put a full stop to everything. Sir, it is the right time, I should recall, on August 18, 1947, Eid was celebrated across the country in independent India, that is, three days after the country

attained independence. In the Eastern and Western parts, because of the partition-related violence, thousands of Hindus, Muslims and Sikhs were being killed. In that situation, there was an apprehension whether Muslims would be able to celebrate Eid. On that day, that is on 18th August of 1947, in Kolkata, Mohammedan Sporting Club, it is a very big ground there, Mahatma Gandhi and four to five lakh people, both Hindus and Muslims participated in Eid celebration. There, Gandhiji delivered a short speech by saying in the beginning, "My first duty is to wish Eid Mubarak to all those Muslims who are present here. There was a time when both the Hindus and Muslims embraced each other on this day... I must confess, "Gandhi proceeded to add, "that, after many years, I am witnessing this scene." He said, "The members of the Muslim League, national guards and Congress volunteers are present in large numbers thus expressing fond hope that the unity of people of diverse faiths on that occasion would be everlasting." And he remarked at the end, "I will never be able to forget the scene I witnessed today." But what is going on today, Sir? I am very painful to say this. 2025 Eid, the Haryana State Government which is ruled by the BJP, have removed Eid, the festival, from gazzeted holidays to restricted holidays. If it

is a gazzeted holiday, all firms will be closed, there will be a festival mood. Whereas if it is a restricted holiday, only those who will be interested will have holidays. Why, Sir? Why is this discrimination? So also in Uttar Pradesh, what happened on Eid? Officials came and warned that on the day of Holi, 200 mosques should be covered by tarpaulins because it should not be seen. They also instructed that as namaz is offered every Friday, it may be 52 times in a year that Friday comes, if at all you want to do, do it inside or even on your terrace. This has happened. When Gandhiji, at the time when partition violence was going on, could gather people from both communities and was felicitating them 'Eid Mubarak', in this Independent country, after 75 years of independence, when we are celebrating 75 years of our Constitution, the State Government is preventing the Muslims from celebrating Eid during Holi.

(Contd. by PB/3G)

PB-LP/3G/3.30

SHRI TIRUCHI SIVA (**Contd.**): It is being assumed that the Muslims will not tolerate Holi. Who said it? They are also very happy. I will cite an example. It is only depending upon the role of leadership. The role of the leadership

always decides peaceful life or not of the people. Sir, in Tamil Nadu -- Madam Finance Minister is here -- on *Ganesh Chaturthi*, there will be a procession of Hindus, carrying the idols of *Ganesh*. On the way, Muslims will be standing in crowd and offering them cold drinks and *Sharbat* expressing solidarity. That is my State. ...(Interruptions)... Yes, in Kerala also. In all the States where the Opposition parties are ruling, we see this. We live in solidarity. There is one Punnainallur Mariamman Kovil in Thanjavur; Kumbhabhishekham was done. The Muslim women came to give gifts to that '*Maa*', the idol there. What is that, Sir? When in Tamil Nadu, Kerala, West Bengal or Telangana, we all are living in solidarity, the festival of one and the other is being celebrated in unity, whereas, the Haryana State Government is removing it from the Gazetted holiday and the Uttar Pradesh Government is not allowing them to come out on Holi means, are we living in an Independent country or are we in a Republic country! This is the mindset of this Government. One of the agendas of the BJP is only that. Sir, all these are things which I say with pain only.

The '2004 Human Development Report' on the theme of cultural liberty in today's diverse world has very clearly said that "Modern India is facing a

grave challenge to its constitutional commitment to multiple and complementary identities with the rise of groups that seek to impose a singular identity on the country." This is a report, Sir. When everything should be equal, but this is so.

Sir, Dr. Ambedkar, whom we call the father of our Constitution, who was the Chairman of the Drafting Committee of our Constitution, on December 2nd, 1948, during a lengthy discussion on Article 13 of the Draft Constitution dealing with the Fundamental Rights to profess any faith, referred to the Uniform Civil Code. That is awaiting. The Uniform Civil Code is your next thing that you are going to take in your hands. Now the Muslims are affected after the UCC; some of the States which are ruled by BJP have already adopted it. When you bring it here, the Christians, the Sikhs, the Parsis... ...(Interruptions)... I am not going into it. He spoke about that when he was speaking on that. ...(Interruptions)... Excuse me, Bhupenderji. You are well informed, I know. When I am reading out, I am quoting it. He said, 'No Government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. It would be a mad Government if it did so." ...(Interruptions)...

AN HON. MEMBER: Who said this?

SHRI TIRUCHI SIVA: Dr. Ambedkar. And while talking about the idea of parliamentary democracy, as a democracy of majority, in his Address at the Siddharth College Students' Parliament, Dr. Ambedkar said, "It is true that in our legislation, there is a rule that all questions shall be decided by a majority. But I could ask you to be very careful about that principle. It is one of the most dangerous principles that we have got." We are seeing that. Because of the majority this Government is having, you are not doing anything good to the people. You don't consider everyone equal as '*sabka sath, sabka vikas*.' But you don't see that. You say in every place, '*Vasudhaiva Kutumbakam*'; no, not in practice. You have a partisan eye, discrimination, exclusion. When these are being faced by one section of this nation, what is their future, Sir?

(Contd. by 3h/HK)

HK-PRB/3H/3.35

SHRI TIRUCHI SIVA (**Contd.**): Ambedkar further said, "The majority rule has been admitted merely for reasons of convenience. But, for God's sake, do not write that principle too much. You will create a great deal of

difficulties." Yes, you are facing it. He was a foresighted leader, who had said, "You will create a great deal of difficulties. In a certain sense, the rule of majority is the wrong rule." Majority can be there, but how is it being used? If there is majority in Committees, they uphold whatever they want to. If there is majority in the parliament, they enact whatever they want to. So, majority is not the rule against the minority. It has to embrace everyone. So, the people in this country, believing that it is a secular nation, that we can live safely and do not resort to any nation which pronounces or practises their faith, believe that India is one and that is our motherland. Is it not the duty of this Government? Dr. Ambedkar had argued that in a parliamentary democracy, minorities must always be won over, never to be dictated. 'Won' means not by a war, as it is being waged now. It should be by way of convincing. So, he said, "Develop the art of public speaking and persuasion." So people's minds can be converted and changed, but not in any other manner. Sir, I am running short of time. Before you ring the bell...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): I am not going to ring.

SHRI TIRUCHI SIVA: Thank you very much. Sir, we have given some amendments, which will say all about those things like the composition of the Central Waqf Council and Boards to include non-Muslim members. Many others spoke that Hindu Religious and Charitable Endowment, or Gurdwara, has no other community or religion members. Why is it in this? There are many such things. So, I would say that you have raised the tallest statue for Sardar Patel. I have got great reverence for him. But for him, the India, we are seeing today, would not have been. He is called the 'Iron Man of India'. When this country became independent, it was shattered and ruled by Maharajas and Nizams. He made this country united. I have much reverence and they have much more. That is why they have erected that statue. Sardar Patel, -- again to remind them; they often forget him conveniently -- emphasised the importance of minorities, trusting the majority's good sense and fairness, advocating for a secular State where all communities feel equal and have a place in national life. Madam, you are

here? Let me quote one of your favourite Thirukkural. *" The tears shed by people due to the oppression of their king, will become the weapon to destroy his wealth." So, the tears that roll out of the people, who suffer under a tyrannical rule, will become flood and will dethrone the Government. The tears of the minority community people in this country, especially the Muslims today, it will be Christians tomorrow and then any other minority community, because of this Government's approach, attitude and all the steps you take, will become flood and will wash away your Government. Thank you. (Ends)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I am sure Tiruchi Siva would not mind it. I am giving a light-hearted comment, nothing to do with what he has spoken. I am not commenting on his contents. There will be speakers from our side to speak. But, I am sure, hon. Members know that Tiruchi Siva is very good in Hindi film songs. He sings so well. All of us know it.

***English translation of the Tamil portion.**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes, मैंने इनके गाने सुने हैं।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I am very grateful to hon. Member, Shri Sanjay Singh, who is sitting next to him. When Tiruchi Siva was searching for सबका साथ सबका विकास, he knows it well, -- Sanjay Singh*ji* is sitting next to him -- he created a sort of an impression that he is no good in Hindi.

(Contd. by KSK/3J)

KSK-AKG/3.40/3J

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN (contd.): He sings Hindi film songs and सबका साथ ढूँढ़ रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes, I have also heard his song.

श्रीमती निर्मला सीतारमण : हाँ, हमारे भूपेन्द्र यादव जी के पास recording है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I will take only one minute. I am also taking it in a lighter vein. I sing songs, but many of my friends tell me the lyrics. Mr. Baghel is not here. He is the one person who made me to sing Hindi songs. With the help of English lyrics, I would be singing. You would ask, "Do you

know the meaning?" I do not. He will explain to me. When I sing, *"baharon phool barsao"*, you will ask, "What is the meaning?" I do not know. Then, he will explain. ...(*Interruptions*)... Please wait. Do not accuse. I will explain this. Sir, our DMK Party's stand is not against Hindi or the Hindi-speaking people. We want to show that we are friendly with them, and as a token of that, when I show a gesture, you have to relish it. If you make it as a political instrument, then I will stop even that. ...(*Interruptions*)... Again and again, I will say...(*Interruptions*)... The Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha's headquarters are in Chennai. We have got Hindi-speaking people there. Of course, we love each other. When I have to entertain my friends, I am doing that. So, I request the Finance Minister not to try to take a political mileage here.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आपने गाया था - मुझे सदियों से तुमसे प्यार है, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने आपका गाना सुना है। श्री संजय सिंह।

श्री प्रमोद तिवारी : सर, यह आप कह रहे हैं या ये कह रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : दोनों ही एक-दूसरे को कह रहे हैं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) **:** मान्यवर, आपका धन्यवाद, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूँगा।

"न मेरा है, न तेरा है, यह हिन्दुस्तान सबका है,
नहीं समझी गई यह बात, तो नुकसान सबका है।
जो इसमें मिल गईं नदियाँ, वे दिखलाई नहीं देतीं,
महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।"

मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए - सरकार माई-बाप। सरकार माई-बाप, यानी कि जो सरकार होती है, वह लोगों की माई-बाप होती है, माँ की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है, लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों का गला घोंटने पर उतारू हो जाए, तो फिर वह सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। मान्यवर, नहीं है। वह सौतेली माँ है, उसका व्यवहार सौतेला है। आज आप जो काम कर रहे हैं, इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा - धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रख-रखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार

भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं लोगों ने नहीं दिया, यह अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं! एक गैर संवैधानिक बिल लाकर! इस कानून के अंदर आपने क्या-क्या लिखा है! किस तरीके से आपने संविधान की हत्या करने का काम किया! आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, यह सरकार कह रही है कि यह कानून हम मुसलमानों के भले के लिए ला रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है।

(3के/पीएसवी पर जारी)

GSP-PSV/3K/3.45

श्री संजय सिंह (क्रमागत) : आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! दोनों सदनों में, सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़कर, आपका एक भी सदस्य मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! ...(**व्यवधान**)... आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! पूरी सरकार में आपका एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है, यह आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! आपने अपने दो नेताओं को घरों में बैठा दिया - मुख्तार अब्बास नक़वी और शाहनवाज हुसैन। आपने दोनों की राजनीति खत्म कर दी, यह आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! ...(**व्यवधान**)... यह आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): He is not yielding. कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं! ...(**व्यवधान**)... सुनना सीखिए, पहले सुनना सीखिए। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इनके इस कानून में क्या-क्या लिखा हुआ है? इन्होंने क्या-क्या कहा है? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): He is not yielding. कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... गुलाम अली जी, कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : मान्यवर, यह बिल धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की नापाक कोशिश है। धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए..

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : सदन में इतनी शान्ति है कि अगर आप आराम से बोलेंगे, तो सब सुनेंगे।

श्री संजय सिंह : सर, मैं आराम से बोल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप वहाँ बैठे हैं, तो आपको देख कर वैसे ही आराम आ जाता है। ...(**व्यवधान**)... आपको देख कर मैं वैसे ही आराम में रहता हूँ। जब आप वहाँ पर हैं, आपका संरक्षण है, तो मैं आराम से ही बोल रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : ठीक है, बोलिए।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, यह धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न तो हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए,

न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए और न ही बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। *

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : यह expunge कर दिया जाए।

...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : सर, मैं कागज दूँगा। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : यह मैंने expunge कर दिया।

...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह : सर, * **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : एक मिनट। **...(व्यवधान)...** रुकिए। **...(व्यवधान)...**

श्री संजय सिंह : सर, ***...(व्यवधान)...**

---

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : मैंने उसको expunge कर दिया है। **...(व्यवधान)...** मैंने उसको expunge कर दिया है। **...(व्यवधान)...**

श्री संजय सिंह : * **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Expunged. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंह : * **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : एक मिनट, एक मिनट। **...(व्यवधान)...** एक मिनट। **...(व्यवधान)...**

श्री संजय सिंह : * ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : एक मिनट, आप रुकिए। **...(व्यवधान)...** प्लीज़। **...(व्यवधान)...** संजय सिंह, कृपया बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** श्री गजेन्द्र सिंह जी। **...(व्यवधान)...**

SHRI SANJAY SINGH: Sir, I am not yielding. ...(*Interruptions*)... I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

संस्कृति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, **...(व्यवधान)...**

श्री संजय सिंह : *...(**व्यवधान**)...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** आप कृपया बैठिए। **...(व्यवधान)...**

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, यह राम मंदिर का विषय है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** सब बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)... कृपया बैठिए। **...(व्यवधान)...** कृपया बैठ जाएँ। **...(व्यवधान)...** कृपया बैठ जाएँ। **...(व्यवधान)...** राम मंदिर के संबंध में **...(व्यवधान)...** राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्यवाही से निकाल रहा हूं। **...(व्यवधान)...** उनको कार्यवाही से निकाल दिया गया है। **...(व्यवधान)...**

श्री संजय सिंह : ***...(व्यवधान)...** मान्यवर, मेरा टाइम बचाया जाए। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया आप बैठ जाएँ। **...(व्यवधान)...**

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री संजय सिंह : सर, मेरा टाइम pause कीजिए। **...(व्यवधान)...** इनको बैठाइए। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : उनका point of order है। **...(व्यवधान)...** मैं allow कर रहा हूँ। **...(व्यवधान)...**

SHRI SANJAY SINGH: Sir, I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Point of Order by Shri Bhupendra Yadav. **...(*Interruptions*)...** Please sit down. ...(*Interruptions*)... Point of Order दिया है। आप कृपया अपने स्थान पर जाइए। **...(व्यवधान)...** कृपया अपने स्थान पर जाएँ। मैंने भूपेन्द्र यादव जी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका दिया है। **...(व्यवधान)...** आप सब लोग अपने स्थान पर जाएँ। **...(व्यवधान)...**कृपया अपने स्थान पर चले जाइए। कृपया आप लोग बैठें। **...(व्यवधान)...** श्री भूपेन्द्र यादव। **...(व्यवधान)...**

(3एल/वीएनके पर जारी)

VNK-SK/3L/3.50

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) (क्रमागत) : मदन राठौड़ जी, कृपया आप बैठ जाएँ।**...(व्यवधान)...** मैंने भूपेन्द्र यादव जी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है, लेकिन मैं पहले बता दूँ कि इन्होंने 'राम मंदिर' के बारे जो कुछ कहा है, उसको

मैंने expunge कर दिया है, इसलिए वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। अब आप बोलिए।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) : सर, यह उच्च सदन है।...(**व्यवधान**)... मैं रूल बता देता हूँ। रूल 238 और 240 ...(**व्यवधान**)... सर, दो रूल्स, 238 और 240 हैं। मुझे बुक की जरूरत नहीं है। 'How to speak' - यह रूल 238 है। सर, रूल 240 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत यह है कि अगर कोई भी सदस्य irrelevant बोलता है, तो यह चेयर की पावर है कि वे उस सदस्य को रोक सकते हैं। जो विषय डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है, सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, वैसे irrelevant विषय को आपको रोकने का अधिकार है। माननीय सदस्य, संजय सिंह जी जो बोल रहे थे, वह irrelevant है।

सर, तीसरा एक और विषय है। रूल 238 में यह है कि बोलने के बाद जो असंसदीय शब्द हैं, किसी भी पार्टी के बारे में या किसी के बारे में जो असंसदीय हैं, अगर वे बोले गए हैं, तो उनकी भर्त्सना भी हाउस पूरे तरीके से करता है और उनको कार्यवाही से हटा दिया जाता है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : तिरुची शिवा जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)... Please, I am allowing Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I also stand on the same rules, Rule 238 and Rule 240. He did not quote Rule 238. You remember Rule 240. I know you are

well-versed with Rule 238 also, but you have not quoted it. It says, 'Refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending'. Has it been done? No. It further says, 'Make a personal charge against a Member'. Has it been done? No! ..(Interruptions).. Kindly listen. I am on a point of order. ..(Interruptions).. What is this, Sir? ..(Interruptions)..

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया आप बैठें।...(**व्यवधान**)... इनको एक बार सुन लें।...(**व्यवधान**)... निर्णय मुझे करना है। कृपया आप इनको सुन तो लें।...(**व्यवधान**)... कृपया आप बैठ जाएँ।...(**व्यवधान**)... मैंने रूल 238 और 240, दोनों देख लिये हैं।...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, Rule 240 says, 'The Chairman, after having called the attention of the Council to the conduct of a Member who persists in irrelevance or in tedious repetition...' You did not call, Sir. Whether irrelevance or repetition, it has to be decided by the Chair. ..(Interruptions)..

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया सुनें।...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: I am speaking to the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया आप इधर देख कर बोलें।...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we leave it to your discretion and decision. Repetition or irrelevance cannot be decided by any other Member. It is only you who can decide it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Okay, thank you.

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, रूल 240 में यह भी है कि अगर कोई दूसरा सदस्य भी किसी सदस्य की irrelevant debate को सपोर्ट करता है, तो उसको भी debar करना चाहिए, इसलिए आपको तिरुची शिवा जी को भी debar करना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : मेरी व्यवस्था यह है कि रूल 238 और 240 के अंतर्गत मैंने already जो असंसदीय शब्द थे और 'राम मंदिर' के बारे में जो कहा गया, वह इस विधेयक के purview में नहीं आता है, इसलिए मैंने 'राम मंदिर' के बारे में इनके द्वारा लगाए गए allegations और असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया है।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने

जा रहे हैं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं?

मान्यवर, 2013 के वक्फ बिल में, जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था। मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि एक करोड़ सुझाव आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? आप पूरे देश को जानकारी दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब पूरा सच सामने आएगा, तो देश को पता चलेगा कि कितने लोग इस बिल के विरोध में थे और कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे!

(3एम/डीएस पर जारी)

DS-YSR/3.55/3M

श्री संजय सिंह (क्रमागत) : मान्यवर, मैं जेपीसी का सदस्य था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइए। आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं! मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत की

बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम और अगले सत्र में एक बिल लेकर आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट हैं, बोर्ड हैं, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80 प्रतिशत आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं आपका समर्थन करूंगा, आपको माला पहनाऊंगा। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं!

* आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को भला करने की बात करते हैं!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आरएसएस के बारे में कही गई इनकी बात को एक्सपंज कर दीजिए।

श्री संजय सिंह : मानवर इस बिल में क्या लिखा है?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप जो भी बातें इस विधेयक के अलावा बोलेंगे, उन सबको मैं एक्सपंज करूंगा, वे रिकॉर्ड पर नहीं आएंगी।

श्री संजय सिंह : सर, क्या यह सत्य नहीं है, क्या यह सच नहीं है? सर, मेरा टाइम रोका जाए। मान्यवर, मैं बिल के बारे में बात करता हूँ। मंत्री जी, आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है। आपको लग रहा है, एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। मैं फिर इसको दोहरा रहा

---

*Expunged as ordered by the Chair.

हूँ और फिर इसको कह रहा हूँ कि आप यह करेंगे, आप धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने का काम करेंगे। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोक सभा के चुनाव में मात्र 36 प्रतिशत वोट मिले हैं। इस देश की 64 प्रतिशत आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी-बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई।

मान्यवर, इस बिल के अंदर लिखा गया है कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर-मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। क्या आप गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर-सिख को मेंबर बना सकते हैं, क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर-ईसाई को सदस्य बना सकते हैं, क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर-बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर-जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में गैर-हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप देश भर में एक * फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं, सर, यह मैं राम मंदिर का पढ़ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : * शब्द असंसदीय है। जो असंसदीय शब्द हैं, उनको निकाल दीजिए।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री संजय सिंह : *

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : नहीं, यह सब्जेक्ट नहीं है।

श्री संजय सिंह : सर, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए!

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : मैं नहीं सुनूँगा, यह प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

श्री संजय सिंह : सर, मेरी बात तो सुनिए!

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : यह बिल्कुल नहीं जाएगा।

श्री संजय सिंह : सर, मेरी बात सुन लीजिए। वाइस चेयरमैन साहब, प्लीज़। *

(3एन/एमजैड पर जारी)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

VKK-MZ/3N/4.00

श्री संजय सिंह (क्रमागत) : आपका कितना दोहरा चरित्र है। आपने कहा कि वक्फ की जमीनों को खाली करने का काम करेंगे, जिस पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कागज चाहिए। मंत्री जी, आपको कागज की बहुत जरूरत होती है। आपको कागज चाहिए। मैं जेपीसी का मेम्बर था, मुझे एक कागज वहाँ मिला। यह पूरे देश को देखना चाहिए। आपकी सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में... सर, मेरी बात रिकॉर्ड पर नहीं आ रही है।

सर, भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया, जिसमें लिखा है कि 99 प्रतिशत वक्फ की संपत्तियाँ डिजिटाइज हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके मंत्री थे। उनका बयान आया था कि 100 प्रतिशत वक्फ की संपत्तियाँ डिजिटाइज हो चुकी हैं। जब आप सारी संपत्ति डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ WAMSI पोर्टल पर ऑनलाइन कर चुके हैं, सारे कागजात जा चुके हैं, तो फिर से कागज माँगने का क्या कारण है?

मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई और कहा गया कि 12,000 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती थी। मैं पूरे सदन की तरफ से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ। आपको वक्फ की 12,000

करोड़ रुपये की आमदनी की चिंता है, आपको करोड़ों मुसलमानों की चिंता है। आप अपने एक दोस्त नीरव मोदी को पकड़कर लाइए और उससे 20,000 करोड़ रुपये वसूलिए, फिर 12,000 करोड़ रुपये वक्फ को दीजिए और 8,000 करोड़ रुपये अपने पास रखिए। आपको 8,000 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा। आप 12,000 करोड़ रुपये वक्फ को दे दीजिए, जिससे करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। मान्यवर, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया आपनी बात समाप्त करें।

श्री संजय सिंह : सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ रुपये की आमदनी की बात कही गई है। आप अर्धसत्य मत कहिए, पूरा सत्य बोलिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, मंत्री जी, पूरा-पूरा सच बोलिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत की सरकार और राज्यों की सरकारों ने अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगहों पर 365 वक्फ संपत्तियाँ कब्जे में ले रखी हैं। आप उसके बारे में कुछ नहीं बताते। आप अर्धसत्य बोलते हैं। मैं तो जेपीसी का मेंबर रहा हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। आप * फैला रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : * शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री संजय सिंह : सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, असत्य, जो सत्य से परे है। मान्यवर, tribunal के लिए आप कह रहे हैं कि उसकी अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला tribunal के फैसले के खिलाफ आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला tribunal के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा कि पाँच साल का प्रैक्टिसिंग

---

* Expunged as ordered by the Chair.

मुस्लिम होना चाहिए। आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे? क्या आप मुसलमान के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन नहीं है? आपने ऐसे-ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं, जो बड़े आजीब हैं, जो अपने आप में ही बताते हैं कि ...(**व्यवधान**)... आपकी मंशा मुसलमानों या किसी भी वर्ग का भला करने की नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। आपने देश के अंदर एक काम बहुत अच्छा शुरू कर दिया। आप कहते हैं कि देखो, मुसलमान को ठीक कर रहा हूँ। दूसरी तरफ महँगाई बढ़ रही है, नुकसान हिन्दुओं का हो रहा है। शेयर बाजार में करोड़ों रुपये डूब रहे हैं, नुकसान हिन्दुओं का हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : यह सब्जेक्ट नहीं है।

श्री संजय सिंह : 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए, नुकसान हिन्दुओं का हो रहा है। आप मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर देश के करोड़ों हिन्दुओं का नुकसान कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : चौथी बार अंत आ गया है।

श्री संजय सिंह : अभी भी आपके पास मौका है। यह बिल, जो गैर-संवैधानिक है, जो बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, इसे वापस लीजिए, धन्यवाद।

(समाप्त)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु) : मैं संजय सिंह जी को जवाब देना चाहता हूं। सबका जवाब दिया जाएगा, लेकिन समस्या यह है ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय मंत्री जी को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

SHRI KIREN RIJIJU: When I will reply, I will reply to everybody.

(Contd. by BHS/3O)

BHS-DN/3O/4.05

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत) : मैं सबको जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहा रहा हूं कि संजय सिंह जी तर्कहीन बात करते हैं। जवाब देने के लिए जगह भी नहीं है। वे प्वाइंटलैस बात करते हैं, बिल से संबंधित नहीं, इधर-उधर की बात करते हैं। आप प्वाइंट पर बात कीजिए, मैं बाद में जवाब दूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri Yerram Venkata Subba Reddy.

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in a very crucial legislation that has the potential to change the fate and faith of crores of our Muslim brothers and sisters, who are the very citizens of this country, who have faith, I mean to say, faith on the institution of Parliament and the Constitution of India.

Now, I come to the concerns of the Muslim community and constitutional violations. Let us not forget the voices of countless Muslims across India -- represented by bodies like the All India Muslim Personal Law Board and Jamaat-e-Islami Hind — who have expressed their deep concerns. Their pleas, however, have been met with indifference. This Bill does not address their grievances. Instead, it threatens to undermine the constitutional property rights of Muslims and interfere in religious affairs, thus violating freedoms that are sacred to our democracy.

Andhra Pradesh alone is home to over 50 lakh Muslims. Yet, the Telugu Desam Party Government has failed in its duty to safeguard their interests, endorsing a Bill that disregards the sanctity of Waqf properties. ...*(Interruptions)*... The true measure of democracy is the way it treats its minorities. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : कृपया, चर्चा न करें।

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: While reform is always welcome, but this is complete destruction of the concept of Waqf as practised in India for over a thousand years. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : कृपया, बैठे-बैठे आवाज़ न करें।

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: During the JPC meetings, the YSR Congress Party not only voiced our objections within the Committee but also stood in solidarity with our Muslim brothers and sisters in the State, bringing their concerns to the national forefront on behalf of the people of Andhra Pradesh irrespective of religion, race, caste and sex.

Sir, the YSR Congress Party opposes this Bill for the following reasons. First is that it is unconstitutional as it violates fundamental rights. Article 13 of the Constitution clearly states that any law inconsistent with or derogatory to fundamental rights shall be void. This Bill blatantly violates that principle. Article 14 ensures equality before the law. This Bill targets a specific religious minority, Muslims, interfering with their religious property management without imposing similar regulations on other minority religious endowments. Article 25 guarantees the right to freely profess, practice, and propagate religion. By interfering with the management of religious properties historically administered by the Muslim community, this Bill infringes upon that right.

About the change in the name of the Waqf Act, the proposed name, UMEED (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development), completely disregards the historical, cultural and religious

significance of the term "Waqf". The term "Waqf" is more than a word; it is a legacy of faith, charity and community service.

My third point is about inclusion of non-Muslim members. The inclusion of non-Muslim members in Waqf Councils and Boards is not just unnecessary, it is unconstitutional and direct infringement upon the fundamental right of religious autonomy guaranteed under Articles 25 and 26 of the Indian Constitution.

Next is, weakening the Waqf Board. Regarding financial losses, the reduction of the annual contribution from 7 per cent to 5 per cent would cripple the financial stability of Waqf Boards. The deletion of Section 32(e) from the existing Act in the 2024 Bill further weakens their authority over the management and utilization of Waqf income.

Next is, arbitrary restrictions on donations. Section 3(ix)(a) imposes arbitrary conditions, stating that only those practising Islam for at least five years can dedicate property as Waqf. This is unjust. The right to donate property is a fundamental right, protected under the Transfer of Property Act and Article 300A of the Constitution.

Sir, I would like to draw the attention of the House with respect to the Telugu Desam Party's stand. The Telugu Desam Party, by supporting the

Bill, has shown its true face. ...*(Interruptions)*... For TDP, it is politics over principles, coalition over country and power over promises. ...*(Interruptions)*... Today, they have lost the trust of over 50 lakh Muslims in Andhra Pradesh. ...*(Interruptions)*...

(Followed by RL/3P)

LP-RL/4.10/3P

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, वैसे तो पढ़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको अनुमति दे दी गई है, इसलिए कृपया आप दूसरे दल के बारे में नहीं, बल्कि विधेयक के बारे में बोलिए।

श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी : ठीक है। Hon. Vice-Chairman, Sir, let me conclude with a reflection that transcends the confines of this Parliament. This Bill is not just about property; it is about people; it is about faith, history and the principles that make India a diverse, secular, and democratic nation we all cherish. I urge my esteemed colleagues to remember that democracy is not merely about voting in elections. It is about standing up when the very values, which define us, are under threat. With this, we firmly oppose the Waqf Amendment Bill, 2025. *Jai Hind*. Thank you, Sir.

(Ends)

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : श्री मुजीबुल्ला खान।

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस अमेंडमेंट बिल पर बीजू जनता दल की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ है। महोदय, मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है, और मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, वक्फ की जो जमीनें हैं, वे हमारे पूर्वज, जिनके पास ज्यादा जमीनें थीं, उन लोगों ने दान में दी थीं। उनके द्वारा जमीनों का दान किया गया था। महोदय, वह दान इस कारण से किया था कि इस जमीन पर कुछ डेवलपमेंट के काम होंगे, गरीबों के लिए काम होंगे, यहाँ कुछ हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, मदरसे बन सकते हैं, मस्जिदें बन सकती हैं या फिर जहाँ पर कब्रिस्तान की समस्या रहती है, असुविधा रहती है, वहाँ पर कब्रिस्तान बन सकते हैं। इन्हीं कारणों से ये जमीनें दान में दी गई थीं।

महोदय, मैं इस एक्ट के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि एक्ट के बारे में काफी माननीय सदस्य बहुत कुछ बता चुके हैं। मैं इस बात के अंदर नहीं घुसना चाहता कि कौन-से एक्ट में क्या लिखा है, लेकिन यह बताना चाहूंगा कि इस वक्फ बोर्ड को या हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड है, उसको सिर्फ मुसलमान, सिर्फ माइनोरिटी मुसलमान ही चलाते थे, उसका मैनेज़मेंट करते थे और यह आज तक चलता आया था। हाँ, यह हो सकता है कि बहुत से राज्यों में गड़बड़ी भी हुई हो, बहुत से राज्यों में समस्या भी हुई हो, दूसरी जगह पर जमीनें भी हड़पी गई हैं - वह बात ठीक है, उसको ठीक करना जरूरी है और यह सभी का दायित्व है कि उसको ठीक किया जाए, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जिस बात को लेकर

सारे भारतवर्ष की मुस्लिम कम्युनिटी टेंस है, चिंताग्रस्त है कि इसमें गैर मुस्लिम व्यक्ति को मेम्बर के रूप में रखा जाएगा, वह क्या करेगा, कैसे करेगा? महोदय, इन सभी चीज़ों को सोचकर वे लोग काफी हद तक टेंस हैं, चिंतित हैं और इसी कारण बहुत-सी जगहों पर स्ट्राइक्स हो रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं। वे लोग बोल रहे हैं कि हमारे शरीयत के अंदर, हमारी कौम के अंदर सरकार बेकार में जबर्दस्ती क्यों घुस रही है, क्यों इंटरफेयर कर रही है? यह जो चीज़ है, यह सभी के दिमाग में है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यह बात जानते हैं कि 2014 में, जब मोदी जी की सरकार बनी थी, तो उनका स्लोगन था, 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास।' उसी विश्वास से वे आज देश के प्रधान मंत्री हैं, तो फिर आज मुसलमानों के अंदर अविश्वास का वातावरण क्यों है? उनके दिल में यह डर क्यों है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है? महोदय, उनके मन से इस चीज़ को हटाना बहुत जरूरी है। यह सरकार का दायित्व है कि उसे मुसलमानों के दिल से इस डर को हटाना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हम 'सबका साथ-सबका विकास' जरूर करेंगे, आप लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। यह देश, जिसका संविधान बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था कि किसी के धर्म में, किसी अन्य धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उस बात को अपनाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटे से ओडिशा राज्य से आता हूं। मेरे गाँव में सिर्फ हमारा परिवार ही मुस्लिम परिवार है। वहाँ पर बाकी सभी लोग हिंदू धर्म के रहते हैं। हम लोग इतने सालों से वहाँ पर खुशहाल जिंदगी बिताकर जी रहे हैं। जब गाँव की

माँ ठकुराइन की पूजा होती है, उसकी यात्रा निकलती है और जब हमारे परिवार से कोई एक आदमी वहाँ पर खड़ा रहता है तब वह यात्रा निकलती है।

(PRB/3Q पर जारी)

DC-PRB/3Q/4.15

श्री मुजीबुल्ला खान (क्रमागत) : इसका मतलब है कि वहां भाईचारा है। इसका मतलब है कि हम सब लोग एक हैं, हमारे अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं है और न ही भेदभाव रखना चाहिए। हमारा राज्य प्रभु जगन्नाथ का राज्य है। सारे ओडिशा के लोग प्रभु जगन्नाथ की भक्ति करते हैं। प्रभु जगन्नाथ की भक्ति न केवल हिंदू करते हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग करते हैं। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त मुसलमान थे और उनका नाम 'सालबेग' थे। वे प्रभु जगन्नाथ इतनी भक्ति करते थे कि वे सबसे पहले स्थान पर आते हैं और उनके बाद बाकी भक्त आते हैं। प्रभु जगन्नाथ भी उन्हें इतना चाहते थे और इतना प्यार करते थे कि जब साल में एक बार रथयात्रा निकलती है – आप जानते हैं कि पुरी की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है और वहां लाखों लोगों का समावेश होता है - जब रथयात्रा वहां से निकलती है, तो रास्ते में सालबेग की मजार वहीं कुछ दूर जाने के बाद आती है। उस मजार के पास रथ यात्रा रुकती है, यानि प्रभु जगन्नाथ रुकते हैं। वे अपने भक्त से मिलने के लिए रुकते हैं। उसके बाद उनकी मजार में जाकर भोग चढ़ाया जाता है और फिर रथ आगे बढ़ता है। यह हमारा भाईचारा है, हमारे ओडिशा का भाईचारा है। ऐसा पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे देश में भाईचारा क्यों नहीं हो सकता है?

मुसलमानों के दिल में डर क्यों है? आप लोग इस डर को हटाने का काम क्यों नहीं करते हैं? हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री यहां बैठे हैं। मैं उनसे भी यह कहना चाहूंगा कि जो डर मुसलमानों के दिल में है, उसे हटाना चाहिए। हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यह अच्छी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबको देखना और सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व है। यह बात क्यों दिल में आती है, इसका कुछ कारण है। हमारे धर्म में पांच वक्त की नमाज व रोजा आदि को हम मानते हैं और करते हैं। यहां भी नमाज का समय होता है, तो हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। महोदय, नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। मैं सरकार से विनती करता हूं कि यह चीज़ न होने दें। लोग क्यों मना करेंगे? यदि कोई नमाज पढ़ता है, तो उसे लात मारी जाती है। हम यह वीडियो और social media में देखते हैं। यह गलत चीज़ है। यह अच्छी चीज़ नहीं है। यह बहुत गलत है। यदि दूसरे धर्म या दूसरे वर्ग का रास्ते में procession जाता है, तो मना नहीं किया जाता। आप सारे भारतवर्ष में देखिए। पूजा करने की जगह हर जगह नहीं है, इसीलिए रोड में ही पूजा की जाती है। चाहे वह दुर्गा मां की पूजा हो या महाराष्ट्र में गणेशजी की पूजा हो, वह रोड में ही की जाती है, क्योंकि शहर में जगह कहीं नहीं मिलती। वह रोड के ऊपर ही ब्लॉक करके की जाती है, तो किसी को मना नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने दो रकात नमाज पढ़ ली, तो उसे लात भी नहीं मारनी चाहिए। यह चीज़ सरकार को देखनी बहुत जरुरी है। यह सभी चीज़ होने से सबका साथ सबका विकास का जो नारा हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है, वह आगे बढ़ेगा।

महोदय, खोरदा जिले में माणिकगड के नाम से एक जगह है, जहां भी रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा के समय छेरा पहरा किया जाता है, अर्थात् वहां झाड़ू मारा जाता है, सफाई की जाती है। वहां के जो राजा हैं, गजपति महाराज, वे छेरा पहरा करके साफ करते हैं। माणिकगड में एक मुसलमान छेरा पहरा करता है और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है।

महोदय, आज हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारे ईसाई धर्म गुरुओं ने लिख कर दिया है कि हम वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि केरल में एक इश्यू हुआ था। कुछ जगहों पर कुछ लोग बस गए हैं, जो वक्फ बोर्ड की जगह है। यह प्रॉब्लम है। उसे सॉल्व करने के लिए उन सभी ने लिखकर दिया है कि वे वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं यदि किसी धर्म के लोगों ने लिख कर दिया है और वे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन वही ईसाई धर्म के लोग, जब किसी धर्म में शामिल होने जाते हैं, तो उस पर आपत्ति क्यों की जाती है? हर इंसान को स्वाधीनता है।

(3R/AKG पर जारी)

AKG-DPS/3R/4.20

श्री मुजीबुल्ला खान (**क्रमागत**) : कोई भी इंसान किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। यह हमारे संविधान में है। उसको अटकाने की कोई जरूरत ही नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल में अलग-अलग बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जिनके बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने यहाँ पर डिस्कशन किया और बताया कि

कौन-कौन सी समस्या है। इसमें एक क्लॉज़ ऐसा भी है कि जो दंड होना चाहिए, अगर वह हट गया, तो उसको सिर्फ 50 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो जगह दबा कर बैठे हैं, जमीन दबा कर बैठे हैं। वे लोग 50 हजार रुपए देकर छूट जाएँगे। सच्चर कमिटी ने जब रिपोर्ट दी, तो उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि बहुत से लोगों के पास illegal जमीन है और सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास है। सर, अगर सरकार के पास इतनी जमीन है, अभी अगर यह बिल पास हो गया, वहाँ से हो गया, यहाँ भी आपकी majority है, यह पास हो सकता है, अगर सरकार के पास इतनी जमीन है, तो फिर यह जमीन तो सरकार छोड़ेगी नहीं, यह जमीन तो वह ले लेगी। इसलिए वक्फ की जो जमीन है, यह सरकार के पास चली जाएगी। माननीय मंत्री जी लाखों एकड़ का हिसाब दे रहे थे कि उसमें 12,000 करोड़ तक इनकम हो सकती थी, लेकिन 160 या 170 करोड़ हुई है। सरकारों के पास जो जमीनें हैं, अगर ये जमीनें सरकार के पास रहेंगी, सरकार ने अगर नहीं दीं, तो वे जितनी एकड़ जमीन बोल रहे हैं, वह तो कमेगी। इसके कम होने से उसकी इनकम भी कम होगी। माननीय मंत्री जी उसको किस तरह से handle करेंगे, उसके बारे में आपको हमारे कौम के लोगों को और सदन को भी जानकारी देना बहुत जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी एक बात को लेकर सब बहुत चिंतित हैं कि एक मुसलमान को उसकी प्रैक्टिस के बारे में बताना होगा कि 5 साल तक उसने इस्लाम धर्म का ठीक से पालन किया है कि नहीं, इसके लिए उसको proof देने का प्रावधान रखा गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, वह proof दे, तो कैसे दे? वह किसको बताए कि मैं

इस्लाम धर्म का ठीक से पालन करता हूँ? वह टोपी पहनेगा या दाढ़ी रखेगा या क्या उसका criteria होगा? दाढ़ी, टोपी तो मैं नहीं रख सकता। मैं इस्लाम धर्म का पक्का पालन करने वाला हूँ। मैं न पाँच वक्त का नमाज छोड़ता हूँ, न रोजा छोड़ता हूँ, मैं हर वक्त इसका पालन करता हूँ। लेकिन इस चीज को, जो कि five years का प्रावधान दिया गया है एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जानने के लिए, इस प्रावधान को हटाना चाहिए। कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए। माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम इस चीज को हटा देना चाहिए कि वह अपने आप को कैसे prove करे कि वह इस्लाम धर्म में 5 साल से है, 5 साल से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। इस चीज को हटा देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूँगा, माननीय मंत्री जी आज जो बात बोले कि इस बिल के पास होने से, इस बिल की वजह से गरीब मुसलमानों की बहुत मदद होगी। अगर सचमुच ऐसा हुआ, तो जरूर इस देश के मुसलमान भी आपका यकीन करेंगे। वे उम्मीद करेंगे, आपको एक चीज की गारंटी देनी पड़ेगी या सदन को आपको assurance देना पड़ेगा कि इस बिल के पास होने के बाद ये जो जमीनें हैं, ये जमीनें किसी और दूसरे को नहीं दी जाएँगी, वक्फ की जमीन वक्फ के under में ही रहेगी, मुसलमान के under में रहेगी, ये जमीनें और किसी को hand over नहीं हो सकेंगी। मंत्री जी, आप यह क्लॉज़ रखें, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : धन्यवाद। प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) **:** शुक्रिया, माननीय वाइस-चेयरमैन साहब। सुकून भी है, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और आप वहाँ हैं, तो आपके पास आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र भी रहता है। यह मैंने महसूस किया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी आपत्तियाँ और अपनी आलोचना माननीय मंत्री जी के समक्ष रखूँगा। मैं बिल के मसौदे पर बिंदुवार आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें रखना चाहता हूँ। माननीय वाइस-चेयरमैन साहब, वह यह है, क्योंकि संविधान की इस किताब में किसी भी आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, तो उसकी इबारत पढ़ने से पूर्व Constituent Assembly की डिबेट को देखना चाहिए कि उस आर्टिकल के बनने में किस तरह के विचार आए थे। संभवत: माननीय मंत्री जी अगर आर्टिकल 26 ए, बी, सी की पूरी प्रस्थापना को, उस डिबेट को पढ़ते, तो शायद उनका काम एक non-statutory body से भी चल जाता, बशर्ते इसके कि इस तरह की चीजें लाएँ। (3एस/पीएसवी पर जारी)

PK-PSV/4.25/3S

प्रो. मनोज कुमार झा (**क्रमागत**) : आज आपके समक्ष जब मैं बोल रहा हूं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन वे गौर से देख रहे होंगे। कल उनके एक वीडियो को कट करके खूब चलाया गया। सर, पूरा संवाद तो देखिए। अगर उन्हीं का चलाना है, तो उनकी तो न्याय, सामाजिक सौहार्द के बारे में इसी पार्लियामेंट में बहुत

सारी स्पीचेज़ हैं, उनको सुना जाए। बहरहाल सर, मैं आर्टिकल के बनने की बात क्यों कह रहा था? सर, होता यूं है कि यूनिफार्म सिविल कोड पर बहुत चर्चा हुई - आर्टिकल 44, लेकिन कहा कि तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद देश का जो माहौल था, समुदायों के बीच में trust deficit था, तो उसको shelve किया गया Directive Principles में रख दिया गया, जैसे संपत्ति के बंटवारे की बात, आय के असमान वितरण की बात आई। फिर Directive Principles में 38 (2) और 39 का Clause 'C' आया।

मैं जानता हूं कि आज दोनों ही पक्ष तैयारियों के साथ आए हैं। हम गर्दनों के साथ हैं, वे आरियों के साथ हैं। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से कोई बात तल्लखी में नहीं बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

प्रो. मनोज कुमार झा : बिल्कुल, सर। आप जिंदाबाद रहें। सर, एक चीज देश के माहौल की बात की है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : यहाँ गर्दन लेकर आ सकते हैं, आरी लेकर नहीं आ सकते।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, आज देश का माहौल कैसा है, इस पर एक नजर डाली जाए। गाहे-बगाहे economic boycott की बात होती है, गाहे-बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे-बगा Places of Worship Act पर

सवाल उठते हैं। सर, इस तरह के माहौल में आपके बिल का content और आपके बिल का intent दोनों सवालिया निशान खड़े करते हैं। यह महत्वपूर्ण है, चिंता इस बात की नहीं है। आप भी चुन कर आए हैं, हम भी चुन कर आए हैं, लेकिन चुन कर आने के बाद, बहुमत wisdom की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर यह सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है, तो सारी wisdom आप ही के पास है।

महोदय, खान-पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा, इबादत - इतनी तकरारें, उसमें क्या होता है कि एक समुदाय को ऐसा लग रहा है – सर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी मुंबई गया था। मेरी भतीजी ने मुझसे पूछा- "काका मार्जिन क्या होता है?" तो मैंने उसको बताया कि बचपन से ही हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, जिसको हाशिया कहते हैं। सर, हमें लोगों को हाशिये पर छोड़ने की आदत बन गई है। हम लगातार समुदायों को हाशिये पर छोड़ रहे हैं। महोदय, मैं यह कहूंगा प्रेमचंद ने एक कहानी 'ईदगाह' लिखी थी। हमारे सारे साथियों ने वह पढ़ी होगी। 'ईदगाह' में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हममें से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंद्र था या शहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है - हामिद खरीदेगा, तो वहीं से खरीदेगा, हरिंदर खरीदेगा, तो वह हरखू के पास जाएगा। सर, ये चीजें हैं। मैं तो यह कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसी बावस्ता होती हैं कि उन्हें अलग-अलग देखने को जी नहीं चाहता। उन्हें अलग-अलग **...(व्यवधान)...** Please, I request you ...*(Interruptions)*.. मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें एक-दूसरे से ऐसी

बावस्ता होती हैं कि उन्हें अलग-अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर, इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है और ईसाइयों को तथा सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। सर, एक लखनऊ के मशहूर शायर थे, जो आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए। फिर नेहरू से दोस्ती थी, तो वापस आए, तब लोगों ने पूछा कि आप वापस क्यों आ गए, तो उन्होंने बोला – यार, वहाँ बहुत मुसलमान थे, मैं यहां लखनऊ का हूं, मिला-जुला देखने की आदत थी। ...(**व्यवधान**)... यह मैं बता रहा हूं। सर, मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। सर, आज सुबह से कई बार lighter vein में कहा गया - सौगात और तोहफा। लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं। लोकतंत्र में एक-एक पाई State Exchequer की है और एक-एक पाई पर, एक-एक नागरिक का हक है और उस नागरिक का भी हक है, जो हाशिए पर है और उस नागरिक का भी हक है, जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है।

(3टी/वीएनके पर जारी)

VNK-PB/3T/4.30

प्रो. मनोज कुमार झा (क्रमागत) : हमें यह समझना होगा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कल मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से, जो वक्फ है, उसका origin बता रहे थे। हम लोगों की तैयारी का सोर्स शायद कुछ तो समान है। वक्फ अरबी शब्द है, जो वक्फा से निकला है। इसको मान

लिया और इसका मतलब कोई पवित्र काम हो, दान हो, धार्मिक काम हो, उसमें इसका इस्तेमाल हो। अलग-अलग लोग इसका pronunciation अलग-अलग करते हैं। कोई वक्फ बोलता है, कोई वकफ बोलता है। ये इस देश की अलग-अलग धाराएँ हैं। काबा की मस्जिद 622 में बनी Prophet Muhammad के टाइम, 'Peace be upon him'. वह पहली इस्लामिक वक्फ थी। एक चीज हम सबको याद रखनी चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियाँ नहीं बँटी थीं, संस्थाएँ ऐसे नहीं बँटी थीं। वे बनते गए और उनमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं। इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा न कि दिक्कत होती है, जब आपका intent और आपका content, दोनों मैच करता है, तो डर लगता है, क्योंकि उस समुदाय के बारे में मैं एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि बिल के कुछ बिंदुओं पर आऊँ, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को invoke किया गया है और मैं चाहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक लाइन कही थी, उसको बार-बार पढ़िए - "Democracy is incompatible and inconsistent with isolation and excluding minority communities.' You have to look at hon. Minister from the angle of isolation and exclusion. ये दोनों चीजें बहुतायत में हैं और अलग-अलग जगहों पर हैं।

सर, जमीन के साथ किसी व्यक्ति और किसी कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। सच कहूँ, तो कई बार एहसास यह भी होता है कि with this Bill, is it a legal cover for bulldozer? That scares me as a citizen of

this country. ...(Interruptions)... कमाल की बात है। मुसलमान शहरों में रहे, तो घेट्टो, गांव में गया, तो घुसपैठिया और उनकी संस्थाओं के बारे में जिक्र हो, तो कहा जाए कि उसमें तो opaque नहीं है, suspect है। Conspiracy की tone में बात होती है। सर, यह उचित नहीं है। आज ही आप ही के सदस्य, राधा मोहन जी कह रहे थे कि 20 करोड़ मुसलमान हैं। सर, अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, तो क्या आप उसको alienate होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं, वे कैसे दूर होंगी? वे बैठ करके दूर होंगी, किसी को 'dog whistle politics' का उपकरण बना करके दूर नहीं होंगी। अगर आप अलग करना चाहोगे, तो वह उचित नहीं है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने कहा, 'non-Muslims' को...., मैं तो बड़ी तारीफ करूँगा, पक्ष में खड़ा हो जाऊँगा, अगर इस देश का मिजाज इतना सेकुलर कर दीजिए कि हर धर्म की संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए, हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर होगा! यह उचित नहीं है, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। इसमें क्या है? मैं दूसरी चीज कहूँगा कि संपत्ति वक्फ की है, अतिक्रमण के पंजीकरण के संदर्भ में। संजय जी कह चुके हैं। आपका खुद का affidavit है कि कितना digitalize हो गया है, कितना encroachment हुआ। मैं एक छोटी-सी बात कहूँगा कि आपने एक बहुत बेहतर चीज कही थी और मैंने नोट किया था। सर, सॉरी।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) **:** ढूँढ़ने में जो समय लगेगा, आपको उतना अतिरिक्त समय मिलेगा।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Thank you, Sir.

(Followed by 3u/HK)

DS-HK/4.35/3U

प्रो. मनोज कुमार झा : थैंक यू, सर। ...(**व्यवधान**)... जयराम जी, प्लीज़। इन्होंने कहा, अब देखिए कि 30 बरस में सिर्फ 8...(**व्यवधान**)... सर, मैं इस bonhomie को तो धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन इससे मुझ जैसे सदस्य को अपनी बात रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी अपने प्यार के लिए, बहुत जगह है इजहार के लिए! मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि 30 बरस में सिर्फ 8 केसेज़ आए। सर, हम क्या कर रहे हैं? अब 'Waqf by User', यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज़ में है, उसके कागजात ढूंढ़ोगे? मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूँ। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे, दादा के टाइम से। अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है और अब बिहार की सरकार ने सर्वे ही बंद कर दिया। मैं यह कह रहा हूँ कि पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी से यह मांगेंगे, जबकि वह परेशान है! पुरानी संपत्ति है, lack of

technical expertise है, वह कहां से लाए? सब विवाद में आ जाएंगे, हमारे समक्ष लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो। हम लोकल लेवल पर कहते हैं, बेचारा डीएम ट्रैक्टर बनकर रह गया है। आपकी जितनी योजनाएं हैं, चाहे वे जयंत भाई के विभाग की योजनाएं हों या किसी के विभाग की योजनाएं हों, उनका नोडल ऑफिसर डीएम ही होता है। हम यह मानकर भी चलते हैं कि वह डीएम है, तो ज्ञान का सारा भंडार भी उसके पास है। डीएम को एक-एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है। डीएम क्या-क्या करेगा?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें वीकर सेक्शंस की बड़ी चर्चा की गई है। अपने हिंदू समाज में भी बहुत बड़े पसमांदा हैं। मैं जब-जब आप लोगों के पास जीरो ऑवर के माध्यम से या किसी अन्य उपकरण के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि साहब, कास्ट सेंसस करवा दो, तो आप चुप हो जाते हैं। अभी संजय जी ने कहा कि भगवान ने जब ऊंच-नीच की, जाति की व्यवस्था नहीं बनाई, तो भगवान के समक्ष, जो इबादतगाह है, जो मंदिर है, वहां क्यों यह व्यवस्था बनी रहे? क्यों नहीं आरक्षण हो? क्यों नहीं, हम सुनिश्चित करें कि पूजा-पद्धति किसी एक जाति विशेष के हाथ में न हो, हर कोई उसमें भागीदारी कर सके? तभी हम राष्ट्र की जो संकल्पना थी, उसको साकार कर पाएंगे। अब कंसल्टेशन देखिए। रिजिजु जी बहुत इनोसेंट चरित्र के हैं, इनका बहुत इनोसेंट चेहरा भी है। इन्होंने कंसल्टेशन के काफी आंकड़े बता दिए। भूपेन्द्र जी, आप उठते हैं तो लगता है कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लीजिएगा। सर, There is absolute lack of consultation. Consultation is not about calling so

many meetings; consultation is about listening to them also. सुना या सुना दिया? आप सुनते नहीं हो, सुनाते हो। इसको संवाद नहीं कहते हैं। संवाद का मतलब होता है, दोनों चीजें।

सर, मैं एक और चीज़ कहूंगा और वहीं अपनी बात खत्म करूंगा। आप मुस्लिम्स की संस्थागत गैर-मौजूदगी इंश्योर कर रहे हैं। मैं आज इतिहास के इस कालखंड में हूँ। यहां माननीय लीडर ऑफ द हाउस हैं और हमारे अन्य साथी हैं। यहां मेरी कही गई बात भी दो मिनट के बाद हिस्ट्री हो जाएगी, इतिहास बन जाएगी। मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, not to hurry up. इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पर कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पर कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए, क्योंकि अगर आपकी उस नजर में बदलाव नहीं आएगा, तो हमारा सब कुछ बिखरकर रह जाएगा।

सर, मैं आखिरी एक मिनट लूंगा। मैं सोचकर आया था कि क्या कहूँ और इसीलिए मैंने ईदगाह का जिक्र किया। मैं "नूर मियां का सुरमा" का भी जिक्र कर सकता था, जिसे विद्रोही जी ने लिखा और उनसे पहले केदारनाथ सिंह जी ने लिखा। अदम गोंडवी, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश का आभार प्रकट करते हुए मैं एक-दो लाइन पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा।

(3डब्ल्यू/एमजैड पर जारी)

MZ-KSK/4.40/3W

प्रो. मनोज कुमार झा (क्रमागत) :

"हिंदू या मुस्लिम के अहसासात को मत छेड़िए,
अपनी कुरसी के लिए जज़्बात को मत छेड़िए।
हममें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है,
दफ़न है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए।
ग़लतियां बाबर की थीं; जुम्मन का घर फिर क्यों जले,
ऐसे नाज़ुक वक़्त में हालात को मत छेड़िए।
हैं कहां हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज़ ख़ां,
मिट गए सब, क़ौम की औक़ात को मत छेड़िए।
छेड़िए इक जंग, मिल-जुल कर गरीबी के खिलाफ़,
दोस्त मेरे मजहबी नग़मात को मत छेड़िए।"

सर, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि इसको फिर से consultation के लिए भेजिए और executive के decision को कमतर कीजिए। Executive के decision को influence को कमतर कीजिए और पूरी दुनिया नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पर जा रही है आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पर जा रहे हैं। नॉमिनेटेड लोग बड़े खतरनाक होते हैं, आप ध्यान रखना। जय-हिंद!

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Dr. John Brittas. Will you speak in Malayalam?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I will speak in English and Malayalam both. I need your benevolence. You showed benevolence to others. Please show to me also. There was a political party. In its 2014 election manifesto, it said, "We are pledged to prevention of encroachment of Waqf properties, and we will empower Waqf Boards." Who said this? Kiren Rijiju*ji*'s party said it. Their election manifesto stated this in 2014. They had supported all the Amendments of Waqf Act. All of a sudden, they have done a somersault. I will tell you how this Bill affects the basic tenets of the Indian Constitution, whether it is secularism, whether it is democracy, or whether it is equality. In all of these tenets, there is a cardinal violation that is happening. That is why, we are staunchly opposing this piece of legislation. They have already discriminated amongst the people, segregated people from people. We know what they intend to do through this Bill. They are segregating gods from gods. They are segregating Hindu god from Allah. This Act of limitation is not applicable to Devasthanams; not applicable to a Hindu god. They want to make it applicable to Allah. How can they discriminate between gods? Hitherto, they were discriminating amongst the people. Now, they have started discrimination amongst the gods also. Sir, I will come to it. Just two days before the assassination of

Mahatma Gandhi, he visited Qutubuddin Bakhtiyar Kaki Dargah in Mehrauli. That was the message he wanted to give to the nation. And, the founders of this Constitution, the founders of this country, wanted this value to be embraced. What did Sardar Patel write? See, these people are spreading poison. He wrote, "To root out the forces of hate and violence from this country, I have banned an organisation." I do not want to mention the name of that organisation. Who said it? Sardar Patel said it. Who said that Muslims, Christians and communists are internal enemies of this country? Who said it? All that is happening has been extrapolated from this so-called dictum that these three people, that is, Christians, Muslims and communists, are internal threats.

A lot has been said about bulldozers. This is an extension of bulldozer, digging and *danga*. Whatever is happening in this country is being extended to a piece of legislation. During Holi, you will agree with me, the mosques in U.P. were covered. Is it not a matter of shame for this country? Please come to Kerala. They talked about Kerala. Rijiju*ji* talk so much about Kerala. Please come to Kerala. During the recent festival, Attukal Pongala, the devotees of Islam, devotees of Christianity, they lined up and served refreshments for the Hindu pilgrims. (Contd. by 3X – GSP)

GSP-DN/4.45/3X

DR. JOHN BRITTAS (contd.): That is the culture of Kerala. What is the biggest aberration of this Bill? Everybody has said about it. I won't say much on this. The Waqf Council or the Waqf Board, you take anything, at a stroke, they have made it a non-Muslim administrative body. If you take 23 Members of the Waqf Council, even 13 Members can be non-Muslims. I will prove this. Let me tell you, Mr. Rijiju, what the intention was. Is your intention to strengthen the Waqf Board? It is a statutory body. Even the CAG audit is applicable to it. Some of the *Muttawallis* were indulging in unfair practices. Now, even the power to control unfair practices of these *Muttawallis*, you have actually neutralized. You should have prevented alienation of Waqf properties. Now, you are trying to facilitate alienation of the Waqf properties. That is the essence of this Bill.

There was a Supreme Court verdict on Padmanabhaswamy Temple. On the question of one nominee of the Government, for abundant caution, the Supreme Court said, if the particular officer is not a Hindu, then, the junior has to be picked up. The Supreme Court was very clear that the Board of a particular religion needs to be protected and only the Members of that religion need to govern that Board. These people, with this piece of

legislation, want to alienate Muslims from Waqf Boards. They are saying that Waqf Boards have so many properties. No, Sir. Rijiju ji, you do not know even A,B,C,D of Waqf. I am telling you. Waqf Board is just a custodian. Does it mean that just because the Government of India governs the country, all the land of this country belongs to the Government of India? No! Unless you take over, the land does not belong to you. Similarly, it is the case with the Waqf Board also. You do not know the elementary vertical of the Waqf Board. Let me come to it. Five years practising Muslim! These people are resorting to *ghar-vapsi*. Does it mean that they will not accept somebody who has come back to Hindu religion? Will they wait five years to give 916 branding for these people who have come after *ghar-vapsi*. Is this your style? They want to say that somebody needs to demonstrate that somebody is a Muslim. Sir, a lot has been said about it.

Mr. Vice-Chairman, Sir, since these people are imposing three-language formula, I will speak a bit of Malayalam. Sir, you are very kind. I always compliment you because you have been very kind to Members.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : इस बात पर आपको दो मिनट का समय और मिलेगा।

DR. JOHN BRITTAS: *"Sir, you heard the discussion that took place here. There are people here, who shed crocodile tears in the name of Christians. Every day, Christians are being attacked in North India. Even today, attacks against Christians were carried out in Jabalpur. 700 incidents of attacks against Christians took place last year. More than 200 churches were **burnt** in Manipur. During the past two days, they are bandying the words Malayali, Christianity and Munamb. Stan Swami, can you forget his name? He was suffering from Parkinsons disease and cried out for a drop of water. You sent him behind the bars and killed him. Can you forget Graham Staines? He was burnt alive along with his children. The attacks are being carried out even now. Sir, there is a character in the Bible. He betrayed Jesus Christ for 30 silver coins. There are characters sitting here, who belong to the same category. Yesterday, someone talked about Christians and the Cross.

---

* **English translation of the Malayalam portion.**

Sir, a few days back we talked about a film. What was that film? Empuraan. There is a character in this Empuraan film, his name is Munna. You can see that Munna in this House. You can see him here. You can see a Munna on these BJP benches. This Munna, will be spotted out. Malayalis will identify him. Kerala will find him out. That is the history of Kerala. We have prevented this poison from spreading in Kerala. One person won the election, Lok Sabha elections. Just as we closed your account in the 'Nemam constituency', we will soon close the account you had opened, in Kerala in the last election. Malayalis had made a mistake 'by electing a BJP candidate'. That mistake will soon be rectified. Rest assured about that. Sir, one thing I want to tell you. Not a single person of Munamb will lose his house. This is the declaration of the Left Government. This is our promise. Left front has the ability, sincerity and the will to provide 5 lakh houses to them. We take this responsibility of protecting the people of Munamb. We will do that. We don't need your charity to do that. Just as you had covered up Masjids, you don't have to cover up any place of worship in Kerala. Not a single person will have to live in fear. Everyone can live in an environment of brotherhood. We will create such an atmosphere. It already exists in Kerala. We know how to safeguard it. When you are shedding crocodile tears in the

name of Christians, the Malayalis have the wisdom to recognise your pretentions.

When you talk about this Bill, you keep saying Munamb, Munamb. You people had driven out thousands of people from North India. 50 thousand people are living like refugees in Manipur. How many people have fled from this country? You have nothing to say about them? How many churches were destroyed by you? You are truly the Munna who appears in the film Empuraan. You are the Munna. Malayalis have the intelligence to recognise such Munnas. So I am making a request to you.

(Contd. by SK/3Y)

SK-LP/4.50/3Y

DR. JOHN BRITTAS (contd.): If they have belief, if they have trust in the Indian Constitution, they should forthwith withdraw this piece of legislation. If they want communal harmony, if they consider people to be equal, if they consider the Gods to be equal, they should withdraw this piece of legislation."

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : डा. जॉन ब्रिटास जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अभी नेशन की जो बात कही है, मैं उस पर आपको बताना चाहता हूं कि कालडि के शंकराचार्य जी ने जो नेशन बनाया है, हम उसी नेशन को मान रहे हैं।

DR. JOHN BRITTAS: Thank you very much, Sir. I am so grateful to you. Let me just tell you one thing. The people of Kerala listen to you and we will always respect you for your benevolence. Thank you very much, Sir.

(Ends)

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SURESH GOPI): Sir, there was an indirect reference to... ..(Interruptions)..

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... No, no. Not allowed. Please, sit down. *..(Interruptions)..* I am going to allow. Please, sit down.

SHRI SURESH GOPI: Dr. Brittas, ..(Interruptions).. I am going to talk in Malayalam, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes.

SHRI SURESH GOPI: I did the honours yesterday in the other House in English. Now, he needs to be reminded in the form of being taught some lessons. He was talking about Empuraan, a cinema, which was also raised yesterday. Does he dare to have a re-release of 51 cuts of TP Chandrasekharan? *..(Interruptions)..* Left, right, left... *..(Interruptions)..*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. *..(Interruptions)..* I will not allow you. Listen to him. *..(Interruptions)..*

SHRI SURESH GOPI: *"Through you, Sir, I want to ask Dr. Brittas or his Kerala channel, or the Chairman of his Kerala channel, who is a leading actor in the Malayalam film industry. I do not wish to take his name because he is a noble soul. Do they have the guts? Does the Chief Minister of Kerala have the guts to have *..(Interruptions)..* What is wrong? *..(Interruptions)..* What is wrong with the language?" *..(Interruptions)..*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Let him complete.

SHRI SURESH GOPI: *"Sir, they should have the guts to let these two films be screened again, permitted to be screened again. Then they can start yelling for Empuraan. One more matter of fact, which is the only truth I have, to let the Indian citizens know." (Contd. by YSR/3Z)

***English translation of the Malayalam portion.**

YSR-PRB/4.55/3Z

SHRI SURESH GOPI (Contd.): There was no Censor pressure on the producers of Empuraan. I was the first person to call the producers and ask them to delete my name in the form of a credit card towards the beginning of film. This is the truth. ...*(Interruptions)*... Sir, I need your protection.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : समाप्त करें। **...(व्यवधान)...**

SHRI SURESH GOPI: Sir, I need your protection. ...*(Interruptions)*... Undisturbed. This is the truth. I am ready to face any punishment if this is found false. ...*(Interruptions)*... I am saying it on record in this Upper House. ...*(Interruptions)*... I know the responsibility. ...*(Interruptions)*... It was the decision of the producers and the lead actor of the film, with the permission of the Director of the film, to remove 17 portions from that film. It was their decision. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please.

SHRI SURESH GOPI: What is the circus going on in the name of politics in the whole of the State defaming my political party? ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : समाप्त करें।

SHRI SURESH GOPI: Coming back to Munambam...*(Interruptions)*... I will not yield. ...*(Interruptions)*... I will not yield.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : समाप्त करें। ...(**व्यवधान**)... मैं आपको अवसर दूंगा। Please sit down. ...*(Interruptions)*... I will give you chance. ...*(Interruptions)*... Please sit down. I will give you a chance.

SHRI SURESH GOPI: Sir, through you, I will tell Dr. John Brittas, with due respect that *"It is not just your (CPM's) political limbs that have received a hurt. Several other interests have been hurt. In days to come, you are going to feel the hurt again. You will get further blows in the days to come. This political party has butchered about 800 people. It is the politics of murder." ...*(Interruptions)*...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI SURESH GOPI: Sir, please give me a little more time. *"600 families have been deprived. You have grabbed them. What is that promise which a religious leader of a prominent community had given to the people

---

*English translation of the Malayalam portion.

of Munambam? What did he tell them after going there? In the name of justice, CNR, a Commission was formed. High Court dismantled it and threw it into the drains. The narrative that you have built up is going to be buried in the depths of the Arabian Ocean. The people of Kerala will trample it down so that it will never resurface again and there is not going to be any difference among the Hindus, the Christians or the Muslims when it comes to carrying out this act. It will be trampled down. Thank you very much, Sir.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): What is your point of order? ...*(Interruptions)*... I have allowed him. ...*(Interruptions)*... No point of order on a point of order. Please sit down.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, this is again under Rule 240.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please listen.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, why did he unnecessarily refer to his name? ...*(Interruptions)*... He had to stand up because he took his name. ...*(Interruptions)*... We will listen to you. First you listen to me. सर, जॉन ब्रिटास जी ने इनका नाम लिया और कहा

कि अगली बार इनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। ...(**व्यवधान**)... ये मंत्री हैं। मंत्री का डिबेट के समय हस्तक्षेप करने का अधिकार चेयर की परमिशन से होता है। ...(**व्यवधान**)... आपकी परमिशन से उन्होंने बोला है। उन्होंने अपने आप उठकर नहीं बोला है। ...(**व्यवधान**)... अगर जॉन ब्रिटास इनका नाम नहीं लेते, जॉन ब्रिटास यह नहीं कहते कि इनको अगली बार चुनाव में हरा देंगे या ये अगली बार हार जाएंगे, अगर वे ये सब टिप्पणी नहीं करते, तो ये मंत्री नहीं खड़े नहीं होते। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने इनको उकसाया है। Why did you take his name? *...(Interruptions)...* Why did you take his name? *...(Interruptions)...* Now, no other Member should interfere in this matter. *...(Interruptions)...* Let the next speaker speak now. *...(Interruptions)...*

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, a point of order. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Hon. Members, please sit down. *...(Interruptions)...* Shri Sandosh Kumar P. *...(Interruptions)...* Under which Rule?

SHRI SANDOSH KUMAR P: This is under Rule 240. I am sorry to say*...(Interruptions)...* Why are you so impatient?

SHRI KIREN RIJIJU: He has not taken his name. (Followed by VKK/4A)

VKK-AKG/4A/5.00

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, with due respect, may I ask you: Did you follow the content of Mr. Suresh Gopi's speech in Malayalam?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Yes, I understand.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, with due respect, I am requesting you that Parliament should not be made a forum to settle cheap and mean political scores. Mr. Suresh Gopi is trying to misuse the Parliament forum. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : पहले मुझे इसका निर्णय करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, let me complete. He must have problem with Keralite people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): I have to decide the first point of order. ...(*Interruptions*)... Point of order पर point of order नहीं होता है। कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... आप सब बैठ जाएँ। पहले मुझे इसका निर्णय करने दें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I request you. ...(*Interruptions*)... I request you to expunge his remarks. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : पहले मुझे इसका निर्णय करने दें। ...(**व्यवधान**)... I will not allow you. जब तक मैं उनका निर्णय नहीं करूँगा, तब तक आपको allow नहीं करूँगा। प्लीज़ बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... बैठ जाएँ, मैंने रूल 240 पर आपका प्वाइंट सुन लिया। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... No; I have to decide. ...(*Interruptions*)... Point of order पर point of order नहीं आता है। एक point of order है, मुझे उसका निर्णय करना है। ...(**व्यवधान**)... पहले मैं निर्णय करूँगा, उसके बाद आपको अवसर दूँगा। ...(**व्यवधान**)... No, I am not giving you a chance; not at all. Please sit down. ...(*Interruptions*)... यह अंकित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)... Nothing is going on record. Please sit down. First, I have to decide. मैंने एक व्यवस्था दी है कि point of order पर point of order नहीं आता। जो पहला point of order है, मैं उसको decide करूँगा। उसके बाद आपका कोई point of order हो, तब आप उठना। Please sit down. माननीय डा. जॉन ब्रिटास ने जो बात कही, उसमें उन्होंने माननीय मंत्री महोदय का नाम पुकारा। ...(**व्यवधान**)... जब नाम पुकारा, तो मैंने मंत्री जी को बोलने का अवसर दिया। आपने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात का स्पष्टीकरण किया। यह point of order नहीं है। अब आगे चलते हैं। डा. सरफराज़ अहमद। ...(**व्यवधान**)... श्री तिरुची शिवा।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, Mr. Suresh Gopi is my very best friend. I have nothing against him. But when he spoke, he took the name of Dr. Brittas and used words like 'burnt', etc. So, kindly, expunge all those words which are negative in meaning. It is under Rule 238A to make personal charge against a Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): I have already given it.

SHRI TIRUCHI SIVA: No, Sir. He took his name. Kindly expunge that. That's all. It is very derogatory.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : ठीक है, मैं इसको देखूँगा। I will see to it. Now, Dr. Sarfraz Ahmad. I will see to it. ...(*Interruptions*)... Please! मैं इसको देखूँगा। डा. सरफराज़ अहमद। ...(**व्यवधान**)... कृपया सरफराज़ अहमद जी को बोलने दीजिए।

डा. सरफराज़ अहमद (झारखंड) **:** सर, आपका बहुत धन्यवाद। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा, किसी कीमत पर नहीं करूँगा। सर, आज 11 साल से इनकी सरकार है। है कि नहीं? Full दो टर्म और एक साल। और आज इनको मुसलमान याद आ रहे हैं कि मुसलमान का कुछ भला करें! भला वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करने से नहीं होगा। आप उसकी रोजी-रोजगार की बात कीजिए, उसकी

नौकरी की बात कीजिए, उसकी तालीम की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, तो भला होगा, बोलने से भला नहीं होगा। आपने इतना बुलडोजर चलाया है, इतना चलाया है कि वह आप पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं होगा, आप कुछ भी बोल लीजिए। लगता है आपकी नीयत साफ नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री घनश्याम तिवाड़ी**) : कृपया सुनें।

डा. सरफराज़ अहमद : सर, नीयत पर शक है। आर्टिकल 26 के ऊपर जॉन ब्रिटास जी से लेकर जितने लोगों ने कहा है, सबने याद दिलाया है।

(4बी/पीएसवी पर जारी)

BHS-PSV/4B/5.05

डा. सरफराज़ अहमद (**क्रमागत**) **:** सर, उसमें क्या है? उसमें यह है कि किसी धर्म और मजहब को अपना institution बनाने का इख्तियार है और अपने लोगों की खिदमत करने का इख्तियार है। उससे ज्यादा इख्तियार नहीं है। अब इस बिल में जो तरह-तरह की बातें हैं, वक्फ बोर्ड या वक्फ जो है, वह खुद जाकर किसी की जमीन नहीं हड़पता है, नहीं ले लेता है कि हमने तुम्हारा यह जमीन ले ली, जब तक उसकी willingness नहीं होती है। देने वाले की, दान करने वाली की इच्छा होगी और वह लिख कर देगा, affidavit देगा, पेपर देगा, तब वक्फ बोर्ड उसको accept करेगा। **...(व्यवधान)...** भाई, पहले मेरी बात सुन लो। आप लोग जानते नहीं हैं। **...(व्यवधान)...** वक्फ-वक्फ कह कर हल्ला कर दिया। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप इधर आसन की तरफ देखें।

डा. सरफराज़ अहमद : सर, मैं आपको देख रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : मैं भी आपको देख रहा हूं।

डा. सरफराज़ अहमद : उससे जो भी आमदनी होगी, आमदनी पूरी नहीं, जो a part of the आमदनी होगी, उससे समाज की भलाई का काम होगा। ऐसा लगता है कि वक्फ ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जमीन को हड़प लिया है और ये लोग उसे छुड़ाने के चक्कर में हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि अब इन्होंने उसमें यह बात रखा है कि आज वक्फ की जो जमीनें हैं, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, उस पर भी बहुत से लोगों का कब्जा हो चुका है। आप वक्फ के कब्जा वाली जमीन को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कहां-कहां वक्फ की प्रॉपर्टी पर दूसरे लोगों का कब्जा है, उस पर मार्केट, मॉल और सिनेमा हॉल तक बन चुके हैं। वह वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका प्रूफ है। उसको छुड़ाने की बात कहीं पर नहीं है। वह करना पड़ेगा। Practice Islam की बात है, तो क्या अब जो नमाज पढ़ाने वाले पेशमाम साहब हैं, वे रजिस्टर ले खड़े रहेंगे कि सरफराज अहमद नमाज पढ़ने जा रहा है to practice Islam. हर दिन पांचों वक्त का क्या सबूत है? यह सब बेकार की बातें हैं। Practice Islam - मन से और दिल से धर्म को मान लिया और भगवान, ईश्वर और अल्लाह के आगे सिर झुका लिया, वह Islam हो गया। आप उसको कैसे differentiate करेंगे, बता दीजिए?

अभी आपने कहा कि जेपीसी पूरे हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर, प्रत्येक मुख्यालय में, हरेक स्टेट के कैपिटल में गई और ना जाने, करोड़ों-करोड़ लोगों से दरखास्त आए, उनसे मिले। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो सजेशंस आए हैं, आपने इस बिल में उनमें से कितने रखे, incorporate किये। मिले तो बहुत से लोग, अभी संजय बाबू कह रहे थे कि इतने-इतने लोग आए। उनको ज़रा स्क्रूटनी करके देखिए कि उनमें से कितने लोग इस बिल के पक्ष में हैं और कितने लोग इसके खिलाफ हैं। वह नम्बर तो आपने बताया नहीं कि जिन-जिन लोगों ने राय दी। हम लोगों ने भी राय दी थी। हमारे यहां भी टीम आई थी, तो हम लोगों ने भी कहा। हम लोगों ने और जितनी अन्य असेंबलीज़ है, सारे लोगों ने अपने-अपने यहाँ से negative में पास करके भेजा है, लेकिन उसकी तो चर्चा कुछ हो नहीं रही है, लेकिन नंबर की चर्चा होनी चाहिए।

सर, दूसरी बात है कि आपने उन चीजों को incorporate किया हुआ है, जिनको आप practical नहीं कह सकते हैं। मैं फिर से यह कहना चाहूंगा, जैसे हमारे साथियों ने कहा है कि इस बिल को एक बार पुनः विचार के लिए भेजा जाए और सही ढंग से इसको लाया जाए, जिसके लिए आप कर रहे हैं और जिसके लिए करना चाहते हैं। मैंने कहा कि सब लोग उस बात को कह रहे हैं कि आपका तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। अगर आप उस उद्देश्य से यह काम करेंगे, तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द!

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : श्री संजय राउत।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र) : सर, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। आज आप बहुत प्रसन्न भी हैं। खुश रहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : मैं खुश ही रहता हूँ और आपको देख कर और खुश हूँ।

श्री संजय राउत : सर, मैं देख रहा हूँ कि अचानक कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिन्ता हो रही है।

(4सी/वीएनके पर जारी)

VNK-RL/4C/5.10

श्री संजय राउत (क्रमागत) : अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है और मुसलमान भी डरे हैं और हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है? रिजिजु जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृहमंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, जितनी आप कल से कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठ कर आपके शरीर में घुस गया है। ऐसा मत कीजिए। हमें पहले लगता था कि हम सब मिल कर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण और ये सब देख कर मुझे लगा कि आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

सर, इन्होंने जिस तरह से यह बिल लेकर आया है, यह लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26 परसेंट टैरिफ का आक्रमण किया, सबको डुबा दिया, इसलिए असली मुद्दा यह है कि आप उसी दिन यह बिल लेकर आए। आप उसको डायवर्ट करने के लिए उसी दिन यह बिल लेकर आए। चर्चा होनी चाहिए थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, उससे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिर कर मर जाएगा - ऐसी बहुत-सी बातें जनता सोच रही थीं, तो आपने इसको लाकर उसका ध्यान हटा दिया और वापस हिंदू-मुसलमान के मुद्दे पर ध्यान दिला दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं, तब आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हैं और दो दिन, चार दिन, पाँच दिन चर्चा कर लेते हैं।

(**श्री सभापति** *पीठासीन हुए*)

सर, आप गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? आप ही लोग हैं, जो बोलते हैं कि मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय-बैल उठा कर ले जाएँगे, महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से मीट मत खरीद लीजिए, अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हैं। आप लोग

मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप मुझे कुछ मत सिखाए। मैं बहुत पढ़-लिख कर यहाँ आया हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूँ और सब कुछ पढ़ा हूँ। आप अभी अभी हिंदुत्व के नए मुल्ला बन गए हो।...(**व्यवधान**)... आप हमें मत सिखाइए। हमारा जन्म ही हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है।...(**व्यवधान**)... कल मैं गृह मंत्री जी का भाषण सुन रहा था।...(**व्यवधान**)... गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाले मस्जिद, मदरसे, दरगाहों को हाथ नहीं लगाएँगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं, उन्हें बेच कर गरीब मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे। उनमें पैसा बाँटेंगे। रिक्त जमीन है, तो आखिर आप बेचने-खरीदने की बात पर आ गए। जिसका डर था, वही हुआ कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे। आपका जो मूल उद्देश बिजनेस, व्यापार है, आप उसके ऊपर आए। आप चुप नहीं बैठेंगे। ...(**व्यवधान**)... आप जमीन बेच कर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। किसको बेच दी? ये जो प्राइम लोकेशन्स पर 2 लाख करोड़ की जमीन है, आपका पूरा ध्यान उस पर है। आप वह किसको देने वाले हैं? यहाँ तो खरीदने वाला एक ही है। बेचने वाले भी दो हैं और खरीदने वाला भी

एक है। अगर आपको जमीन की चिंता है, तो हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं, उनमें से 40,000 कश्मीरी पंडितों को अब तक जमीन नहीं मिली है। (4डी/डीएस पर जारी)

DS-DC/5.15/4D

श्री संजय राउत (क्रमागत) : अब तक 40,000 कश्मीरी पंडितों को जमीन नहीं मिली है, घर नहीं मिला है, आप उनकी चिंता करो। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हुई है, आप उनकी चिंता करो। सर, लद्दाख में चाइना घुसकर हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। चाइना के कब्जे में जो हमारी जमीन है, आप उसकी चिंता करो। ...(**व्यवधान**)... हाँ, दीजिए, हम रक्षा करेंगे, हमारा देश है।

श्री सभापति : संजय जी, मैं घंटी नहीं बजाऊँगा।

श्री संजय राउत : आपने जो यह बिल लाया है, इसमें आपका उद्देश्य साफ नहीं है। आप उस जमीन का व्यवहार करना चाहते हैं। अभी तो आप बड़ी-बड़ी बातें, मीठी-मीठी बातें करते हो, लेकिन आप व्यापारी लोग हो। व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर नीरव मोदी जैसे भाग जाते हैं, विजय माल्या, मेहुल चोकसी - भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने जो यह बिल लाया है, यह बिल हमारे समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। हम फिर एक बार इस देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, फिर एक बार इस देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन आप ये धंधे बंद करो, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Thank you, Sanjay*ji*. *...(Interruptions)...* नीरज जी, आप देखिए। संजय जी बता चुके हैं। आप उनकी मजबूरी समझिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा।

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा) : माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2024 पर बोलने के लिए और इसके समर्थन में खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। इस बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना है।

श्री सभापति : मेरे मन में भी यह बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद उम्मीद पर टिकी है। आपने दो बार कहा, तो मैंने सोचा कि तीन बार कह दें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है। पक्ष-विपक्ष की तरफ से सभी लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपनी-अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातों से इस प्रकार की ध्वनि आती है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस वक्फ बिल को जिस उम्मीद से लेकर आई है, वह कहीं bulldoze कर रही है। यह ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, यह जो narrative बनाया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं आपके माध्यम

से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है।

अब मैं processes की बात करूं। नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है। मैं भी उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। 2013 में इसी वक्फ बिल के लिए जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे।

(4ई/एमजैड पर जारी)

DPS-MZ/4E/5.20

श्री जगत प्रकाश नड्डा (क्रमागत) : नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जो Joint Parliamentary Committee बनी, उसमें 31 सदस्य थे, just one-three and three-one! आप समझ सकते हैं कि democratic norms को follow करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है? क्या सिर्फ यही कि हम आपकी बात मान लें, तभी हम democratic हैं। वाद-विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा? हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि Joint Parliamentary Committee की 36 meetings हुईं। मैं जगदम्बिका

पाल जी से बातचीत कर रहा था, तो more than 200 hours have been spent on the Joint Parliamentary Committee activities, directly and indirectly. अब ये 200 hours - what processes were adopted? अभी हमारे नासिर हुसैन जी कह रहे थे कि clause-by-clause voting नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)...

सैयद नासिर हुसैन : डिस्कसन नहीं हुआ।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : वहां discussion नहीं हुआ। मैं यह कहता हूं कि discussion क्या होता है, आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही। यही discussion होता है, this is called discussion. It is not necessary that I agree to everything which you say. इसलिए आपके ज़माने में 2013 में only 22 meetings took place. हमारे रिजिजु साहब ने बताया कि जम्मू-कश्मीर – इन्होंने तो बताया लद्दाख, लेह, जम्मू-कश्मीर – वह उस समय तो जम्मू-कश्मीर ही था, एक ही था। श्रीनगर, जम्मू, लेह – वहां आप गए और हमारे जगदम्बिका पाल जी सारी कमिटी को लेकर 10 राज्यों में गए। अगर मैं stakeholders की बात करूं, तो 284 stakeholders के साथ participation हुआ debates में और UPA के ज़माने में 18 stakeholders के साथ बातचीत हुई थी। Now, just imagine, कहां 284 और कहां 18! कहां सरसरी तौर पर discussion हुआ और कहां गहराई से discussion हुआ! वे कौन से पैमाने हैं, जिन पैमानों पर हम खरे न उतरे हों। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 25 States के Waqf Boards के साथ बातचीत हुई, 15 State Governments के साथ बातचीत हुई, 5 Minority

Commissions के साथ बातचीत हुई और सैकड़ों MLAs, MPs और Ministers के साथ बातचीत हुई। इससे ज़्यादा exhaustive discussion क्या हो सकता था। UPA के ज़माने में जब 2013 में बिल आया, तब सिर्फ 13 States के साथ बातचीत हुई थी और बिल को लोक सभा में लेकर चले आए थे।

महोदय, मुझे एक बात और ध्यान में आ रही है, जो मैं कहना चाहूंगा। मुझे यहां कपिल सिब्बल साहब दिखे थे। कोर्ट में चर्चा होती है कि when you have got arguments, you are contented and you speak accordingly. आप तो जानते ही हैं और when you are lacking arguments, you raise your voice and try to sensationalise. मैंने देखा कि डिबेट को बहुत deviate और derail करने की ...

श्री सभापतिः माननीय नड्डा जी, यह बात है, if you are a lawyer; you are strong in law, hammer law. If you are strong on facts, hammer facts. If you are strong on neither, hammer the table.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Thank you very much, Sir. Very good advice but I will not hammer the table.

MR. CHAIRMAN: No, no. It is a saying.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : यह derail हुआ और deviate भी हुआ। कल मुझे लोक सभा में भी देखने और सुनने को मिला। इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुम्भ मेला दिख रहा है, इस बिल में कहीं बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें Air

India बिक गया, इसमें Kerala का cinema दिख रहा है। यह deviate, derail, sensationalize - मैंने Suresh Gopi*ji* को भी कहा कि बैठ जाओ, Dr. John Brittas was very smart. Sir, what he did, he spoke his whole speech in English. But, when he wanted to say, something which was unwanted, he chose Malyalam and it was... ...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS: It was that I want the people of Kerala to know those things. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Yes! ...(*Interruptions*)...

(Contd. by PK/4F)

PK-DN/4F/5.25

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA (CONTD.): Legally, you are sound, Dr. John Brittas, but I have said, it was a smart move.

DR. JOHN BRITTAS: Yes, it was a smart move.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: You wanted something to be told to this House and you wanted something to be told to the Kerala people.

DR. JOHN BRITTAS: Yes.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: So, that smartness...

MR. CHAIRMAN: It is a compliment.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: And, whatever he spoke in Malyalam had nothing to do with the Bill. So, anyway, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि deviate होना, derail होना, deviate करना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां discussion का objective क्या है? क्या objective पार्टी का interest है या objective nation का interest है? हमें दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि यह बिल nation के interest में है और उसके लिए हम लेकर आए हैं। यह किसी पार्टी के interest में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को satisfy करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के interest में है। अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। रिजिजु साहब ने बताया कि यह Railways, Defence के बाद आती है। वैसे तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि Defence और Railways भारत सरकार की प्रॉपर्टीज़ हैं, देश की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन क्या इसका proper management नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोई कुतर्क है और इसलिए checks and balances prevent misuse. Property and powers जो इसमें से derive होती हैं, जो 2000 के अमेंडमेंट में असीम हो गईं, तो क्या उसमें checks and balances नहीं होने चाहिए? आप बताइए क्या वे accountable नहीं होने चाहिए, क्या वे जावदेह नहीं होने चाहिए? क्या वे भारत की जनता, मुस्लिम बहनों, भाइयों के लिए जवाबदेह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यह बिल सिर्फ उसको accountable बनाने का प्रयास कर रहा है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा।

दूसरी बात, आप तय कर लीजिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं इस forum पर, जहां बिल की बातचीत चलती है, वहां मैं कोई राजनीति लाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे मन में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र को लेकर चले हैं और वे चले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इसको पूरा भी किया है। राधा मोहन जी ने बताया कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर, आवास योजना से लेकर, शौचालय योजना से लेकर कभी नहीं देखा कि यह forward को मिला, backward को मिला, Muslims को मिला, Christians को मिला या किसको मिला? यह जरूरतमंद को मिला है और देश की जनता को मिला है। अब इससे ज्यादा mainstreaming क्या हो सकती है? इसलिए जब मैं इसकी बात कहता हूं, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें vote bank politics के interest से बाहर निकलकर national interest में इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप तय करें, मुझे उसमें कहने की बात नहीं है। हम mainstreaming की बात कर रहे हैं। इस देश में कोई भी किसी कलर में न देखा जाए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सपना यह है कि सबका विकास हो, सबका प्रयास हो और सबको साथ लेकर चलें। इसलिए हम lip service नहीं करते हैं, हम real service करते हैं। We do the real service. यदि हम lip service कर रहे होते - मैंने आपको सारी योजनाएं गिनाईं, तो राधा मोहन जी ने बताया कि 30 प्रतिशत मुस्लिम भाइयों का

लाभ हुआ है- इसमें से 35 प्रतिशत उन्होंने लाभ लिया है। हमने कभी इसका डंका नहीं पीटा। हम mainstreaming कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल तक किन लोगों ने उन्हें अलग रखा है।

(4G/LP पर जारी)

PB-LP/4G/5.30

श्री जगत प्रकाश नड्डा (क्रमागत) : किन लोगों ने उन्हें अलग रखा है, किन लोगों ने उन्हें डराकर रखा है, किन लोगों ने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात कही है? This polity has to be understood, and I will tell you, 50 years later, 100 years later, we will not be there, but the course of action which we take today is going to make India stronger. That we have to understand. आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, आपने बाँटकर देख लिया है, वोट के पीछे पड़-पड़कर देख लिया है, आप 2013 का अमेंडमेंट लाकर भी 2014 में वहाँ बैठने के लिए मजबूर हो गए! इससे काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको इस पर बताना चाहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि lip-service नहीं, real-service की है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि Triple Talaq के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी, लेकिन आपकी सरकार, यूपीए की सरकार दस साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो इसको नहीं लगाया गया? क्या ट्रिपल तलाक हटाना retrogressive step था या progressive step था? हमारे

नासिर साहब कहते हैं, "We would not like to remain second-grade citizens." You made the Indian Muslim ladies second-grade citizens. You made it.

सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं कि इजिप्ट में ट्रिपल तलाक 1929 में समाप्त हो गया था, सूडान में 1929 में समाप्त हो गया था, बंगलादेश, जो 1971 में बना था, वहाँ 1972 में ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया था, इराक में 1959 में समाप्त हो गया था, सीरिया में 1953 में समाप्त हो गया था और मलेशिया में 1969 में समाप्त हो गया था। मैंने ये सभी मुस्लिम देशों के नाम लिए हैं। महोदय, यह भारत देश था, जहाँ हमारी मुस्लिम बहनों को मुख्यधारा में लाने से रोका जा रहा था और लाने वाले, मेन स्ट्रीमिंग करने वाले नरेन्द्र मोदी जी बने, जिन्होंने यह करके उन्हें दिया, इसलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं, तो हमें real-service या lip-service का ध्यान रखना चाहिए। We believe in real service. आज करोड़ों मुस्लिम बहनें आज़ाद हो गईं, उन्हें life with dignity जीने का मौका मिल रहा है। यह काम किसने किया है? क्या यह एक ऐतिहासिक फैसला नहीं है? Is it not a historical decision? It is a historical decision and none other than the Prime Minister Modi, who has done this. That we have to understand. उसी तरीके से मैं आज के बारे में बात करना चाहूंगा। आज हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हमने वक्फ बोर्ड पर हाथ डाल दिया, यह तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है और यह एक तरीके से हमें कब्ज़े में लेने की बात है और हम बड़े retrograde चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टर्की

एक मुस्लिम देश है, वहाँ पर 1924 में Directorate General of Foundations बनाकर Management of Waqfs का काम शुरू हो गया था। It is a Muslim country. In Turkey in 1924! वहाँ टर्की में, all waqf properties were brought under the control of the State for their better management and transparency. When did they do it -- In 1924, सौ साल पहले। They saw to it that the misuse of waqf properties was prevented through digital recording in late 80s, 90s, and income of waqfs began to be used for the development of education and health. यह किसने किया? यह टर्की ने किया और आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। यह कार्य यूपीए की सरकार को कर देना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं किया, वे क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे?

महोदय, मलेशिया एक Muslim-dominated State है। Malaysia Authority of Waqf Management - वहाँ क्या बोलते हैं? 'State Islamic Religious Council'- स्टेट चलाता है and Malaysia began using modern technologies, financial models to improve the waqf management उन्होंने भी शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी- 'waqf shares.' Wakf shares were implemented which increased (the) community participation and (the) rise in the waqf income.

(Contd. by 4H/HK)

HK-PRB/4H/5.35

श्री जगत प्रकाश नड्डा (क्रमागत) : सभी प्रोग्रेसिव तरीके से चलने का प्रयास कर रहे हैं। Transparency and accountability was ensured through digital database of Waqf properties through geo-mapping. यानी मलेशिया में भी जिओ-मैपिंग और डिजिटलाइजेशन से उसे देखा जा रहा था। Reforms were made in Saudi Arabia in 2016. वहां पर सऊदी वक्फ अथॉरिटी बनाई गई, which was established and new policies were implemented to make the Waqf properties more economically beneficial. The Waqf income was used to empower religious, educational and social services. जब इन मुस्लिम देशों में सरकार वक्फ को कब्जे में लेकर उसका मैनेजमेंट कर रही है, तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहां तो हम भी नहीं कर रहे हैं। यहां तो Waqf Board, Waqf Tribunal and Waqf Council ही चलाएंगे। हम तो सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे accountable हो सके। Indonesia is the biggest Muslim-dominated country. In Indonesia, Indonesia Waqf Board is known as Badan Wakaf Indonesia. In 2004, Waqf Act was amended, incorporating modern practices and registration for the management of Waqf properties or the concept of Cash Waqf was implemented for maximising the benefits derived from Waqf assets. इसका मतलब है कि उन्होंने नए-नए प्रयोग करने शुरू किए, ताकि वक्फ की

प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके और वह लोगों के लिए काम आ सके। In Iran, the management of Waqf properties is under the Organisation of Endowments and Charitable Affairs. यह भी सरकार के पास है। After 1979 Islamic Revolution, extensive reforms were made in the management of Waqf properties.

मैंने आपको सारी बातें इसलिए बताईं और इन देशों के नाम लिए कि जो मुस्लिम देश हैं, जब वे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वे वक्फ की प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वे वक्फ की प्रॉपर्टी को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में क्या दिक्कत आ रही है? इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए हो सके और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे। इस बात की चिंता की गई है। 2013 की बात कही गई। हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे। हां, हम भी साथ थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी, भूमि 18 लाख हैक्टेयर थी और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हैक्टेयर जुड़ गई। इसका दुरुपयोग न हो, हम नहीं कहते हैं, we are not taking your land. यह 21 लाख भी आपका और यह 18 लाख भी आपका, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए

हमने यह तय किया कि इसके संबंध में बिल लाकर 2013 एक्ट में जो चीज़ें मिली हुई थीं, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। It will be necessary. Law is an evolution. The implementation itself is an evolution process through which it goes. इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं।

यह जो अमेंडेड एक्ट था, this Act of 2013 grants extraordinary powers to the Waqf Board and appears to override the constitutional and the legal framework of India. Article 14 of the Indian Constitution, equality before law, equal protection of law को यह एक्ट 2013 violate करता है और जो बिल रिजिजु साहब लेकर आए हैं, वह उसको protection देता है, यह इसकी खूबी है और हमें यह समझना लेना चाहिए। It violates Article 300A, which provides for legal protection from arbitrary seizure. यह जो arbitrary seizure होता है, उसको आर्टिकल 300A में प्रोटेक्शन मिलती है। वह उसे प्रोटेक्ट करने से रोकता है।

(4J/AKG पर जारी)

AKG-KSK/4J/5.40

श्री जगत प्रकाश नड्डा (क्रमागत) : कैसे रोकता है? Waqf Act Section 40 states, "The Board may itself collect information regarding any property, which it

has a reason to believe that it is a Waqf property." यानी वह अपने से ही तय करता है कि यह waqf property है और अपने से ही realize कर लेता है। यह

protection from the arbitrary seizure से रोकने का प्रयास है और इसको यह सेक्शन violate करता है। उसी तरीके से यह fair trial को violate करता है, provided under Article 21 of the Indian Constitution.

मैं यह भी कहना चाहूँगा, आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर घूमते हैं। Ready reference के लिए पॉकेट में रखते हैं। देखिए, जयराम रमेश जी ने दिखा दिया। ...(**व्यवधान**)... लेकिन पढ़ते हम हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Leader of the House, one minute. Jairam*ji*, showing an object in the House is indecorous. ...(*Interruptions*)... And, a Constitution book should never be treated like an object. It is a sacred book, testament for our democracy.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : ये संविधान के रक्षक हैं! संविधान की बात करते हैं, ready reference के लिए पॉकेट में रखते हैं। लेकिन इस्तेमाल हम करते हैं, उपयोग हम करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि there is violation of the right of fair trial provided under Article 21, when it says, "Citizens cannot challenge Waqf's decision in regular courts." क्या हम इक्कीसवीं शताब्दी में जी रहे हैं, that

citizens cannot challenge the decision of the Waqfs in the civil courts? क्या यह Article 21 का violation नहीं है? Supreme Court का observation क्या है, कि

violation of property is, in a way, violation of the right to life. It is also the violation of right to life. मैं आपको संविधान की दृष्टि से उन अनुच्छेदों के बारे में बता रहा हूँ। It became more powerful than Judiciary. Section 54 of the Waqf Board Act is about removal of encroachment from the property through Waqf Tribunal order. इसका ऑर्डर भी Waqf Tribunal का ऑर्डर देगा।

Then, I come to Sections 6 and 7 of Waqf Board. It puts bar on the civil courts. No legal action is allowed. आप बताइए कि यह draconian law बन गया था या नहीं बन गया था? यह over-powering था कि नहीं था? मैं तर्क कर रहा हूँ। अगर आपको कुतर्क लग रहा है, तो आप बताइए। मैं तर्क रख रहा हूँ कि क्या यह over-reaching नहीं था? क्या यह over-reaching power संविधान की basic spirit को challenge करने वाला नहीं था? क्या यह ऐसा नहीं है?

उसी तरीके से Waqf Board का Section 85 - Bar of the jurisdiction of the civil courts. Waqf Board का Section 83(7) is about the finality of the decision. As mentioned, the sub-section declares that the Tribunal's decision is final and binding, having the force of a civil court decree. यानी

सिविल कोर्ट की power यह सेक्शन 83(7) रखता है और बिना अपील के उसका final decision होगा!

Then, I come to Waqf Board Section 83(9). The sub-section explicitly states, -- अब ध्यान से सुनिएगा -- that no appeal shall lie against any decision or order, whether interim or otherwise, given or made by the Waqf Tribunal. नासिर जी, Constitution की लाल किताब को खोल कर देख लीजिएगा, क्या यह भारत के संविधान की मूल धारा का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है।

Article 12 में भी यह powers को take over कर रहा है। The Revenue Department or the local authorities will have a limited power over the Waqf properties. यानी वक्फ की properties पर Revenue Department की भी बहुत limited power होगी। Even the State Governments have a limited interference in the Waqf properties, as they operate outside the normal revenue system. यानी वे normal revenue system से अलग हट कर ही काम करते हैं, इस तरीके का प्रावधान है। (4के/पीएसवी पर जारी)

श्री जगत प्रकाश नड्डा (क्रमागत) : हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजु जी ने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन मैं मूल बात बताना चाहता हूं कि एक तो यह जो बिल

आया है, इसमें क्या है? यह Waqf by user को remove करता है। Only declaration or endowment allowed and the donors must be practising Muslims for, at least, five years. अब मैं कहना नहीं चाहता, यह क्यों है? मैं धार्मिक विषयों को छेड़ना नहीं चाहता, uncomfortable बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हां, जो देने वाला है, वह जेन्युइन तो होना चाहिए। उसकी जेन्युइननेस को देखने के लिए एक पैमाना ये है कि वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। हमने सीसीटीवी का कैमरा तो लगाया नहीं है कि वह बताएगा कि हम इस्लाम मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। वहां के मुल्ला बोलेंगे, तो हो जाएगा। लेकिन फीमेल के इनहेरिटेंस को रोकना एक बहुत बड़ा रेट्रोगेटिव स्टेप था, उसको ताकत देना, इस बिल का काम है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि earlier anyone, without any proper documents, called a property as the Waqf property and Waqf Board made a claim on it. Waqf Board उस पर claim कर देता था। Government properties identified as Waqf ceased to be.. ...(Interruptions)... हां, मैं सब ऑथेंटिकेट करूंगा।

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, आप यह जो कह रहे हैं कि..

श्री जगत प्रकाश नड्डा : आपको मौका मिलेगा। ...(**व्यवधान**)...

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, मुझे 10 सेकंड दीजिए।

श्री सभापति : 10 सेकंड।

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, यह जो बार-बार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट्स के क्लेम कर देती है, तो हिंदुस्तान में कितने ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन-कौन से वक्फ बोर्ड ने क्लेम किए, प्लीज इसको ऑथेंटिकेट कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Now, Leader of the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : सर, जेपीसी के ये भी सदस्य थे। जेपीसी को जो 285 stakeholders मिले हैं और जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये वही यहां पर रख दें, तो वह authenticate हो जाता है। ...(**व्यवधान**)... We will authenticate it. ...(Interruptions)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI L. MURUGAN): In Tamil Nadu, there is a 2,000-year-old temple, which they are claiming as Waqf Board property. How is it possible? ...(Interruptions)...

डा. सैयद नासिर हुसैन : सर, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Leader of the House has yielded.

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Thank you, Sir. He has yielded. सर, तमिलनाडु वाला जो इश्यू बार-बार आ रहा था, मैं उसे बोलने के टाइम पर मिस कर गया। उस विलेज का 20-30 परसेंट 1954 में वक्फ में था। ...(**व्यवधान**)... मैं मुझे बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... सर, 2000 के बाद जब तमिलनाडु में digitalization of revenue records हो रहा था, तो उस टाइम पर revenue official ने उसकी गलत तरीके से entry की। Waqf Board और Tribunal ने on record कहा है कि वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह उन्होंने on record कहा है। ...(**व्यवधान**)... जेपीसी में Chief Secretary, Revenue Secretary और DC ने आकर बोला है कि वक्फ ने कभी क्लेम नहीं किया। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much, Sir. I am not trying to come up with additional facts but all that has been said before the JPC. But I do honestly request hon. Member, Syed Naseer Hussain, to certainly speak all that he wants to say, but not to sweep away serious matters of concern. This particular village has... ...(*Interruptions*)... Let me finish.

MR. CHAIRMAN: Mr. Naseer, please. ...(*Interruptions*)... Hon. Minister.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: All of us are listening to you. We want a debate, which ... ...(*Interruptions*)...

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Please go ahead.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you very much!

Sir, there is 1,800-years-old Chandrasekhara Swamy temple. SCs and OBCs are predominantly the people who live in that village. 480 acres of land is disputed because of this. How did the problem arise?

(Contd. by SK/4L)

VNK-SK/4L/5.50

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN (contd.): Villagers, when they were buying and selling land among themselves, their family or anybody, were clearly told that they should obtain a no objection certificate from the Waqf Board. They were selling their private property! Even if, as the hon. Member is saying that the Collector, while doing digitisation, entered it wrongly, has put wrong entry of the entire village and that entry so happens that every villager who has to do any transaction of his land, even if he is giving for, what we call in Tamil '*Kuthagai*' -- temporarily give it for certain

number of years to a farmer to cultivate and give him some returns -- even for that, a no objection certificate had to come from the Waqf! What is this? Even if that element is true, that the revenue official entered it wrongly, couldn't the Wakf Board say: Why are these coming to us? We have nothing to do with it. ..(Interruptions).. Nothing of that sort had happened. The poor people are running from pillar to post saying, "When did this become somebody else's? It is mine. Generationally, we have been here." What happens to the temple? The temple was built by the Wakf Board? Anomalies to the core, Sir!

MR. CHAIRMAN: Leader of the House. ..(Interruptions)..

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, just one minute.

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ..(Interruptions).

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I only want..

MR. CHAIRMAN: No, no. It will be never ending. ..(Interruptions).. No, it will be never ending. Yes, Leader of the House. ..(Interruptions).. Nothing else will go on record.

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा) : सर, मैं यह कह रहा था कि Government properties identified as Waqf cease to be Waqf. ..(Interruptions)..

DR. SYED NASEER HUSSAIN: *

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. Only what the Leader of the House says will go on record. ..(Interruptions)..

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Disputes resolved by the Collector, who reports to the State... ..(Interruptions).. Government properties identified as Wakf's cease to be Wakf's. Disputes will be resolved by the Collector who reports to the State. अब यह जो बिल है, वह कलेक्टर को यह ताकत देता है कि वह निर्णय करे कि यह प्रॉपर्टी किसकी है? इसका ओनर कौन है? उसके बाद उसके तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। यह बिल वक्फ प्रॉपर्टी को ascertain करने की जो वक्फ की ताकत थी, उससे रोकता है और यह पावर कलेक्टर को देता है कि वह तय करे कि whether this property can be added, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में यह प्रॉपर्टी वक्फ को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, इसका टाइटल वह तय कर सकता है। श्री किरेन रिजिजु ने एक बात क्लीयर कर दी है, मैं सिर्फ उसको reiterate करना चाहता हूँ कि हमारे जो monuments हैं, जो ASI के अधीन आते हैं, वे और Schedule 5 और 6 की जो tribal lands हैं, these lands

---

* **Not recorded.**

cannot be brought into the Wakf property. इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए किसी को ऐतराज होना चाहिए। हम tribals को संभालने और उनकी sanctity तथा अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। बिल का मूल मंत्र है कि transparency आए, accountability आए और उसके साथ-साथ strict regulations के तहत इसको ensure किया जा सके। अब वक्फ बोर्ड की पावर्स का मिसयूज़ कैसे हुआ? सितम्बर, 2024 में 25 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के आंकड़ों से पता चलता है कि 5,970 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया। वक्फ ने इसको घोषित कर दिया। उसी तरीके से सितम्बर, 2024 ने Ministry of Urban Development ने अपने मंत्रालय में 108 संपत्तियाँ भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में हैं और 130 संपत्तियाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं तथा सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियाँ वक्फ संपत्ति घोषित की गई है। उसी तरीके से कर्णाटक में 1975 से 2020 तक 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, झीलें, मंदिर शामिल हैं।...(**व्यवधान**)... इसमें अपने-पराये की बात नहीं है। इसमें law of land की बात है।

(4एम/डीएस पर जारी)

DS-YSR/5.55/4M

श्री जगत प्रकाश नड्डा (क्रमागत) : आखिर, कानून चलता कैसे है, कौन चलाता है? कैसे 40 सरकारी संपत्तियाँ वक्फ की हो जाती हैं? कैसे झील तक वक्फ की हो जाती हैं? यह मैं किसी पर aspersion नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि जो गलत चल रहा था, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी को भी साथ देना चाहिए।

जैसा मैंने पहले कहा, in 2006, there were 4.9 lakh Waqf properties which increased to 8.7 lakh Waqf properties. ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी 4 लाख से 8 लाख हो गई। However, the total income which was Rs.163 crore in 2013 that only increased after 2013 to Rs.166 crore. 3 करोड़ का ही मुनाफा हुआ, यानी 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़, जो 8.7 लाख प्रॉपर्टी हो गईं, उनकी कमाई 163 करोड़ से 166 करोड़ ही हुई। ...(**व्यवधान**)... Comptroller and Auditor General ने भी 2018 में वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग और खामियों के बारे में बहुत सीरियस प्रश्न उठाए। अगर हम देखें कि इसका जो मिसयूज़ हुआ, आप वक्फ के क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे केरल के सब लोग इन सारी चीजों को लेकर बड़े excited रहते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि वहां का क्रिश्चियन और वहां का चर्च इतने क्रिश्चियन नेताओं को छोड़कर दिल्ली में हमारे पास क्यों आ रहा है? Why is he coming to us? सारे चर्च के लोग आकर वक्फ बोर्ड के बारे में severity बता रहे हैं। The people

of Kerala, especially the Christians. उसी तरीके से, Kerala State Waqf Board ने long stake किया। 404 acres of land of Ernakulam District, Munambam Coast. ...*(Interruptions)*... Over 200 families in Chavakkad Waqf Board staked the claim over land...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Dr. Syed Naseer Hussain, please. Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Only what the Leader of the House says will go on record. Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*... Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, the Leader of the Opposition in the morning very clearly said that when somebody is speaking, let us all listen. Of course, you are going to give each one of us... ...*(Interruptions)*... You are there to give each one of us the time to rebut. But running commentaries, Sir. They are blessed with God given vocal chords which do not require any mike. ...*(Interruptions)*... I need a mike. They don't seem to need any mike. ...*(Interruptions)*... When the Leader of the Opposition speaks, all of us will have to listen. ...*(Interruptions)*... But when the Leader of the House is speaking,. ...*(Interruptions)*... There are running commentaries.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please remember this is Rajya Sabha Day also. The Leader of the House. ...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record, except what Shri J.P. Nadda says.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, one astonishing feature has come. ...*(Interruptions)*... सर, मुझमें पेशेंस की कोई कमी नहीं है, मैं पेशेंटली सबको सुनता हूँ। मेरी इच्छा यह रहती है कि मेरे साथ भी पेशेंस रखा जाए, तो अच्छा रहेगा। अब सुनिए, वायनाड में - वायनाड! 4.7 एकड़ थलप्पुझा, वायनाड में, यहां पर क्लेम कर दिया। अब वहां से कोई आवाज ही नहीं उठती है! वे लोग चलकर हमारे पास आ जाएँ, तो हमको यह पूछना तो पड़ेगा न कि भाई, आप अपने एमपी से मिलकर आए हो क्या? उनको बताया क्या? जब नहीं बताया, भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूं?

(4एन/एमजैड पर जारी)

VKK-MZ/4N/6.00

श्री जगत प्रकाश नड्डा (क्रमागत) : हम तो यही कहेंगे कि सदबुद्धि आए, और सदबुद्धि के साथ-साथ हम इन बातों को समझ सकें। इसको ध्यान में रखकर चलें तो अच्छा रहेगा। सभापति महोदय, मैंने कोशिश की है कि मैं विषय पर रहूं और मैंने सारे क्लॉज़ेज़ क्वोट किए हैं, सारे सब-सेक्शंस क्वोट किए हैं। ये सारे सब-सेक्शंस बताते हैं कि किस तरह से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है, और जमीन माफिया ने इसमें से बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाइयों से दूर रहे। हालांकि, रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहे और गरीब मुस्लिम की शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता करे तो बहुत अच्छा रहेगा—यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने एक नई चीज देखी है—लोग यहां अपना भाषण देते हैं, फिर अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। हम किसको जवाब दें? अभी हमारे एक सज्जन...

श्री सभापति : क्योंकि मैं यहां से देखता हूं, तो मुझे कुछ ज्यादा दिखता है। 180 डिग्री तक दिखता है। वे भाषण देने के लिए ही आते हैं, फिर चले जाते हैं। Hon. Members, on several occasions, I have indicated to the House, particularly, and I have no hesitation because I believe in the wisdom, sagacity and patience of very distinguished Members of the fraternity to which I belonged. Parliamentary

work is not casual; parliamentary work is responsible. On Monday and Friday, we have no precedence, and the best you learn is by sitting in the House, listening to others. It is very painful that you come, make your speech and more often than not give a byte outside. I am anguished by the experience of several Members, not from what they say in the House but by what they say on television debates or in articles of newspapers. We should collectively think, and it is not a comment on individuals because the number is very large. ...(*Interruptions*)... You know it more than I do. ...(*Interruptions*)... You keep their company close by.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : सर, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ बहुत सारी बातें की। उनकी आधी स्पीच एक्सपंज हो गई। अब मुझे लगता है कि उनको विवेचना करनी चाहिए कि ऐसी स्पीच देने का फायदा ही क्या, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा एक्सपंज हो जाए, लेकिन हो गई। फिर भी उन्होंने एक वाक्य कहा, और वह वाक्य यह था कि "बड़ी-बड़ी सत्ता आई और गई।" वे भूल गए कि उनके ही नेता कुछ महीने पहले यह कह रहे थे कि "मोदी जी, आपको यहाँ सरकार लाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा।" वे भूल गए कि इसी चुनाव में दिल्ली की जनता ने उन्हें साफ कर दिया, धूल चटा दी और कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया।

अब मैं इतना कहना चाहता हूँ-

"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।"

चले थे दुनिया में ढूंढने, कम से कम अपने आप को तो ज़रा ढूंढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि रही है, किस तरीके से आप काम करते रहे हैं और किस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको सबक सिखा दिया।

मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करना चाहता, अभी हरियाणा की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हां, Humility always pays. You should understand and realize that. इसमें कोई 'अहम' की बात नहीं है - मैं ना मानूं। हमारे यहां स्कूल में जब क्रिकेट खेलते थे, तब कुछ लोग, जो थोड़ा मसल मैन टाइप के होते थे, वे आउट हो जाते थे तो बोलते थे, "मैं ना मानूं।" उनको कहा जाता था कि आप आउट हो गए, बोल्ड हो गए, तो बोलते थे, "मैं ना मानूं।" अब ऐसे "मैं ना मानूं" का तो कोई उत्तर है नहीं, लेकिन भगवान करे कि सदबुद्धि आए और आप भी मान जाओ और हमारे साथ चल पड़ो।

बहुत-बहुत धन्यवाद! (समाप्त)

(4O/DN पर आगे)

BHS-DN/4O/6.05

MR. CHAIRMAN: Now, the former Prime Minister, hon. H.D. Devegowda*ji*. Would you like to speak?

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Respected Chairman, Sir, after I heard the speech of the Leader of the House, Nadda*ji*, I do not think anything is left. He has made an exhaustive speech particularly on this Waqf Bill which has been amended and passed by the Lok Sabha. Now, this House has to clear this Amendment Bill. I am not going to quote some of the issues mentioned by several hon. Members. *...(Interruptions)...*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, please bring the House in order.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members need to be on their seats only. And this is a serious debate. We need to listen to the former Prime Minister, as also every other speaker. Please resume your seats.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I would just like to mention that in my career, as Leader of the Opposition, if the Leader of the House kicked me with strong language, I used to take it sportively. I never intervened. Never! Whatever he spoke, I used to take it most coolly and spiritually. I have practised like that. So many people have spoken. I have never intervened. I have never spoken a word. Except yesterday, your good self had given a ruling, "I allowed Mr. Gowda to speak for ten minutes." Today, I humbly request all

the Members to allow me to speak for a little more time. This is a very important issue.

Sir, I must congratulate the Prime Minister. Why? The property, which has been mentioned, is about Rs.1.2 lakh crores. It is not which the Government has given. It is the donors who have given. This property has been given by the donors. If the donors have given, that has been misused and vested interests have tried to swallow. Now, the present Prime Minister wants to put a seal on not allowing this donor's property -- which was given for a particular purpose to a community -- to be swallowed by rich people or the people who are strong enough in the community to swallow this property. (Contd. by RL/4P)

RL-LP/6.10/4P

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Contd.): That is the background. The hon. Prime Minister has thought over, and the hon. Parliamentary Affairs Minister and the hon. Home Minister have taken sufficient care to protect this property to be used properly for the purpose for which it had been donated by the donors. The Waqf Board currently controls 8.7 lakh properties,

spanning about 9.4 lakh acres in India, which has been estimated at Rs. 1.2 lakh crores.

Sir, I would like to mention this without criticizing anyone. My friends should realize that State Governments and leaders from various political parties are represented here. I do not want to hurt the feelings of anyone. What is happened in the past is behind us, and we must think about the future. Why? We are discussing Minorities. Why have Minorities left a particular political party that they supported for 40 years? I was a member of Congress, and I can ask, why have Muslims left the Congress? Today, you want to regain their support, but it is not that simple. I can provide numerous reasons.

Sir, I would like to mention what had happened in Karnataka. The Upalokayukta Justice Ananda submitted a report in 2014, but what happened to that Report? I do not want to name the Chief Minister or any leaders. Let our friends realize that the report was shelved and has not seen the light of day. Why? Why are they in power today? Even today, my friends who spoke here must realize.

(CONTD. BY DC/4Q)

DC-PRB/6.15/4Q

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Contd.): Sir, I was the Chief Minister. Yes, I had taken several decisions. In those days, to protect the minorities, I took several decisions. Whatever has happened has happened. In 60 years, I have seen the so-called secularism, fundamentalism, communalism; I do not belong to any 'ism.' I am a farmer. I am not a law graduate. I am an ordinary farmer. Sir, I got reservation to several communities who had been totally neglected, and not only for the Muslims. I will not take the valuable time of this House; I can speak volumes.

Sir, today, I feel hurt by the way in which things have held. This is the highest office and institution created by our constitutional forefathers. We always take the name of Dr. Ambedkar. But how are we behaving? I, never in my life, disrespected the Chair or insinuated anything in any manner. I feel hurt. We must understand that the dignity, the decorum of the House should be controlled not by the Chair--it is very difficult—but both sides should cooperate. Unless and until they cooperate, it is very difficult for the Chair to maintain the highest exalted position where anybody sits. Sir, you are trying your best. You have given me some time, I would

like to tell what happened to the Lokayukta Report of 2014. What happened to that property? Why has it been shelved? I have got a lot of material, but I would like to tell you that it is not to congratulate for namesake, but wholeheartedly I congratulate the Prime Minister, Narendra Modi*ji*, Mr. Amit Shah, the Home Minister, and the Parliamentary Affairs Minister who have done some homework to bring this legislation, to protect the properties which have been given by the donors. Sir, let me be very plain. It has not been sealed. If anybody has got a grievance, by this Amendment, they are free to go to the court. Appeals are allowed in the High Court within 90 days. Is there any ceiling? I do not know! Who has taken the rights of the people who have suffered? They can go to the court. Why should we try to hurt the feelings of the Government?

(Contd. by DPS/4R)

DPS-AKG/4R/6.20

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Contd.): They have done their best to protect. Sir, late Shri Sachar, who is no more now, had given the Report. He said, 'The donor's property has been misused. It should be protected.' At what time? It was the UPA Government. Dr. Manmohan Singh is no more now.

He is not with us. During his tenure, the Sachar Committee Report came. And, who was the Minister of Minority Affairs? My friend should not mistake, Shri K. Rahman Khan was the Minority Affairs Minister. What happened? Was any action taken? Sir, we worship one God. My friend worship 'Allah'; we say, 'Rama', 'Krishna'. When I became Prime Minister with a 13-party coalition, some of those who had supported me, asked me, 'Why you have gone to the temple?' They objected to this. I said, "I am a believer of God". I am a believer in God. I will go to all temples. There is no question of any religion. There is no question of any religion. I went to Golden Temple. I went to Ajmer Dargah. I went to Tirupati. There is no question of any discrimination. Sir, we call, it is a secular State. We always mention Ambedakar. Somebody was mentioning Mahatma Gandhi! What happened in West Bengal? We can speak volumes. Rama's photo was on the shoes in their feet. Today, in Tamil Nadu, lakhs and lakhs of people will go to all temples. Nobody can prevent by the means which they have adopted. You must realize. We have got some principles in life. I will take only a few more minutes. You had allotted me 10 minutes. I know that. Before you ring the bell, I myself will realize. You, in that exalted Chair, have

given me much time. For several years, I have suffered, given one minute, two minutes or three minutes. I have not spoken much. Today, it hurts. I am speaking... (Contd. by PK/4S)

PK-PSV/4S/6.25

SHRI H.D. DEVEGOWDA (CONTD.): When the Leader of this House, Nadda*ji*, was speaking, I was listening to his speech. With so much of emotion, you spoke, Sir. Nothing more to add, Sir. Yesterday, I saw Lok Sabha speeches till one o'clock. I want to know who is going to speak what even at this age. Sir, I am supremely happy that you have allowed me to speak on the Waqf (Amendment) Bill.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Sir.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I support the Government. I, once again, congratulate Shri Narendra Modi, the Home Minister and the Parliamentary Affairs Minister for bringing this Amendment Bill. In the Joint Committee, what has happened has happened. I am not bothered. But, the Bill has been passed in the Lok Sabha, and, today, our all colleagues are certainly going to clear this Bill here. This Bill is going to become an Act. In future,

all the Waqf properties will be protected by this law, which is going to be made by this Parliament. Thank you very much. I am grateful to you.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Abhishek Manu Singhvi.

डा. अभिषेक मनु सिंघवी (तेलंगाना) : माननीय सभापति महोदय और माननीय सांसदगण, मैं जिस बिल के विषय में बोलने जा रहा हूं, उसमें सुधार कम है, संशय ज्यादा है; न्याय कम है, पक्षपात ज्यादा है। संविधान ने जो दिया, यह बिल उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। इसमें संशोधन कम, चालाकी ज्यादा कहनी चाहिए। जब कानून बराबरी का ना हो, तो वह सत्ता की चालाकी बन जाता है। यह कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है।

माननीय सभापति जी, अपने सीमित समय में मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला यह है कि यह बिल 100 प्रतिशत हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। मुझे वकील की हैसियत से सबरीमाला, संथारा, दाऊदी, बोहरा जैसे कई धार्मिक समुदायों के कई मुद्दों के विषय में बहस करने का सौभाग्य और मौका मिला था। उनमें अनेक निर्णयों से दो सिद्धांत स्पष्ट हैं। वे सिद्धांत 1950 से बार-बार और बारंबार उच्चतम न्यायालय ने घोषित किए हैं। ये सिद्धांत धर्म तटस्थ हैं, religion neutral हैं। एक यह है कि अगर

किसी भी प्रथा या किसी भी धर्म, मजहब अथवा संप्रदाय का कोई भी रीति-रिवाज या कोई प्रथा उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है, इतिहास में ले लीजिए, संस्कृति में ले लीजिए या किताबों में ले लीजिए, तो उसको अनुच्छेद 25 और 26 का पूरा व्यापक संवैधानिक सुरक्षा चक्र मिलता है। दूसरा यह है कि यदि ऐसे धर्म, समुदाय या संप्रदाय को अपनी संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार क्षेत्र बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में किसी कानून द्वारा घटाया गया, तो वह कानून खुद असंवैधानिक करार दिया जाएगा। यह इन दो धाराओं, अनुच्छेदों की बड़ी सीधा सबक हैं। इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के अगणित उदाहरण हैं। हमारे 53 और 54 के जो दशक हैं, तब शिरूर मठ, रतिलाल गांधी जैसे मशहूर केस थे। अगले दशक 60s में दरगाह कमेटी, तिलकायत गोविंद लाल महाराज जैसे मशहूर केस थे। मैं इनके दो उदाहरण quote करके देना चाहता हूं। रतीलाल के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा..

(4टी/वीएनके पर जारी)

VNK-PB/4T/6.30

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (Contd.): I quote, "A law which takes away the right of administration altogether from the religious denomination and vests it in any other or secular authority would amount to violation of the right which is guaranteed under Article 26 of the Constitution." तिलकायत

गोविंद लालजी महाराज का जो दूसरा निर्णय था, उसमें बड़ा लंबा पैसेज है, इसलिए मैं उसको पूरा तो क्वोट नहीं करूँगा, लेकिन उसमें एक जगह कहा गया है, "Article 26 brings out the competence of the legislature to make a law in regard to the administration of the property belonging to a religious denomination." So far so good! अगला वाक्य है, "The denomination's right must however not be extinguished or destroyed or diminished under the guise of regulating the administration of the property by the denomination." माननीय सभापति जी, 75 वर्ष के जो ये संस्थापित संवैधानिक सिद्धांत हैं, उनको इस कानून के संदर्भ में लागू करके देखते हैं, वे किस कसौटी पर उतरते हैं। इसमें दूसरा बिंदु आता है।

AN HON. MEMBER: Sir, please speak in English.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: I spoke yesterday mostly in English. आज रियायत है कि हिंदी में ज्यादा बोलना है।

MR. CHAIRMAN: Dr. Singhvi, address the Chair.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: I hope the translation is working well.

MR. CHAIRMAN: Doesn't matter. You can address the Chair.

डा. अभिषेक मनु सिंघवी : सर, मेरा दूसरा बिंदु है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, माननीय नड्डा जी अभी कुछ और कह रहे थे, जबकि बिल के clause 11 के अंतर्गत 100 प्रतिशत मेंबरान प्रादेशिक वक्फ बोर्ड के ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनको प्रदेश सरकार नियुक्त, नॉमिनेट करेगी। एक इस्लामिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का स्वायत्तता, ऑटोनमी, अधिकार क्षेत्र कहां बचा? 100 प्रतिशत नुमाइंदे नॉमिनेटेड और 0 प्रतिशत चुनावित। इस धर्म और समुदाय को अपने वर्गों को चुनावित करने का क्या अधिकार क्षेत्र बचा? तीसरा, वक्फ बोर्ड में बड़ी तरकीब से लिखा गया है, न्यूनतम तीन, यानी 11 में से तीन मुसलमान होने चाहिए। इसको अगर विपरीत भाषा में पढ़ा जाए, तो आप 11 में से 8 गैर-मुसलमान नियुक्त कर सकते हैं। लिखा तो खैर विपरीत भाषा में है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 26 का कौन-सा स्वायत्त का हक अपने समुदाय के साथ छोड़ा गया है? दूसरी जो एक बॉडी है, संस्था है, वक्फ काउंसिल, वहाँ गनीमत है कि 22 में से कम-से-कम 12 मुसलमान होने चाहिए।

चौथा बिंदु, अनुच्छेद 25 और 26 में अपने धर्म के लोगों को अपनी संस्थाएँ खुद चलाने का हक दिया गया है। इस बिल में clause 14 द्वारा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई मेंबरान अविश्वास मत नहीं ला सकता। उसको अविश्वास मत द्वारा हटाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। सरकार ने इस बिल में क्या गणतांत्रिक प्रक्रिया छोड़ी है? क्या स्वायत्तता बची है? बचा है तो सिर्फ सरकारी नियंत्रण।

पांचवां बिंदु, पहले पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के सीईओ को मुसलमान होना अनिवार्य था और साथ-साथ दो व्यक्ति, जिनके नाम बोर्ड देता था, उनमें से एक को नियुक्त करना आवश्यक था। वर्तमान बिल का clause 15 इन सबको हटा देता है, क्योंकि इसका आधार है, अब बिग ब्रदर नॉमिनेशन के आधार पर इसको चलाएगा।

छठा, मैं आपके सामने छह-सात एक्ट्स का नाम लेना चाहता हूँ। 'Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1997', 'Shri Jagannath Temple Act, 1955', 'Mata Vaishno Devi Shrine Act, 1988', 'Tamil Nadu Religious and Charitable Endowments Act, 1959,' 'Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983', and 'Sikh Gurdwaras Act, 1925.' मेरे पास भारत के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के विषय में, भारत के विभिन्न प्रदेशों के विषय में यह सूची बहुत लंबी है। मैं इस सम्मानित सभा से यह पूछना चाहूँगा कि क्या आप इसमें से एक भी किसी समुदाय, धर्म का नाम ले सकते हैं, जिसमें उस समुदाय, धर्म के अलावा लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है?

(4यू/डीएस पर जारी)

DS-HK/6.35/4U

डा. अभिषेक मनु सिंघवी (क्रमागत) : मैं बीजेपी के नए-नवेले दोस्त, माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब की सराहना करता हूँ और पूरा समर्थन करता हूँ। मैं वास्तव में उनकी

सराहना और समर्थन करता हूँ। जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है, तो बात बिल्कुल सही है। फिर किस आधार पर यह सरकार यह आडंबर कर रही है, यह सौतेला व्यवहार, यह भिन्न कसौटी एक समुदाय पर? इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पर भी यह प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक-ठाक तरीके से, द्वेष की भावना से यहां नहीं चले हैं।

सातवां मुद्दा - यह जो अभी 'Waqf by User' की बात हुई, यह बड़ी रोचक एक कानूनी सिद्धांत की बात है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्भाग्यवश - इस बिल के निर्माता ने शायद यह ध्यान नहीं दिया - बार-बार कहा और अभी हाल में 2020 में कहा, एक निर्णय आया कि सैकड़ों वर्षों से या कई दशकों से 'Waqf by User' कानून में, धर्म में, प्रैक्टिस में, प्रचलित है, embedded है, स्थापित है। मेरे पास जो आखिरी निर्णय है, वह 2020 का है। मैं उसकी दो लाइन पढ़ लूँ। Waqf need not necessarily be an expressed declaration in every case. The same can, reasonably, be inferred from the facts and circumstances. उसके बाद इसमें बड़े लंबे-चौड़े डिस्कशंस हुए हैं। मेरा मुद्दा यह है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय द्वारा यह स्थापित कर दिया है कि 'Waqf by User' कानूनी है, सही है, संवैधानिक है, तो उसको हटाने का तरीका एक ही होता है। उसको कानून निरस्त नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि कानून की एक बड़ी स्थापित मर्यादा है कि कानून द्वारा आप किसी निर्णय को निरस्त नहीं कर सकते। आप सबसे ज्यादा यह कर सकते हैं कि उस निर्णय

के आधार को हटा सकते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा कि इस निर्णय का जो आधार है, वह कई दशकों से एक स्थापित कस्टम है, 'Waqf by User', उसका आधार आप कैसे हटाएंगे? इस बिल का जो पहला प्रारूप था, उसमें उसको हटाने का प्रयत्न किया गया, यानी निर्णय को निरस्त करने का न कि कोई आधार का हटाना। जब शायद मिली-जुली पार्टीज़ के प्रोटेस्ट आए, तो एक और रोचक प्रसंग निकला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको हटा तो रहे हैं, लेकिन इसको भविष्य से हटाएंगे। Retrospective नहीं, यानी 'Waqf by User' आगे से नहीं होगा, जो गलती आपने पहले की। अगर कोई चीज़ कानून द्वारा स्थापित पाई गई है और आप उस चीज़ का, उस निर्णय का, उच्चतम न्यायालय के उस jurisprudence का आधार नहीं हटा सकते हैं, तो आप उसको भूत के लिए भी नहीं हटा सकते और भविष्य के लिए भी नहीं हटा सकते, retrospective also and prospective also. तो इसका कोई तर्क, इसकी कोई खास समझदारी मुझे नहीं दिखी।

आठवां - क्लॉज़ तीन के अंतर्गत पांच साल के इस्लाम के अनुयायी की आवश्यकता है, जिसका अभी जिक्र हुआ, लेकिन साथ-साथ एक बड़ा रोचक वाक़या और है, जिसका जिक्र नहीं हुआ। पांच साल के इस्लाम के अनुयायी के बाद जो वाक्य है, वह कहता है, "...having ownership of such property and that there is no contrivance involved in the dedication of such property." या तो हमारे ड्राफ्टमैन साहब/साहिबा बहुत सरल हैं या अत्यंत शातिर हैं। यह contrivance क्या

होता है? यह युक्ति, यह तरकीब कौन, कैसे, किस आधार पर, किन तथ्यों पर निर्णित करेगा? यानी, अगर एक व्यक्ति 5 नहीं, 30 साल से इस्लाम का अनुयायी है, उसके पास सेल डीड है, वह उस जमीन का मालिकाना हक है, फिर भी वह जिंदगी भर कलेक्टरेट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर यह बताने के लिए लगाएगा कि contrivance नहीं है और इसीलिए वह हमारे शासकों के नियंत्रण में रहेगा।

"मिट्टी मेरी, मकान मेरा, इबादत मेरी, निशान मेरा
फिर भी कहते हैं सबूत दे कि हक़ है तेरा।"

Ninth and my final point for the day; I will finish in time. The Bill has proposed to delete one Section of the old Act which did not apply the Limitation Act to the Waqf Act. There is a specific provision, that is, Section 107, which said that Limitation Act जो कई कानूनों पर apply करता है, वह पुराने वक्फ ऐक्ट पर लागू नहीं होगा। It will not apply.

(Contd. by KSK/4W)

KSK/MZ/6.40/4W

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (contd.): In other words, this new Bill says that the Limitation Act will apply to the Wakf Act. Now, this Act, at first blush, may seem to be a positive measure, but on deeper reflection, it is

actually designed in favour of persons and those persons, including many Government entities, who have actually been illegally occupying Waqf properties for many, many years. In most of these cases, lack of identification of such properties, lack of resources with those claiming it to be Waqf, lack of sustenance to fight governmental occupants and absence of going to Court means that those, who occupy real genuine Waqf property, will be able to claim permanent ownership, as you well know, after 12 years on the basis of adverse possession. So, limitation will kick in after 12 years because this Act says, limitation shall apply to Waqf, and the claim of the Wakf, that this is genuine Waqf property, will be time barred. Here is the irony. On one hand, the Bill has omitted the concept of 'Waqf by user', or, at least, prospectively now, by an Amendment. It disallows Waqfs to be created on the basis of uninterrupted usage over a significant period of time. On the other, the applicability of the Limitation Act, if this Bill is passed, has inversely and conversely allowed the Government, other Government-like quasi-entities, and others outside the community, to lay a claim over real Waqf property on the basis of uninterrupted and continued possession beyond 12 years, so long as litigation is not started before that. A property

can thus be usurped on the principle of adverse possession. This is a deliberate attempt by the Government to further its own agenda by minimizing protection conferred upon Waqf properties with the right hand, and, at the same time, significantly increasing its own control and power to permanently claim properties with its left hand.

"हमारी खुद की छत भी छिनी जाती है हमसे,
और कहते हैं कि वक्त का तकाज़ा यही है।"

The Limitation Act deals with *vakt*, apart from Waqf.

"जिस जगह सजदों के निशान थे,
आज वहाँ दस्तावेज़ माँगे जा रहे हैं।"

माननीय सभापति जी, अंत में मैं यही कहूँगा कि इसमें कई और बिंदु हैं, जिनके लिए मेरे पास बात करने का समय नहीं है। लेकिन अगर इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, अगर इसको ego के आधार पर पारित किया जाएगा, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में इसे असंवैधानिक करार दिया जाएगा, धन्यवाद।

(समाप्त)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु) : पहले ये कोर्ट में जवाब देते हैं, बाद में यहां आकर जवाब देते हैं।

श्री सभापति : ज़ाहिर था। While it is for the House to decide on legislation, one observation made by the hon. Member that limits power of this House surely cannot be appreciated. You have firmly indicated that this House...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, that is his view.

MR. CHAIRMAN: No, he quoted judgments. ...(*Interruptions*)... Well, hon. Members, I have been firm in echoing this thought process in the entire House on multiple occasions. When it comes to legislation, our supremacy is not subject to any approval. ...(*Interruptions*)...

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: Sir, can I just say with your permission? Your view is supreme. But, particularly, I submit with respect that the view of a Member, who speaks, is also supreme within his speech.

MR. CHAIRMAN: Right.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: Unless I say something expungible, it is my view that legislation of this House is not supreme. The Constitution is supreme.

MR. CHAIRMAN: Dr. Singhvi, I do not seek to join issue with you, but I wish to make it very categorical that repository of sovereignty is this House.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: I would be the last person...(*Interruptions*)...

श्री सभापति : सिंघवी साहब, मैं आपको एक राय दूंगा। आपके पिता जी बहुत नफीस थे। वे कभी भी सभापति के बाद जी लगाना नहीं भूले। आपको आज यह याद ही नहीं रहा।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी : मैंने तो अभी दो सेकंड पहले Hon. Chairman कहा।

श्री सभापति : आपने नहीं कहा, आप एक बार देखिए। इस कुर्सी पर कोई भी बैठा हो। सभापति कहना और सभापति जी कहने में बड़ा फ़र्क पड़ता है।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी : मैं माफी चाहता हूं। मैंने तीन बार माननीय सभापति कहा, लेकिन सभापति जी नहीं कहा।

MR. CHAIRMAN: Prof. Ram Gopal Yadav.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I want to say something.

MR. CHAIRMAN: I know you will create disturbance. ...(*Interruptions*)...

(Followed by 4X — GSP)

GSP-DN/6.45/4X

श्री जयराम रमेश : सर, आप बार-बार कहते हैं कि यहां वकील नहीं बैठते हैं। हमारी पार्टी के सारे वकील बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : मैं आपको रोज यह नहीं कह सकता कि whip जारी कीजिए।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी : सर, मैं दो sentence कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपने whip जारी किया है, इसलिए उपस्थित हैं।

डा. अभिषेक मनु सिंघवी : सर, मैं दो sentence कहना चाहता हूं। आपने शायद माननीय शब्द को सुना नहीं या देखा नहीं। दूसरा, मैंने कहा ...(**व्यवधान**)... कानून सर्वोपरि संविधान है। (समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Ram Gopal Yadav. Only what Prof. Ram Gopal Yadav says will go on record. And, I am sure, hon. Members will reflect upon what I have said. Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) **:** सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पर बोलने का मौका दिया। कल लोक सभा में मध्य रात के बाद तक चर्चा चली और बिल पास हुआ। मैंने माननीय रिजिजु साहब का पूरा भाषण सुना और नेताओं के भी भाषण सुने। आज भी सुन रहे हैं। दोनों तरफ से

कुछ बहुत अच्छे वक्ताओं ने भाषण दिए। कभी-कभी उधर से कोई अच्छा व्यक्ति बोल रहा है, तो लगता है कि यही सही है और कई बार ऐसा लगता है कि इधर से जो बोल रहे हैं, वे ज्यादा सही हैं। जब संसद में कन्फ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है, तो हमें लगता है कि संसद के माध्यम से देश की आम जनता में भी कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है , जबकि स्थिति बिल्कुल साफ है। मैं जब पहली बार संसद में आया, उस तरफ, जो अब संविधान सदन हो गया है। जब हम सेंट्रल हाल में घुसते हैं, तो ऊपर लिखा है-

"*अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।*
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।"

मैं तो यही अपेक्षा करता हूं, सरकार से खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वे कुछ बना-बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं, वे देश का, लोगों का और संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं, इसलिए उदार बने रहिए। नड्डा जी ने अच्छी बात कही, लेकिन कहा कि राजनीति हुई और अंत में खुद राजनीति में प्रवेश कर गए। स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की बहुत बड़ी आबादी है और खासकर मुसलमानों की। मेरे ख्याल से दुनिया में इतनी बड़ी संख्या मुसलमानों की कहीं नहीं है, जितनी हिंदुस्तान में है, बल्कि मुस्लिम देशों में भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर लोगों को यह लगे कि अन्याय हो रहा है और जनता में इसके बारे में चर्चा हो जाए, तो फिर आप कितना भी कहिएगा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं,

appeasement की बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। व्यक्ति जब अपने को असेस करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन जब जनता उसको जज करती है कि उन्होंने अतीत में कैसा किया है, मैंने पीछे कैसा किया है, क्योंकि जजमेंट उससे होती है। मैं कहूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं और करूंगा, उससे कोई जज नहीं करेगा। आपने अतीत में जो किया है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। भले ही आप येन, केन, प्रकारेण चुनाव जीत जाएं, लेकिन पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं है। पब्लिक को विश्वास नहीं है, क्योंकि जो बातें आपने कहीं, जो इस सरकार ने लोगों से वादे किए, उन वादों को न पूरा किया और न उन पर अमल करने की कोशिश की। हमारे पहले वक्ता जो बोल रहे थे, तो ऐसा लगता था कि जाने कितना प्रेम गरीब, मुसलमानों के प्रति इनके मन में उभर आया है। (4Y/LP पर जारी)

LP-SK/6.50/4Y

प्रो. राम गोपाल यादव (**क्रमागत**) : क्या हम इन्हें आज से जानते हैं? ...(**व्यवधान**)... आप हमारे मित्र हैं, नेता जी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, जो मुख्य मंत्री रहा, उसके साथ अच्छे संबंध रहे, अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध रहे और मुझसे तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे। वे इस तरह से बोल रहे थे, ...(**व्यवधान**)... वे तो अच्छे आदमी हैं ही। वे अच्छे आदमी हैं, लेकिन किसी एक आदमी से डरने की वजह से यहाँ पर आ गए, परंतु अच्छी बात यह है कि इसकी आलोचना करने से बड़े पद पर पहुँच गए। मैं यह कह रहा था कि उधर से जो भाषण हो रहे हैं, उनमें बार-बार जमीन, फंड और पैसे की बात आती है।

मुझे ऐसा लगता है कि 2014-2024 तक आपको याद ही नहीं रहा, आपको दस साल तक याद ही नहीं रहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है। जब देश की सारी संपत्तियाँ बेच दीं, तब देखा गया कि कहाँ-कहाँ बची हुई हैं और आप इस पर आ गए। ...(**व्यवधान**)... आप ऐसा मत कीजिए। यह देश सबसे मिलकर, सबके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ेगा भी। महोदय, हम कितना ही अलग-अलग रास्ते पर चलें, लेकिन अंततोगत्वा कभी न कभी यह दिमाग में आता ही है कि हमें मिलकर काम करना होगा, तभी देश की तरक्की हो सकती है। आप बुरा न मानें, तो मैं एक सेंटेन्स कह रहा हूं। मैं कई बार इतना ज्यादा कटु सत्य कभी नहीं बोलता हूं और वह इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि आगे की लाइन में और पीछे की लाइन में भी, दोनों तरफ, और खास तौर से उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत लिहाज़ करता हूं। इनको कहीं बुरा न लगे, इसलिए नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, प्रो. मनोज झा ने इशारा किया था कि हम धीरे-धीरे डेमोक्रेटिक स्टेट से टोटलटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं और यह बहुत ही नुकसानदायक बात होगी, इधर बैठे लोगों के लिए भी और उधर बैठे लोगों के लिए भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो। इसीलिए यह स्थिति मत पैदा होने दीजिए।

महोदय, यहाँ पर जो बिल आया है, हमें उस पर संदेह इसलिए ज्यादा है — उत्तर प्रदेश के लोग बुरा न मानें, हम जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वह यह देख रहे हैं

कि वहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वे अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। **…**मैं तो आपकी तरफ देखकर कहूंगा।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : लेकिन थोड़ा बोर्ड की तरफ भी देख लीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव : आपने तीन मिनट वालों को बीस मिनट दे दिए थे, हमें भी एकाध मिनट ज्यादा दे दीजिए। वैसे मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा, अगर आप कहेंगे, तो मैं अभी बैठ जाऊँगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं।

प्रो. राम गोपाल यादव : नड्डा साहब, आपने टेलीविज़न पर संभल के बारे में देखा होगा। संभल मेरी पार्लियामेंटरी कांस्टीटूएंसी रही है, मैं वहाँ से लोक सभा का सदस्य रहा हूं। महोदय, ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो बाहर अधिकारी हाथ में नंगी रिवॉल्वर्स लिए फोर्स के साथ घूम रहे थे। यहाँ शांति की बात हो रही है, लेकिन जब प्रदेश में कहीं पर यह माहौल हो जाए, तो आप किसी अच्छे मन से भी कोई बिल लाएंगे, जिसमें माइनोरिटी इन्वॉल्व होगी, तब भी उनको भरोसा नहीं हो सकता है। इसलिए पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालिए कि माइनॉरिटी के साथ ठीक व्यवहार करें, उसके बाद इस तरह के बिल लाएं और इसमें भी संशोधन रखें।

महोदय, हमें लगता है कि आपने यह सोचा ही नहीं कि जब इसको इम्प्लिमेंट करेंगे, तो सामने कितना बड़ा संकट आएगा, इसको लागू करने में आपके सामने ही दिक्कतें आ जाएंगी।

महोदय, वह पाँच साल से इस्लाम का प्रचार कर रहा हो, लेकिन जो हिंदू पैदा हो गया, वह हिंदू है, जो मुस्लिम पैदा हो गया, वह मुसलमान है। वह प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, इस्लाम का कर रहा है या नहीं कर रहा है – यह न आपके हाथ में है, न हमारे हाथ में है, यह तो ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। कौन कहाँ पैदा हुआ? वह जहाँ पैदा हुआ है, अगर मुसलमान पैदा हुआ है, तो मुसलमान धर्म का है या नहीं है? उसको मुसलमान माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? उसमें पाँच साल का बैरियर लगाने से क्या फायदा है? आप यदि सारा अधिकार एक कलेक्टर को दे देंगे, तो वह आर्टिकल 26 का उल्लंघन तो है ही है। (PRB/4Z पर जारी)

PRB-YSR/4Z/6.55

प्रो. राम गोपाल यादव (क्रमागत) : फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के तीसरे भाग में हैं। उसमें आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है कि इस भाग के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं, उनको सीमित करने वाला, छीनने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है, तो वह कानून रद्द होगा। यह आर्टिकल 13 में है, आप सभी जानते हैं। यहां बड़े-बड़े वकील भी बैठे हुए हैं। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 26 में है कि कोई भी

माइनॉरिटी अपना रिलीजियस मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था खुद कर सकती है। दोनों को एक साथ पढ़ें, तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि यह इल्लिगल है, असंवैधानिक है, तो आप कोई असंवैधानिक काम मत कीजिएगा। आप दोनों जगह बहुमत में हैं। वहां तो आपने बहुमत बना लिया और यहां आपको वास्तव में बहुमत प्राप्त है।

श्री सभापति : थैंक यू, प्रोफेसर साहब।

प्रो. राम गोपाल यादव : उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, मेरी यही राय है। ईश्वर से डरिए, क्योंकि ये कोई आपके दुश्मन नहीं हैं। दुश्मन तो व्यक्ति का अहंकार होता है। कभी-कभी कुछ लोग उधर से ऐसे बोलते हैं - आप तो बहुत विनम्र लोग हैं - जिनके बोलचाल से ही अहंकार टपकता है। किसी का अहंकार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है और जिसको अहंकार हो जाता है, उसका नुकसान होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री सभापति : थैंक यू, प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आपने कौन सी आपत्तिजनक बात कही। आपने डा. राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा करके कहा ...(**व्यवधान**)... आपने डा. राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा करके कहा कि एक व्यक्ति से डर कर यहां आ गए। यह आपत्तिजनक है।

प्रो. राम गोपाल यादव : अगर इनको आपत्ति हो, तो मैं विदड्रॉ कर लूंगा। इनको आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : चाहे इनको आपत्ति हो या न हो, लेकिन मुझे आपत्ति है, क्योंकि यहां का कोई सदस्य डर नहीं सकता और डा. राधा मोहन अग्रवाल तो बिल्कुल ही नहीं डर सकते हैं, पर आपने उस व्यक्तित्व का महिमामंडन किया है। यह आपकी साजिश है। यह सोच समझकर किया है और आपने एक बात की शुरुआत की है कि आपके प्रांत में ऐसी ताकत है कि लोग यहां आते हैं। यही कहा न आपने! ...(**व्यवधान**)... Message from the Lok Sabha. Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd April 2025 passed the Coastal Shipping Bill, 2025. I lay a copy of the said Bill on the Table. (Ends)

THE WAQF (AMENDMENT) BILL, 2025
and
THE MUSSALMAN WAKF (REPEAL) BILL, 2025 - Contd.)

श्री सभापति : श्री प्रफुल्ल पटेल।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, दोनों सदनों में दो दिनों से जो इतनी रोमांचक गतिविधियां चल रही हैं, उसमें राम गोपाल जी ने थोड़ा मौसम सुहावना करने का काम किया है।

श्री सभापति : काफी किया है।

श्री प्रफुल्ल पटेल : चलिए अच्छा है, ऐसा हो तो बहुत ही खुशी की बात है। आज जयराम जी भी प्रसन्न दिख रहे हैं। डा. सिंघवी साहब बड़े वकील हैं, वे बहुत कुछ बोलकर गए, मगर अंत में मुझे समझ नहीं आया कि उसका सार क्या था। मैं भी कुछ सीखना चाहता था। शायद चिदम्बरम जी और कपिल सिब्बल साहब से बाद में सीख लेंगे।

श्री सभापति : सभी अचंभित हैं और तभी साइलेंस था।

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I am not a legal luminary. इसलिए मुझे मालूम नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि हमारे भारत का जो संविधान है, वह सर्वश्रेष्ठ है। उसको आजकल बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है और जेब से निकाला जा रहा है। मेरे लिए तो वह गीता भी है, कुरान भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है और बाइबल भी है। उसी की शपथ लेकर आप भी बैठे हैं और हम सभी संसद सदस्य भी बैठे हैं। इसलिए उसके बारे में हम लोगों को इतना ही समझना और महसूस करना चाहिए कि हम यहां बैठे हैं और कानून बनाते हैं। जब हम ही कानून बनाने वाले हैं और संविधान में जो व्यवस्था है, उसमें न्यायपालिका तक जाने की व्यवस्था संविधान ने और संविधान निर्माताओं ने ही बनाकर दी है।

(5A/AKG पर जारी)

AKG-VKK/5A/7.00

श्री प्रफुल्ल पटेल (क्रमागत) : मैं समझता हूँ कि कल से हमारे Parliamentary Affairs और Minority Affairs Minister साहब यह कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कानून ला रहे हैं, उस कानून से अगर किन्हीं को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, तो वे न्यायपालिका तक पहुँच सकते हैं। वही भारत का संविधान, जिसे लेकर यहाँ पर सभी लोग दिखाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान का सम्मान करते हुए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाएँ। अभी सिंघवी साहब कह कर गए कि यह कानून भी गैर संवैधानिक है और कभी न कभी कोर्ट इसको strike down करेगा। फिर तो हम लोगों को कानून बनाने ही नहीं चाहिए, फिर कोर्ट्स को ही कानून बनाने चाहिए और हमें उनको लागू करना चाहिए। ऐसी संहिता कभी नहीं चल सकती।

सर, हमारे कुछ लोग मजहब के बारे में बोल रहे थे कि मजहब से खिलवाड़ हो रहा है। मजहब से खिलवाड़ तो 1947 में हो चुका, जो भी होना था। आज मजहब के नाम पर जो मुल्क बना, उसकी हालत देखिए, वह किस दलदल में फँसा है और आज हमारा भारत, जो हमारा secular, democratic भारत है, वह आज कितनी ऊँचाइयों तक पहुँच गया है! विश्व में पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, आगे जाकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। यह हमारा भारत है और वक्फ उसी का हिस्सा है मेरे भाई, उसमें कोई टोका-टोकी मत करिए। मेरा यह कहना है कि सबको आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री जी भी वही कहते हैं - 'सबका साथ, सबका

विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'। देखिए, कोई यहाँ बैठा है, तो कभी आप भी बैठे थे, जिसके हिस्सेदार हम भी थे। इसी संविधान के तहत चुनाव हुए, चुनाव में जीते, लोगों का विश्वास मिला, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए ये सब फिजूल की बातें करने का मतलब नहीं है। आपने तो बहुत shortcuts ले लिए हैं। हमारे मित्र, जो यहाँ से अभी बोल कर गए, उनके नेता कहते थे कि अगर बाबरी मस्जिद किसी ने गिराई है, तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई है। मुम्बई में जब मुसलमानों का बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए! आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं! ...(**व्यवधान**)... सत्ता लेने के लिए, ...(**व्यवधान**)... सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया, ...(**व्यवधान**)... तब आपको भारत का संविधान का, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीबों का विचार नहीं आया, अब आपको याद आ रहा है! इसीलिए...(**व्यवधान**)... वह सब ठीक है। ...(**व्यवधान**)... तब आप उस पार्टी में थी। तब आपको इतिहास मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है और आप उस पार्टी की spokesperson थीं। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, I have a serious objection. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Priyanka Chaturvedi, don't get agitated. ...(Interruptions)... Nothing else will go on record except what Shri Praful Patel says.

श्री प्रफुल्ल पटेल : आप इसको expunge कराइए। देखिए, she has to be more loyal than the king. दिखाना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... मुझे कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी जमीन समझते हैं और हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं।

सर, हमारे देश में जब हम मजहब की बात करते हैं, तो naturally जज्बात बहुत उमड़ कर, उठ कर आते हैं। होता भी है। हमारे देश, हमारे मुल्क को 1947 से अभी 78 वर्ष ही हुए हैं। किसी भी इतिहास की बात होती है। अभी जब हम वक्फ की बात करते हैं, तो यहाँ जमीनों का ब्यौरा दिया गया कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थीं, कितनी एकड़ जमीन थी, आज कितनी एकड़ जमीन है। आप लोगों को भी मालूम है कि यह सब इतिहास का जो एक पन्ना था, उसका यह पार्ट है। वक्फ में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और जमीनें उस जमाने की गईं, जब हमारा देश आजाद नहीं था और आजादी के बाद का जो नया दौर था, यह उसका एक हिस्सा है। आज जब हमारा देश एक आधुनिक युग में पहुँच चुका है, digitization हो गया है, नई land records बन रही हैं, तो आगे जाकर ये सब विवाद और ये सब विषय आने वाले नहीं हैं। आप पुरानी बातों को लेकर, मतलब उनको ही घुमा-घुमा कर, घोंट-घोंट कर, बार-बार लोगों के सामने पेश करते हैं कि मजहब के खिलाफ में यह बात हो रही है। इसमें मजहब की बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन मजहब का कौन सा पन्ना ऐसा है, जिसमें आपको आपत्ति है, यह मुझे ज़रा अभी तक समझ में नहीं आया।

(5बी/पीएसवी पर जारी)

BHS-PSV/5B/7.05

श्री प्रफुल्ल पटेल (क्रमागत) : मैंने कल गृह मंत्री जी का भाषण सुना, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब का भाषण कल भी टीवी पर सुना और आज भी यहां पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की, अभी नड्डा जी का यहां इतना विस्तृत भाषण हुआ और हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी भी कुछ बोले। इन सब भाषणों के बाद, मुझे यह समझना है कि ऐसा कौन सा पहलू है, आज हम लोगों को कौन से ऐसे मामले से आपत्ति हो रही है कि जिससे हमारे किसी भी मुसलमान भाई-बहन का आगे नुकसान होने वाला है। अगर यह बात कोई समझा सके, तो निश्चित रूप से हम भी इस बारे में एक बार नहीं, 100 बार सोचने के लिए तैयार हैं।

दिग्विजय जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम आज एनडीए का एक हिस्सा हैं। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कोई एक मुसलमान व्यक्ति गया है, तो वह हमारी पार्टी से गया है और वहां पर अगर कोई ऐसा मंत्री है, तो हमारे पार्टी से मंत्री है। मैं यह भी आपको बताता हूं कि आप लोगों ने मुसलमानों को विधान सभा की 10 परसेंट टिकटें कभी नहीं दी होंगी, लेकिन हमारी पार्टी ने दीं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग कोई अलग धर्म या मजहब के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं केवल आपको यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी की भी मंशा सभी को लेकर चलने की है। वे परसों नागपुर गए। आप लोग नागपुर-नागपुर करते हैं, वे जहां कहीं भी गए होंगे, लेकिन साथ-साथ डा. बाबा साहेब अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि पर भी वे गए थे। आप इस बात को क्यों नजरअंदाज करते हैं? आपको जो पसंद आएगा, वही बोलेंगे! मैंने

टीवी पर आप लोगों के, कई अलग-अलग लोगों के वक्तव्य देखे। चेयरमैन साहब, कि वे यहां गए, वहां गए, सरसंघचालक के वहां हेड क्वार्टर में गए, इनको नमन किया, उनको नमन किया, उन्होंने जरूर नमन किया, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान के निर्माता और इस देश के करोड़ों-करोड़ गरीब, वंचित, दलित लोगों की आस्था के प्रतीक, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सामने भी नतमस्तक हुए। यही तो भारत का संविधान कहता है। सभी तो वही कह रहे हैं। इसीलिए आज मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार की एक संकुचित सोच को लेकर हम चलते हैं! आज हमारे नड्डा जी ने यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टर्की और अनेक देशों के उदाहरण दिए। वे लोग अपने आप को समय के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं और हम जान-बूझकर एक समुदाय को बार-बार नीचा दिखाने की या समाज में उनके प्रति एक अलग तरह की सोच बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप लोग इस तरह से मजहब – देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आज तक जो रही है, वह मजहब से भी ज्यादा बड़ी है। हमारे यहां पर हजारों वर्षों से एक जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था चलती आई है। वह हजारों साल से है। उस व्यवस्था को दूर करने का काम सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण था। हमारे देश में अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी थी, तो वह जातीय व्यवस्था की थी, लेकिन उसको दूर किया गया।

साहब, मंडल आयोग आया, मंडल आयोग की सिफारिश इनके टाइम में बहुत वर्षों तक पड़ी थी। आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जिस सरकार में थे, उसमें मंडल

आयोग की सिफारिश को स्वीकार करके, आज इस देश के करोड़ों-करोड़ लोगों को, ओबीसी को और गरीब जनता को न्याय देने का काम हुआ। आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ एक ही बात करना, मजहब की बात करते रहना, यह बात ठीक नहीं होती है। सर, इससे समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं। हमारे यहां पर ऐसे लोगों ने, जो इस प्रकार से इन लोगों के साथ बैठकर, हाथ मिलाकर, सरकारें बनायीं, मगर जो उनके अंदर की जो सोच है, यहां की सोच है, वह बदली नहीं है। उनके साथ उनके मामले में भी सावधान रहें। ...(**व्यवधान**)... वे उनके मामले में सावधान रहें। हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। आप अपनी सोच बनाए रखिए, लेकिन सावधान भी रहिए। सर, हमारे दोस्त आ गए। ...(**व्यवधान**)... *"बालासाहेब, मैं आपको नमन करता हूं। उन्होंने हम सभी को बताया कि मेरे शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। क्या आपने यह नहीं कहा?"

(5सी/वीएनके पर जारी)

VNK-RL/5C/7.10

SHRI PRAFUL PATEL (**Contd.**): *"धन्यवाद हो, आपको भी धन्यवाद हो। हम कुछ भी नहीं। सर, आपको धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे बोलने दिया, मगर इनको

---

*English translation of the Marathi portion.

धन्यवाद"...(**व्यवधान**)... आप कह रहे थे कि मेरे शिवसैनिकों ने 1992-93 के मुंबई दंगों के दौरान हिंदू भाइयों की रक्षा की थी। क्या यह सही है या नहीं? धन्य हो, आप भी धन्य हो।...(**व्यवधान**)... *"नहीं, नहीं, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। संजय भैया, आप रंग मत बदलना।" आपको जो बोलना है, आप बोलो। आप अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, आज पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोवा कुंजरोवा था। कभी तो वे बिल्कुल टक-टक-टक बोलते हैं, लेकिन आज क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ - यह उनको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, अभी भी एकदम ऐसे-ऐसे ही कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... सर, मेरा इतना ही कहना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, रहेगा और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के तहत भारत को एक Secular, Democratic Republic बनाए रखें और देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधान मंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसमें हम सहयोग करें।...(**समय की घंटी**)...

(समाप्त)

श्री जयराम रमेश : सर, आप चुपचाप मजे ले रहे थे।

श्री सभापति : आपकी बात में काफी दम है। मजा चुपचाप कभी नहीं लेना चाहिए। Now, Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill and thank you for this opportunity to participate in this debate. मैं थोड़े संक्षेप में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूँ। मैं कोई विवादित बात नहीं करूँगा। समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या ईसाई हूँ या

---

*English translation of the Marathi portion.

उसको चैरिटी में देना चाहता हूँ, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इतिहास में, मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि there was a right of non-Muslims also to make a Waqf और 1954 में एवं 1995 में जो प्रावधान लाये गये, उनमें यह लिखा गया कि केवल मुसलमानों को वक्फ बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता है, प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। 2013 में जो संशोधन लाया गया, उसमें यह जो रोक थी, वह खत्म हो गई। अब यह जो 2024 का अभी कानून बना है, उसमें वापस यह कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं।...(**व्यवधान**)... वह तो अलग बात है। मैं केवल छोटी-सी बात रखना चाहता हूँ। As far as the 17th Century is concerned, I will give you a Judgement of the Madras High Court which observed, "It was common for the Hindu Zamindars to have Muslims in their territories to make Muslim endowments.' Similarly, in Arur Singh vs. Badar Din, the Lahore High Court upheld the right of a Hindu to make a waqf of his property for a Muslim graveyard. After Independence, Nagpur High Court upheld the right of a non-Muslim to create Waqf. हमारे प्रधान मंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वे हमेशा कहते हैं 'वन नेशन, वन लॉ', तो अगर 'वन नेशन, वन लॉ' होना है, तो बताइए कि यह कहना कि केवल मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं - यह किस किस्म का लॉ है? यह भी कहना कि मुसलमान पहले 5 साल मुसलमान बने, फिर यह तय करना होगा कि वह वक्फ दे सकते है कि नहीं। अरे, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूँ, आप कहने वाले कौन होते हैं कि नहीं दे

सकते? यह कौन-सा कानून है? यह छोटी-सी बात है, यह कौन-सा कानून है? मैं हिंदू हूँ और हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूँ। यह तो मेरी मर्जी है न? प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। पहली बात तो यह कि आपने यह प्रावधान क्यों रखा?

(5डी/डीएस पर जारी)

DC-DS/5D/7.15

श्री कपिल सिब्बल (क्रमागत) : अगर आप 'One Nation, One Law' की बात करते हैं, तो आप सारे धर्मों पर यह लागू कीजिए, कोई भी दे सकता है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो नड्डा साहब ने बहुत अच्छी कही, वह यह है कि देखिए, कितनी एकड़ प्रॉपर्टी *auqaf* की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि there are 32 Waqf Boards in this country in different States, which merely supervises administration of waqf properties in their respective States, but नड्डा जी, प्लीज़ यह नोट कर लीजिए कि total area of Hindu religious institutions. In Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana, respectively, it is 47,000 acres in Tamil Nadu; 4,65,000 acres in Andhra Pradesh; 87,000 acres in Telangana and 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanams. Thus it comes to 10 lakh acres only in four States and आप कहते हैं कि देखिए, *auqaf* में आठ लाख एकड़ है। आपके हिंदू temples में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हैं? आप बाकी स्टेट्स में भी देखिए। क्या हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूँ। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए। Under Hindu

dharma...(Interruptions)... एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... मैंने आज तक किसी को नहीं टोका। मैं आपके सामने सिर्फ छोटी सी बात रख रहा हूँ। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई self-acquired property हो, तो वह अपने बेटों को दे सकता है, पर बेटी को नहीं दे सकता। वह कहता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं दूँगा। इस्लाम में भी यह है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा। यह इस्लाम में भी है। वहां वक्फ के द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं, तो एक कानून लाइये कि Hindu law में कोई अपनी self-acquired property केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक़ होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आप हमें यह आश्वासन दो। You make a commitment in this House that you will bring a law which will protect the rights of daughters when they want to give away their self-acquired property. यह दूसरी बात है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था।

अब मैं आपके सामने तीसरी बात रखना चाहता हूँ। आपने कहा और यह बात आपको वैसे भी जाननी चाहिए, मालूम नहीं, यह बात आपको बताई गयी है या नहीं, लेकिन यह जो बोर्ड है, यह statutory Board है, पहले भी था। इसमें कोई nominate नहीं होता था। मैं आपको बताता हूँ कि वह कैसा statutory Board था। Most nominees were of the Government. पहले भी MPs were there, judges of Supreme Court, High Courts, civil servants were there. And the Chief Executive Officer of the Board is a civil servant. The Government can give

directives to the Board and even supersede it. Tribunal members are nominated by the Government. यह पहले की स्थिति थी। अगर उसमें सरकारी नियुक्ति थी, तो फिर गलत काम कौन कर रहा था? आपने उसको क्यों supersede किया? आपने Sub-nominee क्यों रखवा लिए? पहले भी तो वह statutory Board था, तो आप यह प्रावधान क्यों लाए? अगर कोई गलती हो रही थी, तो मुतवल्ली से हो रही थी। तब होता यह था कि मुतवल्ली किसी वक्फ में डील कर लेता था और उसकी वजह से यह mis-management होती थी। आपको उस वक्त ठीक करना चाहिए था, हम भी आपके साथ हैं। मुझे याद है, पहली बार and I think it was in 1954 कि तमिलनाडु के एक ब्राह्मण ने यह कहा कि हमारे यहां मंदिरों में बड़ी गड़बड़ हो रही है और उसकी वजह से 1954 एक्ट बना, तो गड़बड़ तो सब जगह होगी। आपकी सरकार में भी बड़ी गड़बड़ हो रही है। वह भी हो रही है। वह ठीक है, गड़बड़ तो होती है। गड़बड़ तो होती है। अब आपने क्या किया? यह बड़ी interesting बात है। आपने क्या किया? आपने कहा कि ...(**समय की घंटी**)... सर, देखिए, आपने सबको 15-15, 20-20 मिनट्स दिए हैं। मैं ज्यादा नहीं मांगता, मुझे 10 मिनट दे दीजिए। सर, थोड़ा-सा। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम कोई पोलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। नड्डा जी ने कहा कि यहां कोई पोलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यह देश के भविष्य का सवाल है।

(5ई/एमजैड पर जारी)

DPS-MZ/5E/7.20

SHRI KAPIL SIBAL (Contd.): Therefore, the other thing I want to say पहले यह होता था कि वक्फ प्रॉपर्टी पर encroachments होती थी, unauthorized encroachments होती थी, लोगों की unauthorized encroachments होती थी और सरकार भी इस पर कब़्जा कर लेती थी। इसलिए जो Limitation provision प्रोविजन लाया गया, उसमें यह रखा गया कि जो 12 साल का Limitation Ordinary Law में है, वह नहीं है, किसी ने गतल तरीके से Waqf property पर कब़्जा कर लिया, तो अगर लिमिटेशन की बात आएगी, तो वह 12 साल के बाद challenge नहीं कर सकता। आप वह Limitation वापस ले आए, मतलब कि उनका unauthorized कब़्जा कायम रहेगा। आप तो encroachments साथ दे रहे हैं, encroachers का साथ दे रहे हैं। मतलब कि वक्फ प्रॉपर्टी पर जो गलत कब़्जा हुआ है, वह कब़्जा वैसा ही रहेगा, क्योंकि 12 साल बीत जाएंगे। आप यह किस किस्म का प्रावधान लाए हैं? आप वक्फ प्रॉपर्टी को protect कर रहे हो या encroachments को protect कर रहे हो। फिर साथ ही आपने यह कह दिया कि District Magistrate has the full power to decide as to whether it is a Waqf property or not. This is what you have said. Now, what inquiry will the District Magistrate have in that case? He will decide on his own and his decision is final! You were talking about Article 21 of the Constitution and said कि Waqf Council का decision कैसे final हो सकता है, वक्फ बोर्ड का decision कैसे final हो सकता है। यह तो challenge ही नहीं हो सकता in a Civil

Court. Which decision of the District Magistrate will be challenged in the Civil Court? You have said in this law that the decision of the District Magistrate will be final. And, when he decides that this property is not a Waqf property, that cannot be challenged till he gives the final decision. So, you can't deal with that property. You give finality to it. आपने बात रखी है कि ये जो endowments हैं, यह जो Waqf है, इसकी जो tribunal की decision है, वह final रहती है। यह आपने कहा है। अगर tribunal का decision final रहता है, तो civil court को तो कोई हक नहीं है, उसको challenge करने के लिए। यही बात Hindu Endowments Act में है ...(*Time-bell rings*)... Hindu Endowments Act में जो उनका management है, उसका decision final है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Kapil*ji*.

श्री कपिल सिब्बल : अगर Hindu Endowments का decision final है, वहां तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। यहां tribunal का decision final है, तो आपको आपत्ति है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Kapil*ji*.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I will take just last one minute.

MR. CHAIRMAN: You have taken ten minutes.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, last minute. सर, 2014 के बाद ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : किसका समय देना है ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आपके पास तो बोलने का समय बचा ही नहीं है।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, just give me a minute. What the fact of the matter is, the problem is... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: One minute, Kapil*ji*. Hon. Parliamentary Affairs Minister wants to say something.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु) : चेयरमैन सर, पिछली बार भी जब कपिल सिब्बल जी यहां बोले थे, तब मैंने कहा था कि senior MPs हमारे साथ बैठकर debates, discussion में हिस्सा लेते हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन problem यह है कि वे कई बातें यहां बोल कर चले जाते हैं, वे clarification नहीं सुनते हैं। उनके बोलने से पहले एक-दो लोग बोलते हैं, तब वे ज़रूर सुनते हैं, मगर उसके बाद वे कुछ ऐसा सवाल पूछ कर चले जाते हैं, लेकिन जवाब सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रात को जब मैं जवाब दूंगा, तब वे तो यहां रहेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? सर, आप ही मुझे बताइए। यह तो बड़ी समस्या है। सर, उनके senior होने के नाते मैं उनकी सूझ-बूझ, समझ और intellect को तो मैं challenge नहीं कर सकता हूं, लेकिन जैसे वे confusing बात करके चले गए - उन्होंने चार स्टेट के religious land को वक्फ के साथ compare करके confusion पैदा करके चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टी religious प्रॉपर्टी नहीं होती है, वक्फ प्रॉपर्टी अलग है, वह civil है। यहां वे गलत example देकर चले जाएंगे। फिर वे बोलते हैं कि मेरी ज़मीन, मेरी प्रॉपर्टी है, आप कौन होते हैं कानून बनाने वाले? ...(**व्यवधान**)... मैं इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि वे अभी चले जाएंगे।

श्री सभापति : डा. अभिषेक मनु सिंघवी चले गए हैं।

श्री किरेन रिजिजु : सर, अभिषेक मनु सिंघवी जी तो चले गए, अब मैं क्या करूं? उनको रोक नहीं सकते। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : वे वापस आएंगे, क्योंकि Whip है, because of Whip, he will come back.

श्री किरेन रिजिजु : सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि ज़मीन मेरी है, आप कौन होते हैं कानून बनाने वाले?

(Contd. by PK/5F)

DN-PK/5F/7.25

श्री किरेन रिजिजु (**क्रमागत**) : जब कोई ट्रस्ट बनता है, तो उस ट्रस्ट को कौन चलाता है, उसकी निगरानी कौन करता है? उसकी निगरानी चैरिटी कमिश्नर करता है। आप बोलेंगे कि मैं हिंदू ट्रस्टी हूं, तो चैरिटी कमिश्नर में मुस्लिम नहीं आ सकते हैं, Christians नहीं आ सकते हैं। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है? देश कानून से चलता है। आप बोलते हैं कि मेरी मर्जी होगी। इसका मतलब यह है कि क्या मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनानी है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट खोलना है। आप इतने सीनियर होते हुए कैसी बात कर रहे हैं। देश में अगर सबके लिए एक कानून चलेगा, तो यह देश के लिए अच्छा होगा। मैं डिटेल में जवाब दे सकता हूं, लेकिन यह मेरे रिप्लाई का टाइम नहीं है। आप चले जाएंगे और बाद में रिप्लाई नहीं सुनेंगे और फिर वह अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं यह कह रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Finance Minister.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir,...

MR. CHAIRMAN: I will come to you, Mr. Sibal. I will come to you. मैं भी बीच में एक बार बोलूंगा। Hon. Finance Minister.

THE FINANCE MINISTER (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I am very sympathetic to the Minority Affairs Minister. Every time, in finance-related matters, I also face this situation. When I stand up to answer earnestly with all the questions being posed to me, concerned Members are never there. At least, he has the courage to stand up and seek your permission to speak. But there are one or two points on which I want to just give some clarification. As the Minister of Minority Affairs says, we are talking to a senior, very senior legal luminary, so I will humbly submit my facts, if I heard him right. In Tamil Nadu or in Andhra and he also took the name of the Tirumala Tirupati Devasthanam, in all these, the HR and CE is with the Government. The Government-appointed people monitor it, they execute it and they run it. Second, for Tirumala Tirupati Devasthanam, the Executive Officer is appointed by the Government of Andhra Pradesh. The Endowment Board has people who are appointed by the Government of Andhra Pradesh and the entire system is completely under the Government

of Andhra Pradesh. So it is not as if Hindus are not being touched at all, only Muslims are. No. In fact, it has led to a lot of feeling... that Hindu pilgrims have started feeling that only their temples are being completely controlled by the Government and the Government-appointed people. It is leading to a lot of confusion among the Hindu pilgrims also. It is a matter of concern for all religions. ...*(Interruptions)*.. I am responding to the hon. Member who spoke. Anybody who has a comment to make on what I have said is welcome to seek the time from the Chair rather than shout me down. Because he did refer to the Southern States, the Hindu temples, and also took the name of TTD, the fact is this, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Kapil*ji*.

SHRI KAPIL SIBAL: Madam Finance Minister, what I said was that yes, you are right, the temples are being managed by the Government, so is the Waqf. That is precisely what I said. The statutory appointees are all by the Government. ..*(Interruptions)*.. That is exactly the point that I was making, that if the statutory appointees were all in the Government, why did you want to bring this amendment in 2024? That is the point. And, to you, Sir, the answer is, you said that there are trusts. Yes, there are trusts. But you know under the Code of Civil Procedure, when there is a trust, the

property belongs to the trust. But there is a difference between auqaf and trust. As for Auqaf, the land once donated belongs to God.

MR. CHAIRMAN: Please round up.

SHRI KAPIL SIBAL: It does not belong to the trust. Sir, it belongs to God. You cannot sell it ever. A trust can sell property. Waqf property cannot be sold. And Waqf property can be donated for religious purposes. It can be donated for shelter homes. *…(Interruptions)..* Allow me to speak. Do not interrupt now. It can be given for schools, it can be given for graveyards, it can be given for the benefit of women, and once given it cannot be taken back, unlike trusts.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Therefore, there is a difference.

MR. CHAIRMN: Okay.

SHRI KAPIL SIBAL: One last thing, only one. And, I will come in to vote against them, not to worry. And, I will listen to you. Now, one last thing, Sir. They say, we have abolished waqfs by user. That is what they have said.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, there is a Supreme Court judgment that they rely upon, that is, the Babri Masjid judgement. The hon. Minority Affairs Minister should note. Paragraph 1134 of the Babri Masjid judgment, says waqfs by user is an accepted mode of creating a waqf.

(Followed by PB/5G)

PB-LP/5G/7.30

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Please honour the judgment whose virtues you extol to the rest of the country. Honour that judgment. And it says, 'waqf by user' is a matter of evidence. And, in fact, 'waqf by user' is established pursuant to the Board, that is, the Board, statutory board, sending out special people who are assessors as to whether, in fact, this is an actual waqf or not.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Kapilji.

SHRI KAPIL SIBAL: And these are specialists. Sir, he must know; he is the Minister. He must know the facts before he makes a statement...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: These are specialists. You have abolished the specialists. Now the district management will decide, and what will happen?

MR. CHAIRMAN: Kapilji, you have made your point.

SHRI KAPIL SIBAL: No; but this is not fair, Sir. This is not fair.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: They interrupted without knowing what an actual waqf is. They have no knowledge of what a waqf is. He is comparing it with a trust. Waqf is not a trust at all. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Haris Beeran.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, just one minute. Last point. Only one minute; not more than one minute.

MR. CHAIRMAN: No, Kapilji. ...(Interruptions)... Kapilji, you have diverted yourself. ...(Interruptions)... No, you diverted. ...(Interruptions)... Kapilji, it can't...

SHRI KAPIL SIBAL: One minute, Sir.

MR. CHAIRMAN: Three minutes' time, I extended to ten minutes.

SHRI KAPIL SIBAL: You have given half-an-hour to other people when you were to give 10 minutes. Give me one minute. ...(Interruptions)...

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran; seven minutes. Shri Harish Beeran. ...(Interruptions)... Please. We have to proceed with the House. Thank you. ...(Interruptions)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I am on a point of order.

श्री सभापति: कपिल जी, वैसे आपने आज मुझे एक ही झटका दिया है, लेकिन अभिषेक कई झटके देकर चले गए हैं। आपने एक कानूनी व्याख्या की कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों का, वूमेन का भी हक होना चाहिए, लेकिन सेल्फ-एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को भी दी जा सकती है। बेटे को दे दो, बेटी को दे दो, दोनों को मत दो, किसी और को दे दो - यही देश का कानून है। ...(**व्यवधान**)... Shri Haris Beeran, your time starts now. We will add one more minute which is over. Come on. Start. ...(Interruptions)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I am on a point of order. ...(Interruptions)... Please allow me. ...(Interruptions)...

SHRI HARIS BEERAN (**Kerala**): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. ...(Interruptions)...On behalf of my Party, the Indian Union Muslim League, I stand here to oppose the Bill which is unconstitutional, which is against the principles of secularism, which is against the principles of federalism.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.]

Now, Sir, we are debating the Waqf Bill. We have to know what the concept of Waqf is. Waqf is an Islamic concept. Now it is a permanent dedication to God. But it is your intention to dedicate which is paramount

under the Islamic concept. That is why, the oral Waqf was recognized in law till now. Now, Sir, that has been deleted. The oral Waqf has been deleted. That means, you are legislating a law which is contrary to the Islamic concept of Waqf. Now that is the fundamental flaw in this particular legislation. This is against Articles 25 and 26 of the Constitution.

Now on 'waqf by users', several waqfs were created centuries ago. Clause 3, that is, Section 3, says that this is prospective. 'Waqf by user' is prospective. ...(Interruptions)... Now, Sir, the prospective thing has been ... ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. श्री हारिस बीरान जी, आप बोलिए।

SHRI HARIS BEERAN: Sir, there have been a lot of riders. The rider is that there should not be any dispute. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : संजय जी, आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)...

SHRI HARIS BEERAN: Sir, the House has to be in order. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I am requesting all the Members to listen you. ...(Interruptions)... Please speak.

SHRI HARIS BEERAN: I can't hear. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am listening to your speech. You speak. ...(Interruptions)...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am on a point of order.

SHRI HARIS BEERAN: There is one point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No point of order. Please, you speak. ...(Interruptions)...

SHRI HARIS BEERAN: Sir, what I was saying was that Clause 3 of the Waqf Bill says that it has to be prospective, which is, 'Waqf by user', has to be prospective. But they are saying it with riders. The rider is that there should not be any dispute. Now, what is a 'dispute' is not defined under the Act. And if there is a dispute, what is the method for resolving that dispute? If the Government says that there is a dispute with regard to a property, the Government can go to a Government officer and the Government officer will decide whether there is a dispute or not. If he thinks that there is a dispute, that property will cease to be a waqf property.

(Contd. by 5h/HK)

HK-PRB/5H/7.35

SHRI HARIS BEERAN (Contd.): That is how the legislation comes in. So, there is nothing for natural justice. There is no natural justice in this

particular legislation. This is how the dispute resolution mechanism is there. Once that Government Officer decides on some dispute, there is no mechanism for appeal. So, this particular property will be frozen for all times to come. Now, there is an interesting part. The interesting part is that, for argument's sake, if we admit that 'yes', 'Waqf by User' is prospective and all the 'Waqf by User' properties will be protected, there is another clause, which is Clause 3(b), which says that list of details of the Waqf has to be given within six months. If the list of details of Waqf is not given within six months, the property ceases to be a Waqf property. So, there is a dichotomy. On the one hand, they are saying that 'Waqf by User' is prospective and that will be protected. On the other hand, they are saying that in six months' time, if you do not give the list of documents, it will cease to be a Waqf property. So, I do not know how they are going to reconcile this dichotomy. All these properties, which are 'Waqf by User' properties, are going to go away in six months' time if they do not provide the documents. This is a very dangerous trend in this legislation. Now, there is another part. What is Waqf? Waqf is a dedication to *Allah*. So, who is to manage these properties which are dedicated to *Allah*? They are non-Muslims who will manage the properties which are dedicated to Allah. Now,

in Waqf Council, twelve people will be in majority and seven people in Waqf Board will be in majority. This is a direct affront to Article 26 of the Constitution which says that you have the right to manage your own affairs. Now, what is this? Do the Muslims not have capacity or capability to manage their own affairs? Is it what the Government is trying to say? How much State control will be there in these religious matters and religious affairs? Is the Government going to allow these kinds of things in other religions? We have seen the other religious endowments. In other religious endowments, only that particular religion will be allowed. So, there is this direct affront to Article 14. Now, a lot of people have been saying about Munambam land issues. Hon. Nadda*ji* said about it. Kerala's legacy is secularism. My Party President, Syyed Sadiq Ali Shihab Thangal, in fact, convened the meeting of all Muslim organisations in Kerala after this particular problem cropped up and he has, in no unambiguous terms, said that no one will be and no one should be evicted from this Munambam land. That is the sentiment of whole of Kerala. Whole of Kerala stands with that. We do not need any outside protection. Yesterday, some Minister told in Lok Sabha that Modi*ji* is going to be the saviour of Munambam land and Munambam people. We do not need any saviour. We ourselves know how

to save our people. We know how the people of Gujarat were saved in 2002. We all know that. We do not need that kind of a protection. We know how to protect ourselves. Now, there is a social and political agenda to it. Social agenda is to deprive the Muslim community of their educational institutions and lands which are there in work of property. The political agenda is that you create hatred and you create division among the community. We know what secularism is. 'Secularism' means live and let live. Here is a Government which do not let live the minority communities and the Other Backward Class communities in India. Now, as for the claim that they are actually for the minority communities, we know many attacks have been on the Christian community in the last one year. United Christian Forum has given a data that 740 churches were torched and damaged in the last one year itself. What is happening in Manipur? In Jabalpur, last week, 50 Christians were attacked thinking that they were going for conversion. These 50 Christians were attacked by VHP only last week. Now, what is the policy which they are adopting? 'Divide and rule' is the policy which they are adopting. In conclusion, the Government and the BJP find it convenient to pitch minority communities against each other and reap potential benefit out of it. We are reminded of the story of the jackal who licked the drops of

blood flowing from the heads of the fighting Gods. The moral of this story from *Panchatantra* is that one should resist greed. In Munambam, you are this greedy person. Here, we see political greed garbed in rabid communalism. This is something that will harm the ethos, social fabric and very fundamentals of this country. I strongly oppose this Bill, being unconstitutional, being against the principles of secularism and being against the principles of federalism. Thank you. (Ends)

(Followed by KSK/5J)

AKG-KSK/5J/7.40

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Brij Lal. You have fifteen minutes. ...(*Interruptions*)... Please take your seat. She has already spoken.

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे Unified Waqf Management Empowerment (Efficiency and Development) Act पर बोलने का अवसर दिया। ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए। माननीय सदस्य बोल चुके हैं। माननीय चेयरमैन ने allow नहीं किया, मैं allow नहीं करूँगा, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री बृज लाल : उपसभापति महोदय, यह बिल सबको न्याय देने वाला है, जो निष्पक्ष है और पारदर्शी है। ...(**व्यवधान**)... यह गरीब मुसलमानों, पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों को न्याय देगा, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। यह निश्चित तौर पर सबके लिए निश्चित उम्मीद है कि यह जो नया एक्ट बन रहा है, इसके कारण अब किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी।

सभापति महोदय, एक तरफ यूपीए गवर्नमेंट में 1991 में एक एक्ट बना था - Religious Places Act. इसमें यह कहा गया कि 1947 में जो स्थिति है, अगर मंदिर तोड़ दिया गया, कुछ बन गया, तो आप reclaim नहीं कर सकते और श्रीमन्, एक तरफ 1995 में जो वक्फ एक्ट बना, उसमें कहा गया कि वह जिसकी भी चाहे, अगर उसको समझ में आ रहा है कि वह वक्फ की property है, तो वह उसकी जाँच करा सकता है, उसको ले सकता है। सभापति महोदय, यह कैसा अधिनियम है! इनको कितनी शक्तियाँ दी गईं! इनके लिए कहा गया, ट्रिब्यूनल भी इनका होगा, लोग भी इनके होंगे, फैसला भी इनका होगा और मनमानी भी इनकी होगी। श्रीमन्, यह था 1995 का एक्ट! सभापति महोदय, यह यूपीए सरकार की, जिसमें हमारे भाई लोग शामिल हैं, जो उस साइड में बैठे हैं, इन्हीं की दरियादिली रही, तुष्टीकरण, जिसके कारण 2006 में जो 4 लाख वक्फ संपत्तियाँ थीं, वे 2024 में 8.72 लाख संपत्तियाँ हो गईं। उसका जो पैसा मिलता, जो सच्चर साहब ने कहा था, 193 करोड़, वह 193 करोड़ से केवल 3 करोड़ बढ़ा।

सभापति महोदय, अब मैं इस बात पर आता हूँ कि यह जो वक्फ अब तक है, आज मौजूद है, इस पर केवल मुसलमानों के अभिजात वर्ग का आधिपत्य है। इसमें कौन हैं - शेख, सैयद, पठान, सिद्दीकी, मिर्जा आदि। श्रीमन्, इसमें गरीब मुसलमानों का, पसमांदा मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा। केवल ये ही लोग इसको enjoy करते रहे, इन्हीं का आधिपत्य रहा। महोदय, अब मोदी जी की सरकार में यह जो अधिनियम आ रहा है, तो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक रूल है, वह है - अंत्योदय। जो समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा है, उसका अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और उसको भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। श्रीमन्, जितनी योजनाएँ हैं, वे गरीब-centric हैं, poor-centric हैं। चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, कोई यह नहीं पूछता कि जिसको मकान मिला, कौन है; जिसको शौचालय मिला, कौन है; 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज मिल रहा है, वे कौन हैं। महोदय, अब यह जो अधिनियम आ रहा है, इसमें इन लोगों को न्याय मिलेगा - भटियारा, फकीर, डफाली, हलालखोर, लाल बेगी, मुस्लिम बंजारा, धोबी, नाई, मुस्लिम जोगी, रंगरेज, मोची, भिश्ती, मुकेरी। इनको न्याय मिलेगा, जिनको इन्होंने किनारे कर दिया था। महोदय, ये वे लोग हैं, जो कभी convert हुए थे और ये दलित थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, -- ये लोग अक्सर उनका नाम लेते हैं -- उन्होंने कहा था कि ये जो दलित convert हुए हैं या लोभ-लालच से convert हुए हैं, ये केवल इनकी संख्या बढ़ाएँगे, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होगी। श्रीमन्, यह जो वक्फ एक्ट था, इसमें इन जातियों की स्थिति बद से बदतर हुई और अब यह जो अधिनियम बना है, अब

इन लोगों को न्याय मिलेगा और इनको बाबा साहेब की याद जरूर आएगी, जो उन्होंने कहा था कि इन्होंने केवल यह संख्या बढ़ा दी है। इन संख्या बढ़ाने वालों को आज मोदी सरकार में न्याय मिल पाएगा।

(5के/पीएसवी पर जारी)

GSP-PSV/5K/7.45

श्री बृज लाल (क्रमागत) : सभापति महोदय, अब इसमें इनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी और न्याय मिलेगा। अब मैं आता हूँ - Waqf Act, 1995 के Section 40 पर आता हूँ। यह क्या है? Section 40 of the Waqf Act, 1995 is a unique provision, which authorizes the Waqf Board to make an enquiry in respect of any land to find out as to whether the property is a Waqf property or not. In case the Waqf Board has the reason to believe that property of the Trust or the Society is Waqf property, it may call upon the Trust or the Society to show cause as to why such property be not registered as Waqf property. The decision of the Waqf is final subject to any order passed by Waqf Tribunal. सभापति महोदय, इसमें यह कहा गया। जमीन के जो मामले होते हैं, उसमें custodian कौन होता है - डिस्ट्रिक मजिस्टेट। He is the custodian of land. उसका पूरा paraphernalia है - लेखपाल से लेकर कानूनगो, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम और कलेक्टर खुद। यहां जब मैं जेपीसी के मेंबर रहे, तो अपोजिशन पार्टीज़ के हमारे तमाम मित्र यही कहते थे कि नहीं साहब, कलेक्टर क्यों होगा? How can he be a judge in his own

case? जैसे पूरे जिले की जो जमीन है, कलेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वह उसका मालिक है। अगर यह कह सकते हैं, तो यह भी कह सकते हैं कि साहब, फलां स्टेट का मुख्य मंत्री, फलां पार्टी का है, तो इसमें वह कैसे हो सकता है? वह जो न्याय देगा, वह उनको स्वीकार नहीं होगा। महोदय, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है। इस पर भी इन्होंने कलेक्टर की बात कही। यहां भी यह बात आई। हालांकि अब उसमें कलेक्टर की जगह Designated officer कर दिया गया है और उस Designated officer का रैंक कलेक्टर से ऊपर होगा। लेकिन ये कुतर्क बहुत चला और यहां भी चल रहा है।

सभापति महोदय, अब मैंने जो इसका सेक्शन 40 पढ़ा, इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसके तहत किस तरह से तमाम संपत्तियों पर कब्जा किया गया। तमिलनाडु का जो मामला 2022 का है, अभी मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। उसमें विलेज था – तिरुचेथई और डिस्ट्रिक्ट था- तिरुचिरापल्ली। इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, तो इसमें मुझे आगे नहीं कहना है। इसके अलावा हरियाणा का एक मामला है। हरियाणा के ग्राम जठलाना में वर्ष 2022 में यहां की वक्फ बोर्ड ने काफी जमीनों पर दावा ठोक दिया। महोदय, वहां एक पुराना गुरुद्वारा है, उसकी तमाम संपत्तियां हैं। वहां पहले कोई मुस्लिम सेटलमेंट नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं साहब, यह तो हमारी संपत्ति है। इस प्रकार हरियाणा में उसको हड़पने का प्रयास किया गया। अब सूरत के मामले पर आना चाहता हूँ। महोदय, 2021 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो संपत्ति है, वह वक्फ की है। कहा गया कि 400 साल पहले उसे शाहजहां ने वक्फ किया था और उन्होंने अपनी

बेटी जहां आरा को दे दिया था। वहां पर उनके खास भी थे। बताया गया कि एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया और कहा गया उनके शाहजहां के खास इशाक बेग यजदी उर्फ हकीकत खान ने इसको वर्ष 1644 में 33,081 रुपये में बनाया। उन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया कि यह सब कैसे हुआ। उसके बाद यह मामला आगे गया। उसमें एडवोकेट कौशिक पांड्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लड़े और यह पता चला कि यह जो बिल्डिंग बनी है, सूरत का जो पोर्ट है, वहां से जो टैक्स आया है, उस पैसे से बनी है। तब जाकर सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बनी। तो क्या महोदय, ऐसा नहीं है कि एक्ट में ये जो Sweeping powers दिये गये थे, असीमित अधिकार दिये गये थे, उनको खत्म होना नहीं चाहिए? इसके लिए मैं अपने मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को भी साधुवाद देता हूँ।

महोदय, मेरे स्टेट के आगरा की बात है। मैं आगरा का एसएसपी भी रहा हूँ और डीआईजी भी रहा हूँ। मैंने ताज महल बहुत देखा है। यहाँ जितने भी हेड्स ऑफ दि स्टेट्स आते थे, तो वे वहां जरूर आते थे और प्रोटोकॉल में मुझे वहाँ मौजूद रहना पड़ता था। महोदय, 2014 में वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वहां इनके एक कद्दावर मंत्री थे, जो इस समय सजा पाकर जेल में हैं। उन्होंने कहा था कि साहब, यह तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इनके पार्टी के एक साहब फिरोजाबाद के थे, उन्होंने कहा कि मुझे मुतवल्ली बना दीजिए और ताजमहल तो वक्फ प्रॉपर्टी है। इसका भी लिटिगेशन हुआ, मामला उठा और फिर वह नहीं हो पाया। तो महोदय, ताजमहल जैसी संपत्ति के बारे में यह कहा गया कि यह वक्फ की है। (5एल/वीएनके पर जारी)

VNK-SK/5L/7.50

श्री बृज लाल (क्रमागत) : महोदय, अब मैं ज्ञानवापी मस्जिद पर आता हूँ। सब जानते हैं कि 9 अप्रैल, 1669 को औरंगजेब ने हुक्नामा जारी किया था और उस हुक्नामे के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, जनवरी, 1670 में केशवदेव मंदिर, मथुरा तोड़ा गया। वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जहाँ ज्ञानव्यापी मौजूद है, वह वक्फ की जमीन है। ये इस तरह के कारनामे यहाँ करते रहे। उसका कारण केवल सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत यह किया गया। यह इतिहास में है, सब कुछ है। अब आप देखें, जितने ये कारनामे हो रहे हैं, वे 2020 के बाद हो रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने वहाँ केशवदेव मंदिर का क्या हाल किया, वह आप जानते हैं।

महोदय, मैं अब कोट द्वारिका पर आता हूँ, जिसको बेट द्वारका बोलते हैं। 2021-22 में गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। उन्होंने कहा बेट द्वारका की दो आइलैंड्स वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। महोदय, यह बेट द्वारका भगवान कृष्ण से संबंधित है। कच्छ की खाड़ी में शंखोद्वार एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई करीब 4 किलोमीटर है। महोदय, इसके बारे में कहा गया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर यह एक्ट रहता और यूपीए सरकार continue रहती, तो भगवान कृष्ण का जो हमारा तीर्थस्थल है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर ले लिया जाता। इस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ।

महोदय, आप नेट पर देख लीजिएगा, एक मौलाना 2017 में क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे कि यह बद्रीनाथ नहीं है, यह विष्णु मंदिर नहीं है, ये तो बदरुद्दीन शाह हैं। उन्होंने यह कहा कि यहाँ के मुख्य मंत्री को यह बद्रीनाथ टेंपल मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, तो हम इस पर कब्जा कर लेंगे। सर, यह ऑन रिकॉर्ड है। जो बद्रीनाथ टेंपल सिर्फ देश के हिंदुओं का नहीं, बल्कि पूरे विश्व के जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उन सबकी उसमें आस्था है, उसके बारे में कहा गया कि यह बदरुद्दीन शाह है। श्रीमान, देहरादून के रायपुर थाने में इसका मुकदमा कायम हुआ था। इन्होंने वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 का कितना इस्तेमाल किया है, यह इससे पता चलता है।

महोदय, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के द्वारा हैदराबाद में फाइव स्टार होटल को कहा गया कि यह भी वक्फ की संपत्ति है। उस होटल का नाम मैरिएट होटल है। उसको भी कोर्ट में जाना पड़ा, तब वह फाइव स्टार संपत्ति बन पाई। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह भी वक्फ की संपत्ति हो जाती।

महोदय, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2013 लाए। उसमें तो इन्होंने तुष्टिरण की पराकाष्ठा कर दी । मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि 2014 में जब चुनाव आने वाला था और आचार संहिता लगने वाली थी, तो उसको रातों-रात डिनोटिफाई करके 123 संपत्तियां दे दी गईं। श्रीमन, लुटियन जोन की 123 संपत्तियां दे दी गईं। जेपीसी में हमने सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट को बुलाया। सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट ने कहा कि 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, 1912-13 में जमीन का अधिग्रहण हुआ, मुआवजा दिया गया,

म्युटेशन हो गया और 58 साल बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड नोटिस देता है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। श्रीमान, अगर यह यूपीए सरकार रहती, तो जहाँ हम बैठे हैं और पूरी दिल्ली वक्फ प्रॉपर्टीज़ होतीं, लेकिन आज हम लोग यह जो एक्ट ला रहे हैं, इससे हमें निजात मिलेगी।

श्रीमान, तमाम प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, जो evacuee properties हैं, जिनको हम enemy properties कहते हैं। यहाँ के जो लोग पाकिस्तान चले गए, वे प्रॉपर्टी खाली कर गए और वह प्रॉपर्टी evacuee property है। श्रीमान, वहाँ के जो हिंदू थे, वे छोड़ कर चले आए। उनकी हिम्मत नहीं है कि वे चले जाएँ। 8 अप्रैल, 1950 में लियाकत और नेहरू जी में समझौता हुआ। एक टाइम दिया गया था कि आप लोग वहाँ जाकर अपनी जमीनें सेटल कर सकते हैं, तो हिंदू, सिख की तो हिम्मत नहीं हुई और यहाँ की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ गईं, वे बैक डेट में वक्फ हो गयीं।

(5एम/डीएस पर जारी)

DS-YSR/7.55/5M

श्री बृज लाल (**क्रमागत**) : श्रीमन्, वहां से जो हिंदू-सिख आए, वे सेटलमेंट में रहे। आज उसी प्रॉपर्टी में वे किराएदार हैं। ...(**समय की घंटी**)... श्रीमन्, मैं एक मिनट और लूँगा। मेरा कहना है कि इन संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। महोदय, उसका जीता-जागता उदाहरण मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की एक संपत्ति है। वह संपत्ति लियाकत अली खान की थी, जो पाकिस्तान के पहले प्रधान मंत्री रहे।

श्रीमन्, उस संपत्ति पर एक मस्जिद बना दी गई, दुकानें बना दी गईं और अब जाकर उसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया और वह सरकार के हाथ में आई।

महोदय, यह जो नया वक्फ अमेंडमेंट ऐक्ट आ रहा है, इसमें सबको न्याय मिलेगा, दलितों को मिलेगा, पसमांदा मुसलमानों को मिलेगा और चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हैं, अब उनकी संपत्तियां नहीं छीनी जा सकेंगी। यह ऐक्ट न्याय देने वाला है, "सबका साथ, सबका विकास" वाला है। श्रीमन्, मैं इसका समर्थन करता हूँ। जय हिंद!

(समाप्त)

श्री उपसभापति : श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, 15 मिनट।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (महाराष्ट्र) **:** धन्यवाद,उपसभापति महोदय।

"हमीं को कातिल कहेगी दुनिया,
हमारा ही कत्ल-ए-आम होगा,
हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे,
हमीं पे पानी हराम होगा!"

उपसभापति महोदय, सन् 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि मुसलमानो, कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आज़ाद की ये सदाएँ सुनकर लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतारकर रख दी थीं। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है, जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जिसे उन्हीं सीढ़ियों के पास

अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आज़ाद को फिर से सदा देनी पड़ेगी कि यह जो कब्र है, यह मेरी कब्र है, यह किसी सरकार की जागीर नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूँ, इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद, अब उस कब्र से भी सदाएं आएँ कि यह कब्र मेरी कब्र है, यह सरकार की जागीर नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संविधान का आर्टिकल चाहे 14 हो, 29 हो, 30 हो, वह चीख-चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने-अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक़ है और उनके रखरखाव का भी हक़ है, लेकिन डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में इस सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब * बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : * शब्द असंसदीय है।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम 'उम्मीद' रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, यह बिल न तो मुसलमानों के लिए उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे * फैलाए हैं। आइए, आज हम उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : जो भी असंसदीय शब्द होगा, रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है, जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं! वे कहीं ऊपर से थोड़े ही आ गए हैं।

उपसभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ ऐक्ट, 1995 की धारा 83 (ix) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है, बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट्स में मुकदमे लड़ रहा है। महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पर भी बात करते हैं।

(5एन/एमजैड पर जारी)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

MZ-VKK/8.00/5N

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (क्रमागत) : 1911 में, जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तब रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थीं, उन्हें acquire किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल Vista की तरह लुटियंस जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादतगाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा, तब यह तय हुआ कि धार्मिक स्थल जस के तस रहेंगे। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, ज़ब्ता गंज - सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो - ऐसी 123 संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1913 में 'Mussalman Wakf Validation Act' बना। इसके बाद एक नया शहर बसाया गया, जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया।

फिर आज़ादी से पहले 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ, जिसके तहत काफी सारी वक्फ जायदाद को सुन्नी मजलिस औक़ाफ़ के अंतर्गत कर दिया गया ताकि उनकी देखरेख हो सके। गृह मंत्री जी दो दिन से सदन में जो बात कह रहे हैं, वह दरअसल वही 123 संपत्तियां हैं, जो सुन्नी मजलिस औक़ाफ़ के तहत आती हैं।

उपसभापति महोदय, भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद, 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे करके गजट नोटिफाई किया गया।

इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 में बरनी कमेटी बनाई। बर्नी कमेटी ने 1976 में इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर, 1984 में कांग्रेस सरकार ने इन 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गई। मामला 2011 तक लंबित रहा। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को इसका निपटारा करने का आदेश दिया। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की इन्हीं 123 जायदादों को बरनी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वे प्रॉपर्टीज हैं, जिन पर गृह मंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिर आई 2014 में भाजपा सरकार, जो तब से इन ज़मीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाज़त करने वाला बताया जा रहा है, उसी पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं लोक सभा कह रहा हूं। आप पहले सुना कीजिए। जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है। उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्य सभा में, न ही लोक सभा में और न देश की किसी भी विधान सभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं है।

कल किरण रिजिजु जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी, बिल्कुल हैं। लेकिन वक्फ की जमीनें हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कार्यों के लिए दान दी हैं। हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं,

इसी देश के बेटे हैं। तो वक्फ की जमीनें भी इसी देश की जमीनें हैं। फिर आप उन्हें पराया क्यों बोलते है?

उपसभापति महोदय, अशफाक उल्ला खान जब फैज़ाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इसी देश की ज़मीन के लिए झूल रहे थे। अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काट कर अपनी जान देने वाले मौलाना फज़ले हक खैराबादी हों या शेर खान अफरीदी हों, वे भी इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे। महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हों या पाकिस्तान के पैटन टैंक उड़ाने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हों - वे भी इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे।

मंत्री जी, मैं इस सदन में अलल-ऐलान यह कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की ज़रूरत होगी, आपसे दो कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। यह मैं आपको यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। उपसभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमसे हमारी इबादतगाहें मत छीनिए, हमारे घरों पर बुलडोजर मत चलाइए और कम से कम हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए।

(5O/DN पर जारी)

DN-BHS/5O/8.05

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (क्रमागत) : महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की scholarship बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम

वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिलकिस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाले लोगों के नेता यह कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद, मोदी जी, आप क्या बढ़िया सौगात-ए-मोदी दे रहे हैं? पहले हमें गुजारत-ए-मोदी दिया, अब सौगात-ए-मोदी दे रहे हैं। यह सरकार इतना याद रखे कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में CAA का कानून भी लाया गया था और बड़े-बड़े भाषण देकर कहा गया था कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को लाकर यहां नागरिकता दी जाएगी। सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए दो हजार व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट, इन्हीं की सरकार में पिछले दस साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस गए। यह उस कानून का अंजाम हुआ।

उपसभापति महोदय, इसी तरह की जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे। जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। जिल्ल-ए-इलाही, जम्हूरियत जो है, वह नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है। उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोक सभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था

मुझसे कोई बद- गुमाँ न हो,

तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं।

मैं आज ज़द पे हूं, तो इतना ख़ुश- गुमान न हो,
चराग़ सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।

चाहे नीतीश कुमार जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हों, चिराग पासवान जी हों, जयंत चौधरी जी हों, देवेगौड़ा जी हों, जीतनराम माँझी जी हों, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है, तो न वे बरगद बचते हैं, जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वे बांस बचते हैं, जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं।

महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधान मंत्री मिलता है, तो देश को RTI Act मिलता है, SEZ Act मिलता है, MGNREGA Act मिलता है, Liberalization मिलता है, Right to Education मिलता है, National Food Security Act मिलता है, लेकिन जब देश को सौगात-ए-मोदी मिलती है, तो क्या मिलता है - CAA मिलता है, Farms Law मिलता है, Article 370 मिलता है, Electoral Bond Act मिलता है और Waqf (Amendment) Act जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हम वतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्नासेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की जरूरत है।

महोदय, यह सरकार रात के तीन बजे तक पूरे देश को जगाकर संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के डेढ़ बजे अमरीका हम पर 26 परसेंट टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को

पता हैं। मैं आज बहुत भावुक हूं और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें की, मन से बातें कीं, चूंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है, तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं,

"चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का,
तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं है।
यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है,
इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।"

मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बरबाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर अगर आप समझाने में नाकामयाब रहे हैं, तो यह आपकी नाकामयाबी है।

(5P/LP पर जारी)

RL-LP/8.10/5P

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (क्रमागत) : पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर आइए, तब शायद हम आपका इतने पुरज़ोर तरीके से विरोध न करें।

उपसभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी प्वाइंट्स दिए गए हैं, आप बोन्साई पोर्टल देख लीजिए, सरकार का असत्य आपकी पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें

अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं। आप ताकत में हैं, संख्या बल के आधार पर हो सकता है कि आप बिल पास करा लें, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि,

'हम तो वो तारीख हैं
ज़ेहनों में रहना है जिसे
कागजी पुरजे नहीं
जो फाड़ डाले जाएंगे
जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं,
यह मेरी पहचान है।
आप आँधी हैं
तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे।'

आपको यह बात समझनी पड़ेगी। विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे प्वाइंट्स आए, उसके बाद कल से लोक सभा और राज्य सभा में दिए गए सुझावों को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की शंका दूर करने के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, आप बस यह कह रहे हैं कि यह बिल उम्मीद की नई किरण है, लेकिन नहीं, इसे भले ही किरेन जी लेकर आए हैं, लेकिन यह उम्मीद की नहीं, बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। ...(**समय की घंटी**)... इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से ख़दसे में हैं, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को धन्नासेठों को बेचना चाहते हैं।

महोदय, मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए, यह बिल कहीं से भी आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है, यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है, जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप एक नेरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। महोदय, मेरी आपसे अपील है कि कृपया यह जो 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरितार्थ कर दीजिए। ...(**समय की घंटी**)... उपसभापति महोदय, इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Ms. Sushmita Dev; five minutes.

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Sir, it is not the first time that the Waqf Act is being amended. It has been done earlier too. सर, मुझसे सीनियर लोग हैं, who have probably even experienced those amendments. But, today, the tone, the tenure and the atmosphere in the House, I think, is not comparable to what may have happened in 2013. Sir, there are two types of intentions. One is the legislative intent which the courts look at when they interpret an Act, and the other is the political intent which all of us in the Opposition have to look at, before we cast our vote today at the end of the

debate. What I feel--when I hear both sides, when I hear the Treasury Benches--what stands between the Opposition and what stands between the Treasury Benches is mistrust and why that mistrust is happening is because of the regime that is in power. We are not just debating the Constitution, Article 25 or 26 of the Constitution but, we are today, actually, debating two ideologies. An ideology that the Bharatiya Janata Party believes in and the ideology which the party sitting in the Opposition believe in.

Sir, we believe in an ideology that every religion is equal, every race is equal, every gender is equal. But, when we look at this side, and we listen to their speeches carefully, they are a party with an ideology that keep taking us back to the days of partition, those painful days. And, today, I want to remind this House that after the massive aftermath of the partition of India when we were split into two countries, the two leading personalities who were at the forefront of politics in India and Pakistan were Pandit Nehru and Liaquat Ali. And, the two of them entered into a 1950 Pact showing trust in each other's Constitutions' belief and agreed at length that Minorities in

our country and the Minorities in their countries, Hindus, Sindhis, etc., would be able to live with dignity.

(CONTD. BY DC/5Q)

DC-PRB/5Q/8.15

MS. SUSHMITA DEV (CONTD.): That is what we need to look back at. What is this Waqf (Amendment) Bill reeking of? It reeks a mistrust to replace an election process where elected members will sit on the Waqf Board, replacing selection by the State Government. Sir, there is a provision, which, I personally find very shocking that the managing trustee, the *mutawalli* can be removed from his position and one of the grounds is, if he is a member of an organisation which is banned under UAPA. Sir, if this is the kind of racial profiling this Bill is going to do, then, this Bill is suspect of being unconstitutional. I add to that another question; by saying that a non-Muslim person cannot donate land to a waqf, whether we are not creating a bigger divide between the Muslims and non-Muslims in this country, something which hon. Member, Shri Kapil Sibal said. Sir, to say that a Muslim must be a practising Muslim for five years, gives rise to a kind of discretion at the officer level in intervention which, I believe, would be

humiliating for any person of any religion. सर, इस बिल का नाम आप लोगों ने उम्मीद रखा है। मैं आप लोगों से यह उम्मीद रखती हूं as a Member of All India Trinamool Congress कि जब-जब 6 दिसंबर आएगा, तब-तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग-अलग जगह पर जुलूस न निकालें। मैं आपसे यह उम्मीद रखती हूं कि असम के मुख्य मंत्री दूसरे प्रदेश में जाकर सीना ठोकर न कहें कि हमने 1,200 मदरसे बंद कर दिए। मैं इस सरकार से यह उम्मीद रखती हूं that you will not tell shopkeepers कि अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखिए। आपको डा. सिंघवी की बात अच्छी नहीं लगी, जब उन्होनें कहा कि कुछ ही सालों में इस बिल को शायद unconstitutional मान कर उड़ाया जाएगा। ...(**समय की घंटी**)... मैं उन्हीं शब्दों को घुमा कर बोलती हूं कि जब यह बीजेपी की सरकार हारेगी और जरुर हारेगी, तब हम पहला काम यही करेंगे कि इस एक्ट के जितने भी unconstitutional provisions हैं, उन्हें हम हटाने का काम करेंगे। (समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy; eight minutes.

श्री के. आर. सुरेश रेड्डी (तेलंगाना): सर, मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ अपनी बात रख रहा हूं। Sir, we heard the hon. Minister when he gave the gist of the Bill. उनके gist से जहां तक मुझे समझ आया कि जितना भी मंत्री जी ने सदन में बताया कि 75 per cent of the content can be done through an

administrative process. We don't really need a Bill. मंत्री जी ने आज और कल इतनी तकलीफ उठाई कि अगर इससे आधी तकलीफ उठाकर आप देश में चार अलग-अलग प्रांतों में North, South, East, West के वक्फ बोर्ड के मेंम्बर्स को, वहां के stakeholders को बुलाना चाहिए था और एक छोटी सी मीटिंग करके यह बताना चाहिए था कि वक्फ में इन changes की जरुरत है, जैसे computerization की जरुरत है या further reforms की जरुरत है और आपको अगर कोई सहायता चाहिए, तो हम देने को तैयार हैं या आपको कुछ expertise चाहिए, आपके पास इतनी जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ का हो रहा है, हमारे पास व्यापारियों का expertise है, तो वह हम आपको दिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर भरोसा आ सकता था। आपके बिल के content ठीक लग रहा है, परंतु intent में फर्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है। Like I said, पहले से ही यही हो रहा है कि एक अच्छा facade क्रिएट किया गया है कि यह progressive Bill बिल है, मगर हम समझते हैं कि यह facade के पीछे progression नहीं, मगर polarization की कोशिश हो रही है। So this is not what a secular India will look at.

(5R/AKG पर जारी)

AKG-DPS/5R/8.20

श्री के.आर .सुरेश रेड्डी) क्रमागत : (सर, मैं कहना चाहता हूं 20-25 साल पहले कम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्य मंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे करवाए कि कौन से डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। तो यह startling revelation आया कि दो

बड़े डिपार्टमेंट्स हैं - एक है Electricity और एक है Endowments, Endowments में maximum corruption हो रहा है। इसके लिए वहाँ administrative reforms लाए गए ,समझाए गए। वहाँ Endowments Department को कोई कलेक्टर head नहीं करता है ,उनसे बड़ा अधिकारी रहता है। सर ,उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है ,कमिश्नर Endowments Department का head रहता है, फिर भी वहाँ पर corruption हो रहा है। Corruption क्या सिर्फ religious institutions में है? Corruption तो हर institution में हो रहा है! मगर आपने एक facade create किया।

आहिस्ता-आहिस्ता यह बात भी आ रही है कि UCC में क्या हो रहा है। UCC का मतलब यह है कि एक कौम वाले इतनी बीवियाँ रख सकते हैं, इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये सब बोल रहे हैं। जब inquiry की गई और जब departmentally information आ रही है, तो वे बोल रहे हैं कि people are reforming. Even, the minorities are reforming. उन लोगों में भी बदलाव आ रहा है। अब गोवा में हिंदू दो-तीन शादी कर सकते हैं, अगर मेल बच्चा नहीं हुआ, या अगर बच्चे नहीं हुए, मगर वहाँ पर इस लॉ का हिंदू ने कोई use नहीं किया, because even they are very progressive. So, we have to look in that direction.

डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे बड़े डर की बात यह है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी यही बताया गया। यह बताया गया कि अगर तेलंगाना बनेगा, तो इन जिलों में मुसलमान ज्यादा रहेंगे, यह

जिला बनेगा, तो हिंदू ज्यादा रहेंगे, हिंदू-मुस्लिम का riot होने वाला है और यहाँ tranquility, peace नहीं रहेगी। मगर आप देख चुके हैं कि तेलंगाना के आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सब केसीआर जी की leadership में एक साथ रहे और आज तक, 12 साल हो गए हैं, एक भी communal riot नहीं हुआ। तेलंगाना राष्ट्र peace and harmony की एक अच्छी मिसाल है। यह मैं बड़े गर्व से आपके सामने रखना चाहता हूँ।

डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे बड़ी बात यह है, जो डर आ रहा है कि आप कहते हैं कि non-Muslim cannot give waqf. सर, मैं कई दरगाहों पर जाता रहता हूँ। हमारे यहाँ तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते हैं। Record says, कि कोई दरगाह में जाए, तो उनकी संख्या क्या है, तो शायद 45 परसेंट मुस्लिम जाते हैं और 55 परसेंट हिंदू जाते हैं। हिंदू वहाँ जाकर मन्नत माँगते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छी हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुई, तो मैं यह वक्फ को दे दूँगा। अगर आप आज बिल ला रहे हैं कि a non-Muslim cannot give that, और मैंने मन्नत माँगी कि अगर मेरा बच्चा हुआ, तो मैं जमीन दूँगा, तो why are you compelling me? You are gradually compelling people for conversion or you are compelling people not to go to a Dargah. So, this is not the right thing, where we have the objection. सर, हमने हाल में देखा है, बड़े-बड़े लोग दरगाह में जाते हैं। The other day, हमने अडाणी जी को देखा है। वे वहाँ गए हैं। जब अडाणी जी दरगाह पर जाते हैं, तो वहाँ के लोग उम्मीद करते हैं कि वे बहुत progressive आदमी हैं, उनकी

leadership में हमको कुछ मदद मिलती है, कुछ फायदा होता है, तो उस फायदे से उस दरगाह का, वहाँ की मुसलमान कौम का कुछ फायदा होगा। शायद अडाणी जी भी यह चाहेंगे। मगर आपके बिल लाने से आज वे कुछ नहीं कर पाएँगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि don't get into these draconian Bills which will hamper the fairness and the secular fabric of our country.

Sir, the other point, of course, a 'Waqf by user' की बात आई कि आप establish करो कि यह आपका है या नहीं है। 200-300 साल का रिकॉर्ड आप कहाँ से establish करेंगे? मैं एक छोटी मिसाल बताता हूँ। ये तो वक्फ की बात कर रहे हैं, मैं revenue की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में आज भी कई लोग जमीन बेचते-खरीदते हैं। कुछ लोग तो ज़ुबानी करते हैं, कुछ लोग उसे सादा बैनामा बोलते हैं। वे कागज पर लिख कर देते हैं कि यह जमीन आपकी है, वे ले लेते हैं। वे लेते हैं, उनके बच्चे के पास आता है, इस तरह से यह उनके बच्चों का होता है। कभी न कभी गवर्नमेंट एक reform लाती है। जैसे हमारे पास Record of Rights है। अगर किसी ने बोल दिया कि यह सादा कागज है, तो हम इस सादे कागज की भी इज्जत करते हैं। We will legalise it and then the title is established. So, these are the progressive things one needs to look at.

So, like I said, contents are very good मिनिस्टर साहब, मगर आपके intent पर शक है। इसीलिए to create a secular and a better environment, we

want you to withdraw the Bill because उम्मीद के नाम पर आप बिल ला रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ a very, very flairy, a very good secularism शायद आज यहाँ पर शहीद हो रही है। सर, इन चार बातों के साथ, I will once again reiterate that we will oppose the Bill and we want the Government to take back the Bill and come back after further consultations. Thank you, Sir.

(Ends)

(Followed by PK/5S)

PK-PSV/5S/8.25

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of Parliamentary Affairs, you have an announcement, I think, to make for the hon. Members.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु) : सर, मुझे यह बताना है कि अभी लगभग 8.25 हो गए हैं। आज जैसे टाइम तय किया गया है, थोड़ी सी देर होगी। हमारे पास second item of Business भी है। ...*(Interruptions)*... Translation नहीं हो रहा है? ...***(व्यवधान)***... यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call him after you.

श्री किरेन रिजिजु : चूंकि हमें second item of Business को भी लेना है, इसलिए आज dinner arrange किया गया है, after 9.00 p.m. at First Floor, in MPs' dining hall.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : सर, हम इस बिल को पास करने तक बैठेंगे। लेकिन second Bill कल लेने दीजिए। वह तो Resolution है। Resolution कल लेने दीजिए। वह सिर्फ 3 घंटे का है। उस पर हम सब लोग ठीक ढंग से अपनी बात कहें। अगर आपको हड़बड़ी में सब कुछ निपटाना है, तो बात और है। इसलिए मैं आपसे और नड्डा साहब से भी अपील करता हूँ। नड्डा साहब जरा generous हैं, तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ। आज बहुत से लोगों ने ठीक ढंग से और अच्छा डिस्कशन किया। खास करके आज जो राज्य सभा में वक्फ के बिल पर जो discussions हुए हैं, शायद इसके पहले किसी और बिल पर इतनी संजीदगी से नहीं हुए। यह record है। बाहर भी सभी लोग कह रहे हैं कि राज्य सभा में सभी पार्टीज़ के लीडर्स ने जो points, जो मुद्दे रखे हैं, अच्छे रखे हैं। यह बात है। आप हड़बड़ी में क्यों मणिपुर का बिल ला रहे हैं? आप उसे कल ले लीजिए। आप खाना खा लीजिए और बाकी काम..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the Business has been listed for today itself. Now, Shri Vaiko.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, no, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Now, Mr. Vaiko, you have four minutes.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I want the Leader in the House...(Interruptions) Please take up the Statutory Resolution tomorrow morning.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vaiko, you start. Your time starts now, Mr. Vaiko. ...(Interruptions)..

SHRI JAIRAM RAMESH: Take it up tomorrow morning, Sir, please.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise to oppose this obnoxious, anti-federal, anti-democratic, anti-secular Bill. It should be withdrawn. That is the view of the people throughout India. The Muslim community is very much disturbed. They are in fear psychosis because many things have happened. They do not feel secure. Is it not a fact that Narendra Dabholkar, champion of secularism, was killed by the Hindutva forces? Is it not a fact that Prof. M.M. Kalburgi was assassinated by the same forces? Is it not a fact that Govinda Belsare, another philosopher, was murdered? Is it not a fact that Gauri Lankesh, a lady journalist, was murdered in Bangalore?

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA) *in the Chair*.]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Please continue.

SHRI VAIKO: They feel insecure. The Waqf (Amendment) Bill 2025 was passed in the Lok Sabha yesterday amidst strong criticisms, *dharnas* and agitations.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir,...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Let him speak first.

SHRI VAIKO: The Bill proposes major changes to the Waqf Act, 1995, by introducing sweeping changes in the governance and regulation of Waqfs in India. We from the Opposition Parties are strongly opposed to this Bill because it strikes at the very root of democracy. We vehemently oppose this anti-minority Bill because it is, *prima-facie*, unconstitutional, divisive and anti-minority. The anti-Muslim agenda of the Bill was obvious. But what was not so obvious, was the bringing of the Waqf administration largely from State Governments to Central Government. That should have been an anathema to every State Government.

(Contd. by PB/5T)

PB-VNK/5T/8.30

SHRI VAIKO (Contd.): But unfortunately, this aspect has gone almost unnoticed. Up till now, the Waqfs in the States and even Hindu

Endowments have been largely monitored and managed by the State Governments, but now in case of Waqfs, the proposed amendments provide for among others, framing of rules, management of records and datas and even prescribing of ordinary forms for registration and submission of reports, etc., by the Central Government, to near total exclusion of State Governments.

[THE VICE-CHAIRMAN, SHRI RAJEEV SHUKLA, *in the Chair.*]

The Bill had been referred to a joint committee of Parliament for detailed deliberations. There also, the Opposition Party Members were not allowed to express their views; they were not given adequate opportunities to put questions to the witnesses who appeared before the JPC. Dissenting notes given by the Members of JPC representing the Opposition Parties speak volumes of irregularities and undemocratic manner in which the proceedings were conducted and the Report was adopted in the absence of all Members from the Opposition.

The Waqfs in India have been legally governed in India since 1913. The Muslim Waqf Validating Act was enacted in 1913 during the British period. This Act was replaced by the Mussalman Wakf Act, 1923, and, later on, in

the free India, the Waqf Act was strengthened by incorporating various provisions. This Bill brings sweeping changes in the present enactment and takes away the rights of the minority communities. In the earlier law, in the case of dispute resolution of a Government land considered as Wakf property, Waqf Tribunal would decide the matter. In the present Bill, it has been provided for stating that the State Government may, by notification, designate an Officer above the rank of Collector, hereinafter called the designated officer, who will decide whether a property is waqf or Government land and the decision being final. In the principal law, Waqf Act, 1995, oral recognition of waqf was admissible for consideration of a property as waqf. In the present Bill, this provision is being removed, and properties without a valid waqfnama will be treated as suspect or disputed and will remain inactive until the District Collector makes a final decision.

No non-Muslim members were allowed in the composition of Waqf Board. This Bill provides for the appointment of non-Muslim CEO and, at least, two non-Muslim members to the State Waqf Boards. It would lead to undermining the integrity of these religious bodies and the non-Muslim members lack comprehensive understanding of the cultural and religious

practices of Islam. As highlighted by me, this is a clear violation of religious rights of Muslim community. This Bill infringes upon the freedom of religion as provided under Article 25 of the Constitution and the autonomy of the Muslim community to manage their own religious affairs. This Bill also provides greater powers to the Government over Waqf properties, including involvement of District Collector or a designated officer notified by the State Government in property disputes. The right forum should be the Waqf Tribunal to decide the matter. By involving district collector or the designated officer, it would lead to bureaucratic delays and executive overreach on the judiciary.

Therefore, the Waqf Amendment Bill, 2025, is a direct assault on the constitutional rights and the sanctity of Waqf properties -- endowments dedicated to community welfare. ...*(Time-bell rings)*... One minute, Sir. If this encroachment goes unchallenged, it will set a dangerous precedent, threatening religious and cultural community assets across India. This is not just about Waqf but it is about the fundamental right to protect religious endowments, defend constitutional guarantees, and resist State overreach into community trusts.

I, therefore, oppose this Bill tooth and nail with all the force at my command. It should be rejected lock, stock and barrel. With this, Sir, I conclude. Thank you, Sir. (Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Thank you, Mr. Vaiko. Now, Shri Milind Deora. You have got five minutes. We are still left with 22 speakers. So, everybody will have to adhere to the time which has been allotted to each of them.

(Followed by 5U/DS-HK)

HK-DS/5U/8.35

श्री मिलिंद मुरली देवरा (महाराष्ट्र) : सर, इससे पहले कि मैं महाराष्ट्र, शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी की ओर से वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2025 पर अपना भाषण प्रस्तुत करूँ, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मैं जिस मुंबई शहर से आता हूँ, वह हमारे देश की आर्थिक-सांस्कृतिक राजधानी है। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार मुंबई में पूरे देश की डायवर्सिटी, विविधता नजर आती है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में जो डायवर्सिटी है, वह आपको मुंबई में दिखेगी। हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री, मेरे खास मित्र, किरेन रिजिजु जी हैं, उनके मुस्लिम समाज के सभी सब-कम्युनिटीज़ - शियाज़, सुन्नीज़, दाऊदी, बोराज़, आगाखानीज़, जिसको हम इस्माइली शियाज़ कहते हैं, के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरी इनके साथ बहुत इंटरेक्शन होती है। मैं आज

विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम समाज और खासकर, जो नौजवान मुस्लिम समाज है, वे एक ही बात कहते हैं कि हमें तुष्टीकरण नहीं चाहिए, हमें सशक्तिकरण चाहिए। We want empowerment; we do not want appeasement. उन्हें शाहबानो का काला इतिहास नहीं चाहिए, उन्हें एक सुनहरा भविष्य चाहिए। So, today, hand on everyone's heart, we keep politics aside. People are talking about secularism; people are talking about minorities and people are talking about women. I was a young man when that happened. Who will deny that one of the greatest assaults on women, on minorities and on secularism was the Shah Bano case. Today, the Muslim youth are noticing what is happening with other religious minorities, with Christians, with Sikhs, with Parsis and with Jains. They are realising that when a community freezes itself into the trap of appeasement, the sky is the limit. Anything is possible. That is why these other communities are progressing and moving forward. आजकल यह कहना एक फैशन बन चुका है कि यह सरकार religious minorities के खिलाफ है। मेरे से पहले ट्रेजरी बेंचेज़ से इस स्टैटिस्टिक्स को हाईलाइट नहीं किया गया और इसलिए मैं आपकी अनुमति लेकर तीन महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स सदन के सामने रखना चाहता हूँ। Number one, 2014 में, the overall percentage of religious minorities in Central Government jobs was 5.3 per cent. Within

three years of Modi*ji* becoming Prime Minister, the percentage of religious minorities in Central Government jobs went from 5.3 per cent to 9.9 per cent.

हमारे आदरणीय गृह मंत्री, अमित शाह जी ने लोक सभा में धारा 370 के बारे में कहा। मैं सबसे पहले कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों की ओर से अमित शाह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने धारा 370 को abrogate किया। धारा 370 हटने के बाद मुझे तीन बार कश्मीर जाने का अवसर मिला। If we look at districts like Baramulla and Anantnag, the kind of progress that is happening there is amazing. In fact, I would say कि कुछ लोगों ने जो एक fear narrative चलाया कि यदि धारा 370 को हटाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी मुसलमानों का होगा। आज मैं पूरे विश्वास और अपने खुद के direct experience से कह सकता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ। जब 2019 में धारा 370 हटाई गई, तो उस समय कश्मीरी मुसलमानों का per capita income was Rs.1.2 lakh. उस समय कोरोना भी चल रहा था। केवल तीन वर्षों के अंदर, 2023 तक their per capita income has gone up from Rs.1.2 lakh to Rs.1.7 lakh. Today, in Kashmir, there is a tourism boom; there is an infrastructure boom, and people from all over the country and the world are coming there, building infrastructure and investing in tourism

which is creating jobs for the young people. My dear friend Kiren Rijiju *ji* is aware of this. The third and most impressive and welcome statistics is from an organisation called PRICE, People Research on India's Consumer Economy. They have said that the income disparity between Hindus and Muslims has narrowed by 87 per cent in 7 years from a monthly difference of Rs.1,917 in 2016 to only Rs.250 in 2023.

(Contd. by KSK/5W)

KSK/MZ/8.40/5W

SHRI MILIND MURLI DEORA (contd.): And, I can confidently say that this is because of the Prime Minister's policy of 'development for all; appeasement for none'. सर, आप हमारे खास हैं, आप हमें थोड़ा टाइम और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : सबको अतिरिक्त समय देंगे, तो बहुत समय हो जाएगा।

श्री मिलिंद मुरली देवरा : सर, महाराष्ट्र में 'development for all; appeasement for none' मोदी जी का जो मंत्र है। हमारे एकनाथ शिंदे जी जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हुआ करते थे, वे महाराष्ट्र में 'लाड़की बहिन स्कीम' लाए। उस समय हमने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। महाराष्ट्र में जो भी ज़रूरतमंद महिला थी, उसको हमने

पैसे दिए। हमने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसलिए conclusion में बहुत ही कम शब्दों में मेरे मुस्लिम भाइयों-बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वे rumours और fake narratives पर ध्यान न दें। बिल का evaluation उसकी मेरिट के आधार पर करें और आश्वस्त रहें कि सरकार का इरादा ऐसे सुधारों को बढ़ावा देना है, जो लम्बे समय तक समुदाय के लिए फायदेमंद हों। मैंने धारा 370 के बारे में statistics quote की हैं, मुझे पूरा यकीन है कि धारा 370 की तरह ही देश के मुसलमान जल्द ही एहसास करेंगे कि यह बिल भी उनके long-term interest में है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराष्ट्र की ओर से, शिवसेना की ओर से और एकनाश शिंदे जी की ओर से इस बिल का तहे दिल से स्वागत और सपोर्ट करना चाहता हूं और इसके साथ-साथ मोदी जी, अमित शाह जी और खास कर हमारे बहुत ही dynamic, democratic मंत्री किरेन रिजिजु जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : यहां democratic तो सभी हैं, सिर्फ रिजिजु जी ही नहीं हैं। Now, Shri P.P. Suneer.

SHRI P.P. SUNEER (Kerala): Sir, the Waqf Amendment Bill is not about reform; it is about removal. It is not about management; it is about dispossession. It is not a cure; it is an attempt to capture. To make the position of my Party, the Communist Party of India, clear, our opposition to

the Bill is not on the basis of Hindu or Muslim or Christian. We reject this Bill in its entirety because it is an assault on secularism and equality, the core values of our Constitution.

The Waqf system has existed for centuries, serving as an institution for religious and social welfare. By taking away key legal protections and centralising control, this Bill paves the way for State interference in religious endowments, violating many fundamental rights. The Waqf Bill violates Article 14 by selectively imposing restrictions on Waqf. It infringes upon Article 25 by allowing the State to decide who qualifies to create a Waqf. It disregards Article 26, which guarantees religious denominations the right to manage their own affairs. This Bill is not only unfair, it is clearly unconstitutional. More than that, this Bill is a diversion. At a time of economic crisis and mass unemployment, this Government chooses to manufacture communal controversies. Yesterday, it was Aurangzeb. Today, it is Waqf. The aim is clear: keep the people divided and distracted by demonising minorities.

Now, coming to the provisions of the Bill, first, the removal of 'Waqf by User' provision is an assault on community rights. This provision has for

long protected properties used for religious and charitable purposes. Its removal clears the way for land grabs and capture. Second, the new eligibility criterion, that only those practising Islam for five years can declare Waqf, is an arbitrary and intrusive rule. Faith is a matter of personal belief, not bureaucratic certification. No truly secular State should distribute certificates of who is a believer and who is not. Third, the transfer of Waqf dispute resolution from Tribunals to District Collectors places decision-making solely in the hands of the Government-controlled bureaucrats. The Collector is also the top Revenue Officer of a district. In case of conflict between the Government and the Waqf, it is not difficult to guess in whose favour the Collector will decide. Fourth, restructuring the Waqf Council to include non-Muslims and increase Government interference is an unjustified overreach. This is selective interference to target minorities, and not a reform. Tomorrow, the same thing can happen to churches, gurudwaras, Buddhist viharas and temples of minority sects. Everyone should understand that the current Government has no respect for any religion. Its only religion is clinging to power. The Munambam issue arose with the support of the Central Government with the intention of creating a

communal conflict in Kerala. In reality, all the political parties share the same opinion in resolving this issue. The LDF Government is committed to providing land to all eligible residents living there and ensuring that it is done. (Contd. by 5X – GSP)

GSP-DN/5X/8.45

SHRI P.P. SUNEER (contd.): The Bill is not about fairness or better management of Waqf properties as the BJP is claiming. It is about alienation. It reinforces the false narrative that Waqf properties are illegitimate and that the minorities are outsiders in their own country. Speaking in the Lok Saba, the hon. Home Minister said that anyone aggrieved by the Bill should go to the judiciary. The judiciary is here to do justice. I want to ask the hon. Home Minister and the House whether we are here to do injustice!

Sir, while concluding, I would say that India's secular definition is clear. The State's job is to ensure fairness to all religions. With these words, on behalf of the CPI, I demand that this Bill must be withdrawn. If the Government truly believes in reforms, let it consult the stakeholders,

respect their autonomy and uphold constitutional values that protect every Indian regardless of faith. Thank you. (Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Shri Manan Kumar Mishra.

श्री मनन कुमार मिश्र (बिहार) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक बिल के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय किरेन रिजिजु जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस देश के गरीब, असहाय और पसमांदा मुसलमानों के बारे में सोचा गया। मान्यवर, सबसे पहले बहुत से वक्ताओं ने, खासकर मैं सिंघवी जी को सुन रहा था, उन्होंने कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल 26 की बात की और कहा कि यह बिल आर्टिकल 26 को वायलेट करता है। मैं थोड़ा-सा आर्टिकल 26 के बारे में कहना चाहता हूं। "Subject to public order, morality and health, every religious denomination, or, any section thereof, shall have the right to establish and maintain institutions of religious and charitable purposes." उन्होंने कहा कि यह absolute right है, ऐसा नहीं है। There are conditions. माननीय किरेन रिजिजु जी ने पहले ही कहा और बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ हजारों की संख्या में लिटिगेशन पेंडिंग है। Courts are overburdened. ऐसी स्थिति में, जहां पब्लिक ऑर्डर का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार एक बिल लाई है, उसमें भी लिमिटेशन एक्ट के बारे

में सिब्बल साहब ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट को जोड़ दिया। उसमें लिमिटेशन एक्ट को इसलिए जोड़ा गया है, ताकि इससे लिटिगेशन्स की संख्या कम होगी। The number of litigations will be reduced. Otherwise, यह unending मामला रहेगा। बरसों बाद कोई आकर किसी वक्फ के खिलाफ केस कर देगा, तो इस बिल का जो positive aspect है, उसको negative aspect में पेश किया गया है।

मान्यवर, अभी माननीय सिघंवी द्वारा Waqf by user के बारे में कहा गया - अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2020 की रूलिंग का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी जो लेजिस्लेचर में existing है, उसी लेजिस्लेशन पर ...(**व्यवधान**)... तो जो existing लॉ है, अभी उसमें Waqf by user है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ढंग से उसको इंटरप्रेट किया। जब यह बिल लॉ बन जाएगा, तो उस हिसाब उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट recognize नहीं करेगा। इसलिए जो 2021 का लॉ है, वह धीरे से redundant हो जाएगा। सर, अभी 1995 का जो existing एक्ट है, उसमें जितनी deficiencies थीं, उसमें सभी वक्ताओं ने कहा कि उस एक्ट में - हिंदी में एक कहावत कही जाती है कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस। कांग्रेस की सरकार ने 1995 में वक्फ बोर्ड और उनके पदाधिकारियों के पास एक लाठी थमा दी।

(5Y/LP पर जारी)

LP-SK/8.50/5y

श्री मनन कुमार मिश्र (**क्रमागत**) : 2013 में उस लाठी को तेल पिला दिया गया, और भी मजबूत कर दिया गया। इसका नतीजा क्या निकला? महोदय, अभी-अभी बताया गया कि इन लोगों ने कितने लाख एकड़ जमीन एक्वायर कर ली। गरीब - वह चाहे किसी भी वर्ग का हो, ज्यादा गरीब - खास कर मुस्लिम समुदाय का ही सताया गया है, उसी मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टी वक्फ में ली जाती है और वह बेचारा पहले बोर्ड में गया, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, ट्रिब्यूनल में गया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, बोर्ड का फैसला बरकरार रहा, लेकिन हाई कोर्ट में – हमारे माननीय पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने सुबह ही बताया था कि पहले हाई कोर्ट में जाने का जो स्कोप था, वह सिर्फ revision और review का स्कोप था, it was very limited. जो कानून के ज्ञाता लोग हैं, वे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट में 90 दिनों के अंदर वह आदमी अपील कर सकता है। महोदय, रिविज़न के स्कोप में और अपील के स्कोप में जमीन-आसमान का फर्क हैं। महोदय, appeal में वह अपना डॉक्यूमेंट देगा, उसकी पूरी सुनवाई होगी और उसके बाद उसको पूरा न्याय मिलेगा।

मान्यवर, 1995 के एक्ट के बाद एक साल के अंदर सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करना था और रिपोर्ट देनी थी, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। वह रिपोर्ट क्यों नहीं आई? उस एक्ट के तहत एक सर्वे कमिश्नर थे, उन सर्वे कमिश्नर को सर्वे की

पॉवर दी गई थी, लेकिन 2013 में उनके ऊपर वक्फ बोर्ड को बिठा दिया गया, सर्वे कमिश्नर को उनका सब-ऑर्डिनेट बना दिया गया और वक्फ बोर्ड सुप्रीम रहा।

मान्यवर, अभी हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि 1995 का जो existing law है, उसके तहत property नहीं बेची जा सकती है। 1995 के एक्ट में क्लियर प्रोविज़न है कि, The Waqf Board can alienate the property. एक सेक्शन नहीं, बल्कि 51, 52, 53 इन सभी सेक्शन्स में यह है कि वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को alienate कर सकता है, बेच सकता है, सेटल कर सकता है और lease तो आम बात है।

मान्यवर, जहाँ देश में इतने लिटिगेशन्स हैं और किसी प्रॉपर्टी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तब वह प्रॉपर्टी वक्फ के पास कहाँ से आई, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है। वैसे केस में, अभी के बिल में clause 3 (a), 3 (b), 3 (c) में वक्फ प्रॉपर्टी का एक पोर्टल बनाना है, उसका एक डेटाबेस बनेगा, उसके पोर्टल पर सारी डिटेल्स रहेंगी। सारी प्रॉपर्टी की identification, boundaries, occupier की details, creator कि details, अगर कोई deed हो, तो वह चीज़ भी होगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें उस पोर्टल पर रहेंगी। महोदय, वह इतना क्लियर होगा कि इससे litigation की संभावना भी कम होगी, लोगों को भी न्याय मिलेगा और किसी की ऐसी grievance भी नहीं रहेगी कि हमारी प्रॉपर्टी ली गई।

महोदय, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जो आम जनता की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रापर्टी है, आपकी प्रापर्टी है, हिंदू की प्रापर्टी है, मुसलमान की प्रापर्टी है, सभी की प्रापर्टी है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दुनिया भर की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़, जो वक्फ ने कब्जा कर लीं, हथिया लीं, अब गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की या वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। इस नए बिल के हिसाब से ऐसा प्रावधान है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जो public property है, जो सबकी है, हमारी है, आपकी है, अब गवर्नमेंट की वह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास रहेगी, पब्लिक के पास रहेगी।

मान्यवर, अब registered deed से कोई भी वक्फ बोर्ड क्रिएट होगा और tribunal में डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के judicial officers रहेंगे। उसमें Joint Secretary level का अफसर होगा, कोई छोटा डिप्टी कलेक्टर की तरह का अफसर नहीं होगा। इससे लोगों को न्याय मिलेगा। महोदय, मैंने बताया है कि इसमें अपील का प्रोविज़न भी बना दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को rule-making powers दी गई हैं। यह बिल कितना न्यायपूर्ण है, अगर इसको देखा जाए, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी रूल बनेगा - आज पार्लियमेंट में यह बिल पास होगा, इसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाएगी, तो उसको दोनों हाउस में पास कराना पड़ेगा।

(PRB/5Z/ पर जारी)

PRB-YSR/5Z/8.55

श्री मनन कुमार मिश्र (क्रमागत) : तभी जाकर वह रूल absolute होगा। कहा गया कि किसी भी डेमोक्रेसी की, किसी भी कांस्टीट्यूशन की रीढ़ की दो हड्डी होती हैं - पहली natural justice और उसके बाद दूसरी rule of law. इल्लिगल ढंग से, अतिक्रमण करके, वक्फ में जो प्रॉपर्टी हथिया ली, there is absolutely no rule of law. नेचुरल जस्टिस, जैसा अभी कहा गया - जो राजा कहे सो न्याय, जो बोर्ड ने कह दिया, जिस पर हाथ रख दिया, वह उसकी संपत्ति हो गई और उसके बाद कोई उसका कुछ कर नहीं सकता। पुराना, existing एक्ट है, यह उसके सेक्शन 40 में था। सेक्शन 40 को पूरी तरह इस बिल के द्वारा ओमिट कर दिया गया। मान्यवर, जितनी भी डेफिशिएंसीज़ थीं, वह सारी की सारी डेफिशिएंसीज़ खत्म कर दी गईं। बहुत से वक्ताओं ने कहा कि सबसे सुझाव नहीं लिए गए। 285 स्टेक होल्डर्स, 95 लाख से ज्यादा लोगों से सजेशन्स लिए गए। मान्यवर, पुराना एक्ट मेरे सामने है। इसमें भी Statement of Objects and Reasons में कहा गया है कि near consensus के बाद यह एक्ट पारित किया गया। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह कन्सेंसस बना और जितने मुस्लिम, हिंदू थे, सबने राय दे दी कि अब यह absolute Act बना दिया जाए, तो नियर कन्सेंसस हुआ। हमारे यहां जितने ज्यादा लोगों से राय ली गई, जितने स्टेकहोल्डर्स से राय ली गई, तो मैं समझता हूं कि यह जो बिल है, इससे जो गरीब, पसमांदा, असहाय

विधवा, मुस्लिम हैं, उनका जो रिलीजियस पर्पज़ है, वह सर्व होगा और उनको फायदा पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता है कि हंगामा क्यों बरपा है, थोड़ी सी जो...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : पी ली है। **...(व्यवधान)...**

श्री मनन कुमार मिश्र : सर, ऐसी स्थिति में हमने थोड़ा सा मुस्लिमों के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई काम कर दिया, तो इतना हंगामा हो गया और इनको लगता है कि अब मुस्लिमों का सारा वोट इस सरकार को, भाजपा को और एनडीए को मिल जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : थैंक यू, मिश्र जी।

श्री मनन कुमार मिश्र : इसीलिए बेचैनी है और यह पूरा देश समझ रहा है। पूरा देश इस बात को बखूबी समझ रहा है कि उस साइड में बेचैनी क्यों है। सरकार ने मुसलमानों के हक में कुछ काम कर दिया, तो उधर बेचैनी है। देश इस बात को समझ रहा है। आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम सब एक हैं और मुसलमानों का वोट भी अब भाजपा को ही मिलेगा, एनडीए को ही मिलेगा, यह बात तय है।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : धन्यवाद मिश्र जी। श्री जोस के. मणि।

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, this nation founded on justice and fairness has always sought to protect the right of every community -- Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and others.

Any undemocratic attempt to alter this delicate balance must be opposed, while necessary reforms to uphold the right of all citizens should be welcomed. By and large, I oppose this Bill and the overall intention of the Government to interfere with the religious affairs of the minorities. But my Party, Kerala Congress (M), acknowledges a positive aspect, the provision allowing Waqf Board decision to be challenged in the court of law. Currently, Waqf Boards in India operate with the extraordinary autonomy, possessing the power to designate any land. The issue is clearly evident in the Kerala Munambam case. Around 610 families who belong to various religious denominations now face the threat of losing their lands due to Waqf claims. These communities have lived peacefully for generations with legally registered land and paying legitimate taxes to the Government. Yet a unilateral claim by the Board has placed their homes and livelihoods at risk. This is not a legal issue, but it has become a human crisis. I was one of the first State Leaders in Kerala to visit Munambam to find out the ground reality.

(Contd. by VKK/6A)

VKK-AKG/6A/9.00

SHRI JOSE K. MANI (Contd.): My Party, Kerala Congress (M), reaffirms its solidarity with the people of Munambam. I stand firmly with the religious leaders and bishops in opposing the unjust provisions in the original Act. Sir, currently regarding Munambam, the challenge against the Waqf claims are restricted to Waqf Tribunals, which often rule in favour of the Board. The amendment allows appeals to High Court, which would introduce a crucial layer of judicial review under clause 35 of the Amendment Bill.

Sir, I really anticipated that this Amendment Bill would include a provision to address the Munambam issue, but the proposed Amendment to the Waqf Act, in its present form, is prospective and provides no relief to the matters already pending before Tribunals and Courts. Without an express provision to extend the benefit of the Amendment to pending case, its intended remedial effect is lost. So, an immediate legislative intervention is required. I, therefore, urge this House to consider inserting a clear clause deeming all pending proceedings to have been instituted under the Amendment Act. This is in line with legislative precedents, such as Section 31 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act of 1993 and Section 15 of

the Commercial Courts Act of 2015, both of which ensured pending cases were transferred and treated as instituted under the new law. Sir, yesterday in the Lok Sabha, you had said that this Bill will not have the retrospective effect. Hence, I request the hon. Minister to give assurance in this House that the problems of Munambam and similar places would be solved in the light of the present Amendment. Again, I am asking the hon. Minister: Can you assure the House that this Amendment, which is prospective in nature, can solve the Munambam case? Please do not generalise. Can you clarify precisely? If your genuine intention is to address this matter, a retrospective provision should have been incorporated, as I mentioned instances of some of the earlier Bills, where it had been taken up in the new law also.

Sir, while I fully support the reforms aimed at preventing arbitrary land acquisition of Waqf Board, I strongly oppose provisions that allow non-Muslim members in Central Waqf Council and Waqf Board -- Clause 9 and Clause 11 of the Amendment Act. Such measures compromise the religious autonomy of Waqf institutions and set a concerning precedent for interference in religious governance. Just as Hindu temples and Christian institutions maintain their religious character in administration, the Waqf

Board, established under Islamic law, should remain under the management of Muslim community.

Sir, I am concluding. The Bill also imposes unreasonable restrictions; for example, requiring a Muslim donor to have practised Islam for a minimum of five years to donate property. This arbitrariness limits an individual's fundamental right and raises concern over discrimination against minority donors. Let me conclude. All the laws in India should strive to achieve harmony among communities while safeguarding individual right. I reiterate that I support Clauses 20 and 35 of the Bill which safeguard the community properties from unilateral Waqf claims. I object to Clauses 9 and 11 of the Bill which are against the spirit of Right to Freedom of Religion enshrined in our Constitution. I again ask the Minister: Can you please confirm and reiterate that this Bill will be taken up with retrospective effect and will resolve the Munambam issue? Thank you. (Ends)

(Followed by BHS/6B)

BHS-PSV/6B/9.05

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Now, Dr. K. Laxman.

डा. के. लक्ष्मण (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, जब लोक सभा में इस बिल का प्रस्ताव रखा गया, तब से हमारे विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा इस बिल के खिलाफ, इस माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कल से लेकर, हमारे आदरणीय गृह मंत्री और हमारे आदरणीय पार्लिमेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर और आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष, नड्डा जी के द्वारा विस्तार से इस बिल के बारे में लोगों को बताने के बाद, आज काफी लोग खास तौर से, पसमांदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, मोदी सरकार द्वारा यह जो बिल लाया गया है, इसके माध्यम से उनकी तरक्की होने वाली है, इसलिए वे खुश हैं। चाहे कांग्रेस हो या बाकी विपक्ष हो, ये उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं।

(**श्री सभापति** *पीठासीन हुए*)

Coming to the Bill, this Waqf Amendment Bill is not only a legislative proposal. This Bill is for accountability, inclusivity and rational reform. There is a proverb which says: "Sunlight is the best disinfectant." Through this Amendment, the sunlight shines into the dark crevices of this mismanagement, and opacity, misuse, corruption and all these things are going to be curtailed. हिन्दी में भी कहावत है कि राख को ही चिंगारी बना दिया

गया। आज वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो या land disputes हों या mismanagement हो, ये सब होने के बाद, बड़ी उम्मीद से, यह उम्मीद वाले बिल के ऊपर, खास तौर से मुस्लिम महिलाएं और गरीब मुस्लिम मोदी जी की सरकार की ओर देख रहे हैं।

आज इस चर्चा के अंदर बार-बार जो वक्फ की बात आती है, इस शब्द का जो उल्लेख किया जाता है, I would like to make it clear, as far as my knowledge goes, the word "Waqf" is not mentioned in the Quran. Waqf is not about the Islam religion. Waqf is about the Muslim society. Waqf is about properties, lands, management, income and expenditure. So, then, the fundamental question is, Waqf is a State subject or a religious subject. Should the Waqf Board come under Government or should it be under a religious body? So, the fundamental debate is before us in this Parliament now. We have been debating for the last two days whether it is a State subject or religious body. But this very same debate has been raging for centuries. In the Twelfth Century Egypt under a Muslim Dynasty, the Mamluk Dynasty, the state control of Waqf was objected by the Muslim clerics and jurists. But when the Turkish Muslim Ottoman Dynasty took over Egypt, it was decided that the Waqf should be under the control of state.

हमारे अध्यक्ष, आदरणीय नड्डा जी ने भी उल्लेख किया कि आज काफी इस्लामिक देशों में भी Waqf management has been modernized, centralized and brought under the state control to ensure transparency, accountability and efficiency. We see countries like Turkey, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Oman and Lebanon. They have exemplified their administration, there is state control. But during the Congress regime in 1995, when this Waqf Act was brought under Section 40, it puts Waqf above the Government and its revenue departments.

(Contd. by RL/6C)

RL-VNK/9.10/6C

DR. K. LAXMAN (Contd.): Through Section 40, the then Government has brought it into the fold Waqf Tribunal decisions above the High Courts and Supreme Courts, thereby putting the Waqf above the Constitution of India. जो संविधान की पुस्तक लेकर प्रचार करते हैं और ऐसा करके देश भर के लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे मैं सीधा पूछना चाहता हूँ कि यह Constitution के above क्यों है? हम 60 साल से देख रहे हैं कि कांग्रेस केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, माइनॉरिटी वोट हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी कर वोट पाने की कोशिश कर रही है। आज मोदी जी की सरकार द्वारा

इस माध्यम से एक ऐसा निर्णय लिया गया। आज जो चर्चा है, वह तीन मुद्दे पर है। The three most contentious issues, or rather made as contentious by some parties are: Section 40 of the Waqf Act, 1995; the issue of non-Muslims in Waqf Boards; and, the Waqf by user. When it comes to Section 40, if one respects Constitution, अगर संविधान के ऊपर इतना भरोसा है, then, there is no argument. Waqf cannot be above the courts or Judiciary. The Waqf Boards or Tribunals should naturally be under the control of the State and they should be answerable to the Judiciary. यह proper management of properties का मुद्दा है। इसकी देखरेख का मुद्दा है और इसके अंदर जो भी घपला हो रहा है, उसके बारे में यह मुद्दा है। Second is regarding non-Muslims on Waqf Boards. If Waqf Boards are a State subject and India is a secular country, then, the State has no specific religion. Then, non-Muslims can also be on the Board, once it comes under the state control. हमारे विपक्ष के नेता और खास कर मैं जिस प्रांत से आता हूँ, हैदराबाद, तेलंगाना के हमारे मजलिस नेता बार-बार यही सवाल उठाते हैं। आज सदन में भी कई लोगों के द्वारा तिरुपति मंदिर के बारे में या हमारे दक्षिण के मंदिरों के बारे में या तमिलनाडु के मंदिर के बारे में बार-बार यह पूछा जा रहा कि क्या इन मंदिरों में non-Hindu रह सकता है? हमारे आदरणीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में खुलासा किया। आप तिरुपति के बारे में

बार-बार जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिरुपति एक धर्म संस्था है। Tirupati again comes under the control of Endowments Department. Endowments Department is again under the control of the State administration. Endowments के अंदर एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) है। हमारे जो legal luminary कहलाते हैं, आज वे भी बता रहे थे कि तिरुपति के पास lakhs of acres जमीन हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तिरुपति के अंदर टीटीडी के माध्यम से सिर्फ हिंदू हित के लिए काम नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेज़ हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे श्रद्धालु जो करोड़ों रुपए देते हैं, उसको टीटीडी के माध्यम से इनके लिए खर्च करते हैं। इन स्कूलों, कॉलेजों में सिर्फ हिंदुओं का ही एडमिशन नहीं होता है। इन हॉस्पिटल्स में सिर्फ हिंदुओं का ही इलाज नहीं किया जाता है, लेकिन बार-बार इसके बारे में जिक्र किया गया। कल मैंने सदन में सुना था, सत्य साईं बाबा टेंपल के बारे में चर्चा हुई थी। सत्य साईं बाबा टेंपल का भी एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के अंदर अनंतपुर हो, महबूबनगर हो, ऐसे जिलों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ के लिए पीने के पानी की सुविधा की गई। यह सत्य साईं बाबा ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। Again, this Trust comes under the control of State. So, we should try to understand that there is a difference between a Waqf Board and Waqf Tribunal और धर्म

संस्था। तीसरा मुद्दा 'Waqf by Users' है। कल गृह मंत्री जी भी उस सदन में बताए कि बिना कोई डॉक्युमेंट के, बिना कोई कागज के, चूँकि हम इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए यह वक्फ होना चाहिए।

(6डी/डीएस पर जारी)

DC-DS/6D/9.15

डा. के. लक्ष्मण (क्रमागत): हम जो भी बिना document के इस्तेमाल करते हैं, आज इस बिल के माध्यम से उसके documentation के बारे में, legal support के बारे में और evidence के बारे में पूछा गया है और उसके ऊपर भी लोग चर्चा कर रहे हैं।। would like to give an example. तमिलनाडु के बारे में बार-बार बोला जा रहा है। The tragedy of Thiruchendurai village in Tamil Nadu is a glaring example. A farmer named Rajagopal tried to sell his land, only to be told that the Tamil Nadu Waqf Board had claimed ownership of not just his plot, but the entire village including the 1,500 year old Sundareswarar Temple. There was no single Muslim residing in that village. There was not even a masjid at all. They brought the entire village into the waqf. A 20 page letter was sent by the Waqf Board saying that the village belonged to the Waqf Board. I ask this House: Is the Waqf Board above the Constitution? क्या वक्फ बोर्ड संविधान के ऊपर है? एक पूरे गांव को और जो मंदिर है, उसको भी endowments में

लाया गया। इसीलिए, मोदी जी की सरकार नये भारत को सोचकर संविधान के माध्यम से बोर्ड लाने के लिए इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, transparency and accountability के लिए एक centralized online portal बनाया गया है। वर्ष 2006 में, कांग्रेस के जमाने में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। इस सच्चर कमेटी को कांग्रेस सरकार ने गठित किया था। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था - Annual income from 4.9 lakh registered properties of waqf is only Rs.163 crores annually, that is, on an average 2.7 per cent return per annum! यह है उनकी 163 करोड़ रुपये की संपत्ति, जो सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए है! And not only that, Sachar Committee had made it very clear that with efficient management and marketable use, these properties can generate a return of not less than Rs.12,000 crores per annum in 2006. अगर हम आज की बात सोचें, तो वक्फ बोर्ड के लिए यह कई हजार करोड़ का प्रावधान हो सकता है। आज 2025 में, यह पोर्टल के माध्यम से 9.94 लाख बताया जा रहा है। हमारे मजलिस के नेता, जो हैदराबाद के हैं, वे भी वहाँ के सदन में थे। तब वे भी विधायक थे और मैं भी विधायक था। वे एमएलए के नाते सरकार से ऐसा प्रश्न करते थे। तेलंगाना के अंदर जो 77,538 एकड़ लैंड है, उसमें 57,000 एकड़ waqf land पूरा encroach किया गया है और बताया गया कि उसको land grabbers ने encroach किया है। इतना ही नहीं, यही AIMIM MLA demanded a judicial inquiry on Waqf Board activities of

encroachment of land, irregularities in Telangana waqf properties, corruption, missing records and illegal allotments by the Waqf Board. Not only that, he demanded for Rs.100 crore for a separate Waqf Protection Cell to be constituted. जब आपको वक्फ बोर्ड पर इतना विश्वास है, then why did you demand for a judicial enquiry? आज ये सदन के बाहर क्या बात करते हैं, यह आपको पता है।

इतना ही नहीं, आज जो 1.2 lakh crore की संपत्ति मिल रही है, उसके बारे में भी ज्यादा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, Pasmanda, Shia, Sunni, Bora, Aghanis, इन सब लोगों के लिए जो प्रावधान दिया गया है, उसके लिए आज इसमें जिक्र किया गया है। ...(**समय की घंटी**)... यहां काफी लोगों ने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज मोदी जी और डबल इंजन सरकार के माध्यम से 23 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन और गरीब कल्याण योजनाएं पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज संसद में भी हमारे सांसदों ने बताया कि किस तरह मुस्लिम्स भी उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह, मोदी जी की सरकार के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तेलंगाना के अंदर बहुत ज्यादा disputed lands हैं। Out of 77,530 acres, 74 per cent of the land are disputed, उन पर आज केस चल रहे हैं।

(6ई/एमजैड पर जारी)

DPS-MZ/6E/9.20

डा. के. लक्ष्मण (क्रमागत) : आज केसेस में है, इसलिए आज ताज्जुब होता है कि आज जो हैदराबाद के अंदर बड़ा एयरपोर्ट जो बनाया गया, ये कांग्रेस Rajiv Gandhi International Airport के माध्यम से - आज उस GMR के नाम पर जो एयरपोर्ट है, उसमें 1,100 एकड़ आज वक्फ लैंड का दिखाया जा रहा है। जो सरकार का लैंड एयरपोर्ट के लिए दिया गया, उस सरकारी लैंड को भी आज 1,100 एकड़ वक्फ के माध्यम से मांग की जा रही है। ...(**समय की घंटी**)...

होटल हयात, जो हैदराबाद के अंदर फाइव स्टार होटल है, वह भी वक्फ लैंड दिखाया जा रहा है। आज हैदराबाद के अंदर Hotel Marriott भी इसी तरह दिखाया जा रहा है। इसलिए, आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों को गुमराह करके, एक भ्रम फैलाकर, बीजेपी के खिलाफ माइनॉरिटी को खड़ा करके जो कोशिश कर रहे हैं, वह न करें।

आज ज़रूर इस बिल के माध्यम से गरीब मुसलमानों, गरीब महिलाओं, विधवाओं और पसमांदा मुसलमानों को लाभ होगा। इसलिए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और पूरा सहयोग देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। (समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, hon. Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : सर, आपने मुझे इस बिल पर चर्चा करने के लिए विशेष मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे सुनने के लिए यहां गृह मंत्री जी भी मौजूद हैं। लेकिन वे गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं उनको disturb नहीं करना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... वे सुन रहे हैं। उनके कान सुनने के लिए है, और आंख देखने के लिए है। वे सब तरफ देखते और सुनते हैं, नहीं तो होम मिनिस्ट्री कैसे चलाते, ...(**व्यवधान**)... सर, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, यहां घंटों से चर्चा हो रही है। आपने मुझे जो भी 10-15 मिनट का समय दिया है, मैं उसी में अपनी बात समाप्त करूंगा। सर, यह Waqf Board Amendment Bill के बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि minorities को तंग करने के लिए यह बिल लाया गया है। अगर 1995 Act की तुलना में कोई बहुत बदलाव होते, तो हम मान लेते, लेकिन वहां जो है, वही इसमें डाल दिए और जो नहीं डालना चाहिए, वह भी डाल दिया। मेरे पास comparative statement है। अगर मैं इस पर detail में बोलता जाऊं, तो बहुत वक्त लगेगा। मैंने ये तीन column बनाए हैं, पहले formation क्या था, बीच में 1995 में क्या था और अब इन्होंने उसमें क्या बदलाव किया है। मैं आपके सामने ऐसी सारी चीज़ें रखने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि समय सीमित है और आपको बिल को पास भी करना है। इसलिए जो इतने लोग oppose कर रहे हैं, even लोक सभा में भी आपने सबसे मिल कर इसको पास कराने के लिए जो कोशिश की, तो यह बिल पास हुआ। इसके पक्ष में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 वोट पड़े। यानी सभी लोगों ने इसको

accept किया है? इसका मतलब यह है कि इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, आपको यह देखना चाहिए। हम जो करते हैं, वही सही है। अगर हम जिसकी लाठी, उसी की भैंस करते गए तो यह किसी के लिए ठीक नहीं होगा।

(6F/DN पर जारी)

DN-PK/6F/9.25

श्री मल्लिकार्जुन खरगे (क्रमागत) : दूसरी बात यह है कि यह एक donation का बिल है। यह कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। यह जो दान देता है या कोई इसको डोनेट करता है, वह मुसलमान हो सकता है, क्रिस्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर करने के बजाय आपने इसको अलग तरीके से देखकर जो माइनॉरिटीज़ के हकूक है, उस हकूक को छीनने की कोशिश की है और दूसरी तरफ अभी कई वक्ताओं ने, जो भी उधर से बोलते हैं, पसमांदा को और महिलाओं को ठीक करने के लिए कहा है। आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है। यानी आपने माइनॉरिटीज़ को कितने पैसे एलॉट किए और कितने खर्च किए? इसके आधार पर अगर मैं कहूं, तो आपको भी ताज्जुब होगा। इन्होंने पांच साल में 18,274 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया। जिसमें से 3,574 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। इनकी गरीबों के लिए सोच है, वह इससे मालूम हो जाती है। उसमें और भी बजट कम करते गए। 2019-20 में 4,700 करोड़ रुपये रखे थे, वे भी खर्च नहीं किए। उसमें 194 करोड़ रुपये बाकी रखे। 2020-

21 में 4,005 करोड़ रुपये रखे और फिर उसमें भी अनस्पेंड मनी छह करोड़ रुपये थी। 2021-22 में 4,346 करोड़ रुपये में 21 करोड़ रुपये अनस्पेंड है। 2022-23 में 2,612 करोड़ रुपये में से 775 करोड़ रुपये अनस्पेंड है। फिर 2023-24 में 2,608 करोड़ रुपये थे और अनस्पेंड 1,576 हैं। टोटल 18,274 में से 3,574 अनस्पेंड मनी है। एक तो 4,700 से घटाते-घटाते आप 2,608 करोड़ रुपये पर आए। क्या यही है कि आप माइनॉरिटी के साथ, गरीबों के साथ भलाई करेंगे? एक तरफ बजट काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप बजट को खर्च नहीं कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप माइनॉरिटी को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए या उनको एजुकेशन या हर तरीके की सहूलियत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इससे यह मालूम होता है। आपने पहले बजट में बताया था, तो उनकी पांच स्कीम्स को बंद कर दिया। पहला, Maulana Azad National Fellowship, Interest Subsidy Scheme for education loans बंद कर दिया, Free Coaching and Allied Scheme बंद कर दिया, 'Nai Udaan' -Support for students को बंद कर दिया, उसके बाद Scheme for Providing education in Madrasas/Minorities को भी बंद कर दिया। ये सब स्कीम्स आप एक तरफ बंद कर रहे हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पसमांदा मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। आप कम से कम इसको रिव्यू कीजिए। हर साल आपका बजट होता है, आपका financial target होता है, उसी के साथ physical target होता है। (6G/LP पर जारी)

PB-LP/6G/9.30

श्री मल्लिकार्जुन खरगे (**क्रमागत**) : आप देखने वाले नहीं हैं, लेकिन बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं और बड़ी बातें करने वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा * बोलने वाले लोग ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : यह नहीं बोलिए, it is deleted.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सत्य न बोलने वाले लोग...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : यह भी नहीं चलेगा। सत्य न बोलने वाले कर दीजिए।...(**व्यवधान**)...

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (**श्री पीयूष गोयल**) : महोदय, वही बात हो जाएगी, जहाँ से आज का दिन शुरू हुआ था? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : माननीय पीयूष गोयल जी, घनश्याम तिवाड़ी जी की अध्यक्षता में जो एथिक्स कमेटी है, वह इसको एग्ज़ामिन कर रही है। इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, पोलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना पड़ेगा कि उनके सदस्यों का आचरण ऐसा हो जाए, तो कैसे काउंसलिंग की जाए, क्या नतीजा निकले। माननीय लीडर ऑफ दि अपोजिशन, आप बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, इन्होंने 1995 एक्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, लेकिन आज ये ही लोग कहते हैं कि वह ठीक नहीं है, हम नया कानून बना रहे हैं। वे गरीबों के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए बना रहे हैं, तो उसके बाद, उनके जो भी लीडर्स हैं - मैं उनका नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे नासिर साहब ने बता दिया है कि पार्लियामेंट में कौन सपोर्ट करेगा, राज्य सभा में

---

*Expunged as ordered by the Chair.

कौन सपोर्ट करेगा। महोदय, इनके लोग प्रेज़ेंट थे। आपने स्वीकार किया, यह बात रिकॉर्ड पर है, लेकिन आप फिर भी इसके लिए यह कहना चाहते हैं कि हम नया लेकर आए। महोदय, इसमें नया कुछ नहीं है, except आपने लोगों को तबाह करने के लिए जो क्लॉज़ेज डाल दी हैं – आपने वह किया है। महोदय, अब देखिए कि Survey Commissioner and Additional Commissioner appointed to conduct the preliminary survey of wakf properties. आपने उसमें क्या कहा है? "Replace the Survey Commissioner with the Government officer above the rank of Collector." यानी कलेक्टर के हाथ में दी है, तो elected democracy में elected members ठीक हैं न सर? महोदय, elected members को निकालकर - वे all Muslims elected members रहते हैं, लेकिन अब all nominated! यानी सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए आप यह बात कर रहे हैं। इसीलिए इनकी intention ठीक नहीं है, इनका इरादा ठीक नहीं है। ये Wakf Board की properties को जमा करके, इसका एक land bank बनाकर किस बड़े बिज़नेसमैन को देते हैं, कॉरपोरेट को देते हैं - इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि यह अभी बाहर नहीं आया है। अब गवर्नमेंट के ही असेट बेच रहे हैं, all public sectors बेच रहे हैं। आप यह छोड़िए, मुफ्त में मिला, तो बफे सिस्टम के जैसे सबको खिलाएंगे, जो पहले आएगा, वह खा लेगा। ये अडाणी, अंबानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। ...(**व्यवधान**)... सर, ऐसा ही है। अब किरेन जी ने बफे

सिस्टम रखा है, तो वहाँ पर जो पहले जाएगा, वही अच्छा खाना खाएगा, अगर हम लास्ट में पहुंचेंगे, तो कुछ भी नहीं बचा रहेगा। महोदय, इनका ऐसा ही है।...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयल : महोदय, इतने प्यार से सबको खिलाया है, लेकिन उसके बाद यह सुनकर बहुत दुख होता है।

श्री प्रमोद तिवारी : महोदय, अगर एलओपी बोल रहे हैं, तो इस तरह से बीच-बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, एक और बात है कि पहले जो प्रोविज़न था, 'Government property identified as waqf remains waqf' - पहले यह था, लेकिन अब क्या कर दिया है? अब 'Government property identified as waqf will no longer be considered waqf. The District Collector will determine ownership in case of uncertainty and update revenue records who reports to the State.' सर, कलेक्टर यह कैसे करेगा? क्योंकि all revenue lands उसके हाथ में रहता है और अगर वही, वहाँ पर इसका न्याय करने के लिए बैठेगा, तो naturally Collector अपने favour में निर्णय करेगा, न कि Waqf Board के फेवर में करेगा।

(PRB/6H पर जारी)

HK-PRB/6H/9.35

श्री मल्लिकार्जुन खरगे (क्रमागत) : इसीलिए इसको देखना चाहिए। जो जजमेंट देने वाला है, वह खुद ही पार्टी है। ये सारी चीजें इसमें हैं। दूसरी बात, पहले MPs, former

Judges and eminent persons, appointed to the Central Waqf Council, must be Muslims. अब क्या किया - MPs, former Judges and eminent persons appointed to the Central Waqf Council need not be Muslims and two members must be non-Muslims. इसमें non-Muslims क्यों ला रहे हैं? मैं पूछता हूं कि तिरुपति में जो ट्रस्ट है, क्या उसमें आप किसी मुस्लिम को शामिल करते हैं या जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को शामिल करते हैं? मुस्लिम तो छोड़ो, मैं हिंदू हूं, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्ट में नहीं रखते हैं। इतने मंदिर हैं, इतनी संस्थाएं हैं, क्या कहीं भी शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को रखते हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और चार-पांच मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। ...(**व्यवधान**)... सर, ये देखिए, ये लखनऊ के हैं और इनके सब नेबर्स मुस्लिम हैं। कम से कम इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... सर, अब क्या कर दिया कि मुसलमानों को निकाल दिया और नॉन-मुस्लिम्स को डाल रहे हैं। क्या आप यही चीज़ हिंदुओं के लिए करते हैं? क्या यही चीज़ सिखों के लिए करते हैं या जैनियों के लिए करते हैं? बुद्धिस्ट को आज डिवाइड कर दिया। हर जगह, जो जिस फेथ में विश्वास रखते हैं, उस फेथ के लोगों को ही वहां मेंबर बनाया जाता है। बोध गया में आज झगड़ा चल रहा है। बोध गया गया में बुद्धिस्ट लोगों को वापिस दो, यह दुनिया के लोगों का कहना है, सिर्फ इस देश के लोगों का ही कहना नहीं है। जापान, चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका ये सब बोलते हैं, तो वहां पर आप न्याय नहीं देते

हैं। आप हर चीज़ में दूसरी तरफ घुस रहे हैं। मुसलमानों को तंग करने के लिए हर चीज में आप हाथ डाल रहे हैं।

तीसरी चीज़, मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें at least दो विमेन पहले से ही थीं। अब आपने ऐसी कौन सी बहादुरी की या कौन सा ऐसा काम किया कि आप इसमें दो महिलाओं को शामिल करेंगे। वह भी क्या है - Actual number of non-Muslim members could be significantly higher, potentially even forming the majority. ये चीज़ें जो कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं हैं। इससे देश में झगड़ा होता है। आप यह झगड़े का बीज डाल रहे हैं। अगर आप मुसलमानों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो यह नहीं हो सकता है। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे, वे बीज हैं और मिट्टी से फिर उगते हैं, फिर ग्रो होते हैं। फिर आपको ही यह सुलझाना पड़ता है। मैं अपने होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आप इसको विदड्रॉ कर लीजिए। आप इसे प्रेस्टीज इश्यू मत बनाइए। अगर गलतियां हैं, तो उनको सुधारने में क्या है। अगर ठीक नहीं है, तो सही करने में क्या है। हम इस देश के संविधान में बहुत बार अमेंडमेंट लाए हैं।

श्री सभापति : थैंक यू।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इसे विदड्रॉ करना ठीक है। यह मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है और कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। कांस्टीट्यूशन ने सबको आजादी दी है। इसके बावजूद freedom of expression नहीं है, freedom of property नहीं है। दान दिया, तो उसे रख नहीं सकते। ये चीजें करना समाज के लिए ठीक नहीं है और जो

शांति और सौहार्दता इस देश में है, आप उसको कायम रखने की कोशिश करिए, उसको छेड़ने की कोशिश मत करिए।

(6J/AKG पर जारी)

AKG-KSK/6J/9.40

श्री मल्लिकार्जुन खरगे (क्रमागत) : सर, एक मिनट, last में मैं इतना बोल कर खत्म कर देता हूँ, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ।

"नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं,
जमीं पे चाँद-सितारों की बात करते हैं,
वो हाथ जोड़ कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।"

श्री सभापति : श्री संजय कुमार झा।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, पूरा बोलने दीजिए।

श्री सभापति : अच्छा, पूरा नहीं हुआ!

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, यह शेर पूरा होने दीजिए।

"वो हाथ जोड़ कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।
बड़ा हसीन है उनकी ज़ुबान का जादू,
लगा के आग बहारों की बात करते हैं।
मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, जमीन पर लगी,
नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं।
वे ही गरीब बनाते हैं आम लोगों को,

वे ही नसीब के मारों की बात करते हैं।"

इसलिए मैं यह कहता हूँ कि कम से कम अब तो शाह साहब सुनें और सुनने के बाद कम से कम इसको वापस लें, कोशिश करें।

(समाप्त)

श्री सभापति : श्री संजय कुमार झा।

श्री संजय कुमार झा (बिहार) **:** माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने महत्वपूर्ण वक्फ संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

[**उपसभाध्यक्ष** (**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**) *पीठासीन हुईं*]

मैडम, जब यह संशोधन बिल आया था, तब जरूर एक संशय की स्थिति हुई। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्य मंत्री हैं। उनके पास भी, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, वे लोग मिलने के लिए आए। यह भी चर्चा हुई कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार में क्या होगा। जब वे उनसे मीटिंग के लिए आए, तो मैं भी उस मीटिंग में था। उन्होंने अपनी concern बताई कि उनकी क्या concern है। उन लोगों ने पार्टी के स्तर पर भी बताई और सरकार के स्तर पर भी मुख्य मंत्री जी से मिल कर अपनी concern बता दी। उनकी main concern यही थी कि उनकी जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, चाहे मस्जिद हैं, चाहे ईदगाह हैं, चाहे कब्रिस्तान हैं, उन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उन पर retrospective impact पड़ेगा? क्या वे खतरे

में आ जाएँगे? जेपीसी में जो हमारे मेम्बर थे, उन्होंने भी जाकर यह बात रखी। कल आदरणीय गृह मंत्री जी का लोक सभा में भाषण हुआ। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि ये जो गलतफहमियाँ और भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थीं कि आपकी मस्जिद, आपकी ईदगाह, आपके कब्रिस्तान के ऊपर खतरा हो जाएगा, कल बात बिल्कुल साफ हो गई। कल रात से ही या आज सुबह से ही, खास करके मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि उन लोगों को यही लग रहा था, क्योंकि उनके बीच में यही फैलाया जा रहा था, लेकिन इस भाषण को सुनने के बाद बात साफ हो गई। उन्होंने कल बताया कि जैसे CAA को लेकर उनके बीच में यही फैलाया जा रहा था, उसी तरह से अभी फैलाया जा रहा था कि आपके जितने इदारे हैं, जितनी मस्जिदें हैं, वे खतरे में आ जाएँगी। बिहार में बिहार सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले 19 साल में बहुत सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है। वहाँ पर हजारों कब्रिस्तानों की घेराबंदी सरकार के द्वारा की गयी है। उन लोगों ने कहा कि आपने जो यह काम किया है, इससे उसी पर खतरा आने वाला है। लेकिन कल बिल्कुल साफ हो गया कि जो confusion फैलाने की कोशिश की गई थी, वह बात वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जब बिल लागू हो जाएगा, उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी, उस पर वह लागू होगा। पुरानी जो भी स्थिति है, वह बरकरार रहेगी।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बिहार अकेला स्टेट है, जिसने जातीय गणना की है। जातीय गणना में बिहार में मुस्लिम समाज के पसमांदा मुसलमान 73

परसेंट है। अब हमारे पास तो scientific data है, caste का latest survey है। उसमें कौन लोग हैं? उसमें राईन समाज के लोग हैं, अंसारी समाज के लोग हैं, मंसूरी समाज के लोग हैं। आज तक इस वक्फ में उनको कोई representation नहीं दिया गया था। इसमें उनका एक भी representation नहीं था। पहली बार आप लोग जिस पसमांदा समाज पर चर्चा कर रहे हैं, वह पसमांदा समाज बिहार में अति पिछड़ा समाज है और वहाँ उनकी majority है। उनकी population दो-तिहाई है। उनको पहली बार इसमें जगह मिली है और अब इसमें उनके भी representatives रहेंगे।

(6के/पीएसवी पर जारी)

GSP-PSV/6K/9.45

श्री संजय कुमार झा (क्रमागत) : उसी तरह से महिलाओं को ले करके जो बात आयी है कि इसमें महिलाओं का भी स्थान रहेगा, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही प्रोग्रेसिव है। खास करके मैं जिस एरिया से आता हूँ, मुझे आज ही किसी ने फोन किया। हम लोगों के पास बहुत सारे केसेज़, as political representative, आते हैं। वक्फ से रिलेटेड आपस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, खास करके जिस एरिया से मैं आता हूँ, वहां पर होते हैं। मैक्सिमम डिस्प्यूट्स इसलिए होते हैं कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी आयी, तो लोग उसको बेच खाते हैं, दुकान का 90 परसेंट किराया खा जाते हैं और उस चैरिटी का जो एक्चुअल परपज़ है, वह जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। मुझे लगता है कि इस बिल के आने से, इसमें जो सुधार हुआ है, उससे निश्चित रूप से जिस परपज़ के लिए लोग चैरिटी करते

हैं, दान करते हैं, वक्फ करते हैं, उसका लाभ सही लोगों को और खास करके पसमांदा लोगों को मिलेगा। आज सभी लोग पसमंदा पर बात कर रहे हैं। पसमांदा समाज में बहुत खुशी है। बहुत सारे फोन कॉल्स हम लोगों को आ रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि प्रधान मंत्री जी जो बोलते हैं, अब एक्चुअल में उनको इस वक्फ एक्ट के थ्रू फायदा होगा। उनका जो समाज है, उसमें हमने अभी तक नहीं देखा है कि बिहार में ऐसा कोई हॉस्पिटल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई चैरिटी का काम वक्फ के पैसे से किया गया हो। अब पहली बार वहां के उन लोगों को लग रहा है कि एक बार जब यह कानून लागू हो जाएगा, तो ट्रू सेंस में उन गरीब मुसलमानों के बीच में काम होगा। यह एक मैसेज, एक narrative गया है और जो भ्रांतियां थीं, वे भी खत्म हुई हैं। मैं एक बात जरूर अपनी पार्टी के तरफ से कहना चाहता हूँ कि जब वहां पर हम लोगों की सरकार बनी, उससे पहले – यहां कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं। बिहार का सबसे बड़ा दंगा भागलपुर में हुआ था। वहाँ सबसे बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। पता नहीं, शायद नए लोगों को ध्यान नहीं हो। वहां 15 साल आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रहा, लेकिन उस दंगे के मामले में लोगों को न्याय नहीं मिला। ...(**व्यवधान**)... उन 15 सालों में उसकी जांच नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)... 15 सालों में उस दंगे की जांच नहीं हुई। .(**व्यवधान**)... उन 15 सालों में उस दंगे की कोई जांच नहीं हुई। जिन्होंने दंगा कराया था, उनको सम्मानित किया जाता था। ...(**व्यवधान**)... उनको सम्मानित किया जाता था। ...(**व्यवधान**)... जब हमारी

सरकार आई, तो 2006 में कमीशन बैठा करके, जो दंगा करने वाले लोग थे, उनको पनिशमेंट दी गई और मुस्लिम समाज के लोगों को ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदया, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**) : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... मनोज झा जी, कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आप बोलिए।

श्री संजय कुमार झा : हमने उनको सजा दिलवाई। हमारी सरकार में सजा दिलवाई गई। सिर्फ सजा ही नहीं दिलवाई, जैसे 84 के राइट्स में यहां सिख समुदाय को compensation मिला, उनको monthly पैसा मिलता है, इस सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : वह भी कांग्रेस ने दिया नहीं दिया था, मोदी जी ने दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय कुमार झा : हां, कांग्रेस ने नहीं दिया था, मोदी जी ने दिया है। ...(**व्यवधान**)... हां, 84 राइट्स का भी compensation मोदी जी ने ही दिया है। ...(**व्यवधान**)... वह अब जाकर, वहां के उस समुदाय के जो लोग हैं, उनको मिला है। कल सही में गृह मंत्री जी ने जो एक वीडियो का क्वोट किया था, जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री रहे, यह उन्हीं का लोक सभा में बयान है। ...(**व्यवधान**)... यह उन्हीं का लोक सभा में बयान है कि वहां कैसे उन्होंने कहा कि एक कठोर कानून लाने की

जरूरत है, जिस हिसाब से वहां पर लोगों ने वक्फ पर कब्ज़ा किया हुआ था। **...(व्यवधान)...**

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : मान्यवर, मैंने कल जो कहा, उसके बारे में संजय झा जी के द्वारा बोलने में थोड़ी गलती हुई है। **...(व्यवधान)...** संजय झा जी, वह लोक सभा में श्री लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड पर दिया गया बयान है, जो लोक सभा के दस्तावेज से उत्पन्न है। **...(व्यवधान)...** अब आप क्या इसको Contradict कर रहे हैं? **...(व्यवधान)...**

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदया, **...(व्यवधान)...**

श्री अमित शाह : मगर उन्होंने यह बोला है या नहीं बोला है? **...(व्यवधान)...** उन्होंने यह बोला है या नहीं बोला है? **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : मनोज जी, प्लीज़।

श्री अमित शाह : उन्होंने यह बोला है या नहीं बोला है, आप इतना बताइए। **...(व्यवधान)...**

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदया, **...(व्यवधान)...** Citation के Rules हैं। Citation ऐसे नहीं होता है।

श्री अमित शाह : Citation कैसे होता है, वह सिर्फ आपको मालूम नहीं है।

प्रो. मनोज कुमार झा: नहीं, सर। आपको भी मालूम होगा, लेकिन cherry picking मत करिए।

(6एल/वीएनके पर आगे)

VNK-SK/6L/9.50

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : मनोज जी, देखिए, ऐसा है कि संभ्रांतता के साथ बोलना पड़ता है, पूरे भाषण में से एक पैराग्राफ, जिसको मैंने पढ़ा, उसको वे बोले हैं या नहीं बोले हैं? इतना ही सवाल है। लालू जी तो उस वक्त कोई बच्चे नहीं थे।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : संजय जी, कृपया आप बोलें।...(**व्यवधान**)...

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : सॉरी, एक मिनट। माननीय लीडर ऑफ दि अपोजिशन...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा : महोदया ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : मनोज जी, कृपया आप बैठिए।...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Member, Manoj Jha ji, has a fantastic vocal chord. I can't compete with him on that. With due respect, I would like to say that the hon. Leader of Opposition, in the morning, clearly said that all of us will have to have the patience to hear one another. And, since morning, most of us were talking to each other that the debate which is happening on the Waqf Board in

Rajya Sabha is so good, is setting a beautiful precedent, content-wise, discussion-wise, the way in which we are exchanging thoughts-wise and so on. And I recall the statement which the Leader of the Opposition said, 'Let us hear people and, after that, we will protest.' All that I request hon. Manoj Jha is to please listen to Mr. Sanjay Jha. After that, you come with every objection. But, with your vocal chord power which God has given you, you are drowning all of us.

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : संजय जी, कृपया आप बोलें।...(**व्यवधान**)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: I should be given ..(Interruptions)..

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : मनोज जी, कृपया आप बैठिए।...(**व्यवधान**)... संजय जी, कृपया आप बोलिए।...(**व्यवधान**)... और कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय कुमार झा : उपसभाध्यक्ष महोदया, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए फैसले पर उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर करने का प्रोविजन है। आज भी देश में 14 लॉ ट्रिब्युनल्स हैं। आप दिखा दीजिए कि किसी भी ट्रिब्युनल के डिसीजन की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। यह मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के लोग जो अलोकतांत्रिक प्रोविजन था, उसको बचाने के लिए क्यों परेशान

है? मैं खास करके अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी, जिनका 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं इस August House में बताना चाहता हूँ कि 19 साल में एक दिन कर्फ्यू बिहार में नहीं लगा है। यह ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। बिहार में not even a day कर्फ्यू लगा है। यह ट्रैक रिकॉर्ड है वहां पर काम करने का। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने नेता की तरफ से यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस बिल के समर्थन में यहाँ पर हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। (समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): Message from Lok Sabha, Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 3rd April, 2025, has agreed, without any amendment, to the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 1st April, 2025. (Ends)

THE WAQF (AMENDMENT) BILL, 2025
AND
THE MUSSALMAN WAKF (REPEAL) BILL, 2025 (CONTD.)

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्या डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी।...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : नहीं, नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी।...(**व्यवधान**)...

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र) **:** महोदया, मैं आज यहाँ वक्फ संशोधन विधेयक पर अनुमोदन देने के लिए खड़ी हूँ। आपने मुझे इस विषय पर बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह : जयराम जी, मणिपुर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कह रहे हो कि काहे को देर कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक दिन देर रात तक जगो न। मणिपुर के लिए एक दिन देर रात तक जगना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : मेधा जी, कृपया आप बोलिए।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : उपसभाध्यक्ष महोदया, आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जब मैं आज यहाँ पर वक्फ जैसे महत्वपूर्ण बिल पर बात करने जा रही हूँ, तब मेरा, राज्य सभा का, एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

(6एम/डीएस पर जारी)

DS-YSR/9.55/6M

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (क्रमागत) : मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि भारत में इतने अच्छे निर्णय हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। इस वक्त मैं राज्य सभा की भी मेंबर हूँ और जेपीसी की मेंबर के रूप में भी मुझे काम करने तथा उसकी कार्यवाही में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय प्रधान

मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी और माननीय माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजु जी - इनका मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, देश क्या है, सरकारें क्या हैं और सरकार की देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी क्या है - इसकी सोच जिनकी कमजोर थी, वे लगातार इस देश पर राज करते रहें, लेकिन हम गत 10-11 साल से ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, जो देश के लिए अच्छे निर्णय ले रहे हैं और आज इस देश में देश को पुण्यभू और पितृभू मानने वाली सरकार है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस लगातार चलने वाली रफ्तार में 370 के बारे में निर्णय हुआ, अलग-अलग निर्णय हुए और आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, वह है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ के बारे में जेपीसी गठित हुई और जेपीसी ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। उसकी 38 बैठकें हुईं और माननीय अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में हमने अलग-अलग राज्यों का प्रवास करके बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठी की। हमें चौंका देने वाली जानकारी मिली और इस जानकारी को इकट्ठा करके एक निचोड़ निकला है। मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और जेपीसी के हमारे सदस्य भाई-बहनों का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अभ्यासपूर्ण पद्धति से काम किया। मैं एक डॉक्युमेंट आपको दिखाना चाहती हूँ। यह रिपोर्ट कार्ड WAMSI के पोर्टल का है। हम बात करते हैं कि हम यह सुधार लेकर आए हैं कि जब भी कोई वक्फ

प्रॉपर्टी क्रिएट हो, तो उसकी जानकारी और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि आज तक इसका methodical system क्यों नहीं था? यह जानकारी इससे हासिल होगी। यह वक्फ रिपोर्ट कार्ड है। इसमें वक्फ करने वाले वाकिफ का नाम नहीं दिया गया है, डेट नहीं बताई गई है, सब ब्लैंक है। आप देख सकते हैं। मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूँगी। यह गवर्नमेंट की पोर्टल से डाउनलोड किया गया रिपोर्ड कार्ड है। इसमें वाकिफ का नाम नहीं है, यूआईडी नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं है, क्रिएशन डेट नहीं है, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज़ नहीं हैं, प्रॉपर्टी specifications नहीं हैं, फोटो नहीं है, इंस्पेक्शन डन - नो, मतलब कुछ भी नहीं बताएँगे और बोलेंगे कि यह प्रॉपर्टी हमारी है। जब पूछा जाए, तो बताएँगे कि यह 200 साल, 300 साल पुरानी है। वह 200 साल, 300 साल पुरानी कैसे हो सकती है? जब हम उनसे पूछते हैं, हम कोलकाता गए थे और वहाँ पर एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, आपके पास पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप जिस घर में रहते है, वह कितने सालों पहले की प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा कि यह हमारे पास पुरखों की प्रॉपर्टी है। जब आपके पास पुरखों की प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड हो सकता है, तो 200 साल की वक्फ प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड कैसे नहीं हो सकता?

मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हर कोई सच्चर समिति की अहवाल बार-बार कर रहा है। मैं एक अहवाल बताती हूँ। सच्चर कमेटी ने यह बात

कही, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, 2006 में यह बात कही कि इस देश में ज्यादा-से-ज्यादा मुस्लिम poverty line के नीचे हैं। जिनकी आमदनी 500 रुपए से भी कम है, यानी वे 500 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। वे ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों ने वक्फ किया? जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, क्या वह वक्फ कर सकता है? एक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लोक सभा के चुनाव के दरमियान एक डॉक्युमेंट निकला था। उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कोई योजना के जितने लाभार्थी हैं, उनमें 19 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के हैं।

(6एन/एमज़ैड पर जारी)

MZ-VKK/10.00/6N

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (क्रमागत) : ज्यादा से ज्यादा समुदायों ने किसी न किसी योजना का लाभ लिया है। अगर कोई 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का लाभार्थी है, तो वह पात्र कैसे बनता है? लाभार्थी बनने की शर्तें क्या हैं? इसका कारण यह है कि पात्रता उन्हीं को मिलती है, जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति नहीं है और जिनकी आमदनी कम है। फिर वहाँ 2,32,000 संपत्तियाँ कहाँ से आ गईं? आप 1950 और 1954 के आँकड़े देखिए। 1954 तक हमारे देश में वक्फ की केवल 37,000 संपत्तियाँ थीं, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 8,72,000 हो गई हैं। यानी संपत्तियों की संख्या

दोगुनी, तिगुनी और चौगुनी हो गई। सच्चर कमेटी के दौरान इनकी संख्या साढ़े चार लाख थी। यह इतनी तेजी से कैसे बढ़ी?

अगर हमारे मुस्लिम भाई-बहन गरीब हैं, तो इतनी संपत्तियाँ कैसे बनीं? फिर 200 साल पुरानी संपत्तियाँ वहां 1954 में क्यों reflect नहीं हुईं? 1954 में जो संपत्तियाँ दर्ज थीं, वे केवल 37,000 थीं, लेकिन अगर पिछले 200 वर्षों में इतनी संपत्तियाँ बनी थीं, तो वे पहले दर्ज क्यों नहीं हुईं?

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि Waqf by use - कोई नाम नहीं, कोई जानकारी रिकॉर्ड में नहीं है। महाराष्ट्र के जालना जिले की यह प्रॉपर्टी है, यह WAMSI पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के रिकॉर्ड में अलग-अलग दिखाई गई है। यह प्रॉपर्टी खैरात और ढवणे के नाम पर दर्ज है, यहां एक मंदिर है और यही same property WAMSI पोर्टल पर दिखाई गई है। आखिर यह संपत्ति पोर्टल पर अलग-अलग नामों से कैसे दर्ज हो गई? आज मैं अर्बन अफेयर्स की मीटिंग में गई थी, जहाँ मुझे महाराष्ट्र के सिरसाड़ा परडी वैजनाथ के देशमुख जी मिले। उन्होंने बताया कि उनके पास 16 एकड़ जमीन थी और उनके पड़ोसी मुस्लिम समुदाय के पास भी 16 एकड़ जमीन थी। अचानक दोनों संपत्तियों को मिलाकर वक्फ घोषित कर दिया गया। यह अचानक कैसे हो सकता है? देशमुख जी और उनके मुस्लिम पड़ोसी ने पैसे देकर अपनी संपत्ति वापस ली। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? मैं करप्शन के ऊपर बाद में बात करूंगी।

अभी कोई जानकारी मांग रहा था। मेरे पास एक दस्तावेज है, जहां प्रॉपर्टी ज़ीरो लिखी गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका एरिया ज़ीरो मार्क किया गया है - ऐसी 61 परसेंट संपत्तियाँ हैं, जिनका क्षेत्रफल "ज़ीरो" लिखा गया है। उदाहरण के लिए, मुरादाबाद के कब्रिस्तान और मस्जिद का क्षेत्रफल 0.00 एकड़ दर्ज किया गया है। इसका क्या मतलब है?

वक्फ डीड कितनी हैं? हम बार-बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वक्फ की हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2,32,000 संपत्तियाँ वक्फ की सूची में दर्ज हैं, लेकिन इनमें से केवल 4,345 संपत्तियों की वक्फ डीड मौजूद है। यह कैसे संभव है? अगर पिछले 54 वर्षों से संविधान के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू है - अगर माता-पिता अपने बच्चों को कोई संपत्ति गिफ्ट में देते हैं, तो भी वे उसकी गिफ्ट डीड कराते हैं। फिर वक्फ संपत्तियों को मौखिक रूप से कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है? ...(**समय की घंटी**)...मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने जेपीसी में पूरी निष्ठा से काम किया है। ...(**व्यवधान**)... जेपीसी में हमारे एक कर्नाटक के भाई साहब, अनवर मणिप्पाडी जी आए थे। उन्होंने जो भी कहा, वस्तुस्थिति बहुत भयानक थी। उन्होंने 2 लाख, 30 हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले को उजागर करने की कोशिश की थी।

(6O/DN पर जारी)

BHS-DN/6O/10.05

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (क्रमागत) : उनको वहां बोलने न दिया जाए, इसलिए उन्होंने बोतल फेंक कर मारी। आपने किस्सा सुना होगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे इसमें समय नहीं देना है। एक बोतल उन्होंने अपने पास तोड़ी और एक बोतल सामने माननीय अध्यक्ष जी की ओर फेंकी। यह क्या है, यह कौन-सी गुंडागर्दी है। हमने तो सबका सुना। जो हमारी विचारधारा के थे, उनका सुना, तो यह कौन-सी गुंडागर्दी है। मुझे किसी ने बोला कि बार-बार पटर-पटर करती है, किसी ने मुझे संगी कहा। यह क्या है? आप बोलने नहीं देंगे। आप किसी को documents नहीं देने देंगे, तो ये क्या करेंगे! सर, बार-बार misconduct के आरोप होते रहे। मैं महाराष्ट्र के misconduct के बारे में बता रही हूं। महाराष्ट्र में 36,000 properties हैं। उनमें से 32,318 properties पर misconduct है। हम हिंदुओं ने और non-Muslims ने misconduct के आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि आपके ही लोगों ने लगाए हैं। आप दावा करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। कोई Amendment की जरूरत नहीं है। आप एक बार तय कर लीजिए कि यह अमेंडमेंट अलग नहीं है। ...(समय की घंटी)... मैं एक बात बताना चाहूंगी। यहां पसमांदा समाज का उल्लेख हो रहा था। डा. फैयाज़ अहमद फैज़ ने वहां आकर जो बात की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत struggle करके, इतनी पढ़ाई करके आया हूं, मुझे कहीं भी और कभी भी वक्फ की property का और वक्फ की योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिला है। यह देश हदीस और कुरान से नहीं चलता

है, बल्कि संविधान से चलता है। यह उनकी बात है, आपने सुनी होगी। यह देश हदीस और कुरान से नहीं, संविधान से चलता है। जो कायदा हिंदू लोगों के लिए है, जो कायदा क्रिस्चियन लोगों के लिए है ...(समय की घंटी)... जो कायदा जैन लोगों के लिए है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : वह मुसलमान properties के लिए नहीं होना चाहिए क्या? मैं last में एक बात कहना चाहूंगी। मैं अभी भी दो घंटे बात कर सकती हूं, लेकिन लास्ट में एक बात कहना चाहती हूं। एक मुद्दा बार-बार mislead, misguide किया जा रहा है। यह बात उनकी समझ में नहीं आती है, ऐसा नहीं है। *"मराठी में कहा जाता है कि जब तुम पागलपन का ढोंग कर के रहोगे तो क्या करोगे ? या फिर जो सोने का केवल नाटक कर रहा हो, उसे कैसे जगाओगे?" जिन्होंने यह मान लिया है कि मैं जागृत नहीं होऊंगा और वे सोने का बहाना कर रहे हैं, उनको सब मालूम है और वे एक मंदिर के Trust और एक Waqf Board को compare कर रहे हैं। इसका comparison कैसे हो सकता है? Apple की संतरे के साथ कैसे comparison हो सकती है? मंदिर की comparison मस्जिद से होगी ...(व्यवधान)...

***Hindi translation of the Marathi portion.**

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। श्री कार्तिकेय शर्मा।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : मैडम, last 30 seconds. क्या मंदिर की comparison मस्जिद से होगी? मस्जिद में हिंदू समाज का कोई भी इंटरफेयरेंस नहीं है और न ही नॉन-मुस्लिम्स का। मैडम, last 30 seconds. I am concluding. (समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। श्री कार्तिकेय शर्मा।

(6P/LP पर जारी)

———

Pp. 394 onwards will be issued as supplement.

RL-LP/10.10/6P

THE WAQF (AMENDMENT) BILL, 2025
AND
THE MUSSALMAN WAKF (REPEAL) BILL, 2025 (CONTD.)

श्री कार्तिकेय शर्मा (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने का मौका दिया। यह बिल माननीय प्रधान मंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास के मिशन को आगे बढ़ाता है। यह बिल देश के उन वंचित मुसलमान भाइयों, बहनों के लिए लाया जा रहा है, जिनके हकों को Waqf Board की mismanagement या corrupt practices द्वारा पिछले 75 साल से अनदेखी की गई है, उनके हक को मारा गया है। वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब है कि किसी जमीन या संपत्ति को हमेशा के लिए दान देना, ताकि उसका इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक या charity के कामों के लिए हो सके।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

Waqf Board issue is a purely administrative issue. Some colleagues in the Opposition are trying to create misunderstanding in the country by giving a religious colour to an administrative issue. Yesterday, during the discussion in the other House as well and today during the discussion over here, a number of Members, especially from the Opposition, tried to do the same.

They repeatedly described Waqf as a religious issue. However, from the Sachar Committee Report to the numerous Supreme Court and High Court judgments, the Waqf Board has been described as an administrative body. जहां तक कानून के unconstitutional होने की बात रही या जो आरोप लगाए गए हैं कि Article 25 या 26 के विरुद्ध है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब Waqf Board religious नहीं, बल्कि administrative body है, तब यहाँ पर आर्टिकल 25 या आर्टिकल 26 की बात तो खड़ी ही नहीं होती है। Sir, the various courts of the country have clearly stated that the management of waqf and temple property is not a religious but a secular function. In the Syed Fazal case of Karela High Court, it has been said that the Waqf Board is a legal entity, not a representative of the Muslim community. In the Zafar Ahmad Case of Allahabad High Court, the hon. Court has ruled that the 'Mutawallis', the managers of Waqf, do not have ownership rights over the property and that their work is not religious, but secular. The Rajasthan High Court has also said that the management of temple property is entirely a secular function. Therefore, objecting to the inclusion of a non-Muslim in the Waqf-related institutions is neither legal nor non-constitutional. On the contrary, the current law has several provisions that are unconstitutional such as the

'Waqf by User' or the absence of a provision for appeal against tribunal's decisions. Both these clauses inserted after 1995 are against Article 300A, the Right to Property. Why are our colleagues in the Opposition, who always talk about accountability, finding fault with this Bill, which has been brought with the intention of implementing management property registration and financial transparency in the Waqf board? Sir, this is hypocritical. Out of the approximately 39,999 cases pending in the Waqf Tribunal, more than 10,000 cases, which amounts to more than 33 per cent, have been filed by the Muslims themselves against these institutions. This is a criticism from within the very community these Boards claim to serve. सर, वक्फ बोर्ड और अपोजिशन की कुनीतियों ने मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। पिछड़े मुसलमान भाइयों, बहनों को उनके ही समाज के लोगों ने आगे बढ़ने से रोका है। सर, अख्तर निज़्मी का एक शेर मौजू होता है,

'वो ज़हर देता
तो सबकी निगाहों में आ जाता
सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दीं'

सर, यह विषय सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति के efficient management का है, Waqf Board की functionaries की

accountability का है और वक्फ बोर्ड की arbitrary powers को regulate करने का है, उसको नियमों के अंतर्गत लाने का है। महोदय, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।

महोदय, 1913 में, जब The Mussalman Wakf Validating Act लगाया गया था, जिसमें वक्फ की accounting, finance आदि तय हुए थे ...(**समय की घंटी**)... Sir, As I am an Independent Member and I am a minority in the House, I will request you to kindly grant me some time to speak and, Sir, please hear my voice. ...*(Interruptions)*... दिल में भी यही है, आपके दिल में नहीं है। क्या कोई भी यह कह सकता है और मैं यह बात पूरे सदन से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज यह सदन एक ऐतिहासिक पल पर है, क्या कोई भी यह कह सकता है कि वक्फ के प्रावधानों का पालन उसके original principles के हिसाब से हो रहा है, क्या वक्फ बोर्ड ने समाज में अपनी credibility खोई नहीं है, क्या वक्फ की जमीन के records और accounting पूरी तरह से पारदर्शी हैं, क्या वक्फ अपनी जमीनों का पूरा इस्तेमाल अपने समाज के पिछड़े मुसलमान भाइयों और बहनों की education, healthcare and livelihoods इत्यादि के लिए उपयोग कर रहा है, क्या वक्फ अपनी जमीनों की, जितनी revenue generate कर सकता है, उसका सिर्फ 2 परसेंट ही जनरेट कर रहा है, क्या वक्फ ने जमीनों पर ग़ैरकानूनी कब्ज़ा नहीं किया है या क्या वक्फ की खुद की जमीनों पर कब्ज़ा नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है? सर, इन सभी सवालों का जवाब है – 'उम्मीद बिल'।

क्योंकि यह 'उम्मीद बिल', यह क्लियर करता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं सिर्फ एक या दो मिनट लूंगा।

सर, मैं हरियाणा से आता हूं और आपके सामने हरियाणा के ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, यमुनानगर का एक जठलाना गुरुद्वारा, 1947 में, जब विभाजन हुआ था, उस विभाजन के वक्त वह गुरुद्वारा मस्तान चंद को एलॉट किया गया था। 1967 में उस गुरुद्वारे पर वक्फ ने claim किया और 1967 से लेकर आज तक वह गुरुद्वारा वहीं पर अटका हुआ है, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, क्योंकि यह मामला कोर्ट के अधीन है। महोदय, ऐसे बहुत सारे उदारहण हैं, जिन्हें मैं quote कर सकता हूं, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं quote नहीं करूंगा, परंतु कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : कृपया conclude कीजिए।

श्री कार्तिकेय शर्मा : क्योंकि ये बातें सदन में इतिहास बनाने वाली बातें हैं और कुछ बड़े लोगों ने ये बातें कही हैं। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं सरदार वल्लभभाई पटेल जी की बात कहना चाहता हूं, जो Constituent Assembly की debate के दौरान कही थी, 'The Government must ensure that religious properties serve public good, not private interests.' The Waqf (Amendment) Bill, 2025 exactly do that. Dr. Rajendra Prasad warned on the mismanagement of the Waqf Act,

"If religious trusts are not regulated properly, they become dens of corruption and exploitation."

(Followed by DC/6Q)

DC-PRB/6Q/10.15

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kartikeya*ji*, please conclude.

श्री कार्तिकेय शर्मा : सर, मैं अपनी बात conclude कर रहा हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि historically ऐसे बहुत सारे examples हैं, जहां पर यह तय किया गया है कि regulation की जरूरत है और इसको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है।

सर, मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर राजनीति न हो और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एकमत से इस बिल का सपोर्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। (समाप्त)

MR. DEPUTYCHAIRMAN: Shrimati Jebi Mather Hisham.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I wish to start by sharing the concerns of the people of Munambam, from my State Kerala, where about 600 families are caught up in the legal imbroglio regarding their land and homes where they have been staying since 1950s and they are in the fight for justice and their rights. Let me categorically say, I, my party Indian National Congress, the UDF, unconditionally support and stand with the people of Munambam in their quest for justice. That land belongs to them and it

cannot be bulldozed by anyone. The fact is, Munambam land was purchased for consideration by them with their hard earned life savings during the years 1989 to 1993. The fact is, they have valid title deeds since then. The fact is, they purchased it from Farooq College Trust. It is also a fact that Farooq College validates that the land is sold by them. It is also a fact that taking responsibility, Farooq College has approached the Waqf Tribunal and filed appeal challenging 2019 Waqf Board decision which was made under the pressure of contempt order notifying Munambam land as waqf and it is pending before the tribunal. It is clear that the seller stands with the purchasers. It is a sad fact that revenue rights have been denied to them since 2022. Those who are living in Munambam are the sons and daughters of the soil of Munambam. *"Sisters and brothers who live in Munambam, sons and daughters of that very soil. They are the children of the sea. They should get justice." And in their fight for justice, I reiterate, we sincerely stand with the people of Munambam unconditionally and no one can evict them and no one will be evicted. The political parties, the churches, the KCBC, the CBCI, the Muslim organisations and several other organisations, all of us stand with the people of Munambam. That being so,

---

* **English translation of the Malayalam portion**.

unfortunately, in the backdrop of this situation, one party is trying to create a clear divide among minorities in Kerala. The same party closes its eyes against the attacks on Christians in Manipur, Jabalpur and elsewhere in the country. Let me assertively say, those who are trying to spread the venomous cocktail mix in Kerala of communal polarization will not succeed.

This is the land where on Friday afternoon, when the temple gate of Thali Temple in Angadippuram, Malappuram was burnt by some social miscreants and there was total panic, Panakkad Muhammed Ali Shihab Thangal after his jumma prayers, when he came to know through frantic calls, he and Kunjalikutty*ji* went straight to the temple, met pujari and extended solidarity with temple and said that he stands with them to bring culprits to book and, thereafter, sent the money through Sadikkali Thangal to the Temple for the reconstruction of temple gate. This is Kerala and India! Sir, it is a land where the Hindu reformers NSS, SNDP, christian missionaries, churches, various congregation, Roman Catholics, Latin Catholics, Orthodox, Jacobites, Marthoma, CSI, MES- Muslim Education Society and others have greatest contribution in creating a social secular fabric. The contribution of Christian congregations in health and education

front is countless. None of them, while doing this immense service has ever looked at the name, the caste, the religion. This is Kerala and India. Sir, it is a land where three days back in Kozhikode, to celebrate Eid, the school ground which was given to Palliyarakkal Durga Bhagavathy Temple for their festival and only after festival started, Moon was seen but. immediately, the Durga Bhagavathy Temple Committee made all arrangements for Eidgah.

(Contd. by DPS/6R)

DPS-AKG/6R/10.20

SHRIMATI JEBI MATHER HISHEM (Contd.): Sir, this is Kerala and India, that we celebrated. Even if BJP makes an attempt to spread the venomous cocktail mix of communal polarization, Munambam will not act as a catalyst.

Now, let me move on to the Bill. This Bill is not just a threat to India's secular fabric, but an attack on the very heart of our Constitution, especially Article 26, which guarantees Right to Freedom of Religion. It is a matter of principles, of religious freedom, of fairness and of constitutional integrity. This is a Bill intended to take away the rights of a minority community. So, today, this Government is targeting the rights of Muslims. Tomorrow, it could be against the rights of Christians, Sikhs, Scheduled Castes,

Scheduled Tribes and other Minorities. In 2018, Sri P.S. Sreedharan Pillai, then President of BJP in the State of Kerala, had filed a writ petition in Kerala High Court questioning the possible appointment of a non-Hindu as a Commissioner in the Devaswom Board in Kerala. I now quote paragraph 24, the operative part of the judgment, "The above being our deeply contemplated opinion, it is felicitous that the Government also shares this view wherein they explicitly concede that the Devaswom Commissioner is an intrinsic part and component of the Devaswom Department and, therefore, even if a Joint Secretary to the Government is appointed on deputation, he will, certainly, have to be a Hindu. Therefore, it does not require any further explanation that such an officer will have to be a Hindu by religion." Sir, I want to ask this Government, how can BJP stand for having only Hindus to be a part of the Devaswom Boards while legislating a Waqf Bill which permits non-Muslims to be a part of Waqf board? While asking this question, I want to clarify we are totally with the Hindu Community that they should have full rights to manage their affairs. It is the right and correct stand. Likewise, we also believe that it should be same for all religions and, therefore, there should not be double standards. Each religion should be

left to manage their own affairs. Sir, I conclude by saying that this Bill is cloaked in the guise of transparency. But, in reality, it serves the darker political agenda of the ruling dispensation. It is not for transparency, but to control. It is not to reform but to coerce. So, I oppose this unconstitutional Bill. Jai Hind! (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of the AIADMK Party, I rise to participate in the Waqf Board Bill discussion. The Government has brought forward this Bill to change the composition of the Waqf Boards and Waqf Board Council. Sir, the AIADMK Party is committed to the welfare of the minorities. Former Chief Minister, Puratchi Thalaivar, MGR, Puratchi Thalaivi, Amma Jayalalithaa, followed by our General Secretary, Edappadi K. Palaniswami, they hae given a lot of welfare programs and schemes for the minorities. In India, particularly, in Tamil Nadu and Pondicherry, we have huge population of Muslims and Muslim leaders. The AIADMK Party is keen that Muslim-cum-Minority communities' interests should be protected and safeguarded. So, I request

the present Government to see that the Ayanar party's plea is considered.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Sudhanshu Trivedi. ...(*Interruptions*)... Please, you have finished your speech. ...(*Interruptions*)... Please, no crosstalk. ...(*Interruptions*)... आप already... ...(*Interruptions*)... Please, no crosstalk. (Contd. by PK/6S)

PK-PSV/6S/10.25

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Dr. Thambidurai, please no cross-talk. *...(Interruptions)..* Nothing is going on record. *...(Interruptions)..*

SHRI R. GIRIRAJAN:*

DR. M. THAMBIDURAI:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please take your seats. *...(Interruptions)..* Dr. Thambidurai, please take your seat. *...(Interruptions)..* Both of you please take your seats. *...(Interruptions)..* Do not speak like this. डा. सुधांशु त्रिवेदी जी, प्लीज़ आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

***Not recorded.**

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आज इस पुराने वक्फ की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्फ के आगाज की नई सुबह के दिन, मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजु जी का बहुत इस्तकबाल करता हूं।

महोदय, जब हम वक्फ के ऊपर बात कर रहे हैं, पुराने वक्फ की रुखसती का वक्त आ गया है और नए वक्फ की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पर बात करनी है, तो मुझे चार दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान, जिन पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, दूसरी है - वक्फ की अवधारणा, तीसरी है - वक्फ की राजनीति और चौथी है - वक्फ की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति।

सबसे पहले हमारे सभा के नेता, माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्फ संबंधी कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया और चाहे वक्फ संबंधी कमेटी, जेपीसी के चेयरमैन उस सदन के सदस्य, हमारे जगदंबिका पाल जी रहे हों, हमारे मंत्री जी रहे हों, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, उनके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि –

"इबादतों की तरह मैं यह काम करता हूं,
अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं।"

फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं, तो –

"तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी,
मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं।"

तो इस एहतराम के साथ, मैं अब आगे का पयाम शुरू करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। उन्होंने दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए - इस्लाम की धर्म स्थली - सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश - इंडोनेशिया, जहां खिलाफत रही - टर्की और जहां आईएसआईएस का इलाका है, वहां इराक और सीरिया में कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है कैसा? तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी में एक कहावत है कि "नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है," परंतु यहां तो गैर-मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे, गरीब मुसलमानों के भी और देश के भी। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसे छोड़ दीजिए, भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है - नहीं है। इसे छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इसमें इतना भाईचारा है, तो यह सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग-अलग क्यों हैं, मेरे भाई? जमीन पर एक दूसरे पर ऐतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। यह भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियत में भी अकलियतें हैं, जैसे - आगा खानी हैं, बोहरा हैं और बाकी हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम

समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए, एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है। मुस्लिम समाज के अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे।

(**श्री सभापति** *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, the Mohamedan Education Society, Kolhapur का केस है; ईदगाह मैदान, हुबली का केस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ हुबली-धारवाड़ म्युनिसिपल कार्पोरेशन को वापस कर दिया; Anees Ayasha Vs. Tamil Nadu वक्फ बोर्ड का केस है; Telangana State Vs. Mohammed Muzaffar का केस है, Himachal Pradesh Waqf Board Vs. Khwaza Khalilullah का केस है। इसके अलावा महोदय, ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई, शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेकर आइए, तब हम मानेंगे कि इस पर कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर यह वक्फ का कानून इसी ढंग से चल रहा होता, तो क्या होता? अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थीं। उन्होंने एक 'प्यास' की बात बोली थी। उन्होंने ओडिशा के ग्राहम स्टेंस का जिक्र किया था। उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी, मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है, सभापति महोदय, तो एक 'प्यास' मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में

था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था। उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते हैं, उसने मना कर दिया। तब दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा – "ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, ब पिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन हिंदवान सद बार, मैं देहदं पिदरे मुर्दारावा दायम आब।" मतलब, तू कैसा मुसलमान है, जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है, जो पितृ पक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं।

(6टी/वीएनके पर जारी)

VNK-PB/6T/10.30

डा. सुधांशु त्रिवेदी (क्रमागत) : सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान, जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुआ है और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं, जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडाबरदार बनना चाहते हैं। ऐसे में यह मुकाबला किसके बीच में है? यह शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबो-गुरबत वाले गुरबत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। महोदय, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं

कह सकता हूँ कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि गरीब और पसमांदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। हाँ, मगर जब इसकी बात आती है, अभी माननीय खरगे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब, आपके यहाँ कितने पुजारी हैं और किस वर्ग के कितने पुजारी हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 एससी-एसटी लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। आप हमारे इस सदन में बैठे हुए बालयोगी उमेशनाथ जी को नहीं देखते। वैसे तो कहा जाता है, जात न पूछो साधु की, पर मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के 50 हजार से अधिक पुजारी ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद-ए-अदब से पूछना चाहता हूँ, बताइए, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, पारी, हाफ़िज़ में से कितने पासमंदा हैं? उनमें कितने जुलाहा, अंसारी, घोसी, मिरासी हैं? बाकी छोड़िए, पर्सनल लॉ बोर्ड में है क्या? वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ, *'खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत'*। अगर ईमानदारी से बात करनी है, तो उस पर आगे.... मगर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इसको 'उम्मीद' नाम दिया है। यह उम्मीद किसके लिए है? यह उम्मीद उस ईमानदार मुसलमान के लिए और देश के हर खास-ओ-आम के लिए है।

सभापति महोदय, मगर कुछ लोग वे हैं, जो 'उम्मा' का ख्वाब पाले हुए थे। 'उम्मा' शायद हमारे बहुत से लोग समझते हों, न समझते हों। पूरी एक entire जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है, उसको 'उम्मा' कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है और 'उम्मा' वालों की उम्मीद पर पानी फिर रहा है। इसलिए यह 'उम्मीद' और 'उम्मा' के बीच का भी मामला है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं था। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज़ पर, जिस पर बहुत डिटेल में हमारे साथी लोग कहे हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। भोपाल का विषय है, हैदराबाद का विषय है, मुंबई का है, लखनऊ का है, पटना का है। ये बहुत प्रकार से हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विषय, जो बताया गया था, उस पर हमारे मनोज झा जी बहुत ज्यादा बोल रहे थे। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। सबने वह वीडियो देखा है। मैं बस एक लाइन उनके लिए कहना चाहूँगा, वे कुछ भी बोल लें। जिसे कहते हैंः

'बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।
रहिमन बिगड़े दूध को, मथे ना माखन होय।'

अब जो बोलना था, वे बोल चुके और वह सबके सामने आ चुका है। अब एक बात और है। दूसरे धर्म स्थलों के बारे में विषय आता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ केरल के कैथोलिक चर्च ने 31 मार्च, 2025 को जो लिखा, उसकी लास्ट की सिर्फ दो लाइन बोलना चाहता हूँ। "We request the Central Government to get the Amendment Bill passed as early as possible so that the tears of thousands of suffering

people in a place like Munambam can be wiped out only by a legal amendment that can provide a permanent solution to their suffering. We urge all the MPs from Opposition parties to support the Bill so that the historic legislation can become unanimous." मगर, सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले, जब अल्पसंख्यक की बात आती है, तो तराजू पर तौलते हैं कि किसका वेट ज्यादा है, किसकी धमक ज्यादा है, किसकी खनक ज्यादा है, फिर तय करते हैं कि किस माइनॉरिटी के साथ आना है, किस माइनॉरिटी के साथ नहीं आना है।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। तमिलनाडु के तेहरी मंदिर की बात आई, यमुनानगर में गुरुद्वारे की बात आई, केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जमीन की बात आई। बहुत सारे लोग Places of Worship Act की बात करते हैं, तो as per Places of Worship Act तमिलनाडु के मंदिर का तो स्टेटस नहीं चेंज हो सकता। 15 अगस्त,1947 के बाद किसी प्लेस ऑफ़ वरशिप का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो वक्फ बोर्ड को claim forfeit कर देना चाहिए, because it is in contrast to the Places of Worship Act. परंतु यही गुरुद्वारे के बारे में भी होना चाहिए। मगर, सभापति महोदय, चाहे वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे Places of Worship Act हो, एक ही को फायदा होना है, जिसे कहावत में कहते हैंः खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, आखिर में कटना भगवे रंग के खरबूजे को ही होता है। अब मैं यह भी

बताना चाहता हूँ कि इन संपत्तियों के द्वारा जो कुछ हुआ, उन्होंने इतनी चीजों को लिया है। एक पुराना उर्दू का शेर है :

'मिटे नामियों के निशां कैसे-कैसे।
और ये जमीं खा गई आसमान कैसे-कैसे।'

इस ज़मीन ने कैसे-कैसे लोगों को अपने में समा लिया, इसकी तमाम तारीख गवाह है। अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में जाऊँगा, तो सदन का बहुत सारा वक्त जाएगा। परंतु मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जब इतना ज्यादा बढ़ गया, फिर कोर्ट ने आगे intervention करना शुरू किया।

(6यू/डीएस पर जारी)

DS-HK/10.35/6U

डा. सुधांशु त्रिवेदी (क्रमागत) : मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी कार्तिकेय शर्मा जी और बहुतों ने बोला और उन्होंने सैयद फज़ल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस के बारे में कहा। मगर, Bashir Vs. State of West Bengal केस में उन्होंने बहुत clear cut कहा है कि "Waqf is not a religious denomination in accordance with Article 26 of the Constitution. So, the matter relating to restricting the economic, financial, political or other secular activities that may be associated with religious practice under Article 25(2)(a)of the Constitution, can be regulated by the State." मुझे लगता है

कि इसके बाद कोई किंतु-परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। सभापति महोदय, जो उसके बाद भी कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे और जो यह कहे कि साहब, अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में एक बादशाही आ गई है। सभापति महोदय, इसके लिए मुझे वो पुरानी वाली फिल्म, अगर लोगों को याद हो, तो मुगले आज़म का वह सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया, तो सलीम कहता हैः

" जब्त मैं करूँ, जिसकी कि ज़मीन वीरान हो गई है,
जब्त वो न करें, जिनके सिर्फ शौक-ए-बादशाहत को ठेस पहुंची है?
यह जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं, बल्कि खुदाई है।"

मैं कहना चाहता हूँ, जो संविधान को न माने, कानून को न माने, इसका मतलब वह अपनी खुदाई में जी रहा है, तो ये वो लोग हैं। सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां-जहां खुदा है, वहां-वहां भगवान है। जहां जहां खुदा है, वहां-वहां भगवान है, बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। वैसे, आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी, दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूँ कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है, तो उन चंद लोगों ने, जिनके दिमाग आज भी उन चीजों से भरे हुए हैं कि कोई समझता है, हम तो किसी जमाने में हुक्मराने वक्त थे, कोई कहता है, हुजूरे नवाब थे, कोई कहता है, बादशाहे आलमगीर थे, कोई कहता है, बादशाहे गाज़ी जिंदा

पीर थे। नदीमउल हक साहब ने जो बोला था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया, उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है, पर जो यह कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चारमीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो सभापति महोदय, मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूँः

"तेरी तमन्ना है, पर हम खार न बोने देंगे.."

खार कांटों को कहते हैं,

"तेरी तमन्ना है, पर हम खार न बोने देंगे,
तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे,
तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे,
हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे।"

इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है।

सर, मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे डीएमके के तिरुची शिवा जी ने अनायास, अकारण यह बात बोली थी। उस समय उन्होंने जिन्ना का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टीशन के समय - तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूँ। 1946 की कांस्टिटुएंट असेंबली में, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो 30 आउट ऑफ 30 सीट्स

थीं, वे मुस्लिम लीग ने जीती थीं with 95 per cent of vote और एक भी मुस्लिम वहाँ से बाहर नहीं गया, इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, फैक्ट को समझिए। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, बी. पोकर साहब बहादुर और मुहम्मद इस्माइल थे, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और उन्होंने 28 अगस्त, 1947 को separate electorate मांगे। आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाकर कांस्टिटुएंट असेंबली की डिबेट के पेज नंबर 270 पर पढ़ लीजिएगा, सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा - अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। खैर, मैं अम्बेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे भाषणों को यहां क्वोट कर सकता हूँ, लेकिन इन सारी बातों को छोड़िए। मगर, अफसोस की बात यह है कि अभी मनोज झा जी ने बोला था कि हममें से कोई शक है, कोई हूण है और यह कीजिए। भैया, वे जमाने चले गए, अब genetic sequencing का जमाना आ गया है और genetic sequencing ने क्या प्रूव किया है? दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डिनर के दौरान कहा कि "Few weeks back, I got my genetic sequencing done and I was told that I have Indian DNA." साहब, आप कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं! सभापति महोदय, यहां लोगों के दिमागों में गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है कि इसी सदन के एक सदस्य, जो यहां विराजमान हैं, उन्होंने एक समय महाराणा

सांगा का उल्लेख कर दिया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, सारे के सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन्होंने गुलाम बनाया, उनके सोर्सेज़ पर यकीन मत कीजिए। वैसे थोड़ा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, तो मैं यह भी बोल दूँ कि हमारे सदन के बहुत-से सदस्यों को यह नहीं पता होगा कि अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है।

(6डब्ल्यू/एमजैड पर जारी)

MZ-KSK/10.40/6W

डा. सुधांशु त्रिवेदी (क्रमागत) : पोरस नामक किसी राजा का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता, यह केवल और केवल ग्रीक में पाया जाता है। इसलिए, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तभी आप इन चीज़ों को सही ढंग से समझने में सफल होंगे।

वक्फ की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है कि यह originally कहां से आया, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वक्फ का उल्लेख आता है, जब Sassanid Empire को खलीफा उमर ने capture किया था, तो आज का जो southern Iraq है, उसके इलाके को उन्होंने "वक़्फ़" declare किया और वह स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था। माननीय नड्डा जी ने स्टेट के बारे में अभी बताया कि बड़े-बड़े देशों में यह व्यवस्था कैसे थी। सर सैयद अहमद खान ने भी वक़्फ़ को मूल इस्लाम का हिस्सा न मानते हुए इसे मोज़रए (किरायेदारी) के अंतर्गत रखा और इसके समर्थन में

"फ़तावा आलमगिरी" को क्वोट किया था। इसी कारण 1894 का जो Privy Council का जजमेंट आया था, वह Waqf-al-Aulad के खिलाफ आया था। मगर 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है और इसे बदला जाना चाहिए, क्योंकि 1904 में जिन्ना कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 1913 में वह निर्णय बदला गया। हमारे सदन के कई सदस्यों ने इस सदन में और दूसरे सदन में अपने विचार रखे हैं। मैं अगर एक वाक्य बोल दूँ, तो ऐसा लगेगा जैसे वही लोग फिर से बोल रहे हैं, "Since the Bill was introduced to administer the Muslim law for Musalmans, the question of public policy does not arise." लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य ने बोला हो। सर, यह मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल, 1913 में he used this word while moving the Report of the Select Committee for the Imperial Legislative Council.

सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली और आज भी भाषा नहीं बदल रही है। हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि उस समय यूपी और बंगाल ने इसका विरोध किया था। आज यूपी और बंगाल के लोग किस तरह से एक साथ हैं, यह पूरी तरह से स्पष्ट दिखता है। इसलिए, हम यह कहना चाहते हैं...

एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता है? ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया? मैं ईमानदारी से कहना चाहता

हूँ - ऐसा नहीं है कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम-फाज़िल या जानकार हूँ, मगर इस्लाम में बहुत स्पष्ट मान्यता है कि जो ग़ैर-मुस्लिम है, उसकी इबादत अल्लाह क़बूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ क़बूल नहीं होगी, तो दान कैसे क़बूल होगा? साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं।

हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे, तो वे मदीना में एक definite level तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाज़त नहीं है, तो जायदाद की इजाज़त कैसे हो सकती है? मुस्लिम भावना का सम्मान है और अगर ऐसा नहीं है, तो कोई मौलाना, मुफ़्ती या मुकर्रम आकर बता दे कि गैर-मुस्लिम की दुआ क़बूल हो सकती है, तो हम दान भी क़बूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और, जब आप कहते हैं कि हर चीज़ हलाल होनी चाहिए, तो हलाल करने की प्रक्रिया ही नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तभी वह हलाल होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, काटने के लिए हलाल होने के लिए मुस्लिम ज़रूरी है और बाँटने के लिए बिना मुस्लिम के भी हलाल होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता!

जो हमारी सरकार ने किया है, वह मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि हज पर कोई गैर-मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे कुम्भ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से यह नहीं कहा गया कि कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए,

मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की धारणा और बाकी धारणाओं की तुलना करना उचित नहीं है।

मगर, सभापति महोदय, इस वक्फ ने कई अद्भुत नज़ारे दिखाए हैं। इस्लाम में काफ़िर से ज़्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया है - यानी जो भगवान को माने ही नहीं। यहाँ देखिए, वे लेफ्ट के लोग, जो कहते थे कि धर्म एक अफ़ीम है, वे आज ख़ुदाई खिदमतगार बनकर खड़े हो गए हैं! सोचिए, कैसा बदलाव आया है!

सर, मुझे एक और चीज़ याद आती है - एक पुराना गीत था, "वक़्त ने किया क्या हसीं सितम..." तो आज मैं कहना चाहता हूँ, "वक़्फ़ ने किया क्या हसीं सितम, कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलकर हो गए हम! " मैं कहना चाहता हूँ, यह वही मुस्लिम लीग है, जिसने separate electorate की माँग की थी और इस शिवसेना के UBT के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया कि एक ज़माने में उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, "वक़्फ़ ने किया क्या हसीं सितम, ये दोनों मिलकर हो गए हम! "

सर, इसके बाद मैं एक टेक्निकल बात करना चाहता हूँ, जब इन्होंने time duration हटा दिया था और बैक में पीछे जा सकते थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई, तो उसने तो मुग़लों से सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक़ कैसे हुआ?

सर, 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से ख़त्म हो गई थी। आख़िरी मुग़ल बादशाह शाह आलम के बारे में कहा जाता था, "सल्तनत ए शाह आलम, दे लाल किले ते पालम"- यानी आज का आईजीआई एयरपोर्ट। तो इसके बाद यह गुजरात के सूरत से लेकर लखनऊ तक उनका मालिकाना हक़ कहाँ से आ गया?

जब दिल्ली को अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया था, तब सारी ज़मीन अंग्रेज़ों की थी! मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में Power Deed transfer की गई थी, तो क्या उन्होंने उसे पढ़ा नहीं था या खोखले कागज़ पर साइन कर लिए थे?

(6W/DN पर जारी)

GSP-DN/6X/10.45

डा. सुधांशु त्रिवेदी (क्रमागत) : अगर कागज सही था, तो अब खोखला करने की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 250 साल तक हुकूमत ही नहीं रही, तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? यह मैं कानूनविदों के लिए भी food for thought रखने की बात करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं? अगर सूरत नगर निगम पर मुगल के जमाने का दावा है और तमिलनाडु के मंदिर पर काट के नवाब का, तो ये वे हुकूमतें थीं, जो जज़िया लगाती थीं। ये वे हुकूमतें थीं, जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थीं, ये वे हुकूमतें थीं, जो गाज़ी की बात करती थीं। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान

को मान्यता देना सही है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं, तो this is fraud on the Constitution. हमारी सरकार ने अगर उसको बैक डेट से बंद किया है, तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया। मगर बाद में ये जमींदार कैसे क्रिएट हो गए? हम लोगों के जन्म से पहले की बात है। विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों को दी जाती थी, लेकिन कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन, जमींदारों को मिल जाए! 2013 के बोर्ड ने वह व्यवस्था की थी। यानी गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का वह भूदान आंदोलन था, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भूहड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वह भूदान आंदोलन था, तो यह भूहड़प आंदोलन है। इसलिए मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है। यह फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा न ले। जितने मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद हुए, उन्होंने बगदाद की खलीफा का खुदवा पढ़ा है। That is the foreign rule. It is on record. कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जरा गौर से देखेंगे, तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। कभी किसी ने कल्पना की कि क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेट वे ऑफ इंडिया हमारा है और चर्च नहीं, फिर भी चर्च गेट हमारा है। फिर यह केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आता है? हमने

Evacuee Property Act के तहत पाकिस्तान के गए लोगों को दे दिया था, तो जो हमारे हिंदू और सिख भाई आए थे, क्या उनकी जमीनें मिलीं। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक राज था, तो क्या उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारों को जमीनें दान नहीं दी होंगी, वे मिलीं। वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि हम लोगों ने कोई नेगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब में अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं, जिसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति से ऊपर कहा जाता है।

सर, मैं बताना चाहता हूं कि जब आजादी मिली, उसके बाद क्या किसी ने यह डिमांड की थी कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए, नहीं किया था, तो फिर 1954 में क्यों दिया गया। किसी मुस्लिम ने डिमांड की थी क्या कि मदरसा चाहिए, फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्यधारा में आने को तैयार था। इसलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महज़बी बानो को मीना कुमारी के नाम पर आने कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुमताज बेगम को मधुबाला बनकर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हामिद अली को अजीत के रूप में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका इस बात को सोच रहा था और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले, ये उस चीज़ के वकील रहे हैं, उन्हें

पता होगा कि Sunni Central Waqf Board, राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है। 12 साल के बाद, क्योंकि के.के. मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था, जो यह मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मगर अफसोस वही leftist and secularist को समझा-समझा कर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, खैर छोड़िए उन सरकारों ने बाद में क्या दिया? मगर उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में Muslim Personal Law Board आया, तो राजीव जी के जमाने में शाहबानो केस आया। नरसिम्हा राव जी के जमाने में 1995 का एक्ट आया, तो मनमोहन सिंह के जमाने में 2013 का एक्ट आया, मगर इलाज नहीं निकला। इसे एक शेर में कहूंगा कि

"मरीजे सेकुलर इश्क पर लानक खुदा की
मर्ज बढ़ता गया, ज्यों- ज्यों- दवा की।"

अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में कहना चाहता हूं। आज जब आजादी मिली, तो मुस्लिम समाज के प्रति कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्ला खां, उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई। बड़े-बड़े नगमा-निवार, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, जोश मलिहाबादी और जिगर मुरादाबादी थे। अब क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहगारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के

साथ जोड़ता है – इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता है। यह कौन जोड़ रहा है? जब से यह देश 1976 से सेकुलर हो गया और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसमें ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। (6Y/LP पर जारी)

SK-LP/10.50/6Y

डा. सुधांशु त्रिवेदी (क्रमागत) : और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है ...(**व्यवधान**)...महोदय, मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है और यह भी कहा गया कि इनको बड़ी मुहब्बत है। महोदय, जब यह देश आज़ाद हुआ - मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8 परसेंट रेट ऑफ लिट्रेसी थी, सैयद मुसलमानों में 24 परसेंट थी। वे यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20 परसेंट थे, लेकिन आज सब कहाँ चले गए? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि,

'यह अदावत और मुहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे
कि किसी को किसी की मुहब्बत ने मारा
किसी को किसी की अदावत ने मारा
मगर इस शराफत अली को सेक्युलर सियासत ने मारा।'

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute. Yes, Dr. Fauzia Khan. ..*(Interruptions)*..

Yes, please. Mike is there.

डा. फौजिया खान : महोदय, ये बोल रहे हैं कि आज का मुस्लिम समाज, ये इशरत जहां और दूसरे फलानाँ-फलानाँ terrorists के साथ नाम जोड़ रहे हैं, सर, यह बिल्कुल एक आरोप है और इसको expunge करना चाहिए। यह बात समाज के साथ एक अन्याय है। सर, आपको यह बात एक्सपंज करनी होगी।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, if you carefully go through what Dr. Sudhanshu has said, I am sure, you will appreciate his spirit. Just think for a moment. ..(Interruptions).. He has not cast any aspersions. ..(Interruptions).. Dr. Sudhanshu, go ahead.

डा. सुधांशु त्रिवेदी : महोदय, मैं उसका जवाब दूंगा और उसके बाद हमारा सदन यह माने या न माने, लेकिन जो देख रहे होंगे, उनके लिए कहना चाहता हूं। सर, डा. एपीजे अब्दुल कलाम...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: One minute. Vaiko ji, ..(Interruptions).. Hon. Member, Vaiko ji ..(Interruptions).. Hon. Home Minister. ..(Interruptions)..

SHRI JAIRAM RAMESH: How can he stigmatize a community like this? ..(Interruptions)..

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, वाइको जी हिंदी समझ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute, Fauzia Khan ji. ..(Interruptions)..

DR. FAUZIA KHAN: Sir, a community cannot be stigmatized. ..(Interruptions).. An entire community cannot be stigmatized.

MR. CHAIRMAN: I will come to you, Fauzia Khan *ji*. I will give you the opportunity. Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, he said one line. ..*(Interruptions)*.. He might be very emotional, Sir. But that one line he said is objectionable, and I will seek your indulgence to remove it. He said *"You put your foot in Tamil Nadu. I will stop you." He says, 'You enter Tamil Nadu, I will see you'. It is not good. This is atrocious. ..*(Interruptions)*.. Please wait for a minute. Mr.Vaiko says, Sir, 'You set foot in Tamil Nadu, I will take care'. What is that language? it is a highly objectionable comment. He should not speak like that. Any Indian can set his foot anywhere in India. No one can stop him.

MR. CHAIRMAN: We have a Home Minister, after a long time, who has brought about changes unthinkable. What he said, you can be fully assured.. ..(Interruptions).. Yes, Jairam ji.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, if the hon. Finance Minister has found a statement objectionable,.. ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Jairam ji, address the Chair.

---

* **English translation of the Tamil portion.**

SHRI JAIRAM RAMESH: The statement of the hon. Member stigmatizing a whole community is objectionable. ..(Interruptions).. And what is worse is the Chairman lending respectability to that view. That is even worse.

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister.

श्री अमित शाह : मान्यवर, सुधांशु जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडी एलायंस के लिए किया है। मैं एक-एक करके बता देता हूं। ...(**व्यवधान**)...आप सुनिए। आप सुनिए तो सही। ...(**व्यवधान**)...दिग्विजय सिंह जी, आप सुनिए, तो सही, मैं खड़ा हूं न अपने पैर पर। मान्यवर, सुधांशु जी ने इशरत जहां कहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसी एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको सही भी बताया था।

(PRB/6Z पर जारी)

PRB-YSR/6Z/10.55

श्री अमित शाह (क्रमागत) : उन्होंने अतीक अहमद के बारे में कहा। ...(**व्यवधान**)... वे किस पार्टी से थे – इंडी एलायंस। उन्होंने अंसारी का भी नाम लिया। वे किस पार्टी से थे – कांग्रेस और इंडी एलायंस। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से ढेर सारे शायरों का नाम लिया, जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : सुधांशु त्रिवेदी जी। ...(**व्यवधान**)... He is not yielding now.

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सबसे पहले में तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा कि डा. कलाम का नमाज-ए-जनाजा और याकूब मेमन का नमाज-ए-जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेमन के नमाज-ए-जनाजा में गए और कितने लोग डा. कलाम के नमाज-ए-जनाजा में गए? डा. कलाम मैमोरियल पर कितने लोगों की फोटोज़ हैं, यह मुझे दिखाएं, जो कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की हों। मगर अफजल हालात का मारा था, यह आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है। वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेमन की judicial killing हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है। वे सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। सर, 26/11 आरएसएस ने करवाया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिस साहब और...(व्यवधान)... सुनिए, ज़ाकिर नायक शांति का मसीहा है, सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर, किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं कि जोड़ा, हमने किससे जोड़ा यह मैं बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? ...(**व्यवधान**)... सर, मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिमों के बारे में हमारी सोच और इनकी सोच में क्या अंतर है। ...(**व्यवधान**)... देखिए, जिन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...सभापति महोदय, मैं उन लोगों को थोड़ा इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में भी बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Digvijaya Singh *ji*. ...*(Interruptions)*... I will give you a chance.

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही है और मैं डा. त्रिवेदी साहब की बात भी सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे-ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे-वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। ...(**व्यवधान**)... बात यह है कि आपने जिस तरह से यह पूरी बात कहा है, यह घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है और माननीय सदस्य ने जो मेरे बारे में भी कहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister. ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मुझे यह सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार थे, यह आप बताइए ...(**व्यवधान**)...

गृह मंत्री (**श्री अमित शाह**): मान्यवर, मैं ध्यान से, बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं लिया। अब वे खड़े होकर कहें कि मेरे बारे में कहा है, इससे यह साबित हो गया है। ...(**व्यवधान**)... अभी भी मौका है और अगर आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो मान्यवर, अभी खड़े होकर माइक चालू करवाकर बुलावा दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह : यह घोर आपत्तिजनक बात है। मैंने यह बात कभी नहीं कही है। यह आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात से थी कि माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि हमारी तरफ ऐसे-ऐसे मुसलमान थे और वैसे-वैसे मुसलमान हम लोगों की तरफ थे। यह पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। ...(**व्यवधान**)... माननीय गृह मंत्री जी, आप जब वहां पर गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, यह जग जाहिर है।

श्री अमित शाह : मान्यवर, इनको मेरा हौवा ऐसा है कि मैं ही दिखाई देता हूं। **...(व्यवधान)...** दिग्विजय सिंह जी, सुनिए। एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद, 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। जब दंगा हुआ, तब मैं गृह मंत्री नहीं था।

श्री सभापति : डा. सुधांशु त्रिवेदी।

(7A/AKG पर आगे)

AKG-VKK/7A/11.00

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सर, मैंने इस संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। ...(**व्यवधान**)... अजीज बर्नी की किताब थी - 26/11: An RSS Conspiracy. कोई जाकर चेक कर ले, उसमें कौन-कौन, कहाँ-कहाँ था।

सर, अब मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको मुस्लिम समाज की history नहीं पता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब सबसे पहले भारत से numeric system गया, तो सबसे पहले अल-ज़ाहरवी थे, जिन्होंने 1793 में जो सूर्य सिद्धांत था, उसका अरबी में translation किया - Sindh-Hind. हम बता रहे हैं कि हम किस तरह के मुस्लिम को साथ रखते हैं। डॉक्टर कलाम से बड़ा आलम-ए-इस्लाम में साइंसदाँ नहीं हुआ और आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो बिहार के गवर्नर हैं, उनसे बड़ा आलिम, फाजिल मुसलमान आज सियासी जमात में तो नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी। 10th Century के एक Muslim Writer थे, जिन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था - the Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing according to Hindu calculation, जिसको short में अल-जब्र कहा गया और वहाँ से Algebra निकला। सर, उसके बाद अल ख्वारिज्म आया। आज मेरे ख्याल से सदन के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, यह जो algorithm word है, यह Al Khwarizm से आया हुआ

है। एक जमाने में इस्लाम में बैत-उल-हिकमत था, यानी वह सबसे बड़ा हिकमत का केंद्र था, जब एक से एक लोग होते थे। बहुतों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिस नक्शे के through दुनिया travel किया था, उसे बनाने वाला भी एक मुस्लिम था - अल इदरीसी। सर, मगर algorithm आज ऐसा बदला कि AI की age में दलगत भावना से ऊपर उठ कर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए! सर, यह algorithm किसने बदल दिया, यह मैं बताना चाहता हूँ। इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि muslim politics की सोच क्या थी, हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगाँठ 2015 में हुई। प्रधान मंत्री, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला कर सम्मानित किया और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर तीन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या करने का आरोप था, वह प्रधान मंत्री आवास में साफ दिखाई पड़ता है! ...(**व्यवधान**)... कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस तरह के मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है! ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप अपनी-अपनी टर्न पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... सर, पिछले 30-35 सालों से हौवा खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, तो कहा गया बीजेपी आएगी, उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर, बीजेपी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं क्या हुआ? 22 साल से शिया-सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे, उसकी वजह से मदहे सहाबा का जुलूस

नहीं निकलता था। शिया समुदाय का मदहे सहाबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ। उसके बाद कहा गया कि केंद्र में भाजपा आएगी, तो खा जाएगी। सर, अटल जी की सरकार आई, इतनी शानदार स्थिति रही। उसके बाद कहा गया कि गुजरात में आएगी, तो भाजपा खा जाएगी। सर, गुजरात का मुसलमान आज सबसे समृद्ध मुसलमान है, सबसे ज्यादा जकात वहाँ से आता है। उसके बाद कहा गया कि मोदी जी की सरकार आएगी, तो क्या होगा! सर, मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साथियों ने बताया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के 70 प्रतिशत लोग हैं, जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला है। सर, फिर कहा गया कि CAA आएगा, तो नागरिकता छिन जाएगी। उसके बाद भी आपने सब देखा। सर, हम बचपन में सुनते थे कि राम मंदिर बनने लगेगा, तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। सर, राम मंदिर भी बन रहा है, भारत-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है और चार-चार मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया हुआ है। सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मर्ज हो, तो उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ वैद्य धन्वंतरि माने गए हैं, इस्लामी अकीदे में हकीम लुकमान माने गए हैं। उनके लिए कहा गया है कि

"इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास,
बदगुमा वहम की दारू नहीं, लुकमान के पास।"

यानी मर्ज का इलाज है, पर वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते, जो आपने पाल कर रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम किन मुसलमानों की बात करते

हैं। आप गंगा-जमुनी तहजीब की बात करते हैं। सर, दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था। उसने उपनिषदों का संस्कृत में अध्ययन किया, अनुवाद कराया और नाम रखा सिर्र-ए-अकबर, यानी Words of God. मैंने किसी को दारा शिकोह की जयंती मनाते हुए नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूँ कि बेगम ताज बीबी, उनके घर पर जाते किसी ने सुना! सर, यह बताइए, आलम शेख, इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं ये कवि, किसी ने सुना उनके घर पर जाते हुए! मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके घर पर कोई गया! यह बताइए, आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पर कौन गया! वे गाजीपुर के रहने वाले थे। आज तक जाने वालों में नहीं दिखे। सर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। सर, एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि मेरा अगला जन्म हो, तो भी मैं कृष्ण भक्त ही बनना चाहूँगा। मनुष्य बनूँ, तो ग्वाल वाले के रूप में और पशु बनूँ, तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा,

"मानुस हौं तो वही रसखान, बसौं मिली गोकुल गाँव के ग्वारन।
जो पसु हौं तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मँझारन।।"

सर, उन्होंने कहा, गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूँगा। मगर आज इस देश में एक ऐसे नेता आए हैं, जिनको गायों से बदबू आने लगी है।

(7बी/पीएसवी पर जारी)

BHS-PSV/7B/11.05

डा. सुधांशु त्रिवेदी (क्रमागत): तो सर, उनके लिए मेरे मन में यह भाव आता है कि –

"श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा,
गोपालक श्री यदुवर कुल में, एक ऐसा नेता आएगा,
जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा।
रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा।"

सर, अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। हम किनको मानते हैं? आप नजीर अकबराबादी को सुनिए, कृष्ण भक्त के लिए क्या कहा? मैं यह बोलना चाहता हूं कि बुल्लेशाह ने क्या कहा? बुल्ले शाह ने कहा, अभी होली गुजरी है..उसने कहा था – "आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह।" उन्होंने आगे कहा –

"अलस्तु बिरब्बिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले,
नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह-अल्लाह,
आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह।"

तो मैं भी कहता हूं कि अब बिस्मिल्लाह करिए और उसके बाद हमारे इस सकारात्मक बिल का सहयोग करिए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो मुसलमानों के लिए और देश के लिए करना चाहते हैं, उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी।

सर, अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यहां पर तमाम प्रकार की बातें हुईं - सकारात्मक और नकारात्मक, मगर अफसोस की बात यह है कि 1913 के वक्फ-अलल-औलाद से लेकर 2013 के वक्फ-अलल-औलाद तक, इनकी फितरत नहीं बदली, क्योंकि सर, यह तो पार्टियां ही अल-औलाद हैं, तो उससे तो इनको बहुत

ज्यादा वह होगी ही होगी। परन्तु मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अपनी सोच बदलिए। आप जिस कश्ती पर सवार होकर इस दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 75 सालों से नहीं कर पा रहे हैं, 10-12 सालों में बहुत हिचकोले खा रहे हैं, तो कश्ती और रास्ता बदलिए। इनके लिए अंत में एक पंक्ति कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि –

"इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला,
पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला,
पर है शौक-ए-सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने,
मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला।"

अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आइए, सबको साथ लेकर चलिए। यह एक ऐसा ऐसा वक्त आया है, जब.. हमारे किरेन रिजिजु जी ने जो कहा था कि – "मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ.." तो मैं प्रधान मंत्री मोदी जी की तरफ से कहता हूं कि –

"हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है,
बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेकर आए हैं
और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से,
आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं।"

धन्यवाद। (समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Shri Javed Ali Khan. *...(Interruptions)...*

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I have a point of order. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Do you have a point of order? *...(Interruptions)...*

श्री जावेद अली खान : सभापति जी, आपका धन्यवाद। **...(व्यवधान)...**

جناب جاوید علی خان: سبھاپتی جی، آپ کا دھنیواد۔

MR. CHAIRMAN: One minute. Hon. Member, Tiruchi*ji*, under which rule?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, Rule 261.

MR. CHAIRMAN: Yes, I am at Rule 261.

SHRI TIRUCHI SIVA: "If the Chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may in his discretion, order that such word or words be expunged..".

MR. CHAIRMAN: I know the rule. *...(Interruptions)...*

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I was hearing the translation and he was telling about good intention Muslims and evil-intentioned Muslims. Evil is an unparliamentary word, kindly expunge it.

MR. CHAIRMAN: While the hon. Member of Parliament, Dr. Sudhanshu Trivedi has said enough on it, I reserve my order and you will have it tomorrow in detail on this point. *...(Interruptions)...* No, no. I have reserved my order. I will go through every word. *...(Interruptions)...* I will do it quietly. *...(Interruptions)...* Tomorrow itself! Jairam*ji*, tomorrow itself.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, no. Will tomorrow come?

MR. CHAIRMAN: I am surprised that Chairman becomes the easy punching bag. आपने दो बार पिछले 20 minutes में कहा है। I am lending strength to this narrative. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you supported him.

MR. CHAIRMAN: Yes. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you supported him.

MR. CHAIRMAN: I support.....*(Interruptions)*... One minute. I support everything which is good, everything which is constitutional, everything which we need to follow as decorum. ...*(Interruptions)*... And I have said so on a number of occasions. ...*(Interruptions)*... There were occasions when I have supported you. ...*(Interruptions)*... Do not forget that I have supported you.

(Contd. by RL/7C)

RL-VNK/11.10/7C

MR. CHAIRMAN (Contd.): "You are one of those Members who regularly attend parliamentary proceedings, and you are very well prepared on occasions." I appreciated your contribution when the Disaster Management Bill was introduced in 2011. Shri Javed Ali Khan.

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश) **:** सभापति जी, चूँकि मेरा समय कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी-जल्दी, बहुत संक्षेप में चंद बातें कहूँगा। माननीय मंत्री जी ने बताया कि करीब एक करोड़ लोगों ने इस बिल पर अपनी राय से, उन्हें या जेपीसी को अवगत कराया था। (**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि करीब ढाई करोड़ लोगों ने इस बिल पर मंत्रालय को और जेपीसी को अपनी राय दी थी और दूसरी जगह उन्होंने अपने प्रतिवेदन भेजे थे। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब वे जवाब दें, तो कृपया यह आँकड़ा भी बताएँ। भले ही वे उसको एक करोड़ मानें, लेकिन यह बताएँ कि उनमें से कितने लोगों ने बिल के समर्थन में अपनी राय दी थी और कितने लोगों ने इस बिल के प्रावधानों पर ऐतराज किया था। दूसरी बात यह है कि हमारे सभापति जी का बहुत आग्रह रहता है और रोजाना नहीं, तो हर दूसरे, तीसरे दिन तो सभापति जी कहते ही हैं कि free fall of information नहीं होना चाहिए। जो मन में आए, वही लोग कह देते हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं कई दिन से सुन रहा हूँ। कल लोक सभा के अंदर भी और आज राज्य सभा में भी अल्पसंख्यक विभाग के माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं बनती, तो संसद भवन भी वक्फ के कब्जे में आने वाला था। एक और साहब बोल रहे थे, उन्होंने तो कहा कि बद्रीनाथ के मंदिर पर भी वक्फ का कब्जा होने वाला था। मैं यह चाहूँगा कि free fall of information नहीं होना चाहिए। यह नियम मंत्री जी पर भी लागू होना चाहिए और मंत्री जी को इस संबंध में कोई-न-कोई

दस्तावेज देना चाहिए और इसको authentication करना चाहिए कि संसद भवन कैसे वक्फ बोर्ड के कब्जे में आने वाला था। कल लोक सभा में बिल पास हो गया है, तो वे इतना जोश में हैं। वे कहने लगे कि हमने 31 मेंबर की कमेटी बनाई और 2011 में जो कमेटी बनी थी, उसमें 13 ही मेंबर थे। मंत्री जी, आप बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं, आपको थोड़ा-सा फैक्ट बताना चाहिए। वह जेपीसी नहीं थी, बल्कि वह राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी थी और राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी में इतने ही मेंबर होते हैं। आप ऐसे करके दिखा रहे हैं कि हमने 31 मेंबर की कमेटी बनी और इन्होंने 13 मेंबर की बनाई थी। आपकी पार्टी के तीन लोग उस कमेटी के अंदर थे। एक ने भी Note of Dissent नहीं दिया था। मेरे पास पूरी रिपोर्ट रखी है। अगर दिया हो, तो बताइए।

सर, इस नए वक्फ बिल से मुस्लिम समुदाय का विकास होगा, यानी कि आज का जो वक्फ बोर्ड है, वह मुसलमानों के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है। उसे यह समाप्त करने जा रहे हैं।...(**समय की घंटी**)... सर, मैं मुसलमानों के विकास में बस इनकी चिंता बता देता हूँ। एक Pre-Matric Scholarship होती थी, वह बंद हो गई। मौलाना आजाद फेलोशिप होती थी, वह बंद हो गई। The National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI), जो अल्पसंख्यक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया करता था, वह 4 साल से आज तक defunct पड़ा है। National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) किस हाल में है, माननीय मंत्री जी बताएँगे। Maulana Azad Education Foundation कहाँ

विलुप्त हो गया? वह आज मंत्री जी बताएंगे। The National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL) उर्दू के विकास की एक संस्था है। हालाँकि वह मुसलमानों का अकेले सवाल नहीं है, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों को उससे जोड़ा जाता है। 4 साल से उसका गठन नहीं हुआ है। National Commission for Religious and Linguistic Minorities कहां है? उसका कुछ पता नहीं है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसकी क्या स्थिति है? आप बताइए। आपके मंत्रालय की वेबसाइट के पेज दो-दो साल, तीन-तीन साल से अपडेट नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड बिल को लाने से आप मुसलमानों का भला कर देंगे! (7डी/डीएस पर जारी)

DC-DS/7D/11.15

श्री जावेद अली खान (क्रमागत) : यह कहा गया कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या जिस पर विवाद चल रहा है, वह वक्फ में शामिल नहीं होगी और छः महीने के अंदर नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर, छः महीने का समय बहुत कम है। इतनी बड़ी वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र किया गया, मेरे ख्याल से छः महीने में वे रजिस्टर नहीं हो पाएंगी। फिर, बाद में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। ...(**समय की घंटी**)... हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उनमें से 78% सरकारी जमीन पर हैं। जेपीसी के सामने उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना यह पक्ष रखा था। यानी, उत्तर प्रदेश की सरकार

उत्तर प्रदेश के अंदर 78% वक्फ की संपत्तियों को डिस्प्यूटेड बना देगी, तो उत्तर प्रदेश में कितनी वक्फ की संपत्तियाँ बचेंगी? ये उसको संरक्षण देने की बात कह रहे हैं!

सर, आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बात पर बहुत ही जोर दिया जाता है कि वक्फ की जो संपत्ति है, वह बहुत ज्यादा है और उससे आमदनी बहुत कम है। वक्फ की संपत्तियों का ज़रा कैरेक्टर तो देखिए! वक्फ की जितनी जमीनें हैं, उनमें से 60% तो लगभग कब्रिस्तान ही हैं। अब कब्रिस्तान से कौन-सी आमदनी होनी चाहिए थी, जिसे आप अल्पसंख्यकों के कल्याण पर खर्च करेंगे? ...(**समय की घंटी**)... वहां तो सिर्फ कब्र खोदने का एक कारोबार होता है, उस काम में भी आप माहिर हैं। मुसलमान उस काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री जावेद अली खान : सर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी इस वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करती है और हम इसके बारे में कोई भी सकारात्मक राय नहीं रखते। ...(**व्यवधान**)... (समाप्त)

جناب جاوید علی خان (اتر پردیش): سبھاپتی جی چونکہ میرا وقت کم ہے اس لیے میں بہت جلدی جلدی، بہت مختصر چند باتیں کہوں گا۔ ماننی منتری جی نے بتایا کہ قریب ایک کروڑ لوگوں نے اس بل پر اپنی رائے سے، انہیں یا جے پی سی کو اوگت کرایا تھا۔

(شری اُپ سبھا پتی صدر نشین ہوئے)

میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ قریب ڈھائی کروڑ لوگوں نے اس بل پر منترالے کو اور جے پی سی کو اپنی رائے دی تھی اور دوسری جگہ انہوں نے اپنے پرتی ودن

بھیجے تھے۔ میں منتری جی سے یہ نیویدن کرنا چاہوں گا کہ جب وہ جواب دیں تو کرپیہ یہ آنکڑا بھی بتائیں۔ بھلے ہی وہ اس کو ایک کروڑ مانے لیکن یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے بل کے سمرتھن میں اپنی رائے دی تھی اور کتنے لوگوں نے اس بل کے پراؤدھانوں پر اعتراض کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سبھاپتی جی کا بہت آگریہہ رہتا ہے اور روزانہ نہیں تو ہر دوسرے، تیسرے دن تو سبھا پتی جی کہتے ہیں کہ فری فال آف انفارمیشن نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جو کچھ ان کے ذہن میں آئے کہتے ہیں، ایسی صورت حال نہیں ہونی□اہیے۔ میں کئی دنو□ سے یہ سن رہا ہو□۔ کل لوک سبھا میں بھی آج راجیہ سبھا میں بھی محکمہ اقلیتی امور کے وزیر نے کہا کہ سنسد بھون بھی وقف کے قبضہ میں آنے والا□ھا، اگر مودی جی کی سرکار نہ بنتی□و۔ ایک اور صاحب بول رہے □ھے، بدری نا□ھ مندر پر بھی وقف کا قبضہ ہونے والا□ھا۔ میں□اہو□ گا کہ free fall of information نہیں ہونا□اہئے۔ یہ قاعدہ منتری جی پر بھی لاگو ہونا□اہئے اور منتری جی کو□اہئے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی دستاویز فراہم کریں اور اس بات کی□صدیق کرنی □اہیئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس وقف بورڈ کے قبضے میں کیسے آنے والا ہے۔ کل لوک سبھا میں بل پاس ہوا، اس لیے وہ بہت پرجوش ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے 31 ممبران کی کمیٹی بنائی اور 2011 میں بننے والی کمیٹی میں صرف 13 ممبران□ھے۔ منتری جی، آپ بہت ذمہ دار وزیر ہیں، آپ کو کچھ حقائق بتانا□اہیے۔ یہ جے پی سی نہیں□ھی، بلکہ یہ راجیہ سبھا کی سلیکٹ کمیٹی□ھی اور راجیہ سبھا کی سلیکٹ کمیٹی میں□انے ہی ممبر ہو□ے ہیں۔ آپ یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے 31 ممبران کی کمیٹی بنائی اور انہو□ نے 13 ممبران کی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں آپ کی پارٹی کے□ین لوگ□ھے، ایک شخص نے□بھی □تلاف کا نوٹ نہیں دیا۔ میرے پاس مکمل رپورٹ ہے۔ اگر دیا ہو□و بتائیے۔

جنا□، یہ نیا وقف بل مسلم کمیونٹی کی□رقی کا باعث بنے گا، یعنی موجودہ وقف بورڈ مسلمانو□ کی□رقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ اسے □تم کرنے جا رہے ہیں**....(وقت کی گھنٹی)...**جنا□، میں آپ کو مسلمانو□ کی□رقی کے لیے ان کی فکر کے بارے میں بتانا □اہو□ گا۔ پہلے پری میٹرک اسکالرشپ ہوا کر□ی□ھی، بند ہوگئی۔ پہلے مولانا آزاد فیلو شپ□ھی، بند ہوگئی ۔ اقلیتی□علیمی ادارو□ کا قومی کمیشن (NCMEI)، جو اقلیتی ادارو□ کو اقلیتی درجہ دیتا□ھا، 4 سال سے غیر فعال ہے۔ عزت مآ□ وزیر آپ کو قومی اقلیتی□رقی اور مالیا□ی کارپوریشن (NMDFC) کی حالت بتائیں گے۔ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کہا□ غائب؟ منتری جی آج بتایں گے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان (NCPUL) اردو کی□رقی کے لیے ایک□نظیم ہے۔ اگر□ہ یہ اکیلے مسلمانو□ کا سوال نہیں ہے، لیکن زیادہ□ر اسے مسلمانو□ سے جوڑا جا□ا ہے۔ 4 سال سے اس کی □شکیل نہیں ہوئی۔ کہا□ ہے مذہبی اور لسانی اقلیتو□ کا قومی کمیشن؟ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا اقلیتو□ کی فلاح و بہبود کے لیے نیا

15 نکا□ی پروگرام ہے، اس کی کیا استھتی ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ کی وزارت کی ویب سائٹ کے صفحات دو□ین سال سے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقف بورڈ بل لا کر آپ مسلمانو□ کا بھلا کریں گے!

یہ کہا گیا کہ جو جائیداد متنازعہ ہے یا جس پر□نازعہ □ل رہا ہے وہ وقف میں شامل نہیں ہوگی اور نئے پورٹل پر □ھ ماہ کے اندر اندراج کرانا ہوگا۔ جنا□ □ھ مہینے بہت کم وقت ہے۔ ایسی بڑی وقف کی ججائیدادیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ میرے□یال میں وہ □ھ ماہ کے اندر اندر رجسٹر نہیں ہو سکیں گی۔ بعد میں متنازعہ جائیداد□و بالکل نہیں ہوپائیں گی۔ **...(وقت کی گھنٹی)...** ہماری□ر پردیش حکومت کا کہنا ہے کہ□ر پردیش

میں 78فیصد وقف املاک سرکاری زمین پر ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے جے پی سی کے سامنے یہ رخ پیش کیا تھا۔ یعنی اگر اتر پردیش کی حکومت اتر پردیش میں 78فیصد وقف املاک کو متنازعہ بنا دیگی تو اتر پردیش میں کتنی وقف جائیدادیں بچیں گے؟ وہ اسے تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں!

سر، میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ وقف جائیداد بہت زیادہ ہے اور اس سے آمدنی بہت کم ہے۔ وقف املاک کا ذرا ان کا کریکٹر تو دیکھیئے! تمام وقف اراضی میں سے تقریباً 60 فیصد قبرستان ہیں۔ ان قبرستان سے کیا آمدنی ہونی چاہیے تھی، جو آپ اقلیتوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے ...(وقت کی گھنٹی)... وہاں تو صرف قبریں کھودنے کا کام ہے، اس کام میں بھی آپ ماہر ہیں۔ مسلمان یہ کام اتنی طرح نہیں کر سکتے۔

جناب اُپ سبھاپتی: شکریہ۔ پلیز کنکلوڈ۔

جناب جاوید علی خان: جناب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری پارٹی اس وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتی ہے اور ہم اس کے بارے میں کوئی بھی سکارات مک رائے نہیں ہے۔ ...(مداخلت)...

(تم شد)

श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्री रामदास अठावले।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Mr. Deputy Chairman, Sir,

"इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्फ बिल पर बात,
मैं दे रहा हूँ मोदी जी का साथ,
इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ।

मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं,
लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं।
मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं।"

नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। उपसभापति महोदय, यह सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है। यह बिल असंवैधानिक नहीं है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस पार्टी से मैं आता हूँ। मेरी पार्टी Republican Party of India (RPI) है और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ, एनडीए के साथ है। मुसलमानों पर आज तक अन्याय होता रहा। कांग्रेस पार्टी divide and rule की पॉलिसी पर चलने का काम करती रही और मुसलमानों को, दलितों को न्याय नहीं मिला। आज जो यह बिल आया है, इसको हमारे किरेन रिजिजु जी लेकर आए हैं, जो tribal community के Buddhist हैं, minority के हैं। मैं बताना चाहता हूँ:

"हम किसी की भी नहीं जाएंगे शरण,
क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं रिजिजु किरेन।
वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण,
लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण।
नरेन्द्र मोदी जी हैं मुसलमानों के सबसे वाली,
खरगे साहब, बजाओ जोरदार ताली।
मत दो रोज मोदी साहब को गाली,
नहीं तो कुर्सी करो खाली।
विरोधी दलों की रात हो रही है काली,
नड्डा साहब, बजाओ तुम भी ताली। "

(7ई/एमजैड पर जारी)

MZ-DPS/11.20/7E

श्री रामदास अठावले (**क्रमागत**) **:** यह जो बिल है, यह बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। यह बिल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध समाज के लोगों को जोड़ने वाला बिल है। यह जो बिल है, यह असंवैधानिक नहीं है, जिस तरह आप बता रहे हैं, खरगे साहब। संविधान बाबा साहेब ने लिखा है, आप भी बाबा साहेब के अनुयायी हैं, मैं भी अनुयायी हूं।

खरगे साहब, आप जिस कांग्रेस पार्टी में हैं, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था, तब इन्होंने नहीं बनाया था। मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, लेकिन आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। ...(**समय की घंटी**)... मैं आया, लेकिन आप नहीं आए। यहां मंत्री पद का विषय नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी दलितों की बात तो करती है, लेकिन केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह मोदी साहब निर्णय लेते हैं, सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन करने का काम किया है। आप लोगों ने मुसलमानों के विरोधी होने का प्रचार करके लोकसभा में वोट लिया, लेकिन अब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। यह बिल पास होने के बाद सारे मुसलमान हमारे साथ आएंगे। आपके साथ तो कोई नहीं रहेगा। हमारे साथ मुस्लिम समाज आएगा, दलित समाज आएगा, सिख समाज आएगा, क्रिश्चियन समाज आएगा, ओबीसी समाज आएगा, ब्राह्मण समाज आएगा - सब समाज आएगा।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : उनके पास क्या रहेगा?

श्री रामदास अठावले : उनके पास कुछ नहीं रहेगा। मतलब, उनके पास कुछ न कुछ होना चाहिए। विपक्ष की हमें आवश्यकता है, कुछ वोट उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन अधिकतम वोट हमें मिलेगा और यह बिल पास होने के बाद नरेन्द्र मोदी जी चौथी बार देश के प्रधान मंत्री बनेंगे। नरेन्द्र मोदी जी बनेंगे, तो मैं भी बनूंगा।

कहने का अर्थ यह है कि इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। ...(**समय की घंटी**)... मेरी पार्टी छोटी है, लेकिन यह आगे बड़ी पार्टी हो जाएगी। अभी मैं अकेला मेम्बर हूं, लेकिन मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। यह बिल लोक सभा में पास हुआ है, यह राज्य सभा में भी पास हो जाएगा। हम मुसलमानों का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही कहना था। नमस्कार, प्रणाम।

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्री रामदास अठावले : लेकिन जाते-जाते किरेन रिजिजु जी को मेरा कहना है कि बोधगया में जो हमारा महाबोधि महाविहार है, वह बौद्ध समाज का है। वहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां लगातार 50 दिनों से आंदोलन चल रहा है। वहां का जो ट्रस्ट है, वह 1949 के कानून के तहत चार हिंदू और चार बौद्ध सदस्यों का है। बौद्ध समाज की मांग है कि सभी सदस्य बौद्ध समुदाय से होने चाहिए। इतना ही मैं बताना चाहता हूं, और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(समाप्त)

श्री उपसभापति : धन्यवाद, श्री गुलाम अली जी।

श्री गुलाम अली (नामनिर्देशित) **:** शुक्रिया, डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आज इस मोअज़्ज़ज़ एवाने-बाला में वक्फ (अमेंडमेंट) बिल, 2025 की हिमायत में खड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ इस बिल की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि एक कदीम अमानत को उसकी असल रूह के साथ दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ।

वक़्फ़ इस्लाम में सिर्फ एक कानूनी रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल मुहायदा है अल्लाह से - उसके बंदों की भलाई के लिए। कुरान के चौथे पारे में कहा गया है, "लन तनालुलबिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून" (तुम नेकी के बुलंद दर्जे को तब तक नहीं पा सकते, जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ों में से खर्च न करो।) यही वह रूह है जिस पर वक़्फ़ क़ायम होता है। लेकिन जब यह रूह ज़वाल का शिकार हो जाए, जब वक्फ अल्लाह के लिए किया जाए, लेकिन फायदा किसी सियासी ख़ानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानत किसी पार्टी की नज़र हो जाएं, तब वक़्फ़ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज़ बन जाता है।

हज़रत उमर (रज़ि.अल्लाहु अन्हु) के दौर से वक़्फ़ की शुरुआत हुई है। सभी लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ डेटा दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा

(7F/DN पर जारी)

PK-DN/7F/11.25

श्री गुलाम अली (क्रमागत) : यहां मदीना में रूमक, which was bought and dedicated by Usman Ibn Affan for public use. प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं और फ़ेमस हदीस हैं, "When a man dies, his deeds come to an end except for three things, charity मतलब तालाब बनवाना, सराय, कुआं आदि, दूसरा; बैनिफिशियिल नॉलेज, जिस इल्म से यूनिवर्स को पढ़ा जाए और कुदरत की नियामतों को अंडरस्टैंड करके इन्सान के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस बैनिफिशियल नॉलेज को हासिल करना और अच्छे बच्चे अगर हों, who pray for him, यह सही मुस्लिम की हदीस है। अगर हमारा दौर देखा जाए, हमने इसको कहां ले लिया, बहुत सारे बिल मार्डन इंडिया में सल्तनत-ए-उस्मानिया में बहुत सारे reform आए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो वक्फ है, वक्फ एक बीमार जानवर की तरह है, वह बीमार जानवर, जिसकी जेब में litigation लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जिस वक्फ में मुलाजिमों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन सर, मैं असम में गया, वहां कहते हैं कि मुसलमानों की बहुत ज्यादा population है। वहां कौन सत्ता में रहा हैं? वहां 11 मुलाजिम हैं, वे तनख्वाह किससे लेते हैं, वे सरकार से पैसा लेते हैं। दफ्तर किसका है, वक्फ औकाफ का है और वह रेंटिड बिल्डिंग पर चलता है। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम वक्फ के लिए इतने बिल लाए, हम बढ़िया वाले बिल लेकर आए, हम वह लाये, हम फलाना बिल लाये, लेकिन

ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं खुश-किस्मती से जेपीसी का मेम्बर था। वहां पर मैंने अपोजिशन को सुना, सत्ता पक्ष के मेम्बर्स को सुना, स्टेक होल्डर्स को सुना। बहुत सारे ऑनरेबल मेम्बर्स बोले कि फलां को नहीं सुना, वहां जजेज को सुना, वहां उलेमाओं को सुना, जमियत ए उलेमा को सुना, स्टेट बोड्र्स को सुना, मौलवी को सुना, तमाम ऑर्गनाइजेशन्स को सुना, साउथ में चक्कर लगाया, नॉर्थ-ईस्ट में लगाया, हर जगह चक्कर लगाया। कश्मीर से भी हुर्रियत जमीयत-ए-उलेमा की जो कि एक तंजीम है, उन्होंने भी आकर कहा कि हम Constitution of India पर बिलीव करते हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों की बात नहीं की। उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी सियासी भाषण करा। हमने बोला कि 44 अमेंडमेंट्स हैं, अरे, clause-by-clause discuss करिए, लेकिन कोई बात नहीं करी। हमारे मेम्बर इधर बड़ा गुस्सा कर रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्यों गुस्सा कर रहे थे भाई, आप JPC में चेयरमैन साहब को कितनी बार जाकर appeal की कि जनाब हमें जाना है, जनाब, कमेटी के चेयरमैन ज्यादा देर लगाते हैं। आपने वहां पर हल्ला-गुल्ला करा, आपने unparliamentary language यूज करी, आपने वहां पर बिल्कुल मुसलमान की बात नहीं रखी। आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। क्यों बनते हैं, मुझे नहीं मालूम, क्या आपको खतरा है कि मुसलमान हमें वोट देना छोड़ देगा।

मैं देश के वजीर-ए-आजम को, देश के वजीर-ए-दाखिला को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने एक बीमार जानवर - 1995 का बिल, जो 1995 का एक्ट है, उसको सुधारने का काम किया है। यह वही कानून था, 'जहां बाड़ ही खेत को खा रही थी।'

(एलपी/7जी पर जारी)

LP-PB/11.30/7g

श्री गुलाम अली (**क्रमागत**) : डिप्टी चेयरमैन सर, बाड़ ने ही खेत को खाया – यह बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं देश के वजीरे आज़म से कहूंगा कि 70 सालों में इन्होंने जो वक्फ अमलात तो लूटा है, उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो पाक बात का पता चलेगा कि मुसलमान के हित में कौन है? उनके हित में असल में कौन है और नकल में कौन है? ऐसा करने से ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब बारी यहाँ तक आ गई है कि आप मुसलमानों को डराते हैं। आप उन्हें मेनस्ट्रीम से जुड़ने दीजिए। अभी हमारे एक ऑनरेबल मेम्बर कह रहे थे, वे बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वे जब भी मिलते हैं, मैं हमेशा उन्हें इज्जत की नज़र से सलाम करता हूं। अभी हमारे एक फाजिल दोस्त बोल रहे थे कि मुसलमानों को माफिया से जोड़ा, मुसलमानों को डॉन से जोड़ा, मुसलमानों को बेकवर्डनेस से जोड़ा, मुसलमानों को अनपढ़ता से जोड़ा और अब 90 के बाद मुसलमानों को टेररिस्ट से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 70 सालों से सत्ता में कौन था? ...(**व्यवधान**)...आप मेरी बात सुनिए, आपने भारत को तोड़ा, आपने भारत को इसलिए तोड़ा, क्योंकि

आपके ज़ेहन में, आपके डीएनए में मुसलमान के लिए मुहब्बत कहाँ से आ गई? अगर मुहब्बत होती, तो आप उस वक्त मुल्क को नहीं बाँटते। आपने बाद में उन्हें स्टीरियोटाइप बताया, उन्हें डराया, उन्हें मेनस्ट्रीम से डिरेल किया।

महोदय, देश की आज़ादी के लिए उनके सेक्रेफाइसेस थे, लेकिन आपने चौक-चौराहे में उनके डिस्कशन को बंद किया। यह सब कुछ आपने किया, इसलिए आप ही इसका हिसाब देंगे। आज दुनिया 'हम' में है, भारतीय जनता पार्टी 'हम' में आ चुकी है। महोदय, 'मैं' और 'हम' में फर्क है, 1,000 साल लगते हैं, आप सब्र कीजिएगा।

मैं कल लोक सभा की डिबेट सुन रहा था। एक बहुत सीनियर मेम्बर हैं, उन्हें मुसलमानों ने बहुत वोट दिए हैं और मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजा है। वहाँ भी भेजा है, यहाँ भी भेजा है, लेकिन आप यह देखिए कि उन्होंने अपनी स्पीच में 80-90 परसेंट मुसलमान की वक्फ में तरमीम की कोई बात नहीं की। वे हँसे, उन्होंने नोटबंदी की बात की, किसान की इधर-उधर की बात की, लेकिन उनके पास मुसलमान की बात कहने का टाइम नहीं था। महोदय, इससे उनकी नीयत जाहिर होती है कि उन्होंने वोट ले लिए, मुसलमानों ने उन्हें यहाँ भेज दिया, लेकिन उनकी बात नहीं की।

महोदय, एक और बड़ी रीजनल पार्टी है, वह कांग्रेस से निकली है। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जो हिंदू हैं, वे इंग्लिश कानून को मानते हैं और मुस्लिम प्रोफेट्स सेलुलो को। भारत के मुसलमान के लिए आप इतनी * रच रहे हैं। उन्होंने क्या बोला?

मुसलमान जिस देश में रहता है, उसमें हिब्बुल वतनी, निस्फुल ईमान को मानता है, वह उस देश से मुहब्बत करता है, मुसलमान कभी * नहीं करता।

महोदय, मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रखना चाहूंगा। आज हम मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन वर्किंग कमेटी में हम मुसलमानों के वेलफेयर के डिस्कशन को एफोर्ड नहीं कर सकते। कांग्रेस क्यों नहीं एफोर्ड कर सकती? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप नरेन्द्र मोदी जी से सीखिए। वे हैदराबाद में अपनी वर्किंग कमेटी में बोलते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है? अगर मुसलमान स्टार्ट-अप, स्टैंड-अप के ज़रिये विकसित भारत में मोदी जी का साथ देना चाहता है, दुनिया की सबसे अज़ीम ताकत बनना चाहता है, तो आप उसे क्यों बैकवर्ड रखना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं है कि आप उस पर यह जुल्म क्यों करते हैं? मुझे मालूम है कि आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि आप 'मैं' में रहते हैं, लेकिन यदि 'हम' में आएंगे, तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। मेरे एक दोस्त सुबह बोल रहे थे, आप कांग्रेस से हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन सुनिए कि क्या बोलते हैं?

(PRB/7H पर जारी)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

HK-PRB/7H/11.35

श्री गुलाम अली (**क्रमागत**) : परसेप्शन में कहां है, परसेप्शन नेरेटिव में कहां है, पर्सनल लॉ के साथ प्रैक्टिस में कहां है? प्रैक्टिस में कहां है - बीएनएस के साथ और बोर्ड के लिए क्या बोलते हैं कि हम यूसीसी के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेम्बर कहता है कि सभी बोड्र्स को बराबर कर दो। इसका मतलब यूसीसी! आप नेरेटिव कहते हैं कि हम मुसलमानों का पर्सनल लॉ है और आप वहां भी खड़े हैं। प्रैक्टिस में आप बीएनएस को एन्जॉय करते हैं। चोरी करने पर हाथ नहीं कटते हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाएंगे, तो चोरी करने पर हाथ कटेंगे। एडल्टरी पर 100 कोड़े बरसाए जाएंगे। आप एन्जॉय करते हो बीएनएस और बात करते हो कि पर्सनल लॉ होना चाहिए! अगर कोई शादीशुदा एडल्टरी करेगा, तो चौक में पत्थर से मारते हैं। **...(व्यवधान)...** आपने तीनों बातें कही हैं, यह रिकॉर्ड में है। मैं कोई अपने आप नहीं कह रहा हूं। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए।

अभी केरल की बात हुई। केरल के लिए कांग्रेस और टीएमसी दोनों कह रहे हैं कि जो जिनके पास वह प्रॉपर्टी है, हम दे देंगे। क्या यह आप 1995 एक्ट के तहत देंगे या 2025 एक्ट के तहत देंगे? यह आप सदन को बताइए कि आप उस प्रॉपर्टी को कैसे दे सकते हैं? एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह एंटी फेडरल है। 1995 का एक्ट आपने बनाया है। क्या वह एंटी फेडरल नहीं है? आपने नेशनल काउंसिल बनाई, वक्फ बनाया, वह सब ठीक है। डिप्टी चेयरमैन साहब, प्रैक्टिसिंग मुसलमान पर बहुत बात हुई। इस्लाम को समझने के लिए एक बातिन और एक जाहिरी इबादत होती है। आप एक साइड बोलते हैं

कि वक्फ में इस्लाम को समझने वाला होना चाहिए। आपका दबाव हमारे ऊपर है कि इस्लाम को समझने वाला होना चाहिए। जब हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर लेजिस्लेशन लेकर आते हैं कि उसको प्रैक्टिसिंग ...(**व्यवधान**)... एक साइड आप बोलते हैं कि उसको इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी साइड हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान रखते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप कहते हैं कि पाकी को वह कैसे समझेगा? वह वक्फ की पवित्रता को कैसे समझेगा? चेयरमैन साहब, इनकी समझ में कैसे आएगा? ...(**व्यवधान**)... यह 'मैं' की दुनिया में रहते हैं, तो ये कैसे समझेंगे? ...(**व्यवधान**)...

جناب غلام علی (نامزد): شکریہ ڈپٹی چیئرمین سر۔ میں آج یہاں اس معزز ایوان میں وقف (ترمیمی) بل 2025 کی □مایت میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نہ صرف ایک بل کی □مایت میں نہیں بلکہ ایک قدیم امانت کو دوبارہ اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

وقف اسلام میں صرف ایک قانونی ریفارم نہیں، بلکہ ایک اپریچول معاہدہ ہے اللہ سے اس کے بندوں کی بھلائی کے لیے۔ قرآن کے چوتھے پارے میں کہا گیا ہے "لن □نالوا البر حتی□نفقوا مما□حبون " (تم نیکی کے بلندٰ درجے کو تب تک نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔) یہی وہ روح ہے جس پر وقف قائم ہوتا ہے۔ جب یہ روح زوال کا شکار ہوجائے، جب وقف اللہ کے لیے کیا جائے لیکن فائدہ کسی سیاسی خاندان کو پہنچے، جب کمیونٹی کی امانتیں کسی سیاسی جماعت کی نظر ہوجائیں، تو وقف بل میں اصلاح ضروری ہو جاتی ہے۔

□ضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے وقف کی شروعات ہوئی۔ سب لوگوں نے اس بارے میں ڈیٹا دیا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔

یہاں مدینہ میں رومک، which was bought and dedicated by Usman Ibn Affan for public use. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی □ادیث ہیں اور مشہور □ادیث ہیں، "When a man dies, his deeds come to an end except for three things, charity مطلب تالاب، سرائے، کنواں وغیرہ کی تعمیر، فائدہ مند نالج، جس علم سے یونیورس کو پڑھا جائےاور قدرت کی نعمتوں انڈراسٹینڈ کرکے انسان کے لیے، اور جانوروں کے لیے استعمال کیا جائے، اس فائدہ مند نالج کو □اصل کرنا اور اچھے بچے اگر ہوں، جو اس کے لیے دعا کریں، یہ ایک صہ□یح مسلم کی □دیث ہے۔ لیکن ہمارا اگر دور دیکھا جائے تو ہم نے اسے کہاں لے لیا، جدید ہندوستان میں بہت سارے بل، بہت سی اصلا□ات سلطنت عثمانیہ میں آئیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وقف ایک بیمار جانور کی طرح ہے، وہ بیمار جانور جس کی جیب میں litigation لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جس وقف کے پاس ملازمین کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں۔

ڈپٹی چیئرمین سر، میں آسام گیا، وہاں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کون اقتدار میں رہا ہے؟ وہاں 11 ملازمین ہیں، وہ کس سے تنخواہ لیتے ہیں، □کومت سے۔ دفتر کس کا ہے؟ وقف اوقاف کا ہے اور یہ کرائے کی عمارت میں چلتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کریں۔ ہم وقف کے اتنے بل لائے، اچھے بل لائے، ہم وہ لائے، فلاں فلاں بل لائے، لیکن یہ سب باتیں بے کار ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں خوش قسمتی سے جے پی سی کا ممبر تھا۔ وہاں جب میں نے اپوزیشن کی

بات سنی، □کمران جماعت کے ارکان کی بات سنی اور اسٹیک ہولڈرز کی بات سنی۔ بہت سے معزز ممبران نے کہا کہ انہوں نے فلاں فلاں کو نہیں سنا، انہوں نے وہاں کے ججوں کو سنا، وہاں علماء کو سنا، انہوں نے جمعیت علماء کو سنا، انہوں نے ریاستی بورڈ کو سنا، انہوں نے مولویوں کو سنا، انہوں نے اماموں کی تنظیموں کو سنا، انہوں نے جنوب، شمال مشرق کا دورہ کیا، انہوں نے ہر جگہ کا دورہ کیا۔ کشمیر کی ایک تنظیم □ریت جمعیت علمائے نے بھی آکر کہا کہ وہ ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بات نہیں کی۔ انہوں نے بھی کیا کہا، سیاسی تقریر کی۔ ہم نے کہا کہ 44 ترامیم ہیں، شق بہ شق بحث کریں، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے ممبران

یہاں بہت غصہ کر رہے تھے ادھر، بہت غصے میں تھے، کیوں غصہ کر رہے تھے بھائی، آپ جے پی سی میں کتنی بار چیئرمین کے پاس گئے اور اپیل کی کہ جناب ہمیں جانا ہے، جناب، کمیٹی کے چیئرمین زیادہ دیر لگاتے ہیں۔ آپ نے وہاں ہنگامہ برپا کیا، آپ نے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، آپ نے وہاں مسلمانوں کی بات بالکل نہیں رکھی۔ آپ مسلمانوں کے مسیحا بنتے ہیں۔ کیواں بنتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، کیا آپ کو خطرہ ہے کہ مسلمان ہمیں ووٹ دینا چھوڑ دیں گے؟

میں ملک کے وزیر اعظم، ملک کے وزیر داخلہ کو مبارکباد دونگا، جنہوں نے ایک بیمار جانور - 1995 کا بل جو کہ 1995 کا ایکٹ ہے اس کو سدھارنے کا کام کیا

ہے۔ یہ وہی قانون تھا، 'جہاں باڑ ہی کھیت کو کھا رہی تھی۔'

ڈپٹی چیئرمین سر، باڑ نے ہی کھیت کو کھایا۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے۔ میں ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 70 سالوں

میں جو وقف اثاثے لوٹے ہیں ان کی سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر سی بی آئی انکوائری ہوتی ہے تو □قیقت سامنے آجائے گی کہ مسلمانوں کے مفاد میں کون ہے

اصل میں کون ہے اور نقل میں کون ہے؟ ایسا کرنے سے آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اب باری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ آپ انہیں مین اسٹریم سے جڑنے دیجئے۔ ابھی ہمارے ایک معزز ممبر کہہ رہے تھے، وہ بہت سینئر ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ جب بھی ملتے ہیں، میں ہمیشہ انہیں عزت کی نظر سے سلام کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے ایک فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مافیا سے جوڑا، مسلمان کو ڈان سےجوڑا، مسلمانوں کو پسماندگی سے جوڑا، مسلمان کو ناخواندگی سے جوڑا اور اب 90 کے بعد مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں، 70 سال سے کس کی □کومت تھی؟ **...(مداخلت)...** میری بات سئیے، آپ نے بھارت کو توڑا، آپ نے بھارت کو اس لیئے توڑا کیونکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے ڈی این اے میں مسلمانوں کے لیے م□بت کہاں سے آگئی؟ اگر م□بت ہوتی تو آپ اس وقت ملک کو تقسیم نہ کرتے۔ آپ نے بعد میں انہیں اسٹیریوٹائپ بتایا، انہیں ڈرایا، انہیں قومی دھارے سے ڈریل کیا۔

مہودے، ملک کی آزادی کے لیے ان کے سیکری فائسیز تھے۔ لیکن ان کو آپ نے چوک چوراہے میں ان کے ڈسکشن کو بند کیا۔ آپ نے یہ سب کیا، اس لیے آپ ہی اس کا □ساب دیں گے۔ آج دنیا 'ہم' میں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی 'ہم' میں آچکی ہے۔ مہودے، 'میں' اور 'ہم' میں فرق ہے، ایک ہزار سال لگتے ہیں، آپ صبر کیجیئے گا۔

میں کل لوک سبھا کی ب□ث سن رہا تھا۔ ایک بہت سینئر رکن ہیں، مسلمانوں نے انہیں بہت زیادہ ووٹ دے کر ممبر پارلیمنٹ بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے وہاں بھی بھیجا ہے اور یہاں بھی، لیکن آپ نے دیکھیئے انہوں نے اپنی تقریر میں 80-90 فیصد مسلمانوں کے وقف میں ترمیم کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہنسے، اس نے نوٹ بندی کی بات کی، کسان اور ادھر ادھر کی بات کی، لیکن اس کے پاس مسلمانوں کے بارے میں

بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ مہودے، اس سے ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے ووٹ لیے، مسلمانوں نے انہیں یہاں بھیجا، لیکن ان کی بات نہیں کی۔

مہودے، ایک اور بڑی علاقائی پارٹی ہے، کانگریس سے نکلی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہندو ہیں، وہ انگریزی قانون کو مانتے ہیں اور مسلمان نبیؐ کو۔ بھارت کے مسلمانوں کے خلاف آپ سازشکر رچ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا بولا؟ مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس میں □ب الوطنی اور نصف الایمان کو مانتا ہے۔ وہ اس ملک سے م□بت کرتا ہے۔ مسلمان کبھی غداری نہیں کرتا۔

مہودے، میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کے ووٹ تو لیتے ہیں لیکن ورکنگ کمیٹی میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر ب□ث کے مت□مل نہیں ہو سکتے۔ کانگریس اس کی مت□مل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نریندر مودی جی سے سیکھیں۔ انہوں نے □یدرآباد میں اپنی ورکنگ کمیٹی میں کہا کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر مسلمان سٹارٹ اپ اور اسٹینڈ اپ کے ذریعے وِکست بھارت میں مودی جی کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور دنیا کی سب سے عظیم طاقت بننا چاہتا ہے تو آپ اسے پسماندہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ پتا نہیں آپ اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بات پسند نہیں آئے گی، میں یہ جانتا ہوں کیونکہ آپ 'میں' میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ 'ہم' کی طرف آئیں گے تو آپ میری بات سمجھ جائیں گے۔ صبح میرے ایک دوست بول رہے تھے، آپ کانگریس سے ہیں، آپ بڑے دانشور ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں سنیں؟

پرسیپشن میں کہاں ہے، پرسیپشن نیریٹیو میں کہاں ہے، پرسنل لاء کے ساتھ پریکٹس میں کہاں ہے؟ پریکٹس میں کہاں ہے – بی این ایس کے ساتھ اور بورڈ کے لیے کیا بولتے ہیں کہ ہم یو سی سی کے لیے تیار ہیں۔ کانگریس کو یہ فیصلہ کرنا

ہوگا کہ آپ کا ممبر کہتا ہے کہ تمام بورڈز کو برابر کردو۔ اس کا مطلب ہے یوسی سی! آپ بیانیہ میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا پرسنل لاء ہے اور آپ وہاں بھی کھڑے ہیں۔ پریکٹس میں آپ بی این ایس کو انجوائے کرتے ہیں۔ چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹتے ہیں۔ اگر مسلم پرسنل لا لگاتے ہیں تو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایڈلٹری پر100 کوڑے برسائے جائیں گے۔ آپ بی این ایس کو اینجوائے کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پرسنل لاء ہونا چاہیے! اگر کوئی شادی شدہ ایڈلٹری کرے گا تو اسے چوک میں سنگسار کیا جاتا ہے۔ **...(مداخلت)...** آپ نے تینوں باتیں کہی ہیں، یہ ریکارڈ پر ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ریکارڈ چیک کرکرلیجئے۔

ابھی کیرالہ کی بات ہوئی۔ کیرالہ کے لیے، کانگریس اور ٹی ایم سی دونوں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس پراپرٹی کا مالک ہے ہم اسے دے دیں گے۔ کیا آپ اسے 1995 کے ایکٹ کے تحت دیں گے یا 2025 کے ایکٹ کے تحت دیں گے؟ آپ اس ایوان کو بتائیں، آپ کیسے اس پراپرٹی کو دے سکتے ہیں؟ ایک معزز رکن بول رہے تھے کہ یہ اینٹی فیڈرل ہے۔ آپ نے 1995 کا ایکٹ بنایا ہے۔ کیا یہ اینٹی فیڈرل نہیں ہے؟ آپ نے نیشنل کونسل بنائی، آپ نے وقف بنایا، وہ سب ٹھیک ہے۔ ڈپٹی چیئرمین صاحب، باعمل مسلمانوں کے بارے میں کافی بحث ہوئی۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک باطنی اور ظاہری عبادت ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وقف میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کو سمجھے۔ آپ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے والا کوئی ہو۔ جب ہمارے اقلیتی وزیر لیجسلیشن لے کر آتے ہیں کہ اس کو پریکٹسنگ**...(مداخلت)...** ایک سائیڈ آپ بولتے ہیں کہ اس کو اسلام کی نالج ہونی چاہئیے اور دوسری سائیڈ ہم پریکٹسنگ مسلمان رکھتے ہیں **...(مداخلت)...** آپ کہت

ہیں کہ پاکی کو وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ وقف کی □رمت کو کیسے سمجھے گا؟ چیئرمین صا□ب، ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ **...(مداخلت)...**یہ 'میں' کی دنیا میں رہتے ہیں تو یہ کیسے سمجھیں گے؟ **...(مداخلت)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, please take your seat. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS : *

श्री गुलाम अली : ये कलेक्टर की बात करते हैं। ...(**व्यवधान**)... ये इतना क्लेक्टर-क्लेक्टर करते हैं। ...(**व्यवधान**)... जो सीनियर अफसर होगा, क्या वह सरकारी अफसर नहीं होगा? ...(**व्यवधान**)... आपकी बात कोई नहीं मानने वाला है और अब आपके चंगुल से माइनॉरिटी निकल जाएगी।

श्री उपसभापति : आप चेयर को देखकर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... Dr. John Brittas, please take your seat. ...(*Interruptions*)... आप चेयर को देखकर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम अली : आप एक ** के तहत ऐसे सेक्शन्स लाए, जिनके लिए वक्फ बदनाम हो, जिसके लिए मुसलमान बदनाम हो, जिसके लिए वक्फ की पवित्रता खत्म हो। हम क्यों बड़े भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे? क्या हम नापाक हैं? ...(**समय की घंटी**)... हम मुसलमान हैं। हम उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। आपने ऐसा सेक्शन ** के तहत डाला। हम किसी

---

* Not recorded.

** Expunged as ordered by the Chair.

की प्रॉपर्टी पर क्यों वक्फ का झंडा गाड़ेंगे? हम अपनी डोनेशन वाली प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देखेंगे। **...(व्यवधान)...** आप सुनिए, थोड़ा सब्र से सुनिए। अब आपके पास मुसलमान नहीं रहने वाला है। वह वक्त चला गया है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : आप चेयर को देखकर संबोधित कीजिए और अपनी बात कन्क्लूड कीजिए।

श्री गुलाम अली : यूनिफाइड वक्फ, नाउम्मीदी **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : आप कन्क्लूड कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री गुलाम अली : डिप्टी चेयरमैन सर, हम नॉर्थ-ईस्ट में गए। वहां ट्राइबल्स ने अपनी जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट दी है। ये क्या बोलते हैं कि मुसलमानों आप ट्राइबल्स की जमीन पर भी जाओ। ट्राइबल्स ने पहले ही हमें नॉर्थ-ईस्ट में गिफ्ट दिया है। **...(व्यवधान)...** आप सुनिए, आपको मालूम नहीं है ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : गुलाम अली जी, आपका समय खत्म हो चुका है। आप कन्क्लूड कीजिए। **...(व्यवधान)...**

(7J/AKG पर आगे)

AKG-KSK/7J/11.40

श्री गुलाम अली : डिप्टी चेयरमैन सर, वाकिफ की मंशा ...(**व्यवधान**)... वाकिफ की मंशा से वक्फ चलता है। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने हजारों properties का title change किया। वाकिफ की मंशा को change करने वाले आप कौन होते हैं? ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : आपका समय खत्म हुआ।

श्री गुलाम अली : आपने 'other religion' की बात की।

श्री उपसभापति : आप conclude करिए।

SHRI GULAM ALI: Sir, I am concluding. सर, अमरनाथ में इन other मुसलमानों के अलावा और कौन आ गया! ...(**व्यवधान**)... सुनिए। ...(**व्यवधान**)... Section 4(3) does not mention that distinguished person in the field of administration, legal affair or financial matter have to be necessarily...(*Interruptions*)... सुनिए, श्री अमरनाथ में ...(**व्यवधान**)... और सुनिए। ...(**व्यवधान**)... सुनिए। ...(**व्यवधान**)... बोध गया में ...(**व्यवधान**)... सुनिए। ...(**व्यवधान**)... This Act provides for the formation of...(*Interruptions*)... मेरी बात सुनिए। क्या बोध गया में बाकी लोग नहीं हैं? ...(**व्यवधान**)... क्या बाकी लोग नहीं हैं?

श्री उपसभापति : गुलाम अली जी, आप conclude करिए। ...(**समय की घंटी**)...

SHRI GULAM ALI: Sir, I am concluding. ...(*Interruptions*)... जब हमने वैष्णो देवी में reform लाया, तो वहाँ के साधु समाज ने बहुत resistance किया। डिप्टी चेयरमैन सर, जब वहाँ Shrine Board बना, तो आज वहाँ यूनिवर्सिटी बनी, आज वहाँ सुविधा है, आज वहाँ कैंसर अस्पताल बना। लेकिन 70 साल में आपका हिसाब हम सीबीआई के जरिए लेंगे। हम हिसाब लेंगे।

सर, ये मुसलमानों के मसीहा बनते हैं! पिछले 30 सालों में 40 हजार से ज्यादा मासूम ...(**समय की घंटी**)... आज इनको **...**

श्री उपसभापति : धन्यवाद। आप conclude करिए। गुलाम अली जी, आप conclude करिए।

SHRI GULAM ALI: Sir, I am concluding**. ...**(*Interruptions*)**...** हमारे लिए बोलते हैं कि बीजेपी ने एमपी नहीं बनाया, बीजेपी एमएलए को टिकट नहीं देती। आप 70 साल सत्ता में रहे, आप State-wise बताइए कि आपने चपरासी कितने मुसलमान बनाए? आपने स्टेट कैडर के कितने मुसलमान बनाए? आपने कितने IAS Officer मुसलमान बनाए? ...(**समय की घंटी**)... आप मेरी बात सुनिए। आप fellowship की बात करते हैं। बजट कम हो गया, इसकी बात करते हैं। आप मुसलमान के विरोधी हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं conclude करूँगा।

आज जरूरत है कि हम इस बिल की हिमायत करें, ताकि वक्फ दोबारा कम्युनिटी की रूहानी और मआशी ताकत बने, ताकि वो मसाजिद, वो मदारिस, वो कब्रिस्तान, वो खस्ताहाल जो properties हैं, उन्हें दोबारा सँवारा जा सके। ...(**समय की घंटी**)...

सर, last में मैं एक शेर से conclude कर रहा हूँ।

"परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है,
जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है।"

शुक्रिया। जय हिन्द! (समाप्त)

یہ کلکٹر کی بات کر تے ہیں۔ **...(مداخلت)...** یہ اتنا کلکٹر-کلکٹر کرتے ہیں۔ **...(مداخلت)...** جو سینئر افسر ہوگا، کیا وہ سرکاری افسر نہیں ہوگا؟ **...(مداخلت)...** کوئی آپ کی بات نہیں ماننے والا ہے اور اب اقلیتیں آپ کے چنگل سے نکل جائیں گی۔

شری اُپ سبھاپتی: آپ چئیر کو دیکھ کر بولیئے **...(مداخلت)...**ڈاکٹر۔ جان برٹاس، براہ کرم اپنی نشست سنبھالیں۔ **...(مداخلت)...** آپ چئیر کو دیکھ کر بولیئے**...(مداخلت)...**

شری غلام علی: آپ نے ایک سازش کے تحت ایسے سیکشن لائے جس کے لیے وقف بدنام ہو، جس سے مسلمان بدنام ہو، جس سے وقف کا تقدس پامال ہوگا۔ ہم کیوں بڑے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کریں گے؟ کیا ہم ناپاک ہیں؟ **...(وقت کی گھنٹی)...** ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس کی جائیداد پر قبضہ نہیں کریں گے۔ آپ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ آپ نے سازش کے تحت ایسی دفعہ ڈالی ہے۔ ہم کسی کی جائیداد پر وقف کا جھنڈا کیوں لہرائیں؟ ہم اپنی عطیہ کردہ جائیداد کا ریکارڈ چیک کریں گے۔ **...(مداخلت)...** آپ سنئیے، ذرا صبر سے سنئیے۔ اب آپ کے پاس مسلمان نہیں رہنے والا ہے ۔ وہ وقت چلا گیا۔ **...(وقت کی گھنٹی)...**

شری اُپ سبھاپتی: آپ چیئر کو دیکھ کر خطاب کیجیئے اور اپنی تقریر ختم کیجیئے۔

شری غلام علی: یونیفائیڈ وقف، ناامیدی**...(مداخلت)...**

شری اُپ سبھاپتی: آپ کنکلوڈ کیجیئے۔ **...(مداخلت)...**

جناب غلام علی: ڈپٹی چیئرمین سر، ہم نارتھ ایسٹ میں گئے۔ وہاں قبائلیوں نے اپنی زمین مسلمانوں کو قبرستان کے لیے تحفے میں دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں، آپ قبائلیوں کی زمین پر جاؤ۔ قبائلی پہلے ہی ہمیں شمال مشرق میں تحفہ دے چکے ہیں۔ **...(مداخلت)...** آپ سنیں، آپ کو معلوم نہیں**...(وقت کی گھنٹی)...**

شری اُپ سبھاپتی: غلام علی جی، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کنکلوڈ کیجیئے۔

...(مداخلت)...

جناب غلام علی: ڈپٹی چئیرمین سر، واقف کی منشا **...(مداخلت)...** واقف کی منشا سے وقف چلتا ہے۔ **...(مداخلت)...** انہوں نے ہزاروں جائیدادوں کا ٹائٹل چینج کیا۔ واقف کی منشا کو چینج کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ **...(وقت کی گھنٹی)...**

شری اُپ سبھاپتی: آپ کا وقت ختم ہوا۔

جناب غلام علی: آپ نے 'other religion' کی بات کی۔

شری اُپ سبھاپتی: آپ کنکلوڈ کرئیے،

جناب غلام علی: سر، آئی ایم کنکلوڈنگ۔ سر امرناتھ میں ان other مسلمانوں کے علاوہ اور کون آگیا **...(مداخلت)...** سنئیے۔ **...(مداخلت)...** Section 4(3) does not mention that distinguished person in the field of administration, legal affair or financial matter have to be necessarily...(*Interruptions*)... سنئیے، شری امرناتھ میں **...(مداخلت)...** اور سنئیے **...(مداخلت)...** This Act provides for the formation of...(*Interruptions*)... میری بات سنیئے۔ کیا بودھ گیا میں باقی لوگ نہیں ہیں؟**...(مداخلت)...**

شری اُپ سبھاپتی: غلام علی جی آپ کنکلوڈ کرئیے۔ **...(وقت کی گھنٹی)...**

جناب غلام علی: سر، آئی ایم کنکلوڈنگ**...(مداخلت)...** جب ہم نے ویشنو دیوی میں ریفارم لایا، تو وہاں کے سادھو سماج نے بہت ریزیسٹینس کیا۔ ڈپٹی چئیرمین سر، جب وہاں شرائن بورڈ بنا، تو آج وہاں یونیورسٹی بنی، آج وہاں سُویدھا ہے، آج وہاں کینسر اسپتال بنا۔ لیکن ستر سال میں آپ کا□ساب ہم سی بی آئی کے ذریعہ لیں گے۔ ہم□ساب لیں گے۔

سر، یہ مسلمانوں کے مسی□ا بنتے ہیں۔ پچھلے تیس سالوں میں چالیس ہزار سے زیادہ معصوم**...(وقت کی گھنٹی)...** آج ان کو...

شری اُپ سبھاپتی: دھنیواد۔ آپ کنکلوڈ کرئیے۔ غلام علی جی، آپ کنکلوڈ کرئیے۔

شری اُپ سبھاپتی: سر، آئی ایم کنکلوڈنگ...**(مداخلت)...** ہمارے لیے بولتے ہیں کہ بی جے پی نے ایم پی نہیں بنایا، بی جے پی ایم ایل اے کو ٹکٹ نہیں دیتی۔ آپ ستر سال ستّہ میں رہے، آپ اسٹیٹ وائیز بتائیے کہ آپ نے چپراسی کتنے مسلمان بنائے؟ آپ نے اسٹیٹ کیڈر کے کتنے مسلمان بنائے؟ آپ نے کتنے آئی اے ایس آفیسر مسلمان بنائے؟**...(وقت کی گھنٹی)...** آپ میری بات سنئے۔ آپ فیلوشپ کی بات کرتے ہیں۔ بجٹ کم ہوگیا، اس کی بات کرتے ہیں۔ آپ مسلمان کے ورودھی ہیں۔**...(وقت کی گھنٹی)...** سر میں کنکلوڈ کرونگا۔

آج ضرورت ہے کہہ ہم اس بل کی □مایت کریں، تاکہ وقف دوبارہ کمیونٹی کی رو□انی اور معاشی طاقت بنے، تاکہ وہ مساجد، وہ مدارس، وہ قبرستان، وہ خستہ □ال جو پراپرٹیز ہیں، انہیں دوبارہ سنوارا جاسکتے۔**...(وقت کی گھنٹی)...**

سر آخر میں میں ایک شعر سے کنکلوڈ کررہا ہوں۔ہ

پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے،
زمین پر بیٹھ کے کیا آسماں دیکھتا ہے۔

شکریہ۔ جے ہند!

(ختم شد)

श्री उपसभापति : धन्यवाद। माननीय प्रमोद जी, आप किस रूल के तहत बोलना चाहते हैं?

श्री प्रमोद तिवारी : डिप्टी चेयरमैन सर, रूल 37. "समय के आवंटन के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक कि सभापति ऐसा न करे, जो राज्य सभा का अभिप्राय मालूम करके यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे परिवर्तन के लिए

सामान्य सहमति है, तो वह ऐसा परिवर्तन कर सकेगा"। मैं सदन को एक अनियमितता से बचाना चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, पर एक अनियमितता हो रही है, मैं उसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप इसे समझने के बाद सहमत हो जाएँगे।

श्रीमन्, सामान्यतः सदन 6 बजे तक चलता है। इस समय 11.44 हो गए। 6 बजे के बाद अगर समय बढ़ाना है, तो सबका अभिप्राय, सबकी राय ली जाएगी। दूसरा, जो BAC थी, जिसमें आप भी थे, हम भी थे, सभी लोग थे, इसमें हमने 8 घंटे आवंटित किए थे। इसलिए एक बजे से 8 घंटे जोड़ लीजिए, 9 बज गए, तो यह दो घंटे 44 मिनट से जो सदन चल रहा है, इसके लिए sanction किसकी है? ...(**व्यवधान**)... आम सहमति होनी चाहिए, करा लीजिए, अन्यथा जितना कुछ आप कर रहे हैं ...

श्री उपसभापति : माननीय प्रमोद जी, हम आपकी बात समझ गए।

(7के/पीएसवी पर आगे)

GSP-PSV/7K/11.45

श्री प्रमोद तिवारी : मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ कि जितनी कार्यवाही 6 बजे के बाद हो रही है, आप इसको बहुत स्ट्रेच करें, तो 1 बजे से लेकर 9 बजे के बाद हो रही है। ...(**व्यवधान**)... आप बैठे रहिए। आप मंत्री हैं, आपको खुद इस बात को उठाना चाहिए था। अगर मैं सदन को एक अनियमितता से बचाना चाहता हूँ, तो आप बिना सोचे-समझे मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यह राज्य सभा है,

Council of States है, आप उच्च सदन समझे जाते हैं और आप अनियमितता

...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय प्रमोद जी, मैंने आपकी बात सुनी।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, Rule 37 has been... ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sukhendu ji, please take your seat. ...(Interruptions)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, Rule 37 has been blatantly violated. ...(Interruptions)... No sense of the House was taken by the Chair. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is as per recommendation of BAC and the hon. Chairman has approved it as required under Rule 37 and it has been made... ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: It was only for eight hours. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already clarified it. Now, Shri Ram Nath Thakur. ...(Interruptions)... मैंने बता दिया। I have already said, Pramod ji. For the benefit of hon. Members, again, I will repeat. It is as per

recommendation of BAC and the hon. Chairman has approved it as required under Rule 37. ...(Interruptions)...

SHRI PRAMOD TIWARI: It was for eight hours. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ram Nath Thakur ji, please speak. ...(Interruptions)... Nothing else will go on record. ...(Interruptions)... आज ये बिजनेस कम्प्लीट होने हैं। ...(**व्यवधान**)... Nothing else is going on record.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : धन्यवाद, उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले ...(**व्यवधान**)... सबसे पहले, किरेन रिजिजु जी ने ...(**व्यवधान**)... अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री किरेन रिजिजु जी ने जो प्रस्ताव रखा है, जो बिल पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हमारे दल के नेता, श्री संजय झा जी ने पूरी बात बताई है। 20 वर्षों में बिहार में नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उसके लिए किसी के सिखाने की बात नहीं आती है। मैं अपने दल की तरफ से और बिहार की तरफ से, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

उपसभापति महोदय, आज मुझे डा. राम मनोहर लोहिया की बात याद आती है। उन्होंने कहा था - छेड़ो तो छोड़ो नहीं और छोड़ो तो छेड़ो नहीं। यह काम छिड़ गया है और जब यह छिड़ गया है, तो अब इसे छोड़ना नहीं है। ...(**व्यवधान**)... इसे छोड़ना नहीं है। अभी 31 मार्च को ईद का त्यौहार हुआ है। मैं और बहुत सारे लोग, जो

पॉलिटिकल आदमी हैं, वो ईदगाह में जाते हैं। ...(**व्यवधान**)... वे ईदगाह में जाते हैं, तो ईद के बाद गले से गले मिलते हैं, लेकिन उनके बगल में जो भिखारी लोग खड़े रहते हैं, जो गरीब मुसलमान लोग खड़े रहते हैं, ईदी के लिए, वह देखने लायक सीन होता है। लोगों ने उसे देखा भी होगा। आप लोग जरा ईद के रोज ईदगाह में जाकर, मुसलमानों, गरीब मुसलमानों की क्या स्थिति है, उनके के बारे में सोचने का काम करें, शोध करें और तब बोलने का काम करें। डा. राम मनोहर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में यह कहा था कि – "संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ें पावें सौ में साठ।" उन पिछड़ों के लिए, आज भारत सरकार के मंत्री ने, नीतीश कुमार जी की सहमति से जो प्रस्ताव पेश किया है, उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों का है।

(7एल/वीएनके पर जारी)

VNK-SK/7L/11.50

श्री राम नाथ ठाकुर (**क्रमागत**) **:** इस प्रस्ताव में क्या है? गरीब मुसलमानों को जो हक नहीं मिलता था, वह हक दिलाने के लिए भारत सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर आप तर्क-वितर्क कर रह हैं, कोई इसको काट रहे हैं, कोई इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति को जाँच नहीं रहे हैं। स्थिति को देखना चाहिए और हम सबों को इस पर ध्यान देकर इस प्रस्ताव को पास कराना चाहिए, इस बिल को पास कराना चाहिए।...(**समय की घंटी**)... मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जब आरक्षण आया था, तब इसी तरह तर्क-वितर्क होते थे और जब आरक्षण आया, तो सब लोग शांत हो गए,

सबने उसकी विशेषता बताने का काम किया। अब तो भागलपुर का दंगा को याद कीजिए।...(**व्यवधान**)... ईमानदारीपूर्वक न्याय किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया। जब नीतीश कुमार ने न्याय दिया, तो हम लोग न्याय के साथ चल रहे हैं।...(**व्यवधान**)... हम 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं और जो अगले महाभारत होने वाले हैं, उसमें आप सीखने का काम कीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मुझे जो समय दिया गया है, उस समय के अनुसार मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जय हिंद, जय भारत। (समाप्त)

श्री उपसभापति : धन्यवाद, डा. फौजिया खान जी।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र) **:** सर, यह बिल दावा कर रहा है कि वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थापन को रिफॉर्म, empower और डेवलप कर रहा है। यह बात ऊपर से तो बहुत सही लगती है, परंतु काश! यह सही होता, ऐसा ही होता, क्योंकि यह हम नहीं कहते हैं कि सुधार की आवश्यकता नहीं है। सुधार की आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र में औक़ाफ़ की मंत्री भी रह चुकी हूँ और वक्फ बोर्ड के मेंबर के तौर भी चार वर्षों से काम कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इन सुधारों के लिए, जिनके लिए मैं चार वर्षों से प्रयत्नशील हूँ, वक्फ बोर्ड को जिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, उसका भी अनुभव मुझे है। वक्फ बोर्ड के सामने जो सबसे बड़े तीन प्रश्न हैं, उनमें एक है encroachment, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है गैर-कानूनी कब्जे। सर, इनसे निपटने के लिए वक्फ बोड्र्स

को सरकार की सहायता की आवश्यकता थी, और है, परंतु बात नीयत की है। अगर सरकार की रिफॉर्म्स की नियत होती, तो इस बिल में वक्फ बोड्र्स को empower करने का प्रयास होता। वक्फ बोड्र्स को गवर्नमेंट के patronization की आवश्यकता थी और है। मजबूतीकरण की आवश्यकता थी और है। रिफॉर्म का एजेंडा होता, तो encroachment हटाने में मदद की बात होती। इसके लिए इस बिल में कठोर-से-कठोर प्रावधान लाए जाते, जो नहीं है। रिफॉर्म का एजेंडा होता, तो सर्वेज़ में सर्वे कमिश्नर्स की मदद की बात होती। रिफॉर्म का एजेंडा होता, तो भ्रष्टाचार पर कठोर-से-कठोर कार्रवाइयों के प्रावधान लाए जाते, जो नहीं है। जमीनों को गैर-कानूनी तरीकों से बेचने या खरीदने या कब्जा करने वालों के विरुद्ध और कठोर प्रावधान लाए होते। यहाँ तो पहले जिसको एक सीरियस क्राइम माना जाता था, उसे भी आप non-cognizable और bailable बना कर प्रावधान लाए हैं।

सर, मुतवल्लियों से वक्फ बोड्र्स को जो शेयर मिलता है, उससे कब्रिस्तानों, मस्जिदों के काम होते हैं, उस शेयरर को भी आपने कम कर दिया है। उसको 7 परसेंट से 5 परसेंट पर ला दिया है। वक्फ बोर्ड की और तो कोई इनकम नहीं होती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। वह इनकम तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ से ही होगी।

(7एम/डीएस पर जारी)

DS-YSR/7M/11.55

डा. फौजिया खान (क्रमागत) : वक्फ बोर्ड तो मस्जिद चलाते हैं, कब्रिस्तान चलाते हैं, आशूरखाने चलाते हैं, दरगाह चलाते हैं, वहां इनकम कहां से होगी? सर, अगर वक्फ बोड्र्स को आप सशक्त करना चाहते थे, तो ऑफिसेज़ की बात होती, institutional support देने की बात होती, स्टाफ देने की बात होती, लेकिन उनकी स्वायत्तता छीने बिना, उनकी autonomy अबाधित रखते हुए अगर आप करते, तो कोई बात थी। अगर आप उनकी autonomy छीनकर कर रहे हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर, अगर मुझे मेरा घर चलाने में कुछ कठिनाई आ रही है, तो आप यह नहीं कह सकते कि मदद के तौर पर हम आकर आपके घर के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि आपको अपने घर चलाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन इस तरह की बात यहां हो रही है। सर, सवाल यह है कि क्या बोड्र्स में non-community members लाए जाने से बोड्र्स empower हो जाएंगे? इस बात का क्या लॉजिक है? सर, आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था ही नहीं है। आपने कहा कि वह धार्मिक संस्था ही नहीं है। क्या मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और आशूरखानों का व्यवस्थापन करने वाले धार्मिक संस्था नहीं हैं? लोगों ने जो वक्फ बोर्ड को जमीनें religious purpose के लिए डोनेट की हैं, वह व्यवस्थापन धार्मिक नहीं है, यह सोच भी कमाल की है। ...(**समय की घंटी**)... सर, आप मुझे बोलने दें। एक तो आपने आखिर में मेरा नाम पुकारा और आप घंटी बजा रहे हैं! प्लीज़, मुझे बोलने दीजिए, सर। यह बात अन्यायकारक है। Please consider it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute, please. मैडम, सूची में आपका नाम जहाँ पर है, मैं वहीं पुकार सकता हूँ और जो समय लिखा है, उसका मैं पालन करता हूँ।

डा. फौजिया खान : सर, मेरा नाम नीचे-नीचे आता गया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*... मैडम, प्लीज़ सीट पर बैठकर न बोलें। सूची में जहाँ पर नाम है, वहीं मैं बुला रहा हूँ। आप conclude करें।

डा. फौजिया खान : सर, आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज़।

श्री उपसभापति : हाँ, आप बोलिए, लेकिन अब conclude कीजिए।

डा. फौजिया खान : सर, मैं पूछती हूँ कि वक्फ जमीनों का सबसे बड़ा encroacher कौन है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा encroacher स्टेट गवर्नमेंट स्वयं है और आपने encroacher को ही फैसला करने का अधिकार दे दिया है। क्या इससे धार्मिक संस्थाओं को न्याय मिल जाएगा? क्या धार्मिक संस्थाएं empower हो जाएंगी? यह मेरा सवाल है। Survey Commissioners को मजबूत बनाने के लिए उनको और रिसोर्सेज़ दिए जाने चाहिए थे, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने का सीधा अधिकार आप सरकार को दे दे रहे हैं! ...(**व्यवधान**)... सर, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक भेड़िया बकरे की खाल ओढ़कर शिकार करता था। मुझे आज वह कहानी याद आ रही है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : अब आप conclude कीजिए।

डा. फौजिया खान : सर, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति : मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन unending time नहीं दे सकता।

डा. फौजिया खान : सर, आप घंटियाँ बजा रहे हैं।

श्री उपसभापति : हाँ, बजाएंगे।

डा. फौजिया खान : सर, यह बिल सुधार नहीं, बल्कि माइनॉरिटीज़ के अधिकारों पर, माइनॉरिटीज़ के संवैधानिक अधिकारों पर खुद एक तरीके का encroachment है। इस बिल में आर्टिकल 14 से 30 तक के हर आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। माइनॉरिटीज़ में केवल मुस्लिम्स नहीं हैं, बल्कि उनमें क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, पारसीज़ हैं। आज मुस्लिम्स की बारी है, कल क्रिश्चियंस की आएगी, परसों बुद्धिस्ट्स की आएगी। सर, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि आप गरीब मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं, यह चर्चा हो रही है। आप यह किस तरह से करेंगे? ...(**समय की घंटी**)... * क्या आप उसी तरह गरीब मुसलमानों का भला करेंगे? आप इसको किस तरह से करेंगे? आप मुसलमानों को इसमें से क्या देंगे? क्या आप इन जमीनों को बड़े-बड़े पूंजीपतियों को देकर उसमें से इनकम निकालेंगे? आज आपके पास बजट है, आप उस बजट में से मुसलमानों का भला कीजिए। यह मेरी आपसे विनती है। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : मैडम, अब आप conclude कीजिए।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

डा. फौजिया खान : सर, यहां एक मुद्दा सुधांशु त्रिवेदी जी ने उपस्थित किया कि एक कम्युनिटी आज माफिया के साथ है, गुनहगारों के साथ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : उस पर आप कह चुकी हैं। अब आप conclude कीजिए।

डा. फौजिया खान : सर, मेरा सवाल यह है कि बिलकिस बानो के बलात्कारियों का साथ कौन दे रहा है? आपके लिए क्या वे फरिश्ते हैं? यह मेरा सवाल है।

आखिर में, मैं एक ही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी कि:

"बहरों की अदालत में, गूंगे की गुहार है,
सजा मिली है उसे, तीर जिसके जिगर के आर-पार है।"

धन्यवाद, सर। (समाप्त)

ڈاکٹر فوزیہ خان (مہاراشٹر): سر، یہ بل دعوی کررہا ہے کہ وقف املاک کے ویوستھاپن کو ریفارم، ایمپاور اور ڈیولپ کررہا ہے۔ یہ بات اوپر سےو بہت صحیح لگتی ہے لیکن کاش یہ صحیح ہوا ایسا ہی ہوا کیونکہ یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ سدھار کی ضرورت نہیں ہے۔ سدھار کی ضرورت ہے بے حد ضرورت ہے میں مہاراشٹر میں اوقاف کی منتری بھی رہکی ہو اور وقف بورڈ کے ممبر کے طور پر بھیار سالو سے کام کر رہی ہو اس لیے میں اپنےجربے سے کہتی ہو کہ سدھار کی ضرورت ہے۔ لیکن ان سدھارو کے لیے جن کے لیے میںار سالو سے پریتن شیل ہو وقت بورڈ کو جن سوالو کا سامنے کرنا پڑا ہے اس کا بھیجربہ مجھے ہے۔وقف بورڈ کے سامنے جو سب سے بڑےین سوال ہیں ان میں ایک ہے انکروٹمنٹ دوسرا ہے بھرشٹا ار اوریسرا ہے غیر قانونی قبضے۔ سر ان سے نپٹنے کے لیے وقف بورڈ کو سرکار کی مدد کی ضرورتھی اور ہے لیکن بات نیت کی ہے۔ اگر سرکار کی ریفارمنس کی نیت ہویو اس بل میں وقف بورڈ کو ایمپاور کرنے کا پریاس ہوا۔وقف بورڈ کو سرکار کے پیٹرونیزیشن کی ضرورتھی اور ہے۔ مضبوطی کرنےکی ضرورتھی اور ہےریفارم کا ایجنڈا ہوا اور انکروٹمنٹ ہٹانے میں

مدد کی بات ہوی اس کے لیے اس بل میں کٹھور سے کٹھور پراؤ دھان لائے جاے جو نہیں ہے۔ ریفارم کا ایجنڈا ہوا ہو سرویز میں سروے کمشنرز کی مدد کی بات ہوی۔ ریفارم کا ایجنڈا ہوا ہو بھرشٹاار پر کٹھور سے کٹھور کاروائیو کے پراودھان لائے جاے جو نہیں ہیں۔ زمینو کو غیر قانونی طریقو سے بیچنے یا ریدنے یا قبضہ کرنے والو کے لاف اور کٹھور پراؤدھان لائے ہوے۔ یہاو پہلے جس کو ایک سیریس کرائم مانا جاا ھا اسے بھی اپ نان کوگنیزیبل اور بیلیبل بنا کر پراؤ دھان لائے ہیں۔

سر متولیو سے وقت بورڈز کو جو شیئر ملتا ہے اس سے قبرستان و مسجدو کے کام ہوے ہیں اس شیئر کو بھی آپ نے کم کر دیا ہے۔ اس کو سات پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ پر لا دیا ہے وقت بورڈ کی اورو کوئی انکم نہیں ہوی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انکمو کمرشل ایکٹیوٹیز سے ہی ہوگی۔

وقت بورڈو مسجد لاے ہیں، قبرستان لاے ہیں، عاشور انے لاے ہیں، درگاہ لاے ہیں، وہا انکم کہا سے ہوگی؟ سر اگر وقت بورڈ کو اپ سشکت کرنا اہتے ھےو افسز کی بات ہوی، انسٹیٹیوشنل سپورٹ دینے کی بات ہوی، اسٹاف دینے کی بات ہوی، لیکن ان کی سوایتہ ھینے بنا ان کی اٹونومی ابادھیت رکھتے ہوئے اگر اپ کرےو کوئی بات ھی۔ اگر اپ ان کی اٹونومی ھین کر رہے ہیںو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سر اگر مجھے میرا گھر لانے میں کچھ دشواری ارہی ہےو اپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدد کے طور پر ہم ا کر اپ کے گھر کے مالک بن جاے ہیں، کیونکہ اپ کو اپنے گھر لانے میں دشواری ہو رہی ہے لیکن اس طرح کی بات یہا ہو رہی ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ کیا بورڈز میں نان کمیونٹی ممبرز لائے جانے سے بورڈ ایپاور ہو جائیں گے۔ اس بات کا کیا لوجک ہے؟ سر اپ کہتے ہیں کہ بورڈ دھارمک سنستھا ہی نہیں ہے۔ اپ نے کہا کہ یہ وہ دھارمک سنستھا ہی نہیں ہے۔ کیا مسجدو درگاہو قبرستانو اور عاشور انو کا ویوستھاپن کرنے والے دھارمک سنستھا نہیں ہیں؟ لوگو نے جو وقف بورڈ کو زمین ریلیجس پرپز کے لیے ڈونیٹ کی ہیں وہ ویوستھاپن دھارمک نہیں ہے یہ سوچ بھی کمال کی ہے۔ ---(**وقت کی**

گھنٹی)--- سر آپ مجھے بولنے دیں ایک□و آپ نے آ□ر میں میرا نام پکارا اور آپ گھنٹی بجا رہے ہیں۔ پلیز مجھے بولنے دیجئے سر۔ یہ بات انیائےکارک ہے۔ پلیز کنسیڈر اِٹ۔

شری اُپ سبھاپتی: پلیز کنکلوڈ **..(مداخلت)**--- میڈم پلیز، سیٹ پر بیٹھ کر نہ بولیں۔ لسٹ میں جہا□ پر نام ہے وہیں میں بلا رہا ہو□۔ آپ کنکلوڈ کریں۔

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر آپ مجھے بولنے دیجیے پلیز۔

شری اُپ سبھاپتی: ہا□ آپ بولیے لیکن ا□ کنکلوڈ کیجئے۔

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر، میں پو□ھتی ہو□ کہ زمینو□ کا سب سے بڑا انکرو□ر کون ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق وقت بورڈ کا سب سے بڑا انکرو□ر اسٹیٹ گورنمنٹ □ود ہے اور آپ نے انکرو□ر کو ہی فیصلہ کرنے کا ادھیکار دے دیا ہے۔ کیا اس سے دھارمک سنستھاؤ□ کو نیائے مل جائے گا؟ کیا دھارمک سستھائیں ایمپاور ہو جائیں گی؟ یہ میرا سوال ہے۔ سروے کمیشن کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو اور ریسورسز دیے جانے □اہیے□ھے لیکن وقف پراپرٹیز کو کنٹرول کرنے کا سیدھا ادھیکار آپ سرکار کو دے رہے ہیں، مدا□لت۔۔ سر میں نے بچپن میں ایک کہانی سنی□ھی کہ ایک بھیڑیا بکرے کی کھال اوڑھ کر شکار کر□ا□ھا مجھے آج وہ کہانی یاد آرہی ہے---**(وقت کی گھنٹی)**---

شری اُپ سبھاپتی: ا□ آپ کنکلوڈ کیجئے۔

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر، پلیز مجھے بولنے دیجیے۔

شری اُپ سبھاپتی: میں آپ کو بولنے دے رہا ہو□، لیکن اَن اینڈنگ ٹائم نہیں دے سکتا۔

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر، آپ گھنٹیا□ بجارہے ہیں۔

شری اُپ سبھاپتی: ہا□ بجائیں گے۔

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر، یہ بل سدھار نہیں بلکہ اقلیتو□ کے حقوق پر اقلیتو□ کے آئینی حقوق پر □ود ایک طریقے کا انکرو□منٹ ہے۔ اس بل میں آرٹیکل 14 سے 30□ک کے ہر آرٹیکل کی □لاف

ورزی ہو رہی ہے۔ اقلیتو□ میں صرف مسلم نہیں ہیں بلکہ ان میں کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، بدھشٹ ہیں، پارسیز ہیں۔ آج مسلم کی باری ہے کل کرسچنز کی آئے گی، پرسو□ بدھشت کی آئے گی۔ سر میں یہ پو□ھنا □اہتی ہو□ کہ آپ غریب مسلمانو□ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں یہ □ر□ا ہو رہی ہے آپ یہ کس طرح سے کریں گے ---(**وقت کی گھنٹی**)--- * کیا آپ اسی طرح غریب مسلمانو□ کا بھلا کریں گے؟ آپ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ آپ مسلمانو□ کو اس میں سے کیا دیں گے کہ آپ ان زمینو□ کو بڑے بڑے پونجی پتیو□ کو دے کر اس میں سے انکم نکالیں گے؟ آج آپ کے پاس بجٹ ہے آپ اس بجٹ میں سے مسلمانو□ کا بھلا کیجئے یہ میری آپ سے گزارش ہے ---(**وقت کی گھنٹی**)---

شری اُپ سبھاپتی: میڈم ا□ آپ کنکلوڈ کیجئے۔

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر، یہا□ ایک مدعہ سدھانشو□ریویدی جی نے اُپستھت کیا کہ ایک کمیونٹی آج مافیا کے سا□ھ ہے، گناہگارو□ کے سا□ھ ہے۔**--(مداخلت)**---

شری اُپ سبھاپتی: اس پر آپ کہہ چکی ہیں۔ ا□ آپ کنکلوڈ کیجئے۔

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر، میرا سوال یہ ہے کہ بلقیس بانو کے بلا□کاریو□ کا سا□ھ کون دے رہا ہے؟ آپ کے لیے کیا وہ فرشتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔

آ□ر میں میں ایک ہی بات کہتے ہوئے اپنی وانی کو وِرام دونگی کہہ

بہرو□ کی عدالت میں، گونگے کی گہار ہے،

سزا ملی ہے اسے□یر جس کے جگر کے آر پار ہے۔

شکریہ، (□تم شد)

(7एन/एमजैड पर आगे)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

VKK-MZ/7N/12.00

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri George Kurian. ...(*Interruptions*)... Yes, Shri Sukhendu Sekhar Ray!

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, my point of order is under Rule 29(1). It says that a List of Business for the day shall be prepared by the Secretary-General, etc. Now, the List of Business for 3rd April was prepared by the Secretary-General; then, a Revised List of Business; thereafter, a Supplementary List of Business. All were dated 3rd April. We are now on 4th April; there is no List of Business for 4th April.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Sukhendu Sekhar Ray. माननीय सदस्यगण, hon. Chairman ने जो निर्देश दिया था, बीएसी में जो पढ़ा गया था, वह मैं already बता चुका हूं। Again, I will refer to a different thing. This is 'Rajya Sabha At Work'. It is very clearly mentioned, as already stated, a sitting of the House concludes at such time as the Chairman may direct. Without going into detail, again, I will read a quote. It says, "Sitting of the Council shall conclude at such hour as the Chairman may direct". I have conducted the proceedings and the proceedings are continuing uninterrupted till this

Bill is concluded. It has been made clear. Thank you. Now, Shri George Kurian. मैं दो बार स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI GEORGE KURIAN): Mr. Deputy Chairman, Sir, I express my gratitude towards Modiji and Kirenji for giving me this opportunity. Yesterday, after the Bill was passed in the Lok Sabha, at 12.38 a.m., people of Munambam in Kerala started their procession in support of this Bill and burst crackers. They expressed their gratitude to Prime Minister Modiji and said that only Modiji can save their land and livelihood. Yesterday, it happened. As you know, in Munambam, CPM and Congress wanted to evict these people from there in Kerala. ...(*Interruptions*)... They were opposing. ...(*Interruptions*)... They were opposing BJP because BJP supported them. A church is located in that land of 404 acres. That is Our Lady of Velankanni Church. They are crying about churches in other States. There is one cemetery and convent. These people were vociferously against and they were speaking against these Christians. That is why, the Bishop Council of India, Kerala Catholic Bishop Council, the Kerala Council of Churches, etc. passed resolutions. I will read one of the resolutions. Our

hon. Member, Dr. Sudhanshu Trivedi, read some portions; I will read rest of it. It says that over the past three years, this issue has escalated into a complex legal dispute. The fact remains that only legal amendments can provide a permanent solution and this must be recognised by the people's representatives and MPs from Kerala.

(Contd. by BHS/7O)

BHS-DN/7O/12.05

SHRI GEORGE KURIAN (Contd.): As Waqf Amendment Bill was to be introduced in Parliament, CBCI urged political parties and the legislators to adopt an unbiased and constructive approach on this issue. The rightful ownership of land must be fully bestowed to the people of Munambam. Any provision of law, which contradicts the principle of the Indian Constitution, must be amended. At the same time, the rights of the religious minorities, as guaranteed by the Constitution, must be safeguarded. I want to point out one thing. What is this "three years"? It is because three years back, the PFI was banned by Modi*ji* and Amit Shah*ji*. After that, these people are unnecessarily moving here and there. They are telling something and they want that the ban should be taken out. That is why it was withdrawn. That

is why these people are telling that. And you know that yesterday in Lok Sabha, one of the most popular leaders of Kerala, Shri Suresh Gopi, stated that resolution of the Kerala Assembly would be thrown into the Arabian Sea. What was the slogan of the people of Munambam yesterday? "We would throw the Resolution of the Assembly into the Arabian Sea." What was Kerala Assembly's Resolution? They were against this Munambam thing. They passed the resolution that the Waqf Amendment Bill should be withdrawn. That was their demand. You see, how many * resolutions... ...*(Interruptions)*... I withdraw that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Will examine and all unparliamentary words will be removed.

SHRI GEORGE KURIAN: Meaningless, I would say. I withdraw that. ...*(Interruptions)*... They have passed meaningless resolutions, you see. They have passed one resolution in 2006. What was the resolution? You may be knowing about Abdul Nasser Madani, the terrorist who tried to kill Advani*ji* in 1998 Coimbatore bomb blasts. These people have passed one resolution. What was the resolution? They demanded the court to release him. They demanded the court of law to release him. Who was he? He

---

***Withdrawn by hon. Member.**

tried to kill Advani*ji* in Coimbatore in 1998 during the bomb explosion. ...*(Interruptions)*... Sir, out of five or ten minutes of their speech, the MPs from Kerala spoke about the religious freedom and secularism etc. in India, and especially about secularism of Kerala. I want to explain in which way they are maintaining secularism. In 2018, one church was there in Kottayam. That is St. Paul Church, an Anglican Church. During Christmas, the DYFI and SFI workers attacked that Church. They attacked the carol singers and they were compelled to stay in the Church. ...*(Interruptions)*...

(Followed by RL/7P)

RL-LP/12.10/7P

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN : I will authenticate it. ...*(Interruptions)*... I will authenticate it. ...*(Interruptions)*... I was Vice-Chairman, National Minority Commission, at that time. I will read that. The Communists should understand that secularism. What is happening in Kerala? It has gone from State Police Chief to the Under Secretary to the Government of India, National Minority Commission. And, it is written by Shri Sukumaran Pillai,

IPS, Assistant Inspector General. It is written here 'Report in connection with the attack on Christian Carol team by DYFI in Kottayam District, Kerala.' This Report is here and I will authenticate that. 15 days! *...(Interruptions)...* I will place on the Table of the House. For 15 days, they suffered without food and they were attacked. *...(Interruptions)...* These communists are telling that in North India, something is happening. What is happening in Kerala? *...(Interruptions)...* Do you know that in 2014, Idduki Bishop's house was attacked? *...(Interruptions)...* I have the records. Idduki Bishop's house was attacked by Youth Congress. *...(Interruptions)...* They attacked the Bishop's house. *...(Interruptions)...* What was the reason? On 16/5/2014...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: To both sides, I am requesting to please speak on the Bill. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Hon. LoP, I am requesting all the Members to speak on the Bill. *...(Interruptions)...* For or against the Bill. *...(Interruptions)...* This is for all the Members. *...(Interruptions)...* It is for all the Members, as you are telling. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...*

SHRI GEORGE KURIAN: They were telling in Malayalam about all India level attacks on Christians. ...*(Interruptions)*... That is why, the hon. Members did not understand that. That is my right and, with the authentication, I will do that because it is needed here, and see the date, on 16/5/2014 in Idduki Bishop's house... ...*(Interruptions)*... What was the reason? The Congress candidate was defeated. Defeated! That is why they attacked. I have this court's prediction, which is here. The names of Congress leaders are there. Now, they are telling that it is happening in UP; it is happening in North-East; it is happening in North India and it is happening in Kerala. That is why, I am telling this one. And, Sir, I will speak in Malayalam. Father, Joseph Attuchalil, he lives near Pala, that is, Poonjar. He is a priest of a church. They wanted to read in Malayalam because other hon. Members should not understand. They were speaking in Malayalam. That is why Father Joseph Attuchalil of St. Mary's Forane Church, Poonjar was attacked by Muslim extremists. And what happened? A case was registered against the priest. The case was against the priest! He was hit by a car and his backbone was broken. It happened recently. And, I am telling that on September 10, 2021, Bishop's house of Pala was attacked by PFI. Then,

what happens? The Chief Minister and the Opposition leader together decided that case should be taken against the Bishop, not against the PFI because they were supporting PFI.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

(Followed by DC/7Q)

DC-PRB/7Q/12.15

SHRI GEORGE KURIAN: Now also, they are supporting PFI. That is why I am telling, in Kerala, Muslims are very gentle and pious. But these people want to mislead them. You know what they were telling about Manipur. They were telling, 'It is a Hindu-Christian issue' -- they visited all the Christian and Hindu houses — 'Hindus and Christians are fighting with each other and why you are sitting idle.' In which way Mr. Suresh Gopi was selected? Do you know? It is because of Christian votes. They are educated. Christians are educated. They study. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. George Kurian, he is on a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I do not want to take much of the time. I have two points of order. Number one is under Rule 238, Clause 3. He has made a very objectionable remark on Kerala Legislature. There was a unanimous Resolution passed by the Kerala Legislature and his comment on that Resolution was quite objectionable. So, you may kindly note it and expunge. That is number one. Number two, we are having a very good and fruitful discussion on a critically important legislation. Why are you allowing such wastage of time?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is for all. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: No; it is completely political. ...*(Interruptions)*... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is for all the Members. This judgement, you are not supposed to give...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Is this a public meeting?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. George Kurian, please continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: The case was taken against the Bishop because at that time, the PFI was not banned. They were telling that only 20 seconds

is needed for slitting your throat and within one second they killed one SFI worker, that is, Abhimanyu in Ernakulam in Maharaja's College. In one second, they stabbed through the heart and killed. Therefore, they were following this. It happened in Palai on 10th September, 2021. I expressed my gratitude to Modi*ji* and Amit Shah*ji* that the PFI was banned and within one year, in September, 2022. That is why they are very sad. These communist and Congress people are very sad. Actually, the people of Kerala and these representatives, want to support this Bill. So many MPs know that their future will be in darkness. But the Prince and the Princess want to be elected from Wayanad. That is the reason, they want to be elected from Wayanad. You might have seen that flag. Which flag is that? That resembles our neighbouring country's flag itself, that is, Muslim League's flag. ...*(Interruptions)*... The same name of the Jinnah's party...*(Interruptions)*... The same name of Jinnah's party...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Mr. George Kurian. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: Jawaharlal Nehru and Jinnah divided India and they go together in Wayanad...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. George Kurian, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: These people are compelled to oppose this Bill. ...*(Interruptions)*... What will be the future of other MPs? You think. That is happening. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. George Kurian, please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: Yes, Sir. I am concluding. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

DR. V SIVADASAN: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has a point of order. ...*(Interruptions)*... Under which Rule?

(Followed by DPS/7R)

DPS-AKG/7R/12.20

DR. V. SIVADASAN: Sir, this is under Rule 240. Here, the hon. Minister has spoken irrelevant repetition and is continuously making the baseless statements. He is also trying to insult the Legislative Assembly of Kerala. Sir, he already said these things and is repeating them. So, it will not be allowed in this august House, Sir.

श्री उपसभापति : आप सही कह रहे हैं, यह रूल सभी माननीय सदस्यों के लिए applicable है, including the Minister. Please conclude.

SHRI GEORGE KURIAN: Yes, Sir. WAMSI data shows that out of 8.72 lakh registered Waqf properties, 1,088 have registered Waqf deeds and only 9,279 are having the ownership establishing documents. In Munambam, they are having nothing. No deed is there. See, the High Court asked them, 'Where were you?' It happened 100 years ago. The High Court asked, 'Where were you? Why are you coming now?' Because, now, the LDF Government and, in between, the UDF government wanted to... ...(*Interruptions*)... They want to snatch the property of these Munambam people. They are Christians, Hindus and fishermen. That is why it happened. And, they are opposing them. They want to evict them. That is why? I want to say one thing. Here, the Muslim League leaders telling that, 'our leader, our president want to solve it.' Sir, in 2018 and 2019, some issues were there, 80 per cent and 20 per cent issues. Then, the Muslim League leader told that he will solve. One day, he came out with Hagia Sophia Church in Turkey. He insulted the Christians in Kerala. No problem was there between Christians and Muslims in Kerala. But, he has published

a statement in a paper, their paper. It says, 'In Turkey, one Hagia Sophia Church was there. That was converted into Mosque by Muslims. I am proud of that.' There started the issue. That is why... ...(*Interruptions*)... I conclude, Sir. I support the Munambam people. ...(*Interruptions*)... You were telling in Malayalam. You were telling in Malayalam. You are insulting! You are insulting Christians!

MR. CHAIRMAN: Please conclude. George Kurian*ji*, please conclude.

SHRI GEORGE KURIAN: Sir, I conclude.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Ramji Lal Suman, you have three minutes to speak. ...(*Interruptions*)... Please take your seats. रामजी लाल सुमन जी, सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... रामजी लाल सुमन जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी लाल सुमनः उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : रामजी लाल सुमन जी, आप बोलें, आपका समय चल रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी लाल सुमन : सर, हाउस को व्यवस्थित करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बोलिए, आपका समय जा रहा है।

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, यह जो वक्फ संशोधन विधेयक है, यह विधेयक सरकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और खास तौर से मुसलमानों के संबंध में। यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26 एवं 29 का उल्लंघन करता है। यह विधेयक संविधान के मूल ढाँचे पर हमला है और हमारे देश के संघीय ढाँचे के खिलाफ है। मैं आपके मार्फत आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार को इस संशोधन विधेयक को वापस ले लेना चाहिए।

उपसभापति जी, जहाँ तक वक्फ संपत्तियों का सवाल है, ये वक्फ संपत्तियाँ मुसलमानों की संपत्तियाँ हैं और इन पर नियंत्रण भी मुसलमानों का होना चाहिए।

(7एस/पीएसवी पर जारी)

PSV-PK/7S/12.25

श्री रामजी लाल सुमन (**क्रमागत**) **:** लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को इसमें स्थान दिया जा रहा है, जिनका इस पर कोई हक नहीं बनता।

उपसभापति जी, हमारे तमाम लायक दोस्तों ने कहा और यह बात सही भी है कि विभिन्न वर्गों के या धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं या ट्रस्ट्स हैं, उनमें उन्हीं वर्गों के लोग होते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा अन्य लोगों को जोड़ा जाना, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। महोदय, वक्फ के सवाल पर संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। यह हम सब लोगों को मालूम है कि उसके जो तमाम मेंबर्स हैं, उन्होंने

उस समिति का बहिष्कार किया, कई बार बहिष्कार किया और विपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, उनमें से एक भी संशोधन का इसमें जिक्र नहीं है।

उपसभापति जी, यह बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि इस वक्फ संशोधन विधेयक से मुसलमानों का बड़ा फायदा होगा। मैं आपके मार्फत एक आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों से इस देश में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उनकी नीयत पर शक करना - यह सिलसिला पिछले 11 महीनों से चल रहा है। ...(**समय की घंटी**)... इनके ऊपर कैसे विश्वास किए जाए?

उपसभापति जी, मैं आपके मार्फत एक यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, मुझे आशंका है कि ये वक्फ संपतियों को भी इसी प्रकार से बेच देंगे। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके मार्फत यह जानना भी चाहूंगा कि जो वक्फ संपतियां सरकार के अधीन हैं, सरकार के नियंत्रण में हैं, उनके बारे में ये क्या करेंगे, इसके बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से इनकी नीयत में खोट है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर ये मुसलमानों के खिलाफ हैं और इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि मुसलमानों के हित में काम करेंगे। ...(**समय की घंटी**)... मैं समाजवादी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं।

(समाप्त)

श्री उपसभापति : सुश्री कविता पाटीदार।

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश) **:** माननीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। आज मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं।

महोदय, इस अधिनियम से एक ऐसा विषय जुड़ा हुआ है, जिसने दशकों तक इस देश में समानता और न्याय के सिद्धांतों को चुनौती देने का काम किया है, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस अधिनियम के द्वारा वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में पारदर्शिता, शुचिता और जवाबदारी लाने का साहसपूर्ण कार्य किया जा रहा है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं माननीय मंत्री किरेन जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय महोदय, माननीय मंत्री जी ने सुबह भी कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। यह परिसंपत्ति करीब 9 लाख एकड़ में फैली है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी 2006 में बताया था कि अगर इसका उचित प्रबंधन होता, तो 12,000 करोड़ रुपये की सालाना आय जरूर होती। इतना ही नहीं, आज आप देखिए कि पहले इनके पास जो संपत्ति थी, वो कम थी और इन्होंने उससे 164 करोड़ रुपये की आय बताई थी। बाद में इनकी संपत्ति डबल हो गई, लेकिन उनसे आय इन्होंने जो बताई, वह 9.92 करोड़ बताई है, यानी संपत्ति तो डबल हो गई, लेकिन उससे आय कम हो गई। यह जो कुप्रबंधन हो रहा है, यह जो अन्याय हो रहा है, यह जो

भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरे मध्य प्रदेश में भी 15,008 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन उनकी इनकम नहीं के बराबर है। तो इतना पैसा जाता कहां है? उस पैसे को, जिससे उनका उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है, उसे बचाने के लिए इस प्रकार का बिल लाना इस देश के लिए अति आवश्यक है, इसीलिए इस बिल को लाया गया है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आजकल कांग्रेस इस बिल का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है और उसके सहयोगी दल भी क्यों इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और वोट बैंक की राजनीति के चलते, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि उसमें सुधार हो, 'अंधेर नगरी, चौपट राजा' के तौर पर इन्होंने अतिक्रमणों पर आंख मींचने का काम किया और यह अन्याय होते देखा। यह कैसा कानून है, जो लोगों की जमीन छीन ले, गांव के गांव पर कब्जा कर ले; यह कैसा कानून था कि जिसकी अपील नहीं की जा सकती थी, जिसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते थे; यह कैसा कानून था, जिसे इन्होंने संविधान से भी ऊपर मान लिया? इन्होंने तो वही कह दिया कि - 'ना खाता, ना बही, जो वक्फ कह दे, वही सही।'

(7टी/वीएनके पर जारी)

VNK-PB/7T/12.30

सुश्री कविता पाटीदार (क्रमागत) : इसी प्रकार की इनकी बातें चलती रहीं, लेकिन अब प्रधान मंत्री जी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अन्याय अब देश में और नहीं चलेगा। अब भ्रष्टाचार और नहीं चलेगा। अब न्याय की बात होगी, कुप्रबंधन नहीं, सुप्रबंधन की बात होगी। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण राजनीति को समाप्त करने का संकल्प आया है। यह नया विधेयक पारदर्शिता, जवाबदेही और समाजवेशी के विकास की नींव रखेगा।

माननीय महोदय, ये जो कांग्रेस के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिंपल-सी एक बात कहना चाहूँगी, कहा भी गया है कि अच्छी किताब और अच्छे इंसान इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, इसके लिए उन्हें समझना पड़ता है, इसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, इन्होंने न तो इस अच्छे कानून को ढंग से पढ़ा है, न माननीय मोदी जी की अच्छी भावना को अच्छे से समझा है। अगर समझते, तो इस तरह का न तो विरोध करते, न इस तरह का कोई काम करते। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि इतने वर्षों से आपने क्या किया? आपने इन समस्याओं पर क्यों नहीं ध्यान दिया? आपने इसको क्यों नजरअंदाज किया? क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको इस कारवाई को करने से रोकती थी? क्या न्याय करने से आपको रोकती थी? क्या समानता लाने से आपको रोकती थी? जो आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप सुन

लीजिए, अब देश में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त और ताकतवर सरकार है, इसलिए राष्ट्र हित के काम में जितने भी निर्णय लेने होंगे, बिना डरे, बिना भेदभाव के वे निर्णय लिए जाएँगे। माननीय अटल जी की वह कविता की पंक्ति याद आ रही है :

'एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं,
सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं।
आँखों में वैभव के सपने पग में तूफानों की गति हो,
राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत हो।'

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इस बिल के माध्यम से बहुत सारे सुधार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह जो धारा 14 थी, वह कैसी तुगलकी धारा थी, यानी इस धारा में यह प्रावधान था कि अगर बोर्ड ने धारा 40 में कोई भी संपत्ति अपने यहाँ दर्ज कर ली, तो बोर्ड को कारण बताने की बाध्यता नहीं थी, बल्कि जिस पीड़िता की संपत्ति गलत दर्ज हो गई थी, उसको यह सिद्ध करना पड़ता था कि कैसे उसकी प्रॉपर्टी है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात थी। इस बिल के माध्यम से इस प्रावधान को खत्म करने का काम किया गया है। मैं यह बताना चाहूँगी कि इस धारा 40 को ठीक करने के बाद अब किसी व्यक्ति की एक इंच जमीन भी गलत तरीके से इसमें दर्ज नहीं की जाएगी।...(**समय की घंटी**)... सदन में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्हें मैं नए युग की स्थापना के लिए, इस राष्ट्र हित के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ :

'बाधाएं आती हैं आएं,
घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पांवों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते-हंसते,
आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।'

हम सबको इस राष्ट्र के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। मैं पुनः माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय किरेन रिजिजु जी को बहुत-बहुत साधुवाद करते हुए, इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ, जय हिंद, जय भारत!

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Masthan Rao Yadav Beedha; three minutes.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Respected Deputy Chairman, Sir, I rise today to talk about Waqf (Amendment) Bill, 2025, on behalf of our Telugu Desam Party, and our hon. A.P. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu *Garu*.

Sir, the Muslim community in our country faces significant socio-economic challenges. Understanding the importance of this legislation, Telugu Desam Party, under the leadership of Chandrababu Naidu *Garu*, took an active role in shaping it. We were at the forefront in advocating for the establishment of a Joint Parliamentary Committee to ensure a fair and transparent review. As part of these efforts, Telugu Desam Party proposed three crucial amendments to safeguard the Muslim interest. First, we ensured the prospective application of the 'waqf by user' clause, which protects all existing waqf properties registered under this provision. Second, we played a pivotal role in strengthening State authority over disputes related to wrongful claims by Waqf Boards, ensuring that such cases are handled by a designated officer above the rank of the District Collector. Third, we successfully advocated for extending the timeline for uploading waqf property documents on the Central portal, allowing flexibility where valid reasons for delays exist.

(MR. CHAIRMAIN *in the Chair*)

The Telugu Desam Party has always worked for Muslims' welfare. We have consistently worked for the empowerment of the community, not just

in words, but through concrete actions. To ensure their welfare, under the leadership of Shri Nara Chandra Babu Naidu, hon. A.P. Chief Minister, in 1985 started India's first Minorities Finance Corporation and made Urdu Andhra Pradesh's second official language in 1996.

(Contd. by 7u/HK)

HK-DS/7U/12.35

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (**Contd.**): We set up Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad in 1998 and another in Kurnool, post-bifurcation. We introduced Ramzan Tofa Scheme, benefiting 10 lakh Muslim families annually. Our Party provided honoraria for Muslim religious leaders, with Imams receiving Rs.10,000 per month and Mouzans receving Rs.5,000 per month. Our Party spent Rs.4,000 crore on minority welfare between 2014 and 2019. 'Dulhan Scheme' helped 32,722 minority brides with Rs.163 crore financial support. These initiatives reflect our dedication for the community's progress. Even today, our Party remains committed to inclusive growth. We firmly believe that for effective implementation of Waqf reforms, States must have the autonomy to determine the composition of their Waqf Boards.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

Allowing State Governments this flexibility will ensure that the unique needs of each religion are met and that Waqf properties truly serve the welfare of the Muslim community. I urge the Government to consider these recommendations while framing the rules under this Act. With this, I support the Bill on behalf of Telugu Desam Party. Thank you.

(Ends)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (बिहार) : महोदय, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सुबह से बैठे-बैठे अब तारीख भी बदल गई। इस सदन में विपक्ष के लोगों के द्वारा इतनी बातें कुतर्क के रूप में प्रस्तुत की गईं कि मैं जितनी बातें सोचकर आया था, उनमें से अधिकांश बातें मेरे मस्तिष्क से निकल गईं। महोदय, विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं और उन्होंने बिल को पढ़ा नहीं होगा, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी ओर से कुछ ऐसी बातें कही गईं, जिनके आधार पर बाहर जो लोग भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्होंने यही अर्थ लगाया होगा कि शायद बिना पढ़े-लिखे, बिना समझे-बुझे उन्होंने यहां आकर कुछ कह दिया है। कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य हैं, वे बहुत सीनियर सदस्य हैं और कानून के भी बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस बिल में ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि उसमें अब हिंदुओं का

बहुमत हो जाएगा और मुसलमान भाई अल्पमत में आ जाएंगे। माननीय मंत्री, किरेन रिजिजु साहब ने शुरुआत में ही बोलते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी और यदि मुझे ठीक-ठीक याद है, तो उन्होंने यह कहा कि जो वक्फ बोर्ड होगा, उसमें not more than 3 Members, including *ex-officio* Member होंगे, यानी उसमें तीन से ज्यादा गैर-मुसलमान मेंबर्स नहीं होंगे। उन्होंने काउंसिल के बारे में कहा कि उसमें not more than 4, including *ex-officio* Member गैर-मुसलमान नहीं होंगे। अब उसके बावजूद अगर कोई माननीय सदस्य सदन में यह कहते हों कि इसमें गैर-मुस्लिम का बहुमत हो जाएगा, तो अब इसको क्या समझा जा सकता है? आप कब तक देश को गुमराह करते रहिएगा? यही करते-करते तो आप कहां से कहां चले आए। अब हम यह चर्चा नहीं करेंगे कि आप महाराष्ट्र से कहां चले गए, हरियाणा से कहां चले गए, दिल्ली से कहां चले गए और आप बिहार से भी तो गए हुए ही हैं, आगे भी आप उसी स्थिति में रहने वाले हैं।

महोदय, विपक्ष में होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार कोई अच्छा भी काम करे, तो आप उसका विरोध कीजिए। सरकार कभी अच्छा काम करे, तो उसकी पीठ थपथपाने का भी काम कीजिए। अभी विपक्ष के एक माननीय नेता ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, जिसका मैं भी समर्थन करता हूँ। जो बोधगया टेंपल ऐक्ट है, उस ऐक्ट के तहत जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बदलाव करने की बात उन्होंने कही।

(7डब्ल्यू/एमजैड पर जारी)

KSK/MZ/12.40/7W

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (क्रमागत) : लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे जानना भी चाहता हूं - अब इस बिल में गैर-मुसलमान कुछ सदस्यों को लाने की बात हो रही है, तब उस पर इनका गम्भीर ऐतराज़ है और जो Bodhgaya Temple Act है, वह टेंपल एक्ट आज़ादी के बाद 1953 से प्रभावी है। उस वक्त जो एक्ट आया था, वह किसने बनाया था? उस एक्ट में प्रावधान है कि चेयरमैन को छोड़कर आठ सदस्य होंगे। उनमें चार सदस्य हिंदू होंगे और चार सदस्य बौद्धिस्ट होंगे और जो चेयरमैन होंगे, वह कलेक्टर यानी वहां के डीएम होंगे। वह भी तब, जब कलेक्टर साहब खुद हिन्दू होंगे, तब ही वह चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है, तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए? तब आपको यह नहीं लगा था? आज आप सुझाव दे रहे हैं, तो मैं सुझाव का भी समर्थन करता हूं और किरेन रिजिजु साहब से आग्रह करता हूं कि आपके लोग भी आपसे यही अपेक्षा कर रहे हैं। आज दुनिया भर में यह संदेश जा रहा है कि बोधगया में आंदोलन चल रहा है। आपसे आग्रह है कि जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए। बोधगया टेम्पल बौद्धिस्टों का एक मंदिर है, वह कोई वक्फ की तरह पूरे देश भर में फैला हुआ नहीं है और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड हो रही है, वह सिर्फ एक टेम्पल की ही बात है और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है। निश्चित रूप से, मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूं

कि इसे बौद्धिस्टों को सौंप दिया जाए ताकि उस टेम्पल के प्रबंधन का काम बौद्धिस्ट लोग अपने हिसाब से कर सकें।

महोदय, विपक्ष के लोगों ने उन कारणों पर बहुत कम चर्चा की है, जिनकी वजह से सरकार यह बिल ला रही है। आखिर सरकार यह बता रही है किन कारणों की वजह से वह बिल ला रही है? ठीक है, आपको सरकार की बातों पर भरोसा हो या न हो, लेकिन आपके ही द्वारा बनाई गई सच्चर कमिटी थी, जिस कमिटी ने 2006 में रिपोर्ट दी थी। उस कमेटी ने क्या कहा? उस कमेटी ने वक्फ के बारे में कहा, बोर्ड के बारे में कहा कि वक्फ के कामकाज और प्रबंधन का तौर-तरीका है, वह पूरी तरह अपारदर्शी है और उसमें पारदर्शिता की ज़रूरत है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है - भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए। उसने कहा कि इसमें कुछ लोगों का निजी कब्जा है। जो संपत्ति है, उसका उपयोग उस कार्य के लिए नहीं हो रहा, जिसके लिए लोगों ने उसे दान दिया था। बल्कि, कुछ लोग उस संपत्ति पर अतिक्रमण कर उसे निजी कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने वही कहा, जो उस कमेटी ने कहा था। सरकार ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। सरकार ने कहा कि यही कारण हैं, जिनके चलते हम यह बिल ला रहे हैं। तो इन कारणों को दूर करना चाहिए कि नहीं? अगर दूर करना है, तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं और पूरे सदन के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण में

इधर-उधर की बात न करें, सब लोग मिलकर इस बिल का समर्थन करें, ताकि हम सबका थोड़ा और समय बच जाए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

श्री कार्तिकेय शर्मा : जो कही, जो वक्फ कहे, वही बात सही।

MR. CHAIRMAN: What do you want to say, Shri Kartikeya Sharma?

श्री कार्तिकेय शर्मा : सर, वक्फ के बारे में कहा जाता है-

'न खाता, न बही, जो वक्फ कहे, वही सही।'

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Kiran Chaodhry. आपने तुकबंदी कर दी, थोड़ा परिवर्तन कर दिया।

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY (Haryana): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak in this historic debate on this Bill, which is going to bring our most marginalised Muslim brethren on the path to progress, prosperity and emancipation.

(Contd. by 7X — GSP)

GSP-DN/7X/12.45

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY (**contd.**): Sir, I completely support this Waqf (Amendment) Bill, 2025, which is not only progressive and much-needed reform, but it seeks to bring greater transparency, efficiency and inclusivity in the management of Waqf properties across the country.

Sir, a quote comes to my mind of Victor Hugo, a famous British author, "Nothing else in the world is so powerful as an idea whose time has come." Sir, Bharat is poised to grow. It is on the threshold of greatness under the dynamic leadership of our hon. Prime Minister. We are the world's largest democracy and we have a robust system of law and the Constitution, which reigns supreme. There is a legal maxim, "lex iniusta non est lex" which means that an unjust law is no law at all. That says it all. Laws, which are not for the benefit of the people, which are not in sync with the Constitution and which are not in sync with time should be done away with. The irrelevant portions should be done away with and we have done it. Our hon. Prime Minister has had the courage to do all those progressive reforms during the past 10 years and we are all very proud of this.

Mr. Chairman, Sir, nobody has had the courage and the willpower to do this. I have listened to the debate today, the whole day. Everybody talked about this Bill being religious. This Bill is not religious. There is no religion in this Bill. I heard the debate in Lok Sabha that happened yesterday, in which hon. Home Minister, Amit Shah ji, very clearly stated that the Waqf trust is based on the Islam faith but the trust functioning is based on administrative work. This is a statutory body and I don't understand why the fear-mongering and why all the time they are bent upon seeing to it that this particular community does not come up.

Sir, all those marginalized Muslims who have not had the Waqf benefits, where will they go? Take the example of women. We have seen that for the first time women have been brought in because our Prime Minister believes in women empowerment.

Sir, I am not going to go into the details because I do not have the time. Hon. Minister, Rijiju ji, very lucidly pointed out all the aspects. I heard him in the morning. He has made it very clear. I think, the common man on the street will understand that this Bill is being brought in only to rectify what ought to have been done a long time ago.

This Bill, Mr. Chairman, Sir, has been brought in because there was rampant corruption in the Waqf properties and it was monopolised by powerful elites amongst the Muslims, while the poorest amongst them, particularly, the Bohras and the Pasmandas and women, had been deprived of their benefits. According to the Sachar Committee Report, in 2006, 4.9 lakh Waqf properties across India remained mismanaged. Seventy per cent of it is unutilised. How criminal can it be? This is what had been happening and it is time to rectify this.

As we know, law is an evolving process, law is never static, law has to change according to time, and, this is what we are seeking to do. This time, Sir, with this Bill, I am sure that the women of this country will have their proper share. And, as the great reformer, Begum Rokeya Sakhawat Hossain once said, "If a woman is educated, an entire family is liberated." Sir, let it be known that true progress cannot exist without gender equality. When women lead, communities thrive. This is a known fact. And, that is why, our hon. Prime Minister believes in the complete empowerment of women.

It is a shame when we see the statistics. According to the National Commission for Women, in 2020, only three per cent of Waqf-funded educational institutions were for girls.

(Contd. by SK/7Y)

SK-LP/12.50/7Y

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY (**contd.**): As per NSSO, 2019, 87 per cent of Muslim women artisans in U.P. and Bihar live below the poverty line with no access to Waqf-funded skill centres. (*Time-bell rings.*) Pasmanda Muslims especially, who form 85 per cent of the community, receive less than 5 per cent of the Waqf benefits. And, of course, I should not forget to talk about the Amendment of 2013. The draconian Section 40 is being done away with because it gives ultimate power to decide the nature of the Waqf property. According to Sub-Section 1, the Waqf Board may itself collect information regarding any property which it has reasons to believe it to be a Waqf property. That means, they can go anywhere and put their hand on it and say that this is a Waqf property. Nobody can stop them. Also, there was no provision against the Tribunal. But, now, it has been proposed in the Bill that the appeal will lie to the High Court. Sir, I am not going to take

long time. I know I have been allocated only five minutes. In the end, I would only like to say that the time has come to bring in reforms. We have a decisive and strong leader, whose only *mantra* is 'Nation First', and he has the power to implement the reforms in this country. We must be thankful to him.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY: Also, Sir, it is only because of the divisive policies followed by the hon. Members of the Opposition that we stand here today and all the benefits which ought to have been given to them have not been given. (*Time-bell rings.*) Sir, I will just finish with these lines. They do all the rumour mongering and fear mongering. I would like to tell them:

'दिलों में हबे वतन है अगर
तो एक रहो
निखारना यह चमन है अगर
तो एक रहो
नहीं तो खत्म हो जाओगे।
बनाना है हमें अब
अपने हाथों अपनी किस्मत को
हमें अपने अपने वतन का आप बेड़ा पार करना है।'

So, let this Bill be a revolution. Let this be the dawn of true secularism. And let this be a real empowerment and complete unity of this country. Thank you, Sir.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Shri Kiren Rijiju to reply the discussion.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं अभी जब लॉबी से आ रहा था, तो पूरे विपक्ष के सभी साथियों ने हाथ जोड़कर पूछा कि तारीख बदल गई है, अब कितनी जल्दी वाइंड-अप करना है? मैंने कहा कि इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव बिज़नेस है, इसीलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मुझ पर दिन में दबाव डाला गया था कि मंत्री जी जब रिप्लाई देंगे, तो इन प्वाइंट्स पर रिप्लाई देना है। ऐसा कहकर हरेक मेम्बर ने सवाल पूछा, मुझ से clarification भी लेना चाहा और इसके साथ-साथ आरोप भी लगाया। मेरी समस्या यह है कि कल को यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है और बाहर भी यह नहीं फैलाना चाहिए कि मैंने सबकी बात नहीं सुनी या सरकार सुनती नहीं है – किसी को ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यह Waqf (Amendment) Bill जब initial draft हुआ था, आप यदि original draft को देखेंगे, तो वह draft, जिसको हम final Amendment Bill के रूप में पास कर रहे हैं, आप पाएंगे कि उसमें कितने चेंजेस लाए गए हैं। अगर हम नहीं सुनते और जो ड्राफ्ट किया है, उसी को पारित

करते, किसी के सुझाव को मंजूर नहीं करते, तो बिल का पूरा स्वरुप ही अलग होता। हम सुनने वाले लोग हैं, हम चर्चा करके, सभी के सुझावों को समाहित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए शुरू का ड्राफ्ट बिल और आज, जब फाइनल बिल राज्य सभा में पास कर रहे हैं, तो उसमें कितना अंतर है? इसके साथ-साथ जो लोग जेपीसी में मेम्बर्स हैं, वे खुद जेपीसी में बैठकर आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनकी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, आप जितना चाहते हैं, उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर जेपीसी ने भी मेजोरिटी से पारित किया है, तो हम क्या कर सकते हैं?

(PRB/7z पर जारी)

PRB-YSR/7Z/12.55

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत) : लोकतंत्र majority से चलता है। यह तो हो नहीं सकता कि जिसको कम सीट्स मिली हैं, उसके हिसाब से सरकार चलेगी। यह लोकतंत्र का ही नियम है कि जिनकी majority है, वही सरकार में होते हैं। जेपीसी या कोई भी कमेटी है, जो majority में होते हैं, वे ही प्रिवेल करते हैं, लेकिन फिर भी कई सुझाव हैं। मैं जेपीसी के मेम्बर्स को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के कहने पर ही existing Waqf by user property को हमने prospective किया है और जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जो well-documented है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह आपके सुझाव पर हुआ है। जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई विवाद होता है, तो उसे कलेक्टर देखता है। फिर भी आपने कहा कि कलेक्टर को मत रखिए। जब सरकारी जमीन का

वक्फ बोर्ड के साथ कोई विवाद होता है, तो उसका फैसला कलेक्टर न करे। फिर आपके कहने पर कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी को इसमें रखा। यह भी आपके जेपीसी के मेंबर्स की रिक्वेस्ट है। जब आप डिटेल पोर्टल में फाइल करते हैं, तो आपने मांगा था कि इसका एक्सटेंशन टाइम दिया जाना चाहिए और जो आपने सुझाव दिया है, वह हमने माना है। अनरजिस्टर्ड वक्फ को एनफोर्स करने के लिए जो सिक्स मंथ्स का टाइम दिया है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए, यह आपने मांग की थी और यह भी हमने मानी है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रिब्यूशन देने के लिए मुतवल्ली का जो रेट फाइनलाइज करना है, उसे फिक्स करने के लिए भी आपने कहा। यह भी हमने किया। Tribunal में तीन मेम्बर्स होने चाहिए, यह भी जेपीसी की रिक्वेस्ट है, जो कि हमने मानी है। इसके अलावा भी कई और हैं, लेकिन मैं समय को बचाने के लिए इतना ज्यादा पढ़कर नहीं बताना चाहता हूं। हमारे बिहार के साथी श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी ने आखिरी में जो प्वाइंट कहा, उसको जोड़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने सुबह जब यह बिल पेश किया था, तब मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया, हालांकि मैं एक घंटे से थोड़ा कम ही बोला, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे कहने के बावजूद भी आप जबरदस्ती चीज़ को मत दौड़ाइए। मैंने कहा था, लेकिन फिर भी वह दोहराया गया। हमने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेम्बर्स रहेंगे, उनमें ex-officio Chairman को मिलाकर चार से ज्यादा नॉन-मुस्लिम्स हो ही नहीं सकते हैं। मेरे बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान majority

में हो जाएंगे। मैंने डिटेल पढ़कर ही बताई है। मैंने स्टेट वक्फ बोर्ड के बारे में भी बताया कि 11 मेम्बर्स के बोर्ड में तीन से ज्यादा नॉन-मुस्लिम्स हो ही नहीं सकते हैं। इस पर पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं कि जबरदस्ती नॉन-मुस्लिम को majority देकर कब्जा करने जा रहे हैं। इतनी स्पष्टता के साथ आपके सामने पूरी बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज़ बोलते रहे। मुझे बोलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन समय के चलते मैं क्या करूं? नहीं तो, मैं अपने एक-एक माननीय सदस्य का सटीक जवाब देने के लिए उत्सुकता से बैठा हुआ था, लेकिन 12 बजे के बाद धीरे-धीरे मुझे भी लगा कि शायद इतना सुनने की क्षमता नहीं होगी, मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा ...(**व्यवधान**)... सर, जो दो-तीन बड़े प्वाइंट्स हैं, मैं आज सिर्फ उनके बारे में ही बोलना चाहता हूं। यहां हमारे बड़े-बड़े वकील भी आए हैं और अच्छा लगा कि आज वे सुनने के लिए बैठे हैं। अगर मैं एक-एक तर्क का जवाब देता, तो मुझे भी अच्छा लगता। मल्लिकार्जुन खरगे जी का भी एक बड़ा प्वाइंट था और उसका जवाब देने का मेरा मन था, लेकिन मैं किस-किस इतना जवाब दूं?

मैं सबसे पहले एक बड़े प्वाइंट के बारे में बोलना चाहता हूं। सबने पूछा कि मुसलमान है, यह तय कैसे होगा? How to decide it? Who will decide who is Mussalman? अभी हम लोग जितने यहां बैठे हैं, उनमें कोई नास्तिक हो सकते हैं, अदरवाइज सबने अपने किसी न किसी धर्म का नाम तो लिखा है। जैसे कोई बौद्ध

लिखता है, कोई क्रिश्चियन लिखता है, कोई हिंदू लिखता है, कोई मुसलमान लिखता है, कोई पारसी लिखता है, ऐसे सब लिखते हैं। आप बताइए कि यह तय कैसे होता है? आप तय कैसे करते हैं कि आप किस धर्म के हैं? ...(**व्यवधान**)... इस्लाम का भी वैसे ही होगा। यह इतनी टेंशन लेकर सोचने का विषय ही नहीं है, जैसे अभी तय होता है कि आप किस धर्म के हैं, वैसे ही अपना वक्फ क्रिएट करने के लिए एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के संबंध में तय होगा। ...(**व्यवधान**)...

(8A/AKG पर जारी)

AKG-VKK/8A/1.00

श्री किरेन रिजिजु (**क्रमागत**) : सर, उसके बाद ...(**व्यवधान**)... फिर तो मेरा जवाब लंबा होगा। अगर आपका ऐसा ही रवैया होगा, तो अभी जैसे मुझे आकर समझाया, बिल्कुल जब आप रूल्स में आएँगे, तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। फिर आप मत बोलिएगा कि बोलना कम कीजिए। ...(**व्यवधान**)... सर, देखिए।

आज आप लोगों ने बार-बार एक बात को दोहराया कि मुसलमानों के बारे में आप क्यों चिंता करते हैं और आप बोलते हैं कि बीजेपी और हमारे एनडीए वालों को मुसलमानों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। क्या आप यह चाहते हैं कि इस सरकार को मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए? आपकी सोच कैसी है, आप खुद सोचिए। आप बोलते हैं कि हमको मुसलमान के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, मुसलमानों के बारे में बोलने का और सोचने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। आप कांस्टिट्यूशन की बात करते हैं। भारत की जो सरकार है, किसी धर्म के आधार पर तो वह अपना काम नहीं कर सकती है। सभी नागरिक के भारतीय नागरिक होने के नाते सबको हमें एक दृष्टिकोण से देखना होता है, सबको बराबर देखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि 'सबका साथ, सबका विकास', वही तो संविधान की spirit है। फिर आप बार-बार ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमको मुसलमानों के बारे में चिंता क्यों करनी है?

आप बताइए, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अभी नहीं, आप सोच कर बाद में जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के लिए सोचना चाहिए। इस देश में आजादी से लेकर अब तक लगभग 60 वर्ष तक आपने सरकार चलाई, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने। अगर मुसलमान गरीब है, मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, तो उनको गरीब किसने बनाया? आपने बनाया। उसको ठीक करने के लिए नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना पड़ रहा है। अगर गरीब मुसलमान का उस समय उत्थान हो जाता, तो हमको इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं होती। आपने इसे अधूरा छोड़ा है, आप काम नहीं कर पाए, हम काम कर रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ समर्थन माँग रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे पॉइंट्स के बारे में मैं सोच रहा था कि इतने वरिष्ठ लोग क्यों ऐसा सवाल करते हैं, वे अपनी ही failure का खुद ही पर्दाफाश कर रहे थे, दिन भर। आपके लिए जो बात हमको कहनी चाहिए, आप खुद ही अपना पर्दाफाश कर रहे थे, अपने आप को expose कर रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं यहाँ हाउस में इतना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बाहर जरूर बोलूँगा कि यह आपका जवाब है।

दूसरी बात, यहाँ ट्रस्ट के बारे में कहा गया और किसी ने कहा कि वक्फ religious है, तो यह religious नहीं है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की rulings का भी काफी ज़िक्र किया, मैं दोबारा नाम लेकर repeat नहीं करना चाहता हूँ। हमने बार-बार कहा कि waqf property में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। किसी

religious institution में कोई ऐसा कर भी नहीं सकता है। आपने काशी विश्वनाथ के बारे में कहा, तिरुपति के बारे में कहा, किसी चर्च के बारे में कहा। यहाँ दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह हो सकती है, हमारी जामा मस्जिद हो सकती है। क्या उसमें कोई गैर मुसलमान जाकर उसकी कमिटी में मेम्बर हो सकता है? नहीं हो सकता है। वह religious body है। यह बार-बार बताया गया कि जैसे ट्रस्ट की निगरानी करने के लिए Charity Commissioner होता है, तो Charity Commissioner तो एक सरकारी बोर्ड ही होता है। उसी प्रकार जो वक्फ बोर्ड है, वह एक Statutory Body होता है। आप Statutory Body के लिए कहते हैं कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहने चाहिए! अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होंगे और अगर वक्फ बोर्ड की जमीन के विवाद में एक हिंदू और वक्फ बोर्ड के बीच में विवाद होगा, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? ऐसा विवाद तो सिर्फ मुसलमान और मुसलमान के बीच आपस में नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है, वह गैर मुसलमान के साथ भी होता है। क्या आप यह चाहते हैं कि इसके निर्णय के लिए ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठें? अगर किसी हिंदू के साथ विवाद होगा, बाकी किसी दूसरे धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो यह कैसे तय होगा! यह जो गवर्नमेंट की Statutory Body होती है, यह secular होनी चाहिए।

(8बी/पीएसवी पर जारी)

BHS-PSV/8B/1.05

श्री किरेन रिजिजु (क्रमागत): इसमें सब लोगों को बैठना चाहिए। फिर भी हमने कहा कि इसमें restriction किया है कि यहाँ इतने ही गैर-मुस्लिम हो सकते हैं। Majority की बात देखें, तो 22 मेंबर्स में से अगर मैक्सिमम चार रहते हैं, तो वे चार मेंबर्स क्या वहां निर्णय बदल सकते हैं? वे सिर्फ वहाँ योगदान कर सकते हैं, वहां अपना expertise दे कर, उसके काम करने के value को बढ़ा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझदार नहीं हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि समझदार ही हैं, लेकिन आपके कहने का जो तरीका है या सोचने का जो तरीका है, उसमें और हमारे सोचने के तरीके में अंतर है। Otherwise, मल्लिकार्जुन खरगे जी ने तो कितनी ही बातें कहीं। लेकिन वे वरिष्ठ नेता हैं। सुबह भी बड़े दु:ख के साथ उन्होंने कहा। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन एक साथी ने मुझे डिस्टर्ब किया, इसलिए मैं नहीं बोला। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मत बोलिए कि मंत्री जी ने मेरे किसी पॉइंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर आपके पॉइंट का जवाब दूं, तो बहुत लंबा हो जाएगा।

सर, मैं सिर्फ important points कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। आपको कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जब एक बार वक्फ क्रिएट हो जाता है, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। Once a Waqf, always a Waqf. इसीलिए जब किसी प्रॉपर्टी को कोई वक्फ डिक्लेयर करता है, तो उसे सोच समझ कर करना चाहिए,

क्योंकि एक बार वक्फ डिक्लेयर हो जाने के बाद, आप उसके स्टेटस को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यह आप एक pious, charitable and religious purpose के लिए वक्फ डिक्लेयर करते हैं, जो रिवर्स हो नहीं सकता। आप सोचते हैं कि उसे ऐसे ही मनमानी डिक्लेयर करने दिया जाएगा। आप यह विचार कैसे कर सकते हैं? ऐसा प्रावधान जिसमें status irreversible हो जाता है, तो ऐसे पोजीशन में आने से पहले हर तरीके से apply करना पड़ता है, ताकि कोई चूक नहीं हो जाए।

उसमें बहुत गरीब लोग हैं। अगर मैं आपको पूरा पढ़ कर बताऊं, तो हजारों लोग, डेलिगेशंस मेरे पास आए। गरीब मुसलमान, पसमांदा लोग, आगाखानी लोग, सुन्नी, शिया - सब लोग मेरे पास आए। सबने यह कहा कि यह जो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं, यह जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए, क्योंकि चंद लोग - मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चंद लोगों ने पूरा दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा हुआ है। वे यह इल्जाम मेरे सामने बताते हैं। तो क्या मुझे मूकदर्शक बन कर रहना चाहिए? आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जब यह फैसला किया, तो बहुत ही सोच समझ कर फैसला किया है। आप देखिएगा कि कल से इसका कितना स्वागत होता है। यह आप देखिएगा। आप हमें इतना बोलते हैं कि डराया, मुसलमानों को डराया, लेकिन हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप मुसलमानों को डरा-डरा करके हमारी मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं।

सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब सीएए की चर्चा हुई थी, तब जो-जो सदस्य, चाहे वे इस सदन के सदस्य हों या बाहर के हों, जिन्होंने यह कहा था कि सीएए पास होने के बाद मुसलमानों का अधिकार छीन जाएगा, नागरिकता छीन जाएगी, तो अभी दो साल होने को हैं, क्या किसी एक मुसलमान की नागरिकता छीनी है? तो आपने मिसलीड किया है, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। हम बड़े दिल के साथ, आज आपसे माफी भी मांगने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन और आगे गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। यह बिल तो आज पारित हो जाएगा और भविष्य में इससे किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है।

सभापति महोदय जी, मैंने जैसे कहा कि मेरा तो दिल बहुत उत्सुक है। मेरे पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन सदन का सेंस, समय की पाबंदी, इन सबको ध्यान में रखते हुए, मैं इस सदन से, इस महान सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ। कल भी लोक सभा में हम लोगों ने 3 बजे के बाद तक बैठ करके काम किया है और आज भी अब हम लोग 1 बजे के पार हो चुके हैं, जब हम लोग इस ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं। इल्जाम राजनीतिक तो होता है, लेकिन मैं हृदय की गहराइयों से जितने भी सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम लोगों ने मिल करके, नए सवेरे, नए दिन, नई उम्मीद

के साथ, इतनी देर रात तक काम किया है। देश के लोग भी देखेंगे कि हमारे संसद सदस्य देर रात तक बैठ करके देश के लिए काम करते हैं। यहां से यह अच्छा संदेश जाएगा।

सभापति महोदय, मैं सारे मेंबर्स से अनुरोध करता हूँ कि आज गलती हो गयी, आप लोगों ने जो भी कहा है, लेकिन बड़ा दिल दिखा करके इस अच्छे काम के लिए, इस बिल को पारित करने में सर्वसम्मति से सपोर्ट करने की मांग करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(समाप्त)

(8सी/वीएनके-आरएल पर आगे)

RL-VNK/1.10/8C

MR. CHAIRMAN: I shall first put the motion regarding consideration of the Wakf (Amendment), 2025 to vote. The question is:

> "That the Bill further to amend the Waqf Act, 1995, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No.153) by Dr. Syed Naseer Hussain. Are you moving the Amendment?

Clause 2 —Amendment of Section 1

DR. SYED NASEER HUSSAIN (Karnataka): Sir, I move:

(No.153) That at page 1, lines 6 to 8, be ***deleted.***

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there are four Amendments. Amendment (No.1) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No.46) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; and Amendments (Nos. 104 and 105) by Shri Haris Beeran. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendment?

Clause 3-Amendment of Section 2

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.1) That at page 2, ***for*** line 3 to 8, the following be ***substituted,*** namely:—

"Provided further that nothing in this Act shall apply to a trust (by whatever name called) established before the commencement of this Act or statutorily regulated by any statutory provision pertaining to public charities, by a Muslim for purpose similar to a waqf under any law for the time being in

force.".

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.46) That at page 2, ***for*** the lines 3 to 8, the following be ***substituted***, namely,—

"Provided further that nothing in this Act shall, notwithstanding any judgement, decree or order of any court, apply to a trust (by whatever name called) or Waqf established before or after the commencement of this Act or statutorily regulated by any statutory provision pertaining to public charities, by a Muslim for purpose similar to a Waqf under any law for the time being in force.".

MR. CHAIRMAN: Shri Harris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.104) That at page 2, lines 3 and 4, the words ", notwithstanding any judgement, decree or order of any court," be ***deleted***.

(No.105) That at page 2, after line 8, the following proviso be ***inserted***, namely:-

"Provided also that Mosque, Graveyard and Eid-Gah shall not be exempted from the application of this Act even if they form part of any trust."

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I shall first put the Amendment moved by Shri A. A. Rahim to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri Sandosh Kumar P to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments moved by Shri Harris Beeran to vote.

The motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 4, there are twenty-eight Amendments. Amendments (Nos. 2 to 12) Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendments (Nos. 47 and 48) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.64) by Shri Manoj Kumar Jha; Amendments (Nos. 75 to 77) by Dr. Fauzia Khan; Amendments (No. 97)

by Shri Abdul Wahab; Amendments (Nos. 106 and 107) by Shri Haris Beeran; Amendments (Nos. 132 and 133) by Dr. Kanimozhi NVN Somu; Amendments (Nos. 140 and 141) by Shri Tiruchi Siva; and Amendments (Nos. 154 to 157) by Dr. Syed Naseer Hussain. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendments?

Clause 4- Amendment of Section 3

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.2) That at page 2, line 10, ***for*** the word "after", the word "before", be ***substituted.***

(No.3) That at page 2, lines 15 to 18, be ***deleted.***

(No.4) That at page 2, line 28 be ***deleted.***

(No.5) That at page 2, line 31, ***for*** the words "Central Government", the words "State Government", be ***substituted.***

(No.6) That at page 2, line 33, ***for*** the words "Central Government", the words "State Government", be ***substituted.***

(No.7) That at page 2, line 35, ***after*** the words "rules made", the

words "by the State Government", be ***inserted.***

(No.8) That at page 2, line 36, be ***deleted.***

(No.9) That at page 2, ***for*** the lines 38 to 43, the following be ***substituted,*** namely—

"*(a)* in the opening portion, for the words "any person, of any movable or immovable property", the words "any person practising Islam, of any movable or immovable property, having ownership of such property," shall be substituted;"

(No.10) That at page 2, line 44, be ***deleted.***

(No.11) That at page 2, lines 47 and 48, ***for*** the words "Central Government", the words "State Government", be ***substituted.***

(No.12) That at page 3, lines 7 and 8, the words "is in dispute", be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendments?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.47) That at page 2, ***for*** the lines 38 to 43, the following be ***substituted***, namely,—

"*(a)* in the opening portion, for the words "any person, of any or immovable property", the words "any person practising Islam, of any property and movable or immovable property, having ownership of such property," shall be substituted.

(No.48) That at page 3, ***for*** the lines 4 to 8, the following be ***substituted***, namely,—

"Provided that the existing waqf by user properties registered on or before the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 as waqf by user will remain as waqf properties.

Provided further that if the property, wholly or in part, is in dispute, the dispute shall be settled before the concerned High Court subject to appeal."

MR. CHAIRMAN: Shri Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA (**Bihar**): Sir, I move:

(No.64) That at page 2, line 40, the words "at least five years", be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendments?

DR. FAUZIA KHAN (**Maharashtra**): Sir, I move:

(No.75) That at page 2, line 36, be ***deleted.***

(No.76) That at page 2, lines 38 to 44, be ***deleted.***

(No.77) That at page 3, ***for*** the lines 4 to 8, the following be ***substituted***, namely,—

"Provided that the existing waqf by user properties, recognized on or before the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 as waqf by user will remain as waqf properties;".

MR. CHAIRMAN: Shri Abdul Wahab, are you moving the Amendment?

SHRI ABDUL WAHAB (**Kerala**): Sir, I move:

(No.97) That at page 2, line 40, the words "practising Islam for at least five years,", be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN (**Kerala**): Sir, I move:

(No.106) That at page 2, lines 38 to 43, be ***deleted.***

(No.107) That at page 3, lines 7 and 8, the words "except that the property, wholly or in part, is in dispute or is a government property;", be ***deleted*.**

(Followed by DC/8D)

DC-DS/8D/1.15

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos.132 and 133) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. Are you moving the Amendments?

CLAUSE 4-Amendment of Section 3

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (**Tamil Nadu**): Sir, I move:

(No.132) That at page 2, lines 38 to 44, be ***deleted.***

(No.133) That at page 3, lines 3 to 8, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos.140 and 141) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving the Amendments?

SHRI TIRUCHI SIVA (**Tamil Nadu**): Sir, I move:

(No.140) That at page 2, lines 38 to 41, be ***deleted.***

(No.141) That at page 3, ***after*** lines 8, the following be ***inserted,***

namely——

"*(x)* after clause *(r)*, the following clause shall be inserted, namely:-

"(rr) "Waqf by User" means a property that has been in continuous religious use for the benefit of the Muslim community for over fifty years, irrespective of the absence of formal documentation or a registered deed;""

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 154 to 157) by Dr. Syed Naseer Hussain. Are you moving the Amendments?

DR. SYED NASEER HUSSAIN (Karnataka): Sir, I move:

(No.154) That at page 2, lines 10 to 14, be ***deleted.***

(No.155) That at page 2, line 26, ***after*** the words "or any part thereof", the words, "title of which vests in a Government organisation" be ***inserted.***

(No.156) That at page 2, lines 38 to 44, be ***deleted.***

(No.157) That at page 3, lines 3 to 8, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I shall first put the Amendments (Nos. 2 to 12) moved by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 47 and 48) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P. P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.64) moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 75 to 77) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 97) moved by Shri Abdul Wahab to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 106 and 107) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 132 and 133) moved by Dr. Kanimozhi NVN Somu to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.140 and 141) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 154 to 157) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 5, there are 22 Amendments. Amendments (Nos. 13 to 17) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V.Sivadasan; Amendments (Nos.49 to 52) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.65) by Prof. Manoj Kumar Jha; Amendment (Nos. 78 to 80) by Dr. Fauzia Khan; Amendment (Nos. 108 to 112) by Shri Haris Beeran; Amendment (No. 142) by Shri Tiruchi Siva; and Amendments (Nos.158 to 160) by Dr. Syed Naseer Hussain.

MR. CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendments?

CLAUSE 5-INSERTIONOF NEW SECTIONS 3A,3B, 3C, 3D AND 3E— CERTAIN CONDITIONS OF WAQF

SHRI A.A. RAHIM (**Kerala**): Sir, I move:

(No.13) That at page 3, lines 14 and 15, ***for*** the words "or any other rights of persons with lawful claims.", the words "or lawful rights of any other persons.", be ***substituted.***

(No.14) That at page 3, lines 35, ***after*** the words "waqf properties", the words ", subject to the extant rules regarding applicability of exemption of income tax or such other taxes on the income from waqf properties being used for religious and charitable purposes" be ***substituted.***

(No.15) That at page 3, lines 45 and 46, ***for*** the words "Central Government", the words "State Government", be ***substituted.***

(No.16) That at page 4, ***for*** lines 4 to 14, the following be ***substituted,*** namely—

"*(2)*If any question arises as to whether any such property is a Government property, the State Government may apply to the Tribunal having jurisdiction in relation to such property, for the decision of the question."

That at page 4, lines 15 and 16, ***for*** the words "on receipt of the

(No.17) report of the designated officer", the words "on receipt of the decision of the Tribunal", be ***substituted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendments?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.49) That at page 3, lines 13 to 15, be ***deleted.***

(No.50) That at page 3, ***for*** the lines 16 to 24, the following be ***substituted***, namely,—

"3B. (1) Every waqf registered under this Act, prior to the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025, shall file the details of the waqf and the property dedicated to the waqf on the portal and database, within a period of two years from such commencement:

Provided that the Tribunal may, on an application made to it by the mutawalli, extend such period of two years under this section for a further period not exceeding six months as it may consider appropriate, if he satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filing the details of the waqf on the portal within such period."

(No.51) That at page 3, lines 29 to 30, be ***deleted***

(No.52) That at page 4, ***for*** the lines 1 to 16, the following be ***substituted***, namely,—

"3(C)(*1*) In matters where a property is disputed after the decision of the Survey Commissioner, the dispute shall be settled before the concerned High Court subject to appeal.

(*2*) If any question arises as to whether any such property is a Government property, the State Government may, by notification, designate an officer, who is or has been a district Judge, who shall conduct an inquiry as per law, and determine whether such property is a Government property or not and submit his report to the State Government.

(*3*) The designated officer shall arrange to make necessary corrections to land records by reporting it to the State Government upon inquiry, whether the property is Government or waqf."

MR. CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

(No.65) That at page 3, line 19, ***for*** the words "within a period of six months from such commencement", the words "within a prescribed period from such commencement which shall not be less than five years", be ***substituted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendments?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.78) That at page 3, line 19, ***for*** the words "six months", the words "five years", be ***substituted.***

(No.79) That at page 3, for lines 20 to 24, the following be ***substituted***, namely, —

"Provided that the Tribunal may, on an application made to it by the mutawalli, extend the period of five years under this section for such period as it may consider appropriate, if he satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filing the details of the waqf on the portal within such period."

(No.80) That at page 4, lines 1 to 16, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.108) That at page 3, lines 14 and 15, the words "or any other rights of persons with lawful claims.", be ***deleted***.

(No.109) That at page 3, line 19, ***for*** the word "six", the word "twelve", be ***substituted***.

(No.110) That at page 3, line 21, ***for*** the word "six", the word "twelve", be ***substituted***.

(No.111) That at page 4, line 21, ***after*** the words "Remains Act, 1958, at the time of such declaration or notification", the words "and is upheld by the competent court" be ***inserted***.

(No.112) That at page 4, line 25, ***after*** the words "Constitution shall be declared or deemed to be waqf property", the words ", except the properties of those persons belonging to SC / ST but connected to Islam" be ***inserted***.

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA (**Tamil Nadu**): Sir, I move:

(No.142) That at page 3, for lines 16 to 46, the following be ***substituted,*** namely——

"3B. *(1)* Any property that has been in uninterrupted use as a mosque, dargah, graveyard, or any other religious institution for at least 50 years shall be deemed to be a waqf property.

*(2)*Such properties shall not require re-registration or approval from district authorities and shall be automatically protected under this Act.

(3) No government, municipal, or private entity shall claim ownership of such properties unless conclusive evidence is provided proving otherwise."

MR. CHAIRMAN: Dr. Syed Naseer Hussain, are you moving the Amendments?

DR. SYED NASEER HUSSAIN (**Karnataka**): Sir, I move:

(No.158) That at page 3, ***after*** line 12, the following be inserted, namely:-

"Provided that nothing in the above clause shall be deemed to require proof of ownership or competency to transfer in case of a waqf by user"

(No.159) That at page 3, lines 13 to 46, be ***deleted.***

(No.160) That at page 4, lines 1 to 16, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I shall first put the Amendments moved by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

(Followed by DPS/8E)

DPS-MZ/8E/1.20

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.78 to 80) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.108 and 112) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 142) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.158 to 160) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 6, there are eleven Amendments. Can I, for the sake of brevity, say: Are you moving all the eleven Amendments; or, do I take them separately?

SHRI JAIRAM RAMESH: Take them separately, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay, I knew! You would make it a point. I will go by it. Amendments (Nos.18 & 19) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan, Amendment (No. 53) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer, Amendments (Nos. 81 and 82) by Dr. Fauzia Khan,

Amendments (Nos. 113 and 114) by Shri Haris Beeran, Amendment (No. 143) by Shri Tiruchi Siva and Amendments (161 to 163) by Dr. Syed Naseer Hussain. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendments?

CLAUSE 6 — AMENDMENT OF SECTION 4

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.18) That at page 4, lines 29 to 39, be ***deleted.***

(No.19) That at page 4, line 42, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.53) That at page 4, lines 29 to 36, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendments?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.81) That at page 4, ***for*** lines 29 to 39, the following be ***substituted***, namely,—

"*(b)* after sub-section *(1A)*, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"*(1B)* The Survey Commissioner appointed under sub-section *(1)* shall be assisted in the conduct of the survey by relevant authorities including, but not limited to, the National Sample Survey Office (NSSO), State Revenue Authorities, and such other technical, statistical or land survey agencies as the State

Government may, by order, designate for the purpose.".

(No.82) That at page 4, line 42, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.113) That at page 4, lines 31 to 36, be ***deleted.***

(No.114) That at page 4, line 37, brackets, words and figures "(2) and (3)", be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.143) That at page 4, lines 38 and 39, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Syed Naseer Hussain, are you moving the Amendments?

DR. SYED NASEER HUSSAIN (Karnataka): Sir, I move:

(No.161) That at page 4, lines 29 to 36, be ***deleted.***

(No.162) That at page 4, line 37, the brackets, figures and words, "*(2)* and *(3)*", be ***deleted.***

(No.163) That at page 4, lines 38 to 42, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.18 & 19) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 53) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 81 and 82) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 113 and 114) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 143) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (161 to 163) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 6 was added to the Bill.

(Followed by PK/8F)

PK-DN/8F/1.25

MR. CHAIRMAN: In Clause 7, there are only four Amendments; Amendment (No.54) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.115) by Shri Haris Beeran; Amendments (No.164 and 165) by Dr. Syed Naseer Hussain; Shri Sandosh Kumar P, are you moving?

CLAUSE: 7 : AMENDMENT OF SECTION 5

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.54) That at page 5, ***for*** the lines 6 to 10, the following be ***substituted***, namely,—

"(*2B*)The details of each waqf shall contain the identification, boundaries of waqf properties, their use and occupier, purpose of waqf, their present mutawallis and management in such manner as may be prescribed by the State Government."

MR. CHAIRMAN: Then, Amendment (No.115) by Shri Haris Beeran. Are you moving?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.115) That at page 5, line 4, *for* the word "ninety", the word '"thirty" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: Amendments (No.164 and 165) by Dr. Syed Naseer Hussain. Are you moving?

DR. SYED NASEER HUSSAIN (Karnataka): Sir, I move:

(No.164) That at page 4, lines 46 and 47, be ***deleted.***

(No.165) That at page 5, lines 1 to 19, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Amendments (No.54) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.115) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.164&165) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 8, there are four Amendments: Amendment (No.55) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.83) by Dr. Fauzia Khan; Amendment (No.144) by Shri Tiruchi Siva; and Amendment (No.166) by Dr. Syed Naseer Hussain. Shri Sandosh Kumar P, are you moving?

CLAUSE 8 : AMENDMENT OF SECTION 6

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.55) That at page 5, lines 34 to 35 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No.83) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.83) That at page 5, lines 34 and 35 be ***deleted***.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No.144) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.144) That at page 5, lines 34 and 35 be ***deleted***.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No.166) by Dr. Syed Naseer Hussain. Are you moving?

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I move:

(No.166) That at page 5, lines 20 to 35 be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No.55) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments(No.83) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.144) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No.166) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 10, there are 19 Amendments: Amendment (Nos. 20 to 25) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No. 56) by Shri Sandosh Kumar P. and Shri P.P. Suneer; Amendment (No. 66) by Prof. Manoj Kumar Jha; Amendment (No. 84) by Dr. Fauzia Khan Amendments (Nos. 98&99) by Shri Abdul

Wahab; Amendments (Nos. 116 to 121) by Shri Haris Beeran; Amendment (No. 134) by Dr. Kanimozhi NVN Somu and Amendment (No. 145) by Shri Tiruchi Siva. Shri A.A. Rahim, are you moving?

CLAUSE 10 : AMENDMENT OF SECTION 9

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.20) That at page 6, line 5, ***after*** the words "three Members of Parliament", the words "belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.21) That at page 6, line 15, ***for*** the symbol and brackets "(d)", the symbol and brackets "(v)" , be ***substituted***.

(No.22) That at page 6, line 17, ***for*** the symbol and brackets "(e)", the symbol and brackets "(vi)", be ***substituted***.

(No.23) That at page 6, line 18, ***for*** the symbol and brackets "(f)", the symbol and brackets "(vii)", be ***substituted***.

(No.24) That at page 6, line 24, ***after*** the words "Provided that", the words "at least" be ***inserted***.

(No.25) That at page 6, lines 26 and 27, be ***deleted***.

श्री नीरज शेखर : सर, 46 क्लॉजेज हैं, एक साथ क्यों नहीं ले रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: I made that suggestion. ...*(Interruptions)*...

(Contd. by PB/8G)

PB-LP/8G/1.30

श्री नीरज शेखर : मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विपक्ष से रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Neerajji, ...(Interruptions)... This is a historic legislation. After this is passed, as listed, we will discuss it in Business Advisory Committee. But today, we will go exactly as it is listed. So, Amendment (No. 56) by Shri Sandosh Kumar P. and Shri P.P. Suneer.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.56) That at page 6, ***for*** the lines 3 to 27, the following be ***substituted***, namely,

"*(2)* The Council shall consist of –

(*a*) the Union Minister in charge of waqf Chairperson, *ex officio*;

(*b*) four Members of Parliament, belonging to the Muslim community, of whom two shall be from the House of the People and two from the Council of States.

(*c*) the following members to be appointed by the Central Government from amongst Muslims, namely:-

(i) persons to represent Muslim organisations having all India character;

(ii) Chairpersons of three Boards by rotation;

(iii) one person to represent the mutawallis of the waqf;

(iv) three persons who are eminent scholars in Muslim law;

(*d*) two persons who have been Judges of the Supreme Court or a High Court, belonging to the Muslim community;

(*e*) one Advocate of national eminence, belonging to the Muslim community;

(*f*) four persons of national eminence, one each from the fields of administration or management, financial management, engineering or architecture and medicine, belonging to the Muslim community.

(*g*) Additional Secretary to the Government of India dealing with waqf matters in the Union ministry or department - member, *ex officio*:

Provided that two of the members appointed under clauses (*c*) to (*f*) shall be women."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 66) by Prof. Manoj Kumar Jha.

प्रो. मनोज कुमार झा : सभापति जी, मेरे पास विकल्प नहीं है, मैं मूव कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपके पास विकल्प है, आप यह गलत कह रहे हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा : महोदय, मैं मूव कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपसे यह विकल्प कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपको मूव नहीं करना है, तो the Chair will protect you.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (**Bihar**): Sir, I move:

(No.66) That at page 6, lines 26 and 27, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 84) by Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN (**Maharashtra**): Sir, I move:

(No.84) That at page 6, lines 1 to 27, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 98&99) by Shri Abdul Wahab.

SHRI ABDUL WAHAB (**Kerala**): Sir, I move:

(No.98) That at page 6, for line 17, the following be ***substituted,*** namely—

"*(e)*one Advocate or national eminence, who has great

knowledge and intellectual capacity in Islamic jurisprudence:"

(No.99) That at page 6, lines 26 and 27, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 116 to 121) by Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.116) That at page 6, line 4, ***after*** the word "*ex officio*", the words "belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.117) That at page 6, line 6, ***after*** the words "Council of States", the words ", belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.118) That at page 6, line 16, ***after*** the words "High Court", the words "belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.119) That at page 6, line 17, ***after*** the word "eminence", the words ", belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.120) That at page 6, line 120, ***after*** the word "medicine", the words ", belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.121) That at page 6, ***for*** the lines 26 and 27, the following be ***substituted***, namely,—

"Provided further that only members of Muslim community with certain expertise in various fields shall be considered for appointment."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 134) by Dr. Kanimozhi NVN Somu.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (**Tamil Nadu**): Sir, I move:

(No.134) That at page 6, lines 1 to 27, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 145) by Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (**Tamil Nadu**): Sir, I move:

(No.145) That at page 6, lines 26 and 27, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. First, I shall put to vote Amendment (No.56) moved by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan to vote. ...(Interruptions)...

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Undoubtedly, the 'Noes' have it. ...(Interruptions)... The amendments are negatived. ...(Interruptions)... It was occurring to me that when you say 'yes or no' ... ...(Interruptions)... Why are you raising hands? Give rest to your hands. Use only your decibel level.

I shall now put the Amendment (No.56) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.66) moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.84) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (No.98&99) moved by Shri Abdul Wahab to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (No.116 to 121) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion wase negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.134) moved by Dr. Kanimozhi NVN Somu to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendment (No. 145) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

(Followed by 8h/HK)

HK-PRB/KSK-AKG/GSP-PSV/8H, 8J & 8K/01.35, 1.40 & 1.45

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I want division. 'Provided further that two members appointed under this sub-section, excluding ex-officio members, shall be non-Muslims.' This I seek this for division.

MR. CHAIRMAN: Okay, division.

The House divided.

(Followed by SK/8L)

SK-VNK/1.50/8L

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, subject to correction:

Ayes: 92

Noes: 125

(Here enter the Division Lists for 'Ayes' and 'Noes' arranged in alphabetical order)

The motion was negatived.

Clause 10 was added to the Bill.

(followed by YSR/8M)

YSR-DS/01.55/8M

MR. CHAIRMAN: In Clause 11, there are five Amendments; Amendments (Nos.26 to 28) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No.57) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; and Amendment (No.146) by Shri Tiruchi Siva. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendments?

CLAUSE 11 — AMENDMENT OF SECTION 13

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.26) That at page 6, line 28, ***for*** the word "for", the word "after", be ***substituted.***

(No.27) That at page 6, line 29, ***for*** the word "substituted", the word "inserted", be ***substituted.***

(No.28) That at page 6, line 30, ***for*** the word, figure and brackets "(2A)", the word, figure and brackets "(2B)", be ***substituted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.57) That at page 6, lines 28 to 32, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.146) That at page 6, after lines 32, the following be ***inserted,*** namely——

"*(2B)*The composition of waqf boards shall remain predominantly Muslim to ensure representation and protection of waqf interests."

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Amendments moved by Shri A.A. Rahim to vote. ...*(Interruptions)*... हमने तो पहले गुजारिश की थी कि एक साथ ही ले लो। Hon. Members, I am now putting Amendments (Nos.26 to 28) by Shri A.A. Rahim, Amendment (No.57) by Shri Sandosh Kumar P and Amendment (No.146) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 11 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 12, there are 22 Amendments. Do we take all the 22 Amendments together? ...*(Interruptions)*... Let me take the sense of the House. ...*(Interruptions)*... On this point also, there is heavy division. In Clause 12, there are 22 Amendments; Amendments (Nos.29 to 37) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No.58) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.67) by Shri Manoj Kumar Jha; Amendments (Nos.85 and 86) by Dr. Fauzia Khan; Amendments (Nos.122 to 127) by Shri Haris Beeran; and Amendments (Nos.135 to 137) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendments?

CLAUSE 12 – AMENDMENT OF SECTION 14

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.29) That at page 6, lines 37 and 38, ***for*** the words "not more than eleven members, to be nominated by the State Government", the words "the following members", be ***substituted.***

(No.30) That at page 6, line 41, ***after*** the words "National Capital Territory of Delhi", the words "to be elected from the electoral college consisting of Muslim Members of Parliament

from the State or the National Capital Territory of Delhi, as the case may be", be ***inserted.***

(No.31) That at page 6, line 42, ***after*** the words "State Legislature", the words "to be elected from the electoral college consisting of Muslim Members of the State Legislature or the National Capital Territory of Delhi, as the case may be", be ***inserted.***

(No.32) That at page 6, line 44, ***after*** the word "community", the words "to be nominated by the State Government", be ***inserted.***

(No.33) That at page 7, line 6, ***for*** the symbol and brackets "(*d*)", the symbol and brackets "(*iv*)", be ***substituted.***

(No.34) That at page 7, line 12, ***after*** the words "Union territory", the words "to be elected from the electoral college consisting of Muslim Members of the Bar Council of the concerned State or the Union territory", be ***inserted.***

(No.35) That at page 7, lines 15 to 17, be ***deleted.***

(No.36) That at page 7, line 30, ***after*** the words "to be nominated", the words "or appointed", be ***inserted.***

(No.37) That at page 7, line 42, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.58) That at page 6, ***for*** the lines 36 to 47 and at page 7, for the lines 1 to 31, the following be ***substituted***, namely,—

"*(1)*The Board for a State and the National Capital Territory of Delhi shall consist of, not more than fifteen members, to be nominated by the State Government,—

(*a*) Chairperson;

(*b*) (i) Two Members of Parliament from the State, one from the House of the People and one from the Council of States or, as the case may be, the National Capital Territory of Delhi, belonging to the Muslim community.

(ii) one Member of the State Legislature, belonging to the Muslim community;

(*c*) the following members belonging to Muslim community, namely:-

(*i*) one mutawalli of the waqf;

(*ii*) one eminent scholar of Islamic law;

(*iii*) two or more elected members from the Municipalities or Panchayats;

(d) two persons who have professional experience in business management, social work, finance or revenue, agriculture or development activities, belonging to the Muslim community;

(*e*) Joint Secretary to the State Government dealing with the waqf matters, Ex Officio;

(*f*) one Member of the Bar Council of the concerned State or Union territory, belonging to the Muslim community:

Provided that two members of the Board appointed under clauses (*a*) to (*e*) shall be women:

Provided further that the Board shall have at least one member each from Shia, Sunni and other backward classes among Muslim Communities:

Provided also that one member each from Bohra and Aghakhani communitics shall be nominated in the Board in case they have functional auqaf in the State or Union territory.

Provided also that the elected members of Board holding office on the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 shall continue to hold office as such until the expiry of their term of office.

(2) No Minister of the Central Government or, as the case may be, a State Government, shall be nominated as a member of the Board.

(3) In case of a Union territory, the Board shall consist of not less than five and not more than eleven members to be nominated by the Central Government under sub-section (*1*)."; "

MR. CHAIRMAN: Shri Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

(No.67) That at page 7, lines 15 to 17, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendments?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.85) That at page 6, lines 34 to 47, be ***deleted.***

(No.86) That at page 7, lines 1 to 31, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.122) That at page 6, line 39, ***after*** the word "Chairperson", the words ", belonging to Muslim community", be ***inserted*.**

(No.123) That at page 6, line 41, ***after*** the words "National Capital Territory of Delhi", the words ", belonging to Muslim

community", be ***inserted***.

(No.124) That at page 6, line 42, ***after*** the words "State Legislature", the words "belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.125) That at page 7, line 8, ***after*** the word "activities", the words ", belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.126) That at page 7, line 12, ***after*** the words "Union territory", the words ", belonging to Muslim community", be ***inserted***.

(No.127) That at page 7, lines 15 to 17, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Kanimozhi NVN Somu, are you moving the Amendments?

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.135) That at page 6, line 34, the figure and brackets *(1)*, be ***deleted.***

(No.136) That at page 6, lines 36 to 47, be ***deleted***.

(No.137) That at page 7, lines 1 to 26, be ***deleted***.

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Amendments moved by Shri A.A. Rahim. ...*(Interruptions)*... Our good friend, Shri Jairam Ramesh, always has a problem. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, please follow the procedure.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am now putting Amendments (Nos.29 to 37) by Shri A.A. Rahim, Amendment (No.58) by Shri Sandosh Kumar P, Amendment (No.67) by Shri Manoj Kumar Jha, Amendments (Nos.85 and 86) by Dr. Fauzia Khan, Amendments (Nos.122 to 127) by Shri Haris Beeran and Amendments (Nos.135 to 137) by Dr. Kanimozhi NVN Somu to vote.

The motions were negatived.

Clause 12 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 13, there are two Amendments (Nos.138 and 139) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. Dr. Kanimozhi, are you moving the Amendments?

CLAUSE 13 — AMENDMENT OF SECTION 16

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.138) That at page 7, line 45, after the word "he", the words, "is

not a muslim and", be *deleted*.

(No.139) That at page 7, lines 46 and 47, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 13 was added to the Bill.

(Followed by VKK/8N)

VKK-MZ/8N/2.00

Clause 14 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 15, there are two Amendments. Amendment (No. 38) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No. 87) by Dr. Fauzia Khan. Now, Amendment (No.38) by Shri A.A. Rahim, are you moving?

CLAUSE 15 -- OMISSION OF SECTION 20A

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.38) That at page 8, line 3, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No.87) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.87) That at page 8, line 3, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.38) by Shri A.A. Rahim and Amendment (No.87) by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motions were negatived.

Clause 15 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 16, there are three Amendments; Amendments (Nos. 39 and 40) Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; and Amendment (No. 100) by Shri Abdul Wahab. Shri A.A. Rahim, are you moving your Amendment?

CLAUSE 16 -- AMENDMENT OF SECTION 23

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.39) That at page 8, line 7, ***after*** the words "State Government", the words "who shall be a Muslim", be ***inserted.***

(No.40) That at page 8, line 8, ***after*** the words "State Government", the words "or of equivalent rank", be ***inserted.***

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No.100) by Shri Abdul Wahab. Are you moving?

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I move:

(No.100) That at page 8, lines 7 and 8, the words "and who shall be not below the rank of Joint Secretary to the State Government.", be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (Nos.39&40) by Shri A.A. Rahim and Amendment (No.100) by Shri Abdul Wahab to vote.

The motions were negatived.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 and 18 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 19, there is one Amendment (No. 101) by Shri Abdul Wahab. Are you moving?

CLAUSE 19 -- AMENDMENT OF SECTION 32

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I move:

(No.101) That at page 8, lines 19 and 20, be ***deleted***.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 19 was added to the Bill.

Clause 20 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 21, there are seven Amendments. Amendment (No. 41) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendments (Nos. 59 and 60) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendments (Nos. 68 and 69) by Shri Manoj Kumar Jha; Amendment (No. 128) by Shri Haris Beeran; Amendment (No. 147) by Shri Tiruchi Siva. Now, Amendment (No.41) by Shri A.A. Rahim, are you moving?

CLAUSE 21 -- **AMENDMENT OF SECTION** 36

SHRI A.A. RAHIM (**Kerala**): Sir, I move:

(No.41) That at page 8, lines 37 to 44, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos.59 & 60) by Shri Sandosh Kumar P. Are you moving?

SHRI SANDOSH KUMAR P (**Kerala**): Sir, I move:

(No.59) That at page 8, lines 28 to 32, be ***deleted.***

(No.60) That at page 9, ***for*** the lines 5 to 8, the following be ***substituted***, namely,—

"*(7A)*Where the Survey Commissioner in his report mentions that the property, wholly or in part, is in dispute or is a Government property, the dispute is decided by a competent court.".

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos.68&69) by Shri Manoj Kumar Jha. Are you moving?

SHRI MANOJ KUMAR JHA (**Bihar**): Sir, I move:

(No.68) That at page 8, line 36, ***after*** the words "portal and database", the words "and in addition, in such form and manner as

provided by regulations of the Board", be ***inserted.***

(No.69) That at page 8, ***for*** lines 47 to 50, the following be ***substituted,*** namely—

"*(7)*On receipt of an application for registration, the Board may, before the registration of the waqf make such inquiries as it thinks fit in respect of the genuineness and validity of the application and correctness of any particulars therein:"

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (No.128) by Shri Haris Beeran. Are you moving?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.128) That at page 8, ***for*** the lines 30 to 32, the following be ***substituted***, namely,—

"(1A) Waqf creation may be evidenced by a deed or customary oral declaration with witnesses, validated by the Board."

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No.147) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.147) That at page 8, line 44, the following be ***inserted,*** namely——

"*(ca)* after sub-section *(5)*, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that any waqf property recorded in the previous three waqf surveys shall not require re-establishment of its status as waqf.""

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 41) by Shri A.A. Rahim; Amendments (Nos. 59 and 60) by Shri Sandosh Kumar P; Amendments (Nos. 68 and 69) by Shri Manoj Kumar Jha; Amendment (No. 128) by Shri Haris Beeran; and Amendment (No. 147) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 21 was added to the Bill.

Clause 22 was added to the Bill.

...(*Interruptions*)...

श्री सभापति : मैंने कई बार कहा है कि मेरा दिल तो आपके साथ है। आप appreciate नहीं करते हो।

(8O/DN पर आगे)

DN-BHS/8O/2.05

श्री प्रमोद तिवारी : सर, हम लोग appreciate करते हैं।

श्री सभापति : आप करते हैं!

MR. CHAIRMAN: In Clause 23, there are five Amendments; Amendment (No. 42) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan, Amendment (No. 70) by Prof. Manoj Kumar Jha, Amendment (No. 88) by Dr. Fauzia Khan, Amendment (No. 129) by Shri Haris Beeran and Amendment (No. 148) by Shri Tiruchi Siva. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendment?

CLAUSE 23 -- OMISSION OF SECTION 40

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No. 42) That at page 9, line 37, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, are you moving your Amendment?

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

(No. 70) That at page 9, line 37, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving your Amendment?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No. 88) That at page 9, line 37, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving your Amendment?

SHRI HARIS BEERAN (**Kerala**): Sir, I move:

(No. 129) That at page 9, line 37, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving your Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA (**Tamil Nadu**): Sir, I move:

(No. 148) That at page 9, lines 37, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall first put Amendment (No. 42) moved by Shri A.A. Rahim to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 70) moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 88) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 129) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 148) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

Clause 23 was added to the Bill.

Clauses 24 to 29 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 30, there is one Amendment; Amendment (No. 89) by Dr. Fauzia Khan. Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

CLAUSE 30 — AMENDMENT OF SECTION 52A

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No. 89) That at page 11, lines 10 to 17, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 89) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

Clause 30 was added to the Bill.

Clause 31 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 32, there are two Amendments; Amendment (No. 71) by Prof. Manoj Kumar Jha and Amendment (No. 102) by Shri Abdul Wahab. Prof. Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

CLAUSE 32 — AMENDMENT OF SECTION 61

PROF. MANOJ KUMAR JHA (**Bihar**): Sir, I move:

(No. 71) That at page 11, ***for*** line 35, the following be ***substituted,*** namely—

"*(ii)* carry out the directions of the Board;"

MR. CHAIRMAN: Shri Abdul Wahab, are you moving your Amendment?

SHRI ABDUL WAHAB (**Kerala**): Sir, I move:

(No. 102) That at page 11, lines 30 to 42, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 71) by Prof. Manoj Kumar Jha and Amendment (No. 102) by Shri Abdul Wahab to vote.

The motions were negatived.

Clause 32 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 33, there is one Amendment; Amendment (No. 103) by Shri Abdul Wahab. Shri Abdul Wahab, are you moving the Amendment?

CLAUSE 33 — AMENDMENT OF SECTION 64

SHRI ABDUL WAHAB (**Kerala**): Sir, I move:

(No. 103) That at page 12, lines 6 to 9, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 103) moved by Shri Abdul Wahab to vote.

The motion was negatived.

Clause 33 was added to the Bill.

Clauses 34 to 36 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 37, there are two Amendments; Amendment (No. 90) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No. 149) by Shri Tiruchi Siva. Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

CLAUSE 37 -- AMENDMENT OF SECTION 72

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.90) That at page 12, lines 31 to 33, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving your Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No. 149) That at page 12, line 32, ***for*** the words, "five per cent.", the words, "eleven per cent.", be ***substituted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 90) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No. 149) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 37 was added to the Bill.

(Followed by RL/8P)

Clause 38 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 39, there is one Amendment (No.91) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving the Amendment?

Clause 39-Amendment of Section 83

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.91) That at page 12, ***for*** the lines 41 and 42, the following be ***substituted***, namely,—

"Provided that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no court, authority, or tribunal other than the Tribunal constituted under sub-section *(1)* shall have or exercise any jurisdiction, powers, or authority in respect of any matter which is required by or under this Act to be determined by a Tribunal so constituted."

The motion was negatived.

Clause 39 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 40, there is one Amendment (No.72) by Shri Manoj Kumar Jha. Are you moving the Amendment?

Clause 40-Amendment of Section 91

SHRI MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

(No.72) That at page 13, lines 43 to 46, be ***deleted.***

The motion was negatived.

Clause 40 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 41, there are four Amendments. Amendment (No.61) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer. Amendment (No.73) by Shri Manoj Kumar Jha. Amendment (No.92) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.150) by Shri Tiruchi Siva. Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

Clause 41- Amendment of Section 100

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.61) That at page 13, lines 47 to 48, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

(No.73) That at page 13, lines 47 and 48, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.92) That at page 13, lines 47 and 48, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.150) That at page 13, lines 47 and 48, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I now put Amendment (No.61) by Shri Sandosh Kumar P, Amendment (No.73) by Shri Manoj Kumar Jha, Amendment (No.92) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No.150) by Shri Tiruchi Siva to vote. This time, it was louder.

The motions were negatived.

Clause 41 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 42, there are four Amendments. Amendment (No.62) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer. Amendment (No.74) by Shri Manoj Kumar Jha. Amendment (No.93) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.151) by Shri Tiruchi Siva. Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

Clause 42- Amendment of Section 101

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.62) That at page 14, lines 2 to 4, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

(No.74) That at page 14, lines 2 to 4, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.93) That at page 14, lines 1 to 8, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.151) That at page 14, lines 2 to 4, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I now put Amendment (No.62) by Shri Sandosh Kumar P, Amendment (No.74) by Shri Manoj Kumar Jha, Amendment (No.93) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No.151) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 42 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 43, there are three Amendments. Amendment (No.43) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan. Amendment (No.94) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.152) by Shri Tiruchi Siva. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendment?

Clause 43- Omission of Section 104

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.43) That at page 14, line 9, be ***deleted.***

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.94) That at page 14, line 9, be ***deleted.***

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

(No.152) That at page 14, lines 9, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I now put Amendment (No.43) by Shri A.A. Rahim, Amendment (No.94) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No.152) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 43 was added to the Bill.

(Followed by DC/8P)

DC-PRB/8Q/2.15

MR. CHAIRMAN: In Clause 44, there are three Amendments. Amendment (No.44) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan. Amendment (No.95) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.130) by Shri Haris Beeran. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendment?

CLAUSE 44-SUBSTITUTION OF NEW SECTION FOR SECTION 107--APPLICATION OF ACT 36 OF 1963.

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.44) That at page 14, lines 10 to 14, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.95) That at page 14, lines 10 and 14, *be* ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendment?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.130) That at page 14, lines 10 to 14, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: All these Amendments are now put to vote.

The motions were negatived.

Clause 44 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 45, there are three Amendments. Amendment (No.45) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan. Amendment (No.96) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.131) by Shri Haris Beeran. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendment?

CLAUSE 45-OMISSION OF SECTIONS 108 AND 108A

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I move:

(No.45) That at page 14, line 15, be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

(No.96) That at page 14, line 15, the words "Sections 108 and 108A" the words "Section 108", *be* ***substituted.*** *".*

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendment?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

(No.131) That at page 14, line 15 be ***deleted.***

MR. CHAIRMAN: I shall put all these Amendments to vote.

The motions were negatived.

Clause 45 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 46, there is one Amendment (No.63) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer. Are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move the final one.

MR. CHAIRMAN: Is it the final one?

CLAUSE 46-INSERTION OF NEW SECTION 108B-POWER OF CENTRAL GOVERNMENT TO MAKE RULES

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.63) That at page 15, ***for*** the lines 1 to 11, the following be ***substituted***, namely,—

"*(3)*Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

The motions were negatived.

Clause 46 was added to the Bill.

Clauses 47 and 48 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Kiren Rijiju to move that the Bill be passed.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The House divided.

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the frequent intervention of Shri Jairam Ramesh again betrays his ignorance. Lobbies are already cleared. The procedure is known to you. Secretary-General. Division.

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, I am starting the voting process. The voting time starts after the alarm sound. ...*(Interruptions)*...

(Followed by DPS/8R)

DPS-AKG/8R/2.20

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please be on your seats. ...(*Interruptions*)... You are required to be on your seats. Mr. Bajpayee, you have to be on your seat. Hon. Members, the Secretary-General will only start the process. He has already indicated to you. Be on your seats. All the Members be on your seats. Yes, Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, I am starting the voting process. The voting time starts after the alarm sound.

(Followed by PK/8S)

PK-PB-VNK/8S&8T/2.25&2.30

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, subject to correction:

Ayes: 128

Noes: 95

Abstention: 00

(Here enter the Division Lists for 'Ayes' and 'Noes" arranged in alphabetical order)

The motion is adopted.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Let the lobbies by cleared. I shall now put the motion regarding consideration of the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025, to vote. The question is:

That the Bill to repeal the Mussalman Wakf Act, 1923, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the

The Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Kiren Rijiju to move that the Bill be passed.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

(Followed by 8u)

HK-DS/8U/2.35

MR. CHAIRMAN: Statutory Resolution; Shri Amit Shah to move the following Resolution:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 13th February, 2025 under Article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Manipur."

STATUTORY RESOLUTION RE: PROCLAMATION ISSUED BY PRESIDENT ON 13TH FEBRUARY, 2025 UNDER ARTICLE 356(1) OF CONSTITUTION IN RELATION TO STATE OF MANIPUR

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ:-

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी, 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: I now call upon the hon. Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Mallikarjun Kharge.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : सर, मेरी एक विनती है कि अब समय 2 बजकर 37 मिनट्स हो रहे हैं, अगर आप इसको कल 11 बजे ले लें, तो हम इसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ठीक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप देखिए, हम दूसरों के जैसा जाकर नहीं आते हैं। हम सुबह से यहीं बैठे हुए हैं, यह हम बार-बार कहते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इसको कल 11 बजे स्टार्ट कीजिए। यह सिर्फ दो घंटे का है, इसीलिए उस समय यह पास हो जाएगा, नहीं तो अब इसमें 5 बज जाएंगे, जो ठीक नहीं होगा। इसीलिए, मैं आपसे अपील करता हूँ। होम मिनिस्टर भी इसको मानेंगे, क्योंकि हर चीज़ को नहीं-नहीं बोलें, तो ठीक है, हमारा भी वक्त आएगा, उस वक्त हम भी नहीं बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Shri Mallikarjun Kharge to initiate the debate. You have 17 minutes. Please take the floor.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यानी, मेरी रिक्वेस्ट फेल हो गई?

श्री सभापति : नहीं..

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इसका मतलब तो यही हो गया न!

MR. CHAIRMAN: No; it is under consideration.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: What is the use of consideration? * आपको हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: This part of assertion will be deleted. क्यों? क्योंकि भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। वह किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : फिर आप चलाइये व्हिप।

श्री सभापति : नहीं, यह निर्णय तो मैं पहले ले चुका हूँ। You had the occasion to make a reference about it while the Deputy Chairperson was in the Chair and the Deputy Chairperson has taken a stand. It was being reiterated. Please take the floor.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, for nearly two years, Manipur has been burning and the Government has totally failed in stopping the violence. वहां पर इतना violence हो रहा है और उस violence को stop करने में गवर्नमेंट फेल हो गई है। दूसरी चीज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर more than 260 people have been killed. वहां 260

---

*Not recorded.

लोग मारे गए। Over 60,000 people have been displaced and thousands of homes, businesses and religious sites destroyed.

(Contd. by KSK/8W)

KSK/MZ/2.40/8W

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (contd.): Families have been torn apart. Yet the BJP Government watched in silence as the State descended into chaos. More than 4,700 homes have been burnt and over 13,000 structures, including schools, hospitals and places of worship, have been destroyed. Between May 3 and July 30, 2023, over 3,000 FIRs were registered related to rape, sexual violence against women, murder, loot and arson. The Internet was shut down for 212 days, the longest blackout in Indian history. The State armouries were looted in broad day light. Sophisticated weapons, like AK-47, mortars and rocket launchers, were stolen from the police stations and also the armouries.

This situation is there, and I am surprised, the Home Minister might have visited Manipur one or two times to set right the political de-stability that was there. That is why, Manipur has collapsed and businesses are shutting down. The GST collection has fallen and retail inflation has surged,

making life unbearable for ordinary citizens. The State saw horrifying incident. सर, अगर आप चले गए, तो हमारा पूरा जोश चला जाएगा।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

श्री उपसभापति : क्या मेरे आने से जोश खत्म हो गया?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, आपका फिक्स है। आप एक बार वहां बैठ जाते हैं, तो उधर ही देखते हैं।

श्री उपसभापति : ऐसा नहीं है। मैं आपको भी देखता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह प्रॉब्लम है। इसके अलावा मेरी कुछ शिकायत नहीं है। चेयर पर कोई भी बैठ सकता है।

श्री उपसभापति : आपका यह विचार पक्षपातपूर्ण भरा है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मेरे साथ बैठते हैं, लेकिन बटन दबाते वक्त 'येस' की तरफ देखते हैं। Sir, the State saw horrifying incident of sexual violence. Yet the BJP remained silent. Even after national outrage, no decisive action was taken. The Chief Minister should have taken moral responsibility and resigned on the first day itself. The BJP was working to save Prime Minister Modiji and not Manipur. So, they refused to go there. The Prime Minister, particularly, did not go there. Why? What is the reason? The entire Manipur was burning. Rapes were taking place. Sexual harassment was

taking place. Houses were being burnt, but in spite of that, Modiji did not go there. He might have gone to a number of foreign countries during that period, but he did not step in Manipur. Why? It means that you do not have any interest to protect the Manipuri people. That is why, the Manipuri people have rejected you, and two MPs have come from the Congress Party. That is why, I am telling you that one should not neglect like this. You claim that you are ruling well and the State is well governed. These are your words. When Shri Rahul Gandhi had visited Manipur twice, even starting his Bharat Jodi Nyaya Yatra from the State, while the BJP people ignored people's suffering, Shri Rahul Gandhi met victims, visited relief camps and listened to all sections of the society, and delegation of Opposition MPs from both Houses also visited the State.

(Contd. by 8X — GSP)

GSP-DN/8X/2.45

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (contd.): Supreme Court judge also visited, many other NGOs also visited but not Modi ji, not the Prime Minister. इनको फुरसत नहीं है। जहां difficulty होती है, तो वहां कभी शाह जी को भेजते हैं, कभी किरेन रिजिजु जी को भेजते हैं और कभी-कभी किसी और को भेजते हैं, जिनके पास

निर्णय लेने की कोई पावर नहीं है। वे खुद यह काम कर सकते थे और इस criticism से बच सकते थे, but he did not do that. Meanwhile, Modi ji remained absent for nearly two years now, refusing to acknowledge the ground reality. People of Manipur have lost trust in the Prime Minister Modi and his State Government. The BJP has lost both the Lok Sabha seats in the State and the people have trusted the Congress Government and its candidates to represent them in the Parliament. BJP has no plan for peace. Instead of engaging with all the stakeholders and addressing their grievances, they have allowed the conflict to deepen. Their incompetence has pushed people further apart rather than bringing them together. They failed to bring people together, convince them and bring peace. Till today also, it is going on. You may not agree. हमने ठोक दिया, हमने naxalites को मार दिया और यहां क्या कर रहे हैं? आप यहां कम से कम peace तो लाइए। उस काम को कीजिए, लेकिन उस काम के लिए उन्होंने मन नहीं बनाया।

Despite the violence, the Prime Minister never visited Manipur. I have told this again and again. He has had time for election rallies across India but he could not pay a single visit to the State suffering from conflict. इलैक्शन के वक्त सब जगह गए, लेकिन वहां नहीं गए। दूसरा, जितने भी मंदिर हैं,

मस्जिदें हैं, वहाँ गए, लेकिन मणिपुर के लोग who were suffering, who were crying for peace, who were dying, schools were closed there, at least, the Prime Minister could have spared some time to visit them but he failed to bring peace there.

Therefore, I demand an inquiry into this. Let them put a White Paper on the Table so that we know who was responsible for all that. We should know whether it was the fault of the State Government, whether any support was given from the Central Government or it was mere politics. All these will come out only if you inquire into this and put out a White Paper on the Table of the House. Everybody will know what is still going on in Manipur.

Sir, this is the BJP's version of governance – abandoning people in their time of need. When people needed our help, you were not there. When they were crying for food and when they were crying for peace and unity, you did not respond. Houses were burning, you never responded. Security forces, the Border Security Force, also entered the State and many police atrocities also took place. Many things were suppressed. Sir, their slogan is 'Minimum Government, Maximum Governance'. Is this your 'governance'?

(Contd. by SK/8Y)

SK-LP/8Y/2.50

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (contd.): You could not manage a small State. You are afraid of visiting that place. This shows that the hon. Prime Minister is afraid of going there. Why are you not visiting that place? You show that you can control everything. Why are you not controlling Manipur? I again say that BJP's incompetence forced them to impose the President's Rule in Manipur despite having 55 MLAs in the Assembly. It is a huge majority. Why have you not controlled Manipur? Why has the Party, that claim to offer a double engine Government, admitted its failure by putting the State under the President's Rule? It means you are incapable to rule. Otherwise, you would have not imposed the President's Rule. The Opposition Parties there had planned to bring No Confidence Motion, fearing which BJP imposed the President's Rule. We could have brought it. अगर आप President's Rule नहीं लगाते, तो वहाँ पर एक No Confidence Motion भी alternatively आ जाता, लेकिन आज हुआ क्या है? President's Rule was not imposed for the people of Manipur. It was not imposed for safety and security of Manipur. It is a political game. It is to save their Party. It is because they wanted to use

everything in the future elections and come back again. But, this will not happen. People have already shown the result, and two MPs from the Congress Party have won from the same place. That is an eye-opener for them. Sir, the President's Rule has been imposed for safety and security, but hon. Prime Minister Modi's image is that it was imposed because the MLAs in the State revolted against the Chief Minister. He was forced to resign. The hon. Prime Minister and the hon. Home Minister never wanted him to resign. They wanted him to continue. They tried their best. But, when situation got out of control, they took this step. You are in power in the Central Government. You have got huge majority of MLAs there. Then, why have you imposed the President's Rule there? Is it a democratic way? Then, whenever we say something, your reply is, 'आपने इतने सारे किए थे, आपके जमाने में इतने President's Rule लाए गए थे' Is it the answer? For how many years will you say like this? Is it the answer? Is it your work? What is your responsibility? You must explain that to the people of Manipur and to the people of North-East. Sir, the BJP's double engine Government has completely failed in Manipur. They promised stability. Instead, they have delivered bloodshed, division and economic collapse. In conclusion, I

would like to say two things. First, I would urge the hon. Prime Minister to intervene. Help the poor people of Manipur. Visit Manipur, and give a statement in this House. He never comes to this House as if this House is an untouchable House. The hon. Prime Minister never came to this House in this Session except for 15 minutes, and, at that time also, some other State Minister answered for him. Is it how you will treat this House? Is it a democratic method?

(Contd. by YSR/8Z)

YSR-PRB/2.55/8Z

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (Contd.): Is it a democratic method? You say a lot of things to safeguard the Constitution and to safeguard the principles of Constitution. But you are not acting according to that. I would urge the hon. Prime Minister to intervene, visit Manipur, meet the affected people and give out a message for peace. When one of our States is burning under your Rule, you cannot be a bystander; you must go to the ground. What I feel and what the entire country feels is that there is no strategy and long-term policy with respect to Manipur. It seems like every day there is a new experiment that is put into action. I will end my speech

by saying that this House must send out a message of peace for the people of Manipur. The entire country stands with the people of Manipur. It is time we all came together for Manipur's future, for peace and betterment. Therefore, I ask the Government why you are hesitating to visit Manipur. Solve their problems. I can say that at least once the hon. Prime Minister should come here and give the explanation. Why didn't he go? Why didn't he visit it? What is his problem? If any Jadugar has told him not to visit, because if he visits, then he will lose power. ...*(Time-bell rings.)*... Somehow he would have got 30 more MPs. As it is, your Government is now NDA. Earlier you used to say it is the Modi Government. Now it is not a Modi Government. Now it is the NDA Government. Sir, I request you to direct or at least हमारे अमित शाह साहब, आप बोलिए, एक बार विजिट करने के लिए, वे आपकी बात बहुत सुनते हैं। आप बोलिए कि साहब, अगर आप विजिट करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ...(**समय की घंटी**)... किरेन रिजिजु के पास तो कोई पावर नहीं है, उनको जो बोला जाता है, वही सुनना पड़ता है।

श्री उपसभापति : थैंक यू , आपका समय हो गया।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह बात आपको belittle करने के लिए ...(**व्यवधान**)... बहुत बार ऐसा होता कि कैबिनेट में जो रहते हैं ...(**व्यवधान**)... मुझे सब मालूम है। कैबिनेट में जो होते हैं, उनमें हर आदमी की बात नहीं चलती है, केवल चंद लोगों की बात चलती है, जैसे शाह साहब की चलती है। ...(**समय की घंटी**)... जब चलता था, तब चलाया ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : जब मैं सरकार में था, तब चलाया और अब मैं पार्टी में हूं, तो पार्टी चला रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... आपको पूछकर आता हूं, यह बोलकर नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी, आपका काफी समय हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप अपनी पार्टी का एक्सपीरियंस नड्डा साहब से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आपका समय समाप्त हो गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मेरा एक निवेदन है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : तीन मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इतनी देर तक बैठाया। ...(**व्यवधान**)... मैं एक ही मिनट बोलूंगा। मैं just उनको humiliate करने के लिए या उनको कुछ बोलने के लिए कोई टीका-टिप्पणी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। हम मिलकर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं अपील कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी वहां विजिट करें, उन लोगों की समस्या का समाधान करें और law and order situation को ठीक करें। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। (समाप्त)

श्री उपसभापति : धन्यवाद। डा. अजित माधवराव गोपछड़े।

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र) **:** उपसभापति महोदय, मैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा के समर्थन पर अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। हमारे लीडर ऑफ दि अपोजिशन ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने मणिपुर के लिए क्या-क्या दिया है।

(9A/AKG पर जारी)

VKK-AKG/9A/3.00

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (क्रमागत) : उन्होंने मणिपुर में तीन नवोदय विद्यालय दिए हैं। उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने यहाँ 10,440 करोड़, कांग्रेस से 5 गुणा ज्यादा, निधि दी है। मैं इसके बारे में यहाँ ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। आप इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए।

माननीय उपसभापति जी, मणिपुर की स्थिति पर हमें राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना होगा। इस समय यह राज्य की स्थिरता का विषय है। मैं यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के विषय का पूरी तरह से समर्थन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्री देरेक ओब्राईन जी। ...(**व्यवधान**)... जयराम जी, प्लीज़ सीट पर बैठ कर टिप्पणी नहीं करें। प्लीज़।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, 3,80,000 kilometres! That is the number. It is 3,80,000 kilometres. We have done a calculation that in the last 22 months, how much the Prime Minister of India has travelled nationally and internationally. I may be wrong by a thousand kilometres this way or that way, but it is 3,80,000 kilometres. That is a lot of kilometres! One more

number is, 3,80,000 kilometres is the distance from Planet Earth to the Moon. It is the distance from Planet Earth to the Moon. But the same man could not take a flight of 2,400 kilometres to a State called Manipur. I can carry on with numbers, but I want to stay with Manipur. Otherwise, I can start that you thought you would get 400; you didn't get 350; you dropped below 303; you would be happy with 272; and, now you are a creaky and shaky coalition with 240.

Sir, I went to Manipur with my colleagues because the All India Trinamool Congress and Ms. Mamata Banerjee sent us there. We went there in July. We got as far as the airport; we spent the day there; we met a few people. We couldn't go in, but we tried. Then, all the Opposition Parties, a few months later, went to the hon. President and presented our case to the President of India. It has been 22 months; and, now, after these 22 months, we are here today.

Sir, there has been prolonged violence. Children, orphans, women, men, the elderly, shopkeepers and everyone have been affected. The problem is, 22 months have finished, but you are still so arrogant that you won't even acknowledge that there is a problem. That's your problem.

Show some humility. First, acknowledge that there is a problem. And worse still, you go and talk to the people. When I met one simple man and his young wife, he told it to me very beautifully. He said, at that time when it starts, for every month this problem lasts and festers as a wound, it will take years to fix. Twenty-two months, Mr. Prime Minister, through you, I say, will take 22 years to fix in that State.

Sir, we are a Council of States. And what are you trying to do? On the last day of this Parliament Session, you brought this Resolution; you could not have brought the Statutory Resolution on day one and discussed it. Who are you trying to show it from the Council of States at 3 o'clock in the morning? What 3 o'clock, if you bring it at 5 o'clock, we will be here to discuss it! Did you see what happened just now? Did you see what happened? A BJP Member was given 15 minutes to speak on Manipur. I saw two people, floor managers, going and requesting him to cut it down and finish it in two. He finished in two minutes.

(Contd. by BHS/9B)

BHS-PSV/9B/3.05

SHRI DEREK O' BRIEN (Contd.): Talking about Manipur! Talking about love for Manipur from this Council of States and in the morning we have to hear: "Today is Rajya Sabha Day." Yes, it is Rajya Sabha Day, actually, yesterday. This is a message from the Council of States, from the Trinamool Congress. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, if he starts heckling, that is a bad example for all of us. *...(Interruptions)...* If you want to interrupt, I would yield, speak! *...(Interruptions)...* Come on. When Trinamool speaks from the back, four Ministers interrupt. Allow us to speak. I have not spoken at all in this Session. I have not made a single speech. Allow me to speak. If I say something unparliamentary, throw it out. *...(Interruptions)...* The message from the Council of States to the hills and the valleys of Manipur, is that "We are with you". From the Council of States to Kerala, we are with you. From the Council of States to Goa -- where you are trying to turn it into a concrete jungle -- we are with you. And Bengal, we all know about Bengal. Rs. 1.75 lakh crores, we would not go there today! Manipur;

what is their fault? They are Indian citizens, Hindus, Muslims, Catholics, Protestants, Baptists, they are all there. Why are you doing this to them? And worse still, the irony is, we are discussing this State in the way we are doing this in Parliament, in the dead of night, three in the morning. No TV channels, no prime time. Why? Look at Manipur during the day. Look at Manipur in the eye and talk to Manipur. *...(Interruptions)...* Night means it is sinister. And do not tell us about endurance because I come from a Party where my Leader, for farmers, went on a hunger strike for 26 days. So never talk to me about endurance. You talk about women, what do you do to the women of Manipur? Do you not remember that picture which went international, those two women? *...(Interruptions)...* Women, women, women! Do not talk to us about women. You have 14 per cent to 15 per cent in Parliament. We have 39 per cent who have won elections and come. We do not have any MLAs in Manipur, we do not have a party in Manipur but we are still there for Manipur. That is the spirit of the Council of States. That is the spirit. *...(Interruptions)...* Let us not.....*(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O' BRIEN: Very good, very good! *...(Interruptions)...* Beautiful! Sir, I seek your protection. It is 3 o'clock in the morning.

And before I end, there are two more points. One is, as an Opposition, like-minded parties, we have been asking from day one. Choose a subject and give us a two-and-a-half hour discussion. Nothing! But we will still discuss at 2 a.m., 3 a.m. Very good, we will discuss. Give Opposition one notice. One notice! No, you do not. The problem is, I started with numbers so I will finish with numbers. You think you are 56 inch -- I am not referring to any individual -- but this morning, you were reminded, you are not 56 inch. You are 26 percent. If you have not understood the tariff, then understand it now. My Prime Minister, your Prime Minister, our Prime Minister, is in Bangkok and I wish him well and he has gone on official work. Good, Sir. My request, on behalf of my Party and us here and maybe the people of Manipur, is a very simple ten words' text message to him and nothing more. It is ten words' text message. Please text the hon. Prime Minister tonight and I quote.

(Contd. by RL/9C)

RL-VNK/3.10/9C

SHRI DEREK O' BRIEN (Contd.): This is not from any holy book. I will tell you who wrote it, but these are beautiful ten words and I want to leave with this message. 'When you hurt people, they begin to love you less.' This is by Arundhati Roy, of her beautiful book, 'The God of Small Things'. Thank you, Sir. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri A.A. Rahim, three minutes.

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, as Shri Derek O' Brien said that, the time is 3.15 a.m. in the clock, and without sleep, we are here to discuss this Statutory Resolution to extend the President's Rule in Manipur. But, a State has been unable to sleep since May, 2023. The Government is not ready to disclose in this House as to how many number of people were killed there, the number of places of worship were attacked or the number of women raped. Moreover, where is our hon. Prime Minister? Where is our hon. Prime Minister? Where is our hon. Prime Minister? Our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has not yet visited Manipur! Where is he? Why did not he visit Manipur? Manipur is a continuation of Gujarat. That is my party's stand. Sir, it has become an experimental laboratory for the

Sanga Pariwar. Everything that has happened in Manipur was orchestrated. Sir, once in Gujarat, they targeted a particular community, now, they are targeting another particular community. The Government's claim is there are ethnic clashes between two ethnics in Manipur. I agree to that. But, at the same time, I would like to ask a question as to why have Christian churches became the primary target. I went to Manipur. I visited Manipur as part of the INDIA bloc delegation. I went there. I saw that many Christian institutions, including hostels, schools were attacked. It was pre-planned and well-calculated. Churches were blown up using domestic gas cylinders. It is not just in Manipur. Even yesterday, in Jabalpur, we witnessed increasing attacks against Christians across the country. As I mentioned here earlier, the Government is not ready to provide data on attacks against Christians. I have a bitter experience in this House. I asked a Question in the Rajya Sabha, in this Budget Session, regarding the attacks against Christians. The Government have no data.

Before I conclude, I would like to speak about *Nari Shakti*. No one can forget the sisters who were forced to parade naked in Manipur. Nobody can forget! ...*(Time-bell rings.)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please finish.

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I am going to conclude. I conclude. There is blood on every road you took to power. There is blood on your hands even as you continue to hold power. Sir, I would like to conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Time-bell rings.)*... Thank you.

SHRI A.A. RAHIM: Sir, I would like to say two lines in Malyalam. *

"*Old palaces and their chambers*
Shall become mere monuments,
Through tunnels bereft
Of light
Sultans will flee;
Then my children
With sleepless eyes,
Will stand and watch
Those scenes unfold."

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Time-bell rings.)*... Now, Dr. Kannimozhi NVN Somu; six minutes.

***English translation of the Malayalam portion.**

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (**Tamil Nadu**): Mr. Deputy Chairman, Sir, today, this House debates the fate of Manipur. Earlier, the House has discussed the fate of many other concerning issues. However, this authoritarian Government is disregarding all our key democratic concerns. But, let us be clear that this is not about restoring democracy; but this is about BJPians' authoritarian ambitions!

(CONTD. BY DC/9D)

DC-DS/9D/3.20

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (**Contd.**): For months, Manipur has burned. Homes were torched. Communities torn apart and the State plunged into unprecedented violence. Yet, the Prime Minister remained silent. Hon. Deputy Chairman, Sir, we the Opposition MPs demanded the Chair to allow us to speak on the Manipur issue during the initial days of this Session, but that was refused. As a result, many lost their lives, faced displacements and the rest are living refugee life in their own soil. Hon. Deputy Chairman, Sir, the President's Rule is not a remedy. It is an excuse, a cover-up and a direct assault on India's federalism and secularism as it is a clear misuse of Article 356. Forty-six days later, what has President's Rule achieved?

Have the displaced people returned home? No! Has justice been served? No! Has normalcy been restored? No! Has the Union laid out a concrete peace plan? No! Instead, Manipur remains under the BJP's unconstitutional occupation. Sir, this is not the first time the BJP has manipulated the crisis to seize power. There is a clear BJP's pattern of political conspiracies. One, engineer a crisis or allow one to escalate. Two, let the Government collapse while pretending to be helpless. Three, impose President's Rule and rule it from Delhi. Four, manipulate elections and install a puppet regime. This is what they have been doing. I have proof for this, Sir. They did it in Jammu and Kashmir in 2018, dissolved the State Assembly and placed J&K under the President's Rule before stripping it of into the Statehood. Madhya Pradesh, in 2020, bought the MLAs, toppled the Government and took control. In Maharashtra, in 2022, split the ruling party, hijacked power and made a mockery of democracy. And, in Jharkhand, in 2024, used Central agencies to hound the Chief Minister and destabilise governance. And now, Manipur is the latest victim. Unable to answer the world for the uncontrolled violence, you have now dissolved Manipur Assembly. If we allow this today, we will be the next State. Hon.

Deputy Chairman, Sir, Article 356 of the Constitution was meant to be the last resort and not a political weapon. Dr. Ambedkar, the then Chairman of the Drafting Committee of the Constitution of India, referred to Article 356 as a dead letter of the Constitution. In the Constitution Assembly debate, it was suggested that Article 356 is liable to be abused for political gains. At that time, Dr. Ambedkar replied, "I share the sentiments that such articles will never be called into operation and they would remain a dead letter. If at all, they are brought into operation, I hope the President, who is endowed with those powers, will take proper precautions before actually suspending the administrations of the provinces. I hope the first thing he will do would be to issue a mere warning to a province that has erred, the things that were not happening in the way which has to be intended to happen in the Constitution. If that warning fails, the second thing for him to do will be an order for election allowing the people of the province to settle matters among themselves. It is only when these two remedies fail, they would have to resort to this article." Our hon. Prime Minister and the hon. Home Minister have consistently criticized the Emergency Rule imposed on India from 25th June, 1975 to 21st March, 1977. They both addressed the

concerns on the Parliament, the same floor and even outside. Our Prime Minister referred to the Emergency period as dark days and our Home Minister referred to the Emergency as killing of democracy. Are they contradicting their own statements? Where is the concern over killing democracy or democratic principles? Does this concern not apply to Manipur crisis, Sir? Let us recall S.R. Bommai Vs. Union of India (1994) judgment, where the Supreme Court ruled: "The Government must explore all democratic alternatives before recommending the President's Rule. President's Rule cannot be used for political convenience. The judicial review is essential to prevent its misuse." Now let me ask you, through you, Sir, did the Governor attempt to form an alternative Government? No! Was there an all-party consultation before imposing central rule? No! Has the BJP given a timeline for restoring democracy? No! I would like to recall my supplementary question on the National Testing Agency on conducting entrance examination. Our hon. Education Minister said, 'This NDA/BJP Government is abiding by the order of the Supreme Court.' In this Manipur issue, what is the Government's stand? Are you not abiding by the Supreme Court order? Hon. Deputy Chairman, Sir, let us look at the facts.

Manipur is still in chaos. The perpetrators of violence remain free. Victims have received no justice. People live in fear under the BJP police state. The appeal and deadlines issued twice by the Governor to surrender the looted weapons have resulted in a lukewarm response, both in the valleys and in the hills, while the Home Minister's directive to restore movement on the highways from March 8th have been bluntly rejected by the Kuki organizations. Leaders of the two communities have opined that instead of trying to initiate talks, the Centre was trying to impose peace, thus making the road towards peace bumpy. The Government is trying to forcefully impose peace without any headway for talks. ...*(Time-Bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Yes, Sir, I am concluding. If BJP truly cared, it would have immediately initiated peace talks between all communities, ensure relief compensation and rehabilitation for the victims. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Sanjay Singh.

(Followed by DPS/9E)

MZ-DPS/3.20/9E

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) **:** मान्यवर, मुझे याद है कि जब मैंने मणिपुर के विषय पर अपना विरोध दर्ज कराया था, तब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में, जब से संसद बनी है, यदि कोई सदस्य सबसे लंबे समय तक निलंबित रहा है, तो वह मैं ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाने का प्रयास किया था। मैंने यह कोशिश की थी कि आप वहाँ के लोगों का दर्द सुन लें, उनकी तकलीफों को समझ लें और उनका कोई समाधान निकालें।

मेरी गलती यह थी कि मैं नारे लगाते हुए सदन के वेल में चला गया था, जिसके बाद मुझे 11 महीने तक निलंबित रखा गया। पहले मुझे एक सत्र के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन सत्र के अंतिम दिन इसकी अवधि बढ़ा दी गई।

सर, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप मुझे 11 महीने तक निलंबित रखें या मार्शल से बाहर निकलवा दें - आप सत्ता में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस देश के जायज़ मुद्दों को उठाने से हम नहीं रुकेंगे। यदि देश का कोई हिस्सा जल रहा है, यदि वहाँ दंगे, फसाद, लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तो इस सदन का सदस्य होने के नाते हम एक नहीं, बल्कि एक हज़ार बार इन मुद्दों को उठाएँगे।

माननीय गृहमंत्री जी वहाँ गए थे। वे 10-15 दिन वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेकर आए थे। मुझे याद है कि उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी लोगों ने अपनी राय दी। अधिकांश विपक्षी मित्रों की यह सलाह थी कि उस राज्य के

मुख्यमंत्री वहाँ की हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। जब तक वे रहेंगे, तब तक वहाँ शांति की बहाली नहीं हो सकती।

महोदय, सारे विपक्ष के लोगों की तरफ से यह एकतरफा सुझाव था। मैं उस बैठक में मौजूद था। हमने बार-बार कहा कि यदि हिंसा कराने वाले के हाथ में ही राज्य की बागडोर रहेगी, तो किसी भी हालत में वहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच झगड़े को केवल वही व्यक्ति सुलझा सकता है, जिसकी शांति स्थापित करने की सच्ची मंशा हो।

मणिपुर ने ऐसे-ऐसे दृश्य देखे, ऐसी-ऐसी वारदातें झेली हैं - चर्च जलाए गए, मंदिर जलाए गए, लोगों की हत्याएँ हुईं, लोगों के घर जलाए गए। इतना ही नहीं, उस दिन पूरे हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक गया, जब एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ...(**व्यवधान**)... उस कारगिल योद्धा ने बयान दिया। उसने कहा,"मैंने देश की सुरक्षा के लिए कारगिल की लड़ाई लड़ी, भारत माता की रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया।" क्या यह हम सबके लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? क्या यह हमारे लिए पीड़ा और दुख का विषय नहीं है? हमने उनके साथ क्या किया?

भारत के प्रधान मंत्री दो वर्षों में मात्र 36 सेकंड के लिए मणिपुर के बारे में बोले। इसी संसद में प्रधान मंत्री जी ने मणिपुर पर सिर्फ 36 सेकंड के लिए अपनी बात कही थी और संवेदना जताई थी। उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर कहीं बात करना भी उचित

नहीं समझा, जाना तो बहुत दूर की बात है। दो साल में आपको अमेरिका जाने की फुर्सत है, दुबई जाने की फुर्सत है, कतर जाने की फुर्सत है, मंगोलिया जैसे देश में जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है!

आप मणिपुर के लोगों को इसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? उन्हें क्या कारण बताएँगे? वे कैसे यकीन करें कि भारत के सबसे बड़े अभिभावक - देश के प्रधान मंत्री - उनके दर्द में उनके साथ खड़े हैं?

मान्यवर, राज्यों के प्रति आपका अलग-अलग रवैया रहता है।

(9F/DN पर जारी)

DN-PK/9F/3.25

श्री संजय सिंह (क्रमागत) : मान्यवर, राज्यों के प्रति आपका अलग-अलग रवैया रहता है, समझा जा सकता है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों के प्रति आपका भेदभाव रहता है, समझा जा सकता है, लेकिन जिस राज्य में आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी सुरक्षा की है, रोजगार देने की है, दोहरी जिम्मेदारी उस राज्य के विकास की है, दोहरी जिम्मेदारी उस राज्य के किसानों के विकास की है। आपकी तो दोहरी जिम्मेदारी है, लेकिन जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां ये लड़ाई, झगड़े, फसाद कब रुकेंगे? उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। कोई त्यौहार आता है, जैसे होली आती है, तो दस दिन पहले से बवाल शुरू हो जाता है। दिवाली आए, तो दस दिन पहले से बवाल शुरू हो

जाता है, राम नवमी आए, तो दस दिन पहले से बवाल शुरू, ईद आए, तो दस दिन से पहले से बवाल शुरू हो जाता है। इससे आप क्या हासिल कर लेंगे? क्या मिल जाएगा? देश का एक हिस्सा मणिपुर, जहां पर पिछले दो साल से दंगे, फसाद, हिंसा, नफरत, लड़ाई, झगड़ें चल रहे हैं, उस राज्य में अंततोगत्वा आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मुझे तो लगता है कि आपको तब लगाना पड़ा और आपको तब समझ में आया, जब 2024 में आप वहां पर लोक सभा की दोनों सीटें हार गए, तब आपको लगा कि अब कुछ सुधार करने की जरूरत है, अब कोई राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन की जरूरत है, तब आपने अपने मुख्य मंत्री को वहां से हटाया। उस मीटिंग में भी हम लोगों ने कहा था, फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी यहां पर हैं। ...(समय की घंटी)... सर, बस अंतिम बात कहकर खत्म करता हूं। आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है, वहां के लोगों का विश्वास जीतिए और चुनावी प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक आपसी भाईचारा और सहमति, जो दो समुदायों के बीच में पिछले दो सालों से बिगड़ी हुई है, उसको बहाल करने की कोशिश कीजिए। ...(**समय की घंटी**)... चुनाव की प्रक्रिया में मत जाइए। ...(व्यवधान)... वहां पर लोकतंत्र की बहाली कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Niranjan Bishi; not present. Shri Sanjay Yadav.

श्री संजय यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, इसे रात का अंधेरा कहूं या सुबह का उजाला। मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर हम रात के या सुबह के साढ़े तीन बजे डिस्कशन कर रहे हैं, जो पहले हो जाना चाहिए था।

महोदय, दो साल में मणिपुर में हिंसा, अशांति और पीड़ा का वह दौर रहा, लेकिन डबल इंजन सरकार कानों में रूई और आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रही। पूरे देश में रूह को कपकपाने वाली छवियां देखीं, कैसे महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया गया। वह भयावह मंजर देखकर सभ्य समाज भी अपने अस्तित्व पर चिंता करने लगा था, लेकिन सरकार तब भी सच्चाई से मुंह मोड़ती रही। मणिपुर में curfew लगा, इंटरनेट बंद रहा, मंत्रियों के घरों पर हमला हुआ, बमबाजी हुई, अफस्पा लगा, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से सुलह की कभी कोई कोशिश नहीं हुई। इसी सरकार की उदासीनता और निष्क्रियता की वजह से ही हालात बद से बदत्तर हुए।

महोदय, मणिपुर के संदर्भ में लोगों ने बहुत आवाज उठाई, लेकिन हुक्मरानों ने ही कान में निर्दयता और बेफिक्री की रूई ठूस ली हों, तो चिल्लाने से क्या फायदा होगा? Today, Manipur is sad because governance was bad and governance is bad.

सर, दो समुदाय आपस में लड़ते रहे और डबल इंजन सरकार मूक दर्शक बनकर हिंसा का खेल देखती रही। इस सरकार का कुशासन, कुनीति और कुव्यवस्था की वजह से मणिपुर में कुव्यवस्था जीत गई और शासन, न्याय और लोकतंत्र हार

गया। The phrase "Government of the people, by the people and for the people", मणिपुर में पूरी तरह हार गया। सर, शरीर के किसी अंग में एक छोटा-सा भी कांटा चुभता है, तो पूरे शरीर में पीड़ा होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार की नाकामी की वजह से जो भयावह, अमानवीय चोट और घाव मणिपुर पर लगा, उसको पूरे देश और विश्व ने देखा। हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत माता के दिल पर क्या असहनीय पीड़ा गुजरी होगी। मणिपुर मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह भारत माता का एक अभिन्न अंग है। उसके strategical location हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको दो साल तक छोड़ देना यह दर्शाता है कि आप कितने गंभीर हैं। मणिपुर इस नाकाम सरकार की नाकामियों की एक नुमाइश है कि सरकार कैसे function कर रही है?

(9G/LP पर जारी)

LP-PB/3.30/9g

श्री संजय यादव (क्रमागत) : महोदय, जब आपने दो साल बाद राष्ट्रपति शासन लगाया है, तब आप यह क्यों नहीं मान लेते हैं कि एक प्रशासक के तौर पर या एक सरकार के तौर पर यह आपकी विफलता थी!

महोदय, देश के हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं और लोगों को भी पिंजरे में बंद मुर्गों की तरह बना दिया गया है। जिसका नंबर आता है, वही चिल्लाता है, बाकी सभी दाना चुगते हैं। जिस वक्त वे निशाना बनाए जाते हैं...(**समय की घंटी**)...महोदय, मैं

लास्ट में यह भी कहूंगा कि ये देश की बात करते हैं, लेकिन ...(**व्यवधान**)...का काम करते हैं। (समाप्त)

श्री उपसभापति : माननीय अब्दुल वहाब जी, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

SHRI ABDUL WAHAB (**Kerala**): Thank you, Sir, for giving me time to speak at this late hour. I had a chance to visit Manipur with my leaders and during those two days, we have seen all around Manipur. We have got friends there, business friends also, both Kukis and Meiteis, and we heard all their complaints and their problems. Within no time -- the Bishop was telling – 50 Churches were attacked there. That means, it was premeditated. So we have to have a healing touch there. We were asking for the last two years, at different times, for some sort of a discussion in Rajya Sabha on Manipur, and the PM was not visiting there.

What we have seen is, it is imperative that an Inquiry Committee should be set up to see what led to the civil riots and conflicts in Manipur. Today it can escalate into a situation of civil war in Manipur. It is learned that the Head of the Executive of the State has caught saying on tape that he has initiated this conflict in Manipur. An inquiry should be initiated against him and the failure of his Government.

The most number of UAPA cases are in Manipur and Assam. Almost 1,000 cases were filed under the UAPA in Manipur alone in the last five years. Disproportionate asset creation is one problem. It is understood that disproportionate asset creation by a section of society has created trouble in Manipur. When one community has more share and the other tribal community which lives in the hills is most marginalized, this kind of problem arises. The fundamental problem of Manipur is that we have to see what assets are going to the valley and what assets are going to hills. The Government should ensure that all the communities which live in the hills and the valley of Manipur have equal share of its assets. Around 60,000 people have been displaced and their houses demolished, properties ravaged. The budget does not give any hint or roadmap on the rehabilitation of these people. The Government must allocate special funds to rehabilitate those displaced people. The Prime Minister has not still visited Manipur even after years of civil riots and conflict in the State. Thank you very much.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Good morning, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Good morning!

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): I have a very pointed question to the hon. Home Minister, through you, Sir. On 22nd March, it was declared by him on the floor of this House that Naxalism and Maoism will be finished by the end of March 31st, 2026. I would like to ask him, can you tell the exact date as to when you are going to finish the crisis in Manipur. Even after 22 months, we are nowhere to a solution. Now, can you give a deadline that you are going to solve this crisis by resorting to whatever method you can? I challenge, through you, Sir, that they can't say it because they are so insensitive to the cause of Manipur and its people. I can give you a number of examples. Let me tell you that there are 5,839 words in the President's Address to the nation. We all have read it. But not even once the word, 'Manipur' was mentioned. It had 5,839 words; but never Manipur was mentioned. What more do we need to show the insensitive approach of this Government? Secondly, Sir, our Prime Minister is considered to be the man who toured around the world most after Queen Elizabeth II. She is considered the first, and the second rank goes to our hon. Prime Minister.

But he never visited Manipur, which is very near, at least, from Delhi, maybe, one or two hours' journey.

(Contd. by 9h/HK)

HK-PRB/9H/3.35

SHRI SANDOSH KUMAR P (Contd.): Thirdly, I think, it was after Trump assuming power in the USA, this Government compelled to impose President's Rule in Manipur. There must be international compulsions. I have no hesitation stating that. I always wonder seeing the thickness of their skin. I heard the hon. Finance Minister replying to a debate on Manipur Budget. Hon. Finance Minister was trying to say that this crisis was created by the Opposition Parties. There must be some accountability. You should say, 'Who are responsible for this?' Which Government is responsible for this? The Government's double engine failure has created Manipur crisis.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

At least, acknowledge that you are responsible. It was not our Government; it was not our political parties. Whenever there is a crisis, can you justify by citing the Congress first? Whenever there is an issue, the problem is that you always say that it was because of the Congress

Government; it was because of the UPA Government. How can you move like this? There must be an acknowledgement. You should understand that it is the failure of the Union Government and the State Government led by the BJP and led by the double engine Government. Acknowledge the facts. Only then, can we move forward. I am proud that we have a party unit in Manipur. Our CPI leaders like Irawat Singh were there in Manipur and we fought for the cause of the people of Manipur. We will continue our fight and we stand with the people of Manipur. A political solution is needed. So, we have to take on board all sections and let us try to solve the issue and this political vendetta. See, the problem of hon. Home Minister and others is that they think that no one can be right against them. They should stop this syndrome. Only then this Manipur problem can be solved. Thank you.

(Ends)

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Thank you so much for giving me this opportunity. सर, आज जब एलओपी ने रिक्वेस्ट की थी कि हम यह चर्चा कल करें, तब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ऐसा क्यों है कि हम रात तक काम नहीं कर सकते हैं और मणिपुर के बारे में बात नहीं कर सकते हैं? मैं अभी देख रही हूं कि उस तरफ से कोई मणिपुर पर चर्चा ही नहीं करना चाहता है और न ही

कोई उनके एलायंस वाले करना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझे तीन मिनट से ज्यादा समय मिलेगा और हम चर्चा कर पाएंगे but, with all due respect to the hon. Home Minister, हमारी भी दो साल से यही मांग थी any time of Prime Minister's choosing जरा मणिपुर जाइए। मणिपुर में जो पीस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमारी रिक्वेस्ट थी। वह आज तक पूरी नहीं हुई है। सर, ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में संजय सिंह जी ने बताया और मैं भी उस मीटिंग में थी। वहां यह भी कहा गया था कि जो मुख्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। मणिपुर बचाने की जगह, मुख्य मंत्री को बचाया गया। पूरे 22 महीने मणिपुर में आग लगती रही। सर, मैं महिला सांसद हूं। जब भी मणिपुर का नाम आता है, तब मुझे वही फोटो याद आती है, जिसके बारे में सबने चर्चा की है। उसे मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूं। आज तक 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 60 हज़ार लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी इस संसद में उस पर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है। सर, यह मणिपुर में 11वां प्रेसिडेंट रूल है। Highest in any State post-Independence. यह तब लगा है, जब मुख्य मंत्री को बचाने के बाद, उनको पता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से उनकी सरकार गिरेगी। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरे पास डेढ़ मिनट का समय है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी।

सर, दूसरी चीज़ मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि एक तो महिलाओं की फोटो के साथ-साथ मुझे याद है कि पार्लियामेंट में मेरी एक कलीग थी - मैरी कॉम, जो एक

स्पोर्ट्स आइकन हैं। उनका एक रोता हुआ वीडियो आया था। उस वीडियो में उनकी एक ही अपील थी कि 'Prime Minister, please visit Manipur. 'Prime Minister, my house is burning'. सर, हमारे फॉरेन अफेयर्स के एमओएस का घर जला दिया था। वे मणिपुर के थे। वहां के एमएलएज़ थे, वे दिनों तक इंतजार करते रहे कि प्रधान मंत्री उनकी बात सुन लेंगे। उनकी भी सुनवाई नहीं हुई थी। वहां प्रेसिडेंट रूल तो लग रहा है, लेकिन गृह मंत्री जी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वहां पर जल्द से जल्द एक इलेक्टेड सरकार हो। वहां एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने और जो पीस का मैसेज जाना चाहिए, वह पीस का मैसेज right from the hon. Prime Minister उन तक पहुंचे। Thank you so much. जय हिंद!

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Shri Amit Shah, hon. Home Minister, to reply the discussion.

(Followed by KSK/9J)

AKG-KSK/9J/3.40

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय सभापति महोदय, आज संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया ने 13 फरवरी, 2025 को जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है, इसकी मान्यता के लिए मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुल मिला कर 10 वक्ताओं ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया है।

मान्यवर, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरह से डाला जाए, 356 (1) के तहत ही डाला जाता है। इसमें दो-तीन प्रकार होते हैं। एक तो कांग्रेस के शासन में होता था, ऐसे विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए डाला जाए, जो हमने नहीं किया है। ...(**व्यवधान**)... सुनिए तो अब। दूसरा, सरकार कांग्रेस की हो, विपक्ष की हो या हमारी हो, इसको गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन डाला जाए, कानून और व्यवस्था के नाम से, यह भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यहाँ पर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और सभी लोग अखबार देख कर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही थी। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, उस सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सदस्य ही नहीं हैं, जो अविश्वास का प्रस्ताव ला सकें। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहाँ के राज्यपाल से बीजेपी के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के एक और कांग्रेस के 5 लोगों ने भी कोई दावा नहीं किया। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया।

मान्यवर, अब इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या सँभलती नहीं है, ठीक नहीं है। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया, नवंबर में ज़ीरो हिंसा, दिसंबर में ज़ीरो हिंसा, जनवरी में ज़ीरो हिंसा, मार्च 13 तक भी ज़ीरो हिंसा और उसके बाद से आज तक भी ज़ीरो हिंसा, तो एक प्रकार की भ्रांति

खड़ी करने का हम प्रयास न करें। मान्यवर, 13 फरवरी, 2025 के 7 साल पहले मणिपुर में क्या था? 13 फरवरी, 2025 के 7 साल पहले वहाँ पर इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी और क्या हुआ था? एक वर्ष में average 225 दिन बंद, blockade और कर्फ्यू रहा था। मैं यह सब बोलना नहीं चाहता था। मान्यवर, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वह हमारा सिद्धांत नहीं है। मगर जिस तरह से बात की गई, उस वक्त भी प्रधान मंत्री ने visit नहीं की थी और 1,500 लोग encounter में मारे गए। ये सारे लोग आज चिल्ला रहे हैं, चुप हैं। एक कम्युनिस्ट भाई भी खड़े होकर बोल रहे थे कि आप naxalism खत्म कर देंगे, मणिपुर में आप डेट दे सकते हैं! मुझे मालूम नहीं, उनको मणिपुर में शांति करनी है या naxalism को बचाना है। ...(**व्यवधान**)... एक संसद सदस्य के नाते आपको मालूम पड़ना चाहिए कि जातीय हिंसा और naxalism में अंतर है। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको tackle करने का तरीका और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहाँ की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको tackle करने का तरीका अलग है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूँ।

(9के/पीएसवी पर जारी)

PSV-GSP/9K/3.45

श्री अमित शाह (**क्रमागत**) : मैं बताता हूँ कि क्या फर्क है। आपको दोनों हिंसाओं में कोई फर्क नहीं लगता है। **...(व्यवधान)...** हिंसा, हिंसा नहीं होती है। दो समुदायों के

बीच की हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाना - इन दो हिंसाओं में फर्क है, भाई। शायद आप नहीं समझेंगे, इसीलिए इतने सिकुड़ गए हैं।

मान्यवर, इस संवेदनशील विषय पर मैं राजनीति करना नहीं चाहता था। मुझे तो आश्चर्य है। दो साल से इतनी सारी हिंसा होने के बाद भी विपक्ष ने जिस तरह से बात की है, मैं आश्चर्य चकित हूँ। यहाँ पर देरेक ओब्राईन जी महिलाओं की स्थिति पर थोड़ा इमोशनल हो गए। देरेक साहब, यहाँ तो जातीय हिंसा हुई थी, दोनों समुदाय आमने-सामने भिड़ गए थे। इसमें कई महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। बंगाल में कुछ नहीं था, सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ, संदेशखाली में दुर्व्यवहार होता रहा, लेकिन आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। RG Kar मामले में भी कुछ नहीं किया। आप जवाब नहीं दे सकते। वह दुर्व्यवहार आपकी ही पार्टी के नेता ने किया था, जिसको आपको सस्पेंड करना पड़ा था। हम न तो इसका समर्थन करते हैं और न ही उसका करते हैं। यह dual standard लेकर ज्यादा दिन नहीं चल सकते।

मान्यवर, ये कहते हैं कि 50 लोग मारे गए। मैं भी कबूल करता हूँ कि वहाँ 260 लोग मारे गए। यह आंकड़ा है, यह सच्चाई है। मगर बंगाल में चुनावी हिंसा में 250 लोग मार दिए गए। यहाँ जातीय हिंसा में लोग मारे गए। मान्यवर, बंगाल की जो स्थिति है, उसमें तो शायद ये नहीं बोले होते, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। यहाँ लोग जातीय हिंसा में मारे गए हैं, लेकिन वहाँ तो चुनावी हिंसा में मार दिए गए हैं।

मान्यवर, खरगे साहब ने कहा कि दो सीटों पर कांग्रेस की विजय हो गई, बीजेपी हार गई, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया है। मान्यवर, चुनाव को काफी समय हो गया, वहाँ vacuum हुआ, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन लगाया है। उन्होंने कहा हम दो सीटें जीत गए, आप सबक सीखिए। तो मान्यवर, ये दो सीटों से हमें सबक सिखाना चाहते हैं! इस देश की जनता ने लगातार तीन चुनावों में इनको सबक सिखा दिया है। मान्यवर, क्यों सबक सिखाया? मैंने आगे भी कहा कि नॉर्थ-ईस्ट की..

SHRI DEREK O'BRIEN: Mr. Chairman, Sir, he has taken my name. ...(*Interruptions*)... Will the hon. Minister yield? ...(*Interruptions*)...

श्री अमित शाह : मान्यवर, नॉर्थ-ईस्ट की बात कही गई। मैं आज बताने आया हूँ कि 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार रही, 2014 से 2024 नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है। नॉर्थ-ईस्ट में 2004 से 2014 में 11,327 हिंसा की घटनाएँ हुई थी, मोदी जी की सरकार में, 10 सालों में 70 प्रतिशत कमी के साथ ये 3,428 हुईं। सुरक्षा बल में 70 प्रतिशत कमी और नागरिकों की मृत्यु में, including Manipur, 85 प्रतिशत की कमी हुई है। मान्यवर, हमने 20 समझौते किए हैं। सबसे पहला समझौता NLFT के साथ 2019 में किया, 2020 में BRU के साथ समझौता किया, बोडो समझौता 2020 में किया, कार्बी समझौता 2021 में किया, आदिवासी समझौता 2022 में किया, DNLA समझौता 2023 में किया, उल्फा शांति समझौता 2023 में किया। ...(**व्यवधान**)... मेरी बात

समाप्त तो होने दीजिए। मान्यवर, असम-मेघालय अंतरराज्यीय समझौता 2022 में हुआ, असम-अरुणाचल समझौता 2023 में और त्रिपुरा समझौता 2024 में हुआ।

(9एल/वीएनके पर जारी)

VNK-SK/9L/3.50

श्री अमित शाह (क्रमागत) : मान्यवर, नॉर्थ-ईस्ट में 10,000 युवाओं ने हथियार डाल कर सरेंडर किया है। जब ये नॉर्थ-ईस्ट की शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मान्यवर, मृत्यु की बात की गई। यह बात सही है कि हिंसा होने के बाद मणिपुर में अब तक 260 लोग मारे गए हैं, मगर इसमें से 70 प्रतिशत लोग पहले 15 दिन में ही मारे गए थे। जब नस्लीय हिंसा होती है, तो पहले 15 दिन में इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। मान्यवर, मणिपुर में यह पहली बार नस्लीय हिंसा नहीं हुई है। माननीय सदस्य प्रियंका जी ने कहा कि यह 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हमने तो पहली बार लगाया है, लेकिन 10 बार किसने लगाया?...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : मुझे मालूम था, मैंने उसी दिन बोला।...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह : नहीं, ऐसा नहीं है।...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding, Kharge ji. ..(*Interruptions*).. No, he is not yielding. ..(*Interruptions*).. Hon. Home Minister is not yielding. Please. ..(*Interruptions*).. Nothing will go on record. ..(*Interruptions*)..No, it can't go on record, Sir. He is not yielding. ..(Interruptions)..

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं यह नहीं कहता। अभी भी मैं स्पष्ट करता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि उनके समय में हुआ, इसलिए हमारे समय में होना चाहिए। इनसे हमारे समय में कम हुआ - यह comparison का सवाल नहीं है। शायद उनके वक्त भी कुछ कारण रहे होंगे, हमारे भी कारण मैं बाद में बताता हूँ।

मान्यवर, 1993 में नागा-कुकी संघर्ष हुआ। वह कितने साल चला? वह 1998 तक चला। उसमें कितने लोग मरे? उसमें 750 लोग मारे गए। क्या प्रधान मंत्री गए? मान्यवर, नहीं गए। इनके प्रधान मंत्री थे। 1997-98 में कुकी-पाइते संघर्ष हुआ। इंडी एलायंस के प्रधान मंत्री थे। उसमें 352 लोग मरे और वह ढाई साल चला। प्रधान मंत्री नहीं गए। मैतेई-पंगल संघर्ष 1993 में हुआ। उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे। उसमें 150 से ज्यादा मृत्यु हुई। प्रधान मंत्री नहीं गए और सात महीने तक हिंसा चलती रही। मैं यह जो इतिहास बताता हूँ, वह जातीय संघर्ष का इतिहास है। पहले नागा-कुकी संघर्ष हुआ। दो ट्राइब्स के बीच में संघर्ष हुआ। फिर कुकी-पाइते संघर्ष हुआ। यह भी दो ट्राइबल्स के बीच में हुआ। उसके बाद मैतेई-पंगल संघर्ष हुआ। वहाँ बसे तमिलों के बीच में हुआ। मान्यवर, ये सारे जातीय संघर्ष थे, जो शांत होते-होते

कई बार पाँच साल, कई बार ढाई साल और कई बार सात महीने लगे हैं और हर बार सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मगर उस वक्त, मैं रिकॉर्ड चेक कर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस तरह से उसको politicize करने का प्रयास नहीं किया था। मान्यवर, सबने कहा था कि मणिपुर के प्रति हमारी sympathy है, जल्दी शांति होनी चाहिए। इस प्रकार से पॉलिटिकल तंज कस कर मणिपुर के घाव पर नमक डालने का काम किया है। यह नहीं करना चाहिए।

मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूँ कि इस बार हिंसा क्यों हुई। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सात साल में एक दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ था। जिस मणिपुर में साल के 225 दिन तक कर्फ्यू, ब्लॉकेड, बंद रहता था। सात साल तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं हुआ था। मान्यवर, हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। जजमेंट के अंदर भारत सरकार को पूछे बगैर, रिकॉर्ड पर जवाब दिए बगैर, ट्राइबल कमीशन को पूछे बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया। इसके कारण ट्राइबलों में अनरेस्ट हुआ और इसके खिलाफ एक बड़ा रोष हुआ तथा ट्राइबल एवं नॉन-ट्राइबल के बीच में झगड़ा हुआ। किसी ने इसको समझे बगैर टेररिज़्म का नाम दे दिया। किसी ने इसको सरकारी विफलता का नाम दिया और कुछ लोगों ने इसको धार्मिक संघर्ष मान लिया। यह न दो धर्मों के बीच में संघर्ष था, न वहाँ कोई टेररिज़्म की घटना थी, न लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था। मान्यवर, एक जजमेंट के कारण पूरी ट्राइब्स के अंदर बहुत insecurity फैली कि रिजर्वेशन पर हमारा अधिकार चला जाएगा और इसके लिए एक

ओर से प्रदर्शन हुआ, दूसरी ओर से प्रदर्शन हुआ और इतनी विस्फोटक स्थिति हुई कि चार दिन तक पूरे प्रयास करने के बावजूद शांति नहीं कर पाए।

(9एम/डीएस पर जारी)

DS-YSR/3.55/9M

श्री अमित शाह (क्रमागत) : मान्यवर, इस दुर्भाग्यपूर्ण जजमेंट के कारण यह हिंसा हुई है और यह जातीय हिंसा है। जजमेंट को दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि वह एक गैर-संवैधानिक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट का यह एक सेटल लॉ है कि यदि किसी भी जाति को ट्राइब घोषित करना है, तो जब तक ट्राइबल कमीशन, कैबिनेट और संसद, ये सभी उसको नोटिफाई नहीं करते हैं, तब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हो सकता है। इस सेटल जजमेंट को डिस्टर्ब करके, भारत सरकार का जवाब लिए बगैर, ट्राइबल कमीशन, भारत सरकार का जवाब लिए बगैर एक जाति को रातों-रात ट्राइबल घोषित कर दिया गया और इसके कारण ही यह पूरी हिंसा हुई।

मान्यवर, मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन किसी को बचाने के लिए लगाया गया था, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव आया था, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस के पास अविश्वास का प्रस्ताव लाने जितने सदस्य ही नहीं हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भारत सरकार के गृह सचिव रहे श्री भल्ला जी को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। अब वहाँ शांति है, मान्यवर। ये जो कह रहे हैं कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में वार्ता

नहीं हुई, तो मान्यवर, उनकी 13 बार मीटिंग्स हुईं। इसको सदन में लेट लाने का कारण भी मीटिंग थी, क्योंकि वहां मीटिंग्स चल रही थीं। मुझे मालूम था, इसी तरह के भाषण होंगे। मान्यवर, अभी-अभी जब यह सदन चल रहा था, तो उसी समय वहां दो मीटिंग्स हुई हैं और दोनों कम्युनिटीज़ की तीसरी फाइनल मीटिंग अब कुछ ही दिनों में दिल्ली में होने की संभावना है। मैं आशा करता हूँ कि दोनों कम्युनिटीज़ इसको समझेंगी और संवाद का रास्ता अपनाएंगी। वहां धीरे-धीरे शांति तो हुई है, मगर संवाद भी प्रस्थापित होगा और जैसे ही संवाद प्रस्थापित होगा, हमें वहां एक भी ज्यादा दिन राष्ट्रपति शासन नहीं रखना है। यह हमारी पार्टी की पॉलिसी भी नहीं है, न कभी हमने रखा है।

मान्यवर, यह सभी जानते हैं कि हम जब भी राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, जब भी अनुच्छेद 356 अप्लाई करते हैं, चाहे वह किसी भी कारण से करते हों, तो उसको दो माह के अंदर दोनों सदनों से अनुमोदन कराना पड़ता है, इसीलिए मैं इसका अनुमोदन कराने के लिए इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगाने का जो निर्णय है, उसका सभी लोग समर्थन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसका compliance इस सदन के द्वारा किया जाएगा, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Statutory Resolution moved by the Minister to vote. The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 13th February, 2025 under Article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Manipur."

The motion was adopted.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, on the Waqf (Amendment) Bill, 2025, there was voting by division. Seat Division No.151 is allotted to Ms. Dola Sen and Seat Division No.133 is allotted to Shri Subrata Bakshi. It is mandatory that exercise of right of vote is valid and can be effected, to make it valid, only from the seat allotted to the hon. Member. Any other mode does not allow the Member to engage even in correction.

(Contd. by VKK/9N)

VKK-MZ/9N/4.00

MR. CHAIRMAN (Contd.): The facility of correction is available only when the Member exercises the right from his or her seat. A correction slip was submitted by Ms. Dola Sen and there is no dispute on that count. Sanctity of voting is fundamental and any transgression is unacceptable. That this transgression has taken place, there is no option with the Chair except to invalidate that vote.

Hon. Members, we took recourse to electronic voting. On an earlier occasion, I had indicated that adaptability and accessibility to technology has been widely reflected by people at large. I would again urge the Members that except for very extraordinary situations, we must make optimizing rule for exercise of electronic voting. I would urge the hon. Members, whenever there is an occasion like this, we must have some kind of updating on this. We will put the procedure again on the Member's Portal so that we exemplify to others also that our voting, electronic voting, is near perfect.

Hon. Members, it is a rare occasion. The House stands adjourned at 4.02 a.m. today to meet again on this very day at 11 a.m. today, that is, the 4th April, 2025.

The House then adjourned at 0402 hours on the 4th April, 2025 till 1100 hours.